लोक सभा वाद-विवाद

हिन्दी-संस्करण

(7th Lok Sabha)



(चौदहवां सत्र)

(खंड 47 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोकसभा वाद-विवाद का हिन्दी
संस्करण

सोमवार, 16 अप्रैल, 1984/27 चैत्र, 1906(शक) का
शुद्धिपत्र

पृष्ठ 2, पंक्ति 9, "स्थगत" के स्थान पर "स्थान" पढ़िये।

पृष्ठ 2, पंक्ति 25, "रोका" के स्थान पर "रोको" पढ़िये।

पृष्ठ 8, पंक्ति 27, "श्री राम स्वरूप राम(जारी)" का लोप कीजिये।

पृष्ठ 9, पंक्ति 8, "श्री बूटा सिंह" के स्थान पर "संसदीय कार्य, ऊर्जा तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) पढ़िये।

पृष्ठ 18, पंक्ति 24, "सभापति" के स्थान पर "अध्यक्ष" पढ़िये।

पृष्ठ 22, पंक्ति 10, "कठाव रोधी" के स्थान पर "कटाव रोधी" पढ़िये।

पृष्ठ 57, पंक्ति 6, अ॰प्र॰सं॰ "7554" के स्थान पर "7553" पढ़िये।

पृष्ठ 43, पंक्ति 17, "दिकास" के स्थान पर "विकास" पढ़िये।

पृष्ठ 74, पंक्ति 11, "श्री बलबीर सिंह" के स्थान पर "श्री दलबीर सिंह" पढ़िये।

पृष्ठ 88, पंक्ति2, "मलिनवस्ती" के स्थान पर "मलिन बस्ती" पढ़िये।

पृष्ठ 97, पंक्ति 18, "श्रीमति" के स्थान पर "श्रीमती" पढ़िये।

पृष्ठ 98, पंक्ति 20, "(श्री मल्किार्जुन)" के स्थान पर "श्री मल्लिकार्जुन)" पढ़िये।

पृष्ठ 130, पंक्ति 5, "दीप" के स्थान पर "दीव" पढ़िये।

पृष्ठ 149, पंक्ति 5, "श्री रीतलान प्रसाद वर्मा" के स्थान पर श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा" पढ़िये।

पृष्ठ 155, पंक्ति 10, में "8113/84" के स्थान पर "8183/84" पढ़िये।

पृष्ठ 178, पंक्ति 3, "अन्दमान" के स्थान पर "अन्डमान" पढ़िये तथा पंक्ति 5 में "चंदीगढ़" के स्थान पर "चंडीगढ़" पढ़िये।

पृष्ठ 181, पंक्ति 25 में "बिछे" के स्थान पर "विछे" पढ़िये ।

पृष्ठ 253, पंक्ति3, अ॰प्र॰संख्या "7669" के स्थान पर "7699" पढ़िये

पृष्ठ 265, पंक्ति 12, "अदैमान" के स्थान पर "अडमान" पढ़िये ।

पृष्ठ 266, पंक्ति 12, "तीगीपुर" के स्थान पर "तिगड़ीपुर" पढ़िये तथा पंक्ति 17 में "मूमिहीन" के स्थान पर "भूमिहीन" पढ़िये ।

पृष्ठ 268, पंक्ति 7 में "स्ट्रेट" के स्थान पर "स्टेट" पढ़िये ।

पृष्ठ 279, पंक्ति 18, में "डूबे" के स्थान पर "न खोये" पढ़िये ।

पृष्ठ 315, पंक्ति 22 तथा 25, "डा॰ बी॰ कुलनदई केनु" के स्थान पर "डा॰ वी॰कुलनदईकेनु" पढ़िये ।

पृष्ठ 349, पंक्ति 30, "हाल्दर" के स्थान पर "हाल्दर" पढ़िये ।

पृष्ठ 367, पंक्ति 1,4,8,12,16,20,24, पृष्ठ 368, पंक्ति 1,5, 9,13,17 और 22 तथा पृष्ठ 369, पंक्ति 1,5,9,13,17,21,25 में "लाभ" के स्थान पर "कम" पढ़िये ।

पृष्ठ 372, पंक्ति 27, "प्रो॰ नारायण चन्द परासर" के स्थान पर "प्रो॰ नारायण चन्द पराशर" पढ़िये ।

विषय-सूची

अंक 36, सोमवार 16 अप्रैल, 1984/27 चैत्र, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	8—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 680 और 682 से 685	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	20—272
*तारांकित प्रश्न संख्या : 681 और 686 से 699	20—41
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7543 से 7709	41—267
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	272—275
प्राक्कलन समिति	276
72वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश तथा की-गई-कार्यवाही के बारे में 64वां प्रतिवेदन	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	276—294
तथाकथित "काश्मीर मुक्ति मोर्चे" और अन्य उग्रवादियों द्वारा प्रधान मंत्री और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जान से मार देने की धमकी दिए जाने का समाचार	
श्री पी० नामग्याल	277
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	282
श्री सतीश अग्रवाल	283
श्री जैनुल बशर	290

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	294—300
(एक) केन्द्रीय क्षेत्र में लद्दाख में कम से कम एक पनबिजली परियोजना का निर्माण करने की आवश्यकता **श्री पी० नामग्याल**	294—295
(दो) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पेयजल की कमी **श्री जैनुल बशर**	295
(तीन) देश में वनस्पति की कमी **श्री मनीराम बागड़ी**	296
(चार) केरल के पथनाम्थिट्टा जिले के त्वरित औद्योगीकरण हेतु उसे औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित करने की आवश्यकता **प्रो० पी० जे० कुरियन**	297
(पांच) स्कूटर तथा टैक्सी ड्राइवरों द्वारा जनता को तंग किया जाना **श्री राम विलास पासवान**	297—298
(छः) कलकत्ता क्षेत्र के देना बैंक में भर्ती के मामले में की गई अनियमितताएं **प्रो० रूप चन्द पाल**	298
(सात) देश के सभी चावल मिलों के आधुनिकीकरण संबंधी केन्द्रीय सरकार के आदेश को केरल के छोटे चावल मिलों पर लागू न करने की आवश्यकता **श्री वी० एस० विजयराघवन**	299
(आठ) उत्तर प्रदेश के सीतापुर और हरदोई जिलों में सिंचाई की और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता **श्री रामलाल राही**	300

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1984-85	300—378
वाणिज्य मंत्रालय	300—356
श्री रतन सिंह राजदा	301
श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल	308
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	309
डा० वी० कुलनदईवेल्लु	312
श्री राम सिंह यादव	316
श्री के० ए० राजन	321
श्री अशफाक हुसैन	323
श्री अब्दुल रशीद काबुली	328
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	341
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	357—378
प्रो० रूप चन्द पाल	359
प्रो० नारायण चन्द पराशर	370
श्रीमती किशोरी सिन्हा	374
श्री विष्णु प्रसाद	378

लोक सभा

सोमवार, 16 अप्रैल, 1984/27 चैत्र, 1906 (शक)

लोक सभा म० पू० 11.05 पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)]

(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, पंजाब की हालत बहुत खराब है। 37 स्टेशन्स वहां पर जला दिए गए हैं। पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। **(व्यवधान)** वहां पर ऐसी नपुंसक सरकार है जो कोई भी व्यवस्था नहीं कर रही है। हमने नियम 388 के अन्तर्गत आपसे सस्पेंशन आफ रूल्स के लिए निवेदन किया है। **(व्यवधान)**

श्री रामलाल राही : पंजाब की सरकार सरकारी सम्पत्ति को भी बचाने में नाकामयाब हो रही है। **(व्यवधान)**

श्री राजेश कुमार सिंह : सारे इंडिया में आपको ऐसी नपुंसक सरकारें नहीं मिलेगी। **(व्यवधान)**

श्री रामलाल राही : सरकार सदन में घोषणा करे कि वह इस बात का वादा करती है कि एक हफ्ते में वह पंजाब में स्थिति को काबू में कर लेगी। **(व्यवधान)**

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष जी, यह सरकार कैसे चलेगी ? मैं प्रधान मन्त्री जी से कहूंगा कि उनको फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए और लोकसभा को डिजाल्व करा कर पंजाब के इश्यु पर चुनाव कराने चाहिए तथा लोगों का निर्णय जानना चाहिए कि पंजाब के सम्बन्ध में वे क्या चाहते हैं। अगर इस सरकार में जरा सी भी जवांमर्दी है तो वह तुरन्त इस बात की घोषणा करे। **(व्यवधान)**

श्री रामलाल राही : पंजाब में जान बूझ कर सरकार की तरफ से ऐसी घटनायें कराई जा रही हैं। यदि सरकार निष्क्रिय नहीं होती तो इस प्रकार की घटनायें नहीं हो पातीं। **(व्यवधान)**

श्री मनीराम बागड़ी : आज यह हाउस नहीं चलने देंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिए, यह आपका हाउस है, चलने दें या न चलने दें। आप चलने

देंगे तो मैं विधि के अनुसार चलाऊंगा। अगर आप विधि को फाड़ देना चाहते हैं तो फाड़ दीजिए, मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, इसमें संशय नहीं कि यह बहुत गम्भीर समस्या है और पूरे सदन को इस पर विचार-विमर्श करना चाहिए, पर उस तरह नहीं। यह विचार विमर्श नियमों के अनुरूप होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो आपके कथनानुसार, आपके आदेशानुसार जब आपने कहा है, जिस हिसाब से कहा है सदन में डिस्कशन करवाया है और अब जो आप कहें वह करवाने के लिए भी तैयार हूं।

श्री रामलाल राही : हम मांग करते हैं कि इस सरकार को इस्तीफा दे देन चाहिए।

स्थगन **श्री राजेश कुमार सिंह** : हम पहले ही स्थगन प्रस्ताव पेश कर चुके हैं। सम्बन्धित नियम के निलम्बन का प्रस्ताव भी पेश किया जा चुका है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, स्थिति बहुत ही नाजुक है। यह कोई बड़ुपन का मामला नहीं है। स्थिति बहुत ही दयनीय है। 37 रेलवे स्टेशन जला दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अत: सरकार क्या कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने जो रूल्स बनाए हैं उन्हीं के अनुसार मुझे चलना है। मैं यह नहीं कहता कि मैं आपकी बात नहीं सुनता, मैं यह भी नहीं कहता कि मैं कोई बात दबाना चाहता हूं लेकिन विधि के अनुसार आप जिस ढंग से भी डिस्कशन करवाना चाहें उसके लिए सारे साधन आपके पास मौजूद हैं उससे आप करिए।

(व्यवधान)

श्री रामलाल राही : जो मोशन दिया गया है उसको आप तत्काल मान लें। **(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हम स्थगन प्रस्ताव दे चुके हैं। **(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं पंजाब की इस गम्भीर समस्या पर स्थगन प्रस्ताव दे चुका हूं।.... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : गृह मंत्री और रेलवे मंत्री को आज वक्तव्य देने दिया जाए। मैं स्थगन प्रस्ताव दे चुका हूं।.... **(व्यवधान)**

रोको **श्री मनीराम बागड़ी** : यह स्थगन प्रस्ताव से कम नहीं है। अध्यक्ष जी। काम रोको

प्रस्ताव है। बूटा सिंह जी क्या करेंगे बोलकर। आप क्या कोई क्वैश्चन का जवाब दे रहे हैं।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं संसद के बारे में कह रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप पंजाब के बारे में कुछ कहने जा रहे हैं।

श्री मनी राम बागड़ी : आप और कोई बात करेंगे, तो हम रोला करेंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप इसी इशु पर बात करना चाहें तो हम बैठते हैं, आपकी बात सुनेंगे। लेकिन पंजाब के बाहर सुनने को तैयार नहीं हैं। हम आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि पंजाब में बड़ी दुर्दशा हो रही है।

श्री बूटा सिंह : महोदय, इस सदन में चर्चा में भाग लेने का मेरा अधिकार विरोधी सदस्यों की इच्छाओं पर निर्भर नहीं है। मैं आपकी अनुमति से इसमें भाग ले रहा हूं। आपकी अनुमति से मैं एक दो प्रश्न आपके विचारार्थ उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति देता हूं।

श्री बूटा सिंह : आज सुबह आपने यह कह कर कि आप वही करेंगे जो कुछ वह आपसे चाहते हैं आपने अपनी उदारता का परिचय दिया यह सही स्थिति नहीं है। यह सदन है और सदन का अर्थ कोई वर्ग विशेष नहीं

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदन के नियमों के अनुरूप कहा है।

श्री बूटा सिंह : यही बात है जो आप बाद में मानेंगे।

श्री मनी राम बागड़ी : आप हाउस हैं, मैं हाउस हूं। आप गलत कहते हैं.... **(व्यवधान)** आप हाउस हैं, मैं हाउस हूं, हर मैम्बर हाउस है, सभी मैम्बर हाउस हैं।.... **(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह : मेरा अध्यक्षपीठ से निवेदन है।.... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पूरे सदन को यह अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : उन्हें यह वापिस ले लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सदन का प्रत्येक वर्ग सदन है।

श्री बूटा सिंह : सभा के इस वर्ग का विचार है कि आप पूर्ण रूप से सभा के नियमों और कार्य-पद्धति के अनुरूप चलें।.... **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं ।....(**व्यवधान**)

श्री बूटा सिंह : सभा के नियमों और प्रक्रिया के अनुसार सदन को अनेक अवसर उपलब्ध हैं । आप अपनी सहमति दे सकते हैं अथवा सहमति देने से इन्कार कर सकते हैं । यह आपका विशेषाधिकार है । परन्तु यह ठीक समय और सदन के नियमों और प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए । इस सदन में अब यह प्रचलन होता जा रहा है कि किसी भी विषय को लिए जाने से पहले....(**व्यवधान**)

श्री सतीश अग्रवाल : प्रतिदिन व्यक्ति मारे जा रहे हैं और स्थगन प्रस्ताव प्रतिदिन आएंगे ।....(**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या एडजार्नमैंट मोशन पर आपको लज्जा आ रही है ? (**व्यवधान**)

श्री बूटा सिंह : आप स्थगन प्रस्ताव सहित किसी भी प्रस्ताव को अनुमति दे सकते हैं पर इस ढंग से नहीं । हम सभा को इस हद तक नहीं गिरने देंगे कि आपके कार्य सूची लिए जाने से पूर्व ही विरोधी सदस्य मामले को उठाएं....(**व्यवधान**)

श्री राजेश कुमार सिंह : आप देश का बंटवारा कर दें....(**व्यवधान**)....आप देश का बंटवारा करना चाहते हैं ।....(**व्यवधान**)

(**व्यवधान**)

श्री बूटा सिंह : सरकार उचित समय पर, नियमों के अनुसार आपके निर्देशों पर चलने को तैयार है और आपके विनिर्णय का पालन करेगी, परन्तु इस ढंग से नहीं । आपको कार्य-सूची अवश्य लेनी चाहिए और उपयुक्त समय पर अपने निर्देश देने चाहिए ।

(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : आप उनके दृष्टिकोण से परिचित हैं । हमने सभा में पंजाब की स्थिति पर विचार-विमर्श में कभी बाधा नहीं डाली । लेकिन जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि इसके लिए सम्बन्धित नियम हैं और इस मामले को उठाने के लिए निश्चित समय है ।

(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : आप कृपया उन्हें धैर्य रखने के लिए परामर्श दें ।

(**व्यवधान**)

श्री रतन सिंह राजदा : जब पंजाब जल रहा है वह नियमों की बात कर रहे हैं ।

प्रो० के० के० तिवारी : प्रश्न-काल के दौरान आप नियमों का पालन नहीं कर रहे। आप सभी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रश्न-काल इसके लिए नहीं है। इन मामलों को उठाने के लिए अलग समय है। प्रश्न-काल का इस्तेमाल इन मामलों को उठाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दुर्भाग्य से, संसदीय कार्य के माननीय मंत्री की प्रतिक्रिया।.... **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : जो कोई भी मेरी अनुमति के बिना बोलता है उसका कथन कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाता। पहले मेरी अनुमति अनिवार्य है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दुर्भाग्यवश, ससंसदीय कार्य मंत्री की प्रतिक्रिया से ऐसा लगता है कि जो घटनाएं कल घटित हुई हैं उनके प्रति वे गंभीर रूप से चिन्तित नहीं। इतना कुछ घटित हुआ, परन्तु उन्होंने एक भी सुझाव नहीं दिया।

श्री बूटा सिंह : नियमों के अनुरूप चर्चा इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। इससे कोई उद्देश्य हल नहीं होगा। इससे क्या लाभ हुआ है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि नियमों का पालन कैसे किया जाए।

श्री रशीद मसूद : हम में से सब चाहे इधर के हों या उधर के हों, रूल्ज की बात करते हैं। हमने रूल 388 के तहत नोटिस दिया है जिसका मतलब है कि क्वैश्चन-आवर को सस्पेण्ड करके एडजार्नमैन्ट मोशन लिया जाए। यह रूल्ज के लिखाफ नहीं है। आपने जो बतलाया है कि एक ही मामला दोबारा एक ही सेशन में डिस्कस नहीं किया जा सकता....

अध्यक्ष महोदय : यह एडजार्नमैन्ट मोशन की बात है।

श्री रशीद मसूद : यह दूसरा मामला है। पहला मामला इन्नोसेन्ट लोगों के बारे में था। वहां गवर्नमेन्ट प्रापर्टी, रेल्वे प्रापर्टी जलाई जा रही है, 56 स्टेशनों को जला दिया गया है। इसलिए यह नया मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। नियमावली के अनुसार आपने मुझे प्रस्ताव दिया। परन्तु नियमावली के अनुसार मैंने उसे रद्द कर दिया। श्री चटर्जी, उन्होंने आपके इस तर्क का खण्डन नहीं किया कि हमें इस पर सार्थक चर्चा करनी चाहिए। वह भी सहमत हैं। उन्होंने अपने विचार दिए हैं। हम किसी भी समय प्रश्न-काल के पश्चात्,

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मध्याह्न-भोजन के पश्चात् मिल सकते हैं, और कोई भी बात जो आप लोग आपस में निश्चित करते हैं, और मैं आपकी इच्छाओं के अनुरूप चलूंगा। जो भी आप कहेंगे, मुझे स्वीकार होगा। जैसा आप चाहें।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। संसदीय कार्य के माननीय मंत्री ने कहा कि विरोधी दल के लोग सभा के साथ मनमानी नहीं कर सकते, उनके द्वारा ऐसा कहना उपयुक्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उनका अपना दृष्टिकोण है। आपका अपना दृष्टिकोण है। आपको पूर्ण स्वतन्त्रता है। उन्होंने जो कहा है सो कहा है आप अपनी राय रखें। उनकी अपनी राय है।

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष जी, मेरा विशेषाधिकार का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार—किस बात का ?

श्री मनी राम बागड़ी : प्वाइन्ट आफ आर्डर है। मुझे इन्होंने भुला दिया। बूटा सिंह जी आज इतने गुस्से में बोले हैं—सरकार पंजाब में पिट रही है, गुस्सा यहां निकालते हैं, विपदा पंजाब पर है, रौब मुझ पर जमाते हैं।

श्री बूटा सिंह : आपने तो तब बोलना शुरू कर दिया, जब अध्यक्ष जी भी नहीं आए थे।.... **(व्यवधान)**

श्री मनी राम बागड़ी : मुझे अफसोस इस बात का है कि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी लूज टाक करता है। कभी गोल्डन टेम्पिल में जाने की बात करता है और कभी क्वैश्चन आवर में बोलने के लिए आगे बढ़ता है। स्टेशन जल रहे हैं और लोगों की जिन्दगी खतरे में है। बच्चे जल रहें हैं और पंजाब जल रहा है और देश टूट रहा है और ये गोल्डन टेम्पिल में जा कर ठहरने की बात करते हैं और क्वैश्चन आवर में आकर बात करते हैं। हमारी समझ में कोई इनकी बात नहीं आ रही है। मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : वह चाहते हैं कि मेरे स्वर्ण मन्दिर में जाने से सदन स्थगित कर दिया जाए।

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष जी, गोल्डन टेम्पिल में जाकर एक सन्त और स्वामी मिल जाए, तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक बच्चेदार स्वामी और इक तलवारधारी सन्त, दोनों मिल जाएं, तो देश का बेड़ा पार हो जाएगा। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यहां पर बूटा सिंह जी ने कुछ कहा और हमारे ऊपर तो हाऊस की कृपा होनी चाहिए कि हम बहुत पढ़े-लिखे नहीं हैं और कानून की किताब के बारे में आपको बताना चाहिए। यह काम आपका है, हमारा काम तो बोलने का है और कानून निकालना आपका काम है। मुझे दो दिन पहले से पंजाब की हालत के बारे में पता लग रहा था और जितनी मुझ से कोशिश हुई, मैंने बताया सबको लेकिन

मेरी बात कोई समझता नहीं है। अध्यक्ष जी, आपके भी बच्चे वहां हैं और बूटा सिंह जी का परिवार भी वहां है और रेल गाड़ियों में सारे हिन्दुस्तान के लोग सफर करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह तो दिया है।

श्री मनी राम बागड़ी : मेरी बात आप पूरी सुन लीजिए। मैं **टू दि प्वाइन्ट** ही बोल रहा हूं। आप यह बात गलत कहते हो और आपने इस सवाल को उससे जोड़ दिया। प्रधान मन्त्री चाहे कोई भी हो, वह भारत का प्रधान मन्त्री होता है और संविधान में उसको मान्यता है। हर एक आदमी उसको मानता है चाहे आइडियौलाजी के मामले में वह उसके खिलाफ हो या हक में हो लेकिन प्रधान मन्त्री की जिन्दगी को खतरे के सवाल पर कालिंग एटेंशन हो जाना और पंजाब सारा जल जाए और तब देश का क्या हाल होगा, इसके बारे में भी आपने सोचा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है और मैंने रूलिंग दे दी है। अब अगर आप हाऊस नहीं चलने देना चाहते, तो दूसरी बात है।

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष जी, आप सोच लो कि पंजाब की क्या हालत है। मैंने पंजाब के मसले पर यहां पर धरना भी दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले बता तो दिया है कि दोनों पक्षों से सलाह लेकर इसको करेंगे। दोनों पक्षों की जो सलाह होगी, वैसा करेंगे। आपके पास और भी साधन हैं इसको कराने के लिए।

श्री मनी राम बागड़ी : जनरल को मारने के लिए सारी फौज लगा दी जाती है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से यह नहीं चलेगा।

श्री मनी राम बागड़ी : फिर मुझे दूसरा एक्शन लेना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : लंच में इसके बारे में बात कर लेंगे और आपको भी बुला लेंगे।

श्री मनी राम बागड़ी : कब बुलाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : लंच में बुला लेंगे। एक बजे बुला लेंगे और बात कर लेंगे।

श्री मनी राम बागड़ी : आप अभी पांच मिनट के लिए क्यों नहीं बुला लेते।

अध्यक्ष महोदय : एक बजे बुला लेंगे। श्री राम स्वरूप राम।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वसूल की गई ब्याज की दर

*680 **श्री राम स्वरूप राम** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्व-वित्त-पोषण योजना के अन्तर्गत किस्तों की अदायगी में विलम्ब के कारण आवंटियों से 12 प्रतिशत ब्याज की वसूली पर सहमत होने के बाद भी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जुलाई, 1982 से पहले देय किस्तों के लिए 24 प्रतिशत और 36 प्रतिशत ब्याज की दर वसूल की गई है तथा यह अब भी वसूल की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ब्याज की अधिक दर को समाप्त न करने अथवा पहली किस्त के प्रारम्भ से ही इसे लागू न करने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि दिल्ली विकास प्राधिकरण ब्याज की अधिक दर अनुचित रूप से वसूल कर रहा है, तो क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह अनुदेश जारी करेंगी कि वह आवंटियों से वसूल किया गया अतिरिक्त ब्याज उन्हें लौटा दे; और

(घ) यदि नहीं, तो जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा ब्याज की दर से सम्बंधित क्या सही रवैया अपनाया गया है;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) और (ख) किस्तों के बिलम्बित भुगतान के लिए प्रथम महीने के लिए 12 प्रतिशत तथा अनुवर्ती महीनों के लिए 18 प्रतिशत दर पर कम ब्याज लेने का निर्णय 21.7.82 को किया गया था और उसे भविष्य प्रभावी बनाया गया था न कि पूर्व प्रभावी। इस तरह से 21.7.82 से पूर्व विलम्बित किश्तों पर ब्याज उस समय चालू दरों के हिसाब से लिया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री राम स्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब सदन में दिया है, वह बहुत ही हास्यास्पद जवाब दिया है। दिल्ली विकास प्राधिकारण एक कल्याणकारी संगठन है, जहां पर आसान किस्तों पर लोगों को जमीन व फ्लैट दिये जाते हैं लेकिन यह संगठन एक कल्याणकारी संस्था न हो कर रुपया कमाने वाली संस्था जैसा काम कर रही है।

श्री राम स्वरूप राम (जारी) : इसका असर सिर्फ सदन में ही नहीं बल्कि जो लोग इससे प्रभावित हैं और जिन लोगों ने इसमें अप्लाई किया है, इससे उनको काफी कष्ट हुआ है। जिस समय सैल्फ फाइनेंसिंग स्कीम इन्ट्रोड्यूस की थी उस समय पहली किश्त पर 24 परसेंट और उसके बाद 36 परसेंट इंटरेस्ट लिया गया। आपको अनुभव होगा कि प्राईवेट मनी लैण्डर

भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, जितना डी० डी० ए० लेता है। इस सम्मानित हाऊस में डिसक्शन में बाद सरकार ने आश्वासन दिया कि हम इसको रिवाइज करेंगे, इसलिए पहली किश्त में 12 परसेंट और दूसरी किस्त में 18 परसेंट इंटरेस्ट रखा गया। 21 जुलाई, 1982 से पहले जिन लोगों से 24 और 36 परसेंट इंटरेस्ट लिया गया, उसकी कुल कितनी राशि डी० डी० ए० में जमा हुई ? आपके इंटरेस्ट के जो नए कानून हैं, उनको लागू करने में कौन सी दिक्कत आ रही है ? 1982 के बाद के लोगों को तो फायदा पहुंच रहा है लेकिन उससे पहले के लोगों को कंपनसेट करने के लिए क्या कोई निश्चित नीति बनाने जा रहे हैं ?

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अखबार में छपे हुए नियमों के मुताबिक सैल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के अन्तर्गत लोगों से दरख्वास्तें मांगी जाती हैं। जिनकी दरख्वास्त मंजूर होती है, वे इस स्कीम के अन्तर्गत मकान खरीदते हैं। माननीय सदस्य को मालूम है कि 21 जुलाई, 1982 से पूर्व पीनल रेट पहली किस्त के साथ 24 परसेंट और दूसरी तथा तीसरी किस्त के साथ 36 परसेंट लिया जाता था। इसको रिव्यू करने के बाद पहली किस्त पर 12 परसेंट और दूसरी पर 18 परसेंट कर दिया गया। इसमें कोई ज्यादती नहीं है क्योंकि जो भी मकान खरीदता है, उसको मालूम होता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की क्या-क्या शर्तें हैं ? शर्तें पढ़कर ही वह मकान खरीदता है। आजकल सिर्फ 12 और 18 परसेंट ही पीनल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है।

श्री राम स्वरूप राम : जिन लोगों से 21 जुलाई, 1982 से पहले 24 और 36 परसेंट लिया गया, उसी वक्त से इसको लागू क्यों नहीं कर देते ?

श्री बूटा सिंह : यह प्रासपेक्टिव मेजर था। इसलिए, जब से इसको लागू किया गया है तभी से यह दर जारी है। इससे पहले की कोई छूट नहीं दी गई।

श्री राम स्वरूप राम : माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। फिर भी इनसे अनुरोध करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें। दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि बेघरों को घर, बीस सूती प्रोग्राम के तहत एक कार्यक्रम है और दिल्ली तथा देश की फीगर आप देखेंगे तो घरों का मसला शहरों से लेकर गांवों तक गंभीर बना हुआ है। कमजोर वर्ग के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। यह प्रश्न दिल्ली विकास प्राधिकरण से संबंधित है। दिल्ली में आज आवास की कमी है।

वीकर सेक्शन्स के लोगों को, हरिजन और आदिवासी लोगों को इससे काफी दिक्कत हो रही है, हालांकि प्राधिकरण ने एक नियम बनाया है कि टोटल फ्लैट्स में से 25 परसेंट उनको देंगे। तो 4 सालों के अन्दर क्या मंत्री जी बता सकेंगे कि आपने 25 परसेंट के अनुसार क्या सैल्फ फाइनेंसिंग, एम० आई० जी०, एल० आई० जी० आदि में वह आरक्षण पूरा कर दिया है ? यदि नहीं, तो भविष्य में कौन सा कार्यक्रम अपना रहे हैं जिससे चैक लागिंग पूरी हो ?

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न तो इस सवाल से नहीं उठता, फिर भी कहना चाहता हूं कि जो भी आरक्षण दिया गया है वीकर सेक्शन्स, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिये उस पर पूरा-पूरा अमल होगा।

अध्यक्ष महोदय : आपको पता है कि मैंने किसलिये अलाऊ किया है उनको प्रश्न ? इसलिये कि यह एक राम नहीं हैं बल्कि डबल राम हैं।

श्री दौलत राम सारण : यह राम के पीछे बूट ले कर पड़े हुए हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बीज फार्म

*682. **श्री अजय विश्वास :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में धान, गेहूं, तिलहन आदि जैसी विभिन्न खाद्य फसलों के बीजों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किन किन स्थानों पर और कितने बीज फार्म स्थापित किए गए हैं, अथवा स्थापित किए जाने का विचार है,

(ख) इन फार्मों में मूल बीजों और प्रमाणित बीजों का कुल कितना उत्पादन होगा; और

(ग) क्या इन फार्मों के उत्पादन से सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकता पूरी हो सकेगी;

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्य के भीतर बीजों को उत्पादन करना राज्य सरकार का कार्य है। इसके लिए कदम उठाना उनका कार्य है। इसमें बीजों के उत्पादन के लिए फार्मों को स्थापित करना शामिल है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश ने कोई बीज फार्म स्थापित नहीं किए हैं। असम, त्रिपुरा मेघालय तथा मणिपुर द्वारा स्थापित 97 बीज फार्मों में से 88 आज भी कार्य कर रहे हैं। नागालैंड तथा सिक्किम से जानकारी आनी है। इस क्षेत्र में बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने भारतीय राज्य फार्म निगम के माध्यम से पूर्वी क्षेत्र में तीन फार्म-एक असम के कोकिलावाड़ी में, और दो अन्य मिजोरम के लोकिचेरा तथा लुशाईचेरा में स्थापित किए गए हैं।

(ख) 1983-84 के दौरान, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के फार्मों में बीजों का कुल उत्पादन 22,648 क्विंटल तक होने की आशा है। इसके अतिरिक्त, असम राज्य बीज निगम तथा असम, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के प्रगतिशील किसानों द्वारा 76,490 क्विंटल बीज का उत्पादन किया गया। 1993-84 के दौरान भारतीय राज्य फार्म निगम को तीन फार्मों में 25,887 क्विंटल उत्पादन होने की आशा है।

(ग) इस क्षेत्र की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की जानकारी के अनुसार 1984-85 के दौरान बीजों की आवश्यकता 3.73 लाख क्विंटल है, जबकि 1983-84 में राज्य फार्मों तथा असम राज्य बीज निगम/प्रगतिशील किसानों के फार्मों में सिर्फ 0.99 लाख क्विंटल थी, जो 1984-85 में उपलब्ध होगी। शेष इस क्षेत्र के बाहर के सप्लायरों द्वारा पूरी की जाएगी।

श्री अजय विश्वास : महोदय, उत्तर पूर्व परिषद् ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि पूर्वोत्तर परिषद् कुछ बीच फार्मों की स्थापना करेगी और यह बीज फार्म उत्तर पूर्व क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेंगे। मंत्री जी ने अभी कहा कि जिन फार्मों की पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थापना होगी, वह आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेंगी। अतः मैं नहीं जानता कि पूर्वोत्तर परिषद् की रिपोर्ट में इस प्रकार की सूचना क्यों दी गई है। उत्तम कोटि के मूल बीजों में से अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन किया जाता है। उपयुक्त मूल बीजों के बिना अच्छी प्रकार के बीजों का उत्पादन नहीं किया जा सकता। आपके वक्तव्य अनुसार उत्तर पूर्व क्षेत्रों में 90 फार्म हैं। मेरा प्रश्न यह है। इन फार्मों में मूल बीजों की कुल आवश्यकता कितनी हैं? सरकार द्वारा कुल आवश्यकता की कितने प्रतिशत पूर्ति की जाती है? सरकार इन मूल बीजों को कहां से प्राप्त कर रही है क्योंकि यह मूल बीज केवल कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान स्टेशनों में ही प्राप्त होते हैं और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मूल बीजों का उत्पादन मुख्य रूप से वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों में किया जाता है। यह केन्द्रीय फार्मों और राज्य फार्मों को सप्लाई किए जाते हैं। जहां तक मूल बीजों की आवश्यकता का सम्बन्ध है, मेरे पास इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि मैं इसे प्राप्त करूंगा और माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

श्री अजय विश्वास : क्या किसानों को रियायती दर पर बीज देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : प्रमाणित बीजों की पूर्ति में आर्थिक सहायता (रियायतें) शामिल हैं। छोटे और सीमान्त किसानों को छोटी थैलियों के जरिए निशुल्क बीज भी दिए जाते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा मूल बीजों की सप्लाई भी की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के लिए सघन प्रशिक्षण योजना

*683 **श्री के० प्रधानी :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के लिए केन्द्र प्रायोजित सघन प्रशिक्षण योजना शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूप रेखा क्या है और इसमें कितनी पूंजी लगेगी और यह कार्यक्रम जिस एजेंसी के द्वारा चलाया जायेगा;

(ग) केन्द्र और राज्यों के बीच खर्चे का बंटवारा किस प्रकार होगा;

(घ) क्या इस योजना का चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल तक विस्तार किया जायेगा और सुन्दर बन के पिछड़े जिले को इसके अन्तर्गत लिया जायेगा;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस मामले में आवश्यक कार्यवाई आरम्भ कर दी गई है अथवा की जा रही है; और

(च) क्या इस प्रकार के कोई केन्द्र चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में और विशेष रूप से कोरापुट जिले की आदिवासी पट्टी में स्थापित किये जायेंगे और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (च) सातवीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाने का प्रश्न विचाराधीन है। विभिन्न ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

श्री के० प्रधानी : इस ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य उपलब्धि कोरापुट जैसे पिछड़े जिलों में अन्य विकसित जिलों की तुलना में बहुत कम है।

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्य उपलब्धि में गिरावट क्या इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन से संबंधित अधिकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण में कमी के कारण आई है ? यदि हां, तो राज्य स्तर के प्रशिक्षण केन्द्रों को चालू करने में देरी क्या है ? क्या मैं जान सकता हूं कि ये केन्द्र कब तक चालू हो जाएं ?

श्री हरिनाथ मिश्र : माननीय सदस्य ने ग्रामीण विकास क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए उन योजनाओं के बारे में पूछा है जिन्हें अभी आरंभ किया जाना है। यह तो भविष्य की योजना है। स्पष्ट रूप से हम इसे भविष्य की योजना ही कहेंगे अर्थात् सातवीं योजना। और यह मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए कुछ तय नहीं हुआ है। हम अभी विचार कर रहे हैं और माननीय सदस्य जो भी सुझाव देना चाहते हैं, उसे मेरे पास भेज दें। मैं उनकी जांच करवाऊंगा।

श्री के० प्रधानी : मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रशिक्षार्थियों को सही प्रशिक्षण दिया जाए और वह प्रशिक्षण न केवल संख्यात्मक हो बल्कि गुणात्मक भी हो।

श्री हरिनाथ मिश्र : हम इस दिशा में भी प्रयास करेंगे कि प्रशिक्षण में न केवल संख्या का ही ध्यान रखा जाए बल्कि वह गुणात्मक भी हो।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने मूल उत्तर में प्रश्न का और साथ में उत्तर को भी टाला है। श्री प्रधानी द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि यह भविष्य में किया जाएगा किन्तु मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री बहुत ही अल्प दृष्टि वाले हैं। भविष्य के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इस बात की जांच कर ली थी कि उनके पास ऐनक है अथवा नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, मैंने उनके उत्तर से यह जांच कर ली थी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोचा कि आप उनकी नजर की बात कर रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : नहीं महोदय।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रशासनिक नजर।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : प्रश्न में माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इस योजना का विस्तार किया जाएगा, विशेष रूप से उड़ीसा के सुन्दरबन और कोरापुट जैसे पिछड़े क्षेत्रों का। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी योजनाओं को अपनाया जा रहा है, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए। और साथ में यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी योजना है ताकि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए भविष्य में अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके।

श्री हरिनाथ मिश्र : माननीय सदस्य का पूर्ण आदर करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं, शारीरिक रूप से अथवा मान्सिक रूप से, अल्प-दृष्टि वाला नहीं हूं। महोदय, आपकी अनुमति से, मैं माननीय सदस्य के प्रश्नों के पहले दो खण्ड दोबारा पढ़ना चाहूंगा। वे इस प्रकार हैं :

"(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के लिये केन्द्र प्रायोजित सघन प्रशिक्षण योजना शुरू करने की योणना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है और इसमें कितनी पूंजी लगेगी और यह कार्यक्रम किस ऐजेंसी के द्वारा चलाया जाएगा;"

इसलिए मैंने, और मंत्रालय ने भी, भविष्य के लिए स्वीकार किया। सातवीं योजना एक वर्ष से कम के समय में चालू हो जाएगी। यह योजना सारे देश के लिए है और हमने सही दिशा में प्रयास किया है। किन्तु माननीय सदस्य जो भी सुझाव देना चाहते हैं, और संभवतः इस बारे

में अन्य सदस्य भी सुझाव देना चाहेंगे, वे सब सुझावों को मेरे पास भेज दें ताकि मैं इनकी जांच करवा सकूं।

बम्बई में गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र

*684. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों की बम्बई में भूमि है, जिन पर गन्दी बस्तियां स्थित हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार वहां गन्दी बस्तियों के सुधार का कार्य प्रारम्भ करने के लिए पिछले आठ वर्षों से सम्बंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने को कह रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या ये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अभी तक जारी नहीं किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा बम्बई पोर्ट ट्रस्ट की भूमि पर बनी मलिन बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की भूमि पर बनी मलिन बस्तियों को पुनः बसाने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन विभाग रक्षा मंत्रालय, रेलवे, बम्बई टेलीफोन्स और आई० ए० ए० आई० की भूमि पर बनी मलिन बस्तियों के बारे में सम्बंधित विभागों को अभी उस भूमि के बारे में विचार करना है जिसके लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं इन जमीनों के बारे में केन्द्र सरकार की नीति जानना चाहता हूं। यह जमीनें रक्षा, पोर्ट ट्रस्ट और कई अन्य सरकारी विभागों की हैं। क्या इन विभागों ने सामूहिक रूप से कोई नीति निर्णय लिया है कि अगर उनको जमीन की आवश्यकता नहीं है तो अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिए जाएं ? इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

इसके अलावा प्रश्न में आगे यह पूछा गया है कि महाराष्ट्र सरकार पिछले आठ वर्षों से गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए कह रही है और मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि महाराष्ट्र सरकार ऐसा कह रही है। क्या पिछले आठ वर्षों से उन विभागों ने कोई भी निर्णय नहीं लिया। जब श्री सेठी निर्माण और आवास मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि इसके लिए राष्ट्रीय

स्तर पर एक नीति तैयार की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या कोई नीति संबंधी निर्णय हुआ है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : नीति सम्बन्धी निर्माण हुआ है और उस नीति के अनुसार महाराष्ट्र सहित सारे देश के गन्दी बस्ती वाले क्षेत्रों का सुधार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र सरकार के साथ संबंधित मामलों पर सलाह करने के बाद भारत सरकार ने महाराष्ट्र में निम्नलिखित व्यवस्थाओं को मंजूरी दी है :—

(एक) केन्द्र सरकार के विभागों की वह जमीन जो तत्काल प्रयोग के लिए चाहिए, उन पर बनी झोंपड़ियों को महाराष्ट्र सरकार, पुनर्निवास तथा वैकल्पिक स्थानों के लिए 1900 रु० प्रति परिवार की दर से अदायगी करके, हटाएगी।

(दो) और जिन जमीनों की तत्काल आवश्यकता नहीं है उन पर महाराष्ट्र सरकार अपनी लागत पर शहरी और गन्दी बस्ती के क्षेत्रों के वातावरण के सुधार के लिए नीति के आधार पर सुख सुविधाएं प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि उस जमीन पर केन्द्र सरकार के विभागों के स्वामित्व अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

इस नीति के आधार पर केन्द्र सरकार के वे विभाग जिनकी भूमि बम्बई की गन्दी बस्तियों के कब्जे में है, अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं। जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी ने अभी बताया है कि मेरे अपने विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने पहले ही इन शर्तों पर अनापत्ति पत्र जारी कर दिए हैं। नागर विमानन्, रक्षा, पश्चिमी रेलवे, केन्द्रीय रेलवे, वायू सेना, जल सेना, स्थल सेना, टेलीफोन आदि जैसे अन्य विभागों ने हाल ही में शायद दो दिन पहले बैठक बुलाई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि जहां कहीं भी आवश्यक हो, मामलों को तत्काल निपटाया जाए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह बैठक मेरा प्रश्न स्वीकार होने के बाद बुलाई गई है। पहली बार मुझे संतोषजनक उत्तर प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : हमेशा हर चीज की पहल तो होती है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं आशा करता हूं कि वे ऐसे उत्तर देते रहेंगे। हो सकता है यदि वह संतोषजनक उत्तर दें तो उनका विभाग ही बदल दिया जाए।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार, हुड़को के जरिए अथवा किसी विश्व बैंक योजना द्वारा अथवा किसी अन्य योजना द्वारा इन कच्चे घरों—जिन्हें यहां झोपड़ियां कहा जाता है और बम्बई में झोपड़-पट्टियों के लिए कोई आवास कार्यक्रम लागू करने की योजना

बना रही है। साथ ही इन गन्दी और दूषित झोपड़-पट्टियों के स्थान पर पक्के घरों के कार्यक्रम हेतु राज्य सरकार की हुड़को द्वारा अथवा विश्व बैंक द्वारा सहायता देने के लिए क्या कोई योजना है ?

श्री बूटा सिंह : गन्दी बस्तियों के वातावरण को सुधारने के लिए हुड़को के अधीन पहले से ही एक योजना चल रही है और 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी एक योजना चल रही है। पहले तो योजना यह थी कि गन्दी बस्तियों का पुनःस्थापन किया जाए और वहां के लोगों को प्लाट दिए जाएं और उनके लिए हार बनाए जाएं किन्तु अब निर्णय यह लिया गया है कि हम उन क्षेत्रों में ही रहन-सहन की हालत को सुधारेंगे जहां गन्दी बस्तियां बहुत अधिक मात्रा में हैं। एक ऐसा समझौता भी है जिसे विश्व बैंक के साथ अन्तिम रूप दिया जाने वाला है। इस समझौते द्वारा हमें 85,000 उपयोगी रिहाईशी और व्यापारिक प्लाट भाणे, कल्याण और नई बम्बई के नगर पालिका क्षेत्रों में घरों का विस्तार करने के लिए ऋण प्राप्त होंगे और इसके द्वारा लगभग 2 लाख घरों की नगर पालिका द्वारा देखभाल करने, 315 हेक्टेयर गन्दी बस्ती वाले क्षेत्रों को सुधारने और बम्बई नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 1 लाख घरों को लाभ पहुंचाने हेतु घर सुधार ऋण प्रदान करने का प्रावधान होगा। यह समझौता होने ही वाला है और मैं प्रसन्नतापूर्वक माननीय सदस्य को सूचित करता हूं कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर यह बता सकते हैं कि ऐसा होने जा रहा है।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, बम्बई शहर में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की बहुत सी साल्ट लैंड्स हैं जिन पर अभी साल्ट नहीं बनाया जाता है। बम्बई म्युनिसिपल कार्पोरेशन के काम के लिए कुछ भूमि की आवश्यकता थी लेकिन उसको वह भूमि अभी तक नहीं मिल सकी है। पहले एक बार मन्त्री जी ने एक जवाब में बताया था कि अगर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की लैंड इम्मीडिएटली प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी, उस पर स्लम इम्प्रूवमैंट स्कीम लागू की जाएगी। मैं पूछना चाहती हूं कि ऐसी जिन जमीनों पर जहां झुग्गी-झोंपड़ी हैं, चाहे वह जमीन साल्ट अथारिटीज की हो, रेलवे की हो या सेन्ट्रल गवर्नमैंट के किसी काम की हो, जहां साल्ट लैंड अवैलेबल है, वहां उन लोगों को शिफ्ट करके स्लम इम्प्रूवमैंट योजना के तहत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, स्वामी जी ने जो प्रश्न यहां उठाया था, वह केवल उन डिपर्टमैंटस के बारे में है, जिनकी लैंड पर स्लम्स हैं। जिन लैंड पर नमक का काम चल रहा है, उसके लिए मुझे अलग से सूचना चाहिए। फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो हमारी नीति है, उसके अन्तर्गत हम किसी को रीलोकेट नहीं करते, बल्कि जो जहां बैठा हुआ है, वहीं पर उसको सुविधाएं प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं····

पेय-जल नलों सहित पानी की सप्लाई की व्यवस्था करना, सीवर सेवायें, विद्यमान् गलियों को चौड़ा करना एवं पत्थर इत्यादि लगाना, सड़क पर बिजली लगाना, सामुदायिक स्नानघर और सड़कों एवं शौचालय की व्यवस्था आदि ऐसी सेवायें हैं जिनके लिए केन्द्र सरकार राज्य

सरकारों को सहायता प्रदान करती है ताकि गन्दी बस्तियों में लोगों की रहन-सहन की दशाओं को सुधारा जा सके। इसके लिए मापदण्ड निश्चित किए गए हैं और उन्हीं मापदण्डों के आधार पर भारत सरकार विभिन्न राज्यों को सहायता प्रदान करती है, और महाराष्ट्र सरकार को इस सम्बन्ध में काफी सहायता प्रदान की गई है।

जहां तक साल्ट लेंडज का सम्बन्ध है, यदि माननीय सदस्या अलग से लिखें तो मैं उनको सूचना दे सकूंगा।

श्री जगदीश टाईटलर : मेरा प्रश्न महाराष्ट्र से सम्बन्धित नहीं है किन्तु यह दिल्ली की गन्दी बस्ती वाले क्षेत्रों से सम्बन्धित है। क्या मन्त्री महोदय निजी जमीनों पर बसी हुई गन्दी बस्तियों के सम्बन्ध में कोई नीति है। मेरे विचार से 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वातावरण सुधार के लिए एक योजना है। मन्त्री जी उत्तर दें कि क्या वे इन गन्दी बस्ती वाले क्षेत्रों की ओर ध्यान देंगे और उनके वातावरण सुधारने के लिए खर्चा करेंगे जो बड़े लम्बे अर्से से निजी जमीनों पर बसी हुई हैं।

श्री बूटा सिंह : यह तो कार्यवाही हेतु सुझाव है।

श्री जगदीश टाईटलर : यह सुधार सम्बन्धी कार्यकलाप है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने कहा है कि यह सुधार हेतु सुझाव है।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, उन्होंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया।

श्री बूटा सिंह : कार्यवाही हेतु मैंने उनका सुझाव मान लिया है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह कार्यवाही हेतु सुझाव है और इसे आश्वासन समिति को भेजा जाएगा। और आश्वासन समिति आने वाले वर्षों के लिए इसकी जांच करेगी।

उत्तर प्रदेश में आपरेशन फ्लड-2

*685. **श्री रामलाल राही** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में 111 करोड़ रुपए की लागत पर आपरेशन फ्लड-2 योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कितने गांवों में दुग्ध समितियां बनाई गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) प्रत्येक समिति में कितने कर्मचारी काम पर रखे जाएंगे और;

(ङ) ये समितियां दुग्ध उत्पादकों से किस भाव पर दूध खरीदेंगी ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। आपरेशन फ्लड-2 परियोजना 111.06 करोड़ रुपए के अनुमानित परियोजना परिव्यय से उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है।

(ख) दिसम्बर, 1984 तक 1978 समितियों के गठित किए जाने के लक्ष्य की तुलना में प्रादेशिक सहकारी डेरी संघ ने फरवरी, 1984 तक 1241 समितियां पहले ही गठित कर ली हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) दुग्ध उत्पादक समितियों के संचालक स्तर के आधार पर औसतन 2 या 3 व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं।

(ङ) इस समय उत्तर प्रदेश में ग्रामीण डेरी सहकारी समितियों द्वारा दूध के लिए उत्पादकों को अदा की जाने वाली औसत कीमत 2.85 रुपए प्रति लिटर है। तथापि, उत्पादकों को दी जाने वाली कीमत समय समय पर सम्बद्ध घटकों को ध्यान में रखते हुए संशोधित की जाती है।

श्री राम लाल राही : सर, यह औपरेशन फ्लड स्कीम सम्भवतः वर्ष 1970 से आरम्भ हुई है। जब से यह स्कीम आरम्भ हुई है, उससे पहले देश में बाहर से 3 हजार टन मिल्क पावडर आता था लेकिन बटर आयल बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन श्रीमान् सन् 1983-84 में सरकार ने लगभग 20 हजार टन मिल्क पावडर बाहर से मंगाया है और लगभग 10 हजार टन बटर आयल भी मंगाया है। यह इनकी औपरेशन फ्लड स्कीम कारगुजारी है, कारनामे हैं, श्रीमन्, देश में दूध की नदियां बहाने के नाम पर यहां इस योजना को लागू किया गया था, परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है, औपरेशन फ्लड स्कीम के 1970 में चालू होने के बाद, जब पहली योजना बनी, तो उसमें निर्धारित लक्ष्य को ये पूरा नहीं कर पाये और इस कारण उसका बढ़ाना पड़ा। उस लक्ष्य को 1975 तक पूरा करना था, लेकिन उसकी अवधि को बढ़ाकर ये 1981 तक ले गए।

सभापति महोदय : आपका सवाल क्या बना·

श्री राम लाल राही : सर, मैं सवाल कर रहा हूं और बहुत माकूल सवाल है कि जब ये 1981 में भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाये और वर्ष 1978 में दूसरी फ्लड स्कीम शुरू कर दी····श्रीमन्, 1978 में दूसरी स्कीम शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन वहां पर उन्होंने पांच करोड़ रुपया दिया और इसके मुकाबले में गुजरात को 25 करोड़ रुपया दिया। गुजरात को केवल बम्बई को ही दूध सप्लाई करना है और उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश, कलकत्ता और दिल्ली को दूध सप्लाई करना है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा फर्क आपने क्यों किया है ? उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों की उपेक्षा क्यों की गई

है ? गुजरात को केवल बम्बई को ही दूध सप्लाई करना है, तो उसको ज्यादा धन क्यों दिया गया है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अध्यक्ष जी, यह सरासर असत्य है। इसमें कोई सत्य नहीं है। हर स्टेट को उसकी प्रोग्रेस के मुताबिक पैसा दिया जाता है। जितनी उसकी प्रोग्रैस है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है और परसपैक्टिव प्लान के अनुसार ही पैसा दिया जाता है। जहां तक यू० पी० की बात है, जैसा मैंने अभी माननीय सदस्य को बताया यू० पी० के लिए टोटल आउटले 111.06 करोड़ रु० किया गया है। यू० पी० में जो डैयरियां इस्टैबलिश हुई हैं, वे ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी प्रोक्योरमेंट और कैपेसिटी का फूल यूटिलाइजेशन नहीं होता है। एक बात यह भी है कि वहां कोआपरेटिव सोसायटीज इतनी डवेलप नहीं हुई हैं, प्राइवेट डेयरीज का वहां ज्यादा प्रभाव है। इसलिए इस मामले में पीछे है। मैं तो माननीय सदस्य से अपील करता हूं कि वे खुद क्यों नहीं वहां को-आपरेटिव सोसायटीज आर्गेनाइज करते हैं। वहां को आपरेटिव वर्कर्स न हो। की वजह से इतनी को-आपरेटिव सोसायटील डवेलप नहीं हुई है। इसलिए वह पीछे रहा है।

श्री राम लाल राही : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का स्पष्ट मत है कि उत्तर प्रदेश में को-आपरेटिव सोसायटीज जो बनी हैं, वे ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं, इसलिए वे फेल हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां राज किसका है, यह काम किस को देखना चाहिए और को-आपरेटिव सोसायटीज कौन वहां पर बनाएगा ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बुनियादी सवाल है कि राज किसका है।

श्री राम लाल राही : अध्यक्ष जी, मैं यह बात फिर दोहराना चाहता हूं कि पहले जो फ्लड स्कीम उत्तर प्रदेश के लिए बनी थी, उसमें उसको 4 करोड़ रुपया दिया गया था और अब की बार एक ही करोड़ रुपया दिया गया है। पहले जब वह चार करोड़ रुपए में तरक्की नहीं कर पाई है, तो अब वह एक करोड़ रुपया से काम कैसे करेगी ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो कोआपरेटिव सोसायटीज काम कर रही हैं, उनके निरीक्षण के लिए आपने कोई समिति बनाई है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि श्री एलके झा की अध्यक्षता में फ्लड आपरेशन के संबंध में जो गड़बड़ हुई है, उसकी जांच के लिए कमेटी बनाई है ? तो क्या आप पहले, दूसरे और तीसरे फ्लड स्कीम की जांच आप उससे करवायेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश को फ्लड स्कीम के माध्यम से 235.11 करोड़ रुपया रिलीज किया गया है। जहां तक को-आपरेटिव सोसायटीज ठीक न चलने की बात है, उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अपने हल्के में राही जी बना लें तो उनकी मदद करेंगे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हम उनकी पूरी पूरी मदद करेंगे। जहां तक झा कमेटी की बात है, वह कमेटी अपना काम कर रही है। जब उस की रिपोर्ट आएगी, तब मालूम हो जाएगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि पाऊडर दूध और बटर आयल का आयात क्यों बढ़ गया है ?

अध्यक्ष महोदय : जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : आयात इस लिए बढ़ा है क्योंकि जनता की मांगों में वृद्धि हुई है। इसके साथ दूध का उत्पादन भी बढ़ा है। यह सत्य है कि जनसंस्था में भी वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान् तिवारी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना

*681 **श्री हरीश रावत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अगली पंचवर्षीय योजना अवधि में एक बागवानी विश्वविद्यालय अथवा संस्थान खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी स्थापना के लिये स्थान का चयन करते समय उन स्थानों पर भी विचार किया जायेगा जहां पर इस समय सघन बागवानी अनुसंधान केन्द्र है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के विश्वविद्यालय/संस्थान की स्थापना के लिये उत्तर प्रदेश में चौबटिया (अल्मोडा) पर भी विचार किया जायेगा ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) अगले पंचवर्षीय योजना में किसी बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, एक शीतोषण बागवानी संस्थान (अभी स्थान का चयन नहीं किया गया है) की स्थापना तथा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के अंतर्गत कार्य करने वाले केन्द्रीय आम अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ का दर्जा बढ़ाकर उसे एक पूर्ण संस्थान का दर्जा देने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमन्। प्रस्तावित शीतोष्ण बागवानी संस्थान की स्थापना के लिए स्थान का चयन करते समय चौबटिया सहित अन्य संभावित स्थानों के साथ उन सभी स्थानों पर विचार किया जाएगा जहां मौजूदा समय में शीतोष्ण बागवानी अनुसंधान केन्द्र स्थित हैं।

सातवीं योजना के दौरान विशाल आवास कार्यक्रम

*686. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री पी० एस० सईद :

क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान एक विशाल आवास कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या छठी योजना में 2,500 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में सातवीं योजना में 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके एक राष्ट्रीय निर्माण योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या योजना आयोग द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) सातवीं योजना अभी तैयार नहीं हुई है। छठी पंचवर्षीय योजना में आवास के लिए परिव्यय 1491 करोड़ रुपये था।

गंडक नदी से भू-क्षरण

*687. **श्री पीताम्बर सिंह** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने बिहार में गंडक नदी के बायीं और बाल्मीकि नगर से मलही तक और दायीं और गोपालगंज तक व्यापक भू-क्षरण अत्यधिक गाद जमा होने, नदी के पाट के बढ़ने, दोनों किनारों पर गांवों के उजड़ने और हजारों एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि के बरबाद होने के कारण लगभग 30,000 लोगों के बेघर हो जाने तथा उनके अपनी उपजाऊ जमीन से वंचित हो जाने, जो उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है, को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रकृति का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इस नदी को नियंत्रित करने और उसे उपयुक्त और संभव सीमाओं में रखने की कोई योजना है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) गंडक की

कटाव समस्या पर गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर विचार-विमर्श किया गया है। बोर्ड के सुझाव के अनुसार, नदी कटाव की समस्या की जांच करने के लिए 1975 तथा 1978 में समितियां गठित की गई थीं। बहरहाल, समितियों ने जिन निर्माण कार्यों का सुझाव दिया था उनको संबंधित राज्य सरकार क्रियान्वित नहीं कर सकीं।

1980 की बाढ़ों के दौरान तटबन्ध प्रणाली में आई दरारों के पश्चात् भारत सरकार ने 1981 में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जिसका काम निर्माण कार्यों के एक ऐसे कार्यक्रम की सिफारिश करना था, जिसको दोनों राज्य सरकारें समेकित ढंग से क्रियान्वित कर सकतीं। तथापि, समिति ने जिन निर्माण कार्यों की सिफारिश की थी, संबंधित राज्य सरकारों ने उनका आंशिक क्रियान्वयन किया है।

कटाव (कठाव) रोधी उपायों की उपयुक्त और व्यापक आयोजना हेतु माडल अध्ययन शुरू करने का भी उच्च स्तरीय समिति ने सुझाव दिया है। इन अध्ययनों के लिए आवश्यक सर्वेक्षण बिहार सरकार द्वारा किये जाने अपेक्षित थे। बिहार सरकार ने माडल प्रयोगों को शुरू करने के वास्ते अपेक्षित सर्वेक्षण पूरे नहीं किए हैं। माडल अध्ययनों को पूरा कर लिए जाने के पश्चात् ही नदी नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम
के अन्तर्गत मध्य प्रदेश से प्रस्ताव

*688. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) प्रस्तावों का सामान्य ब्यौरा क्या है और राजगढ़, गुना और विदिशा जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का विशेष ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के उपेक्षित क्षेत्रों में अन्तः खण्डीय अथवा अन्तः ग्राम सम्पर्क सड़कों के लिए भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है, उसकी अनुमानित लागत और कार्य निष्पादन की स्थिति क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य के लिए 1983-84 के लिए 7.80 करोड़ रुपये और 1984-85 के लिए 39.00 करोड़ रुपये के अनन्तिम आबंटन में से

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई 51 48 करोड़ रुपये (लगभग) की अनुमानित लागत की 10 परियोजनाएं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम से संबंधित केन्द्रीय समिति द्वारा अनुमोदित की गई हैं।

अनुमोदित परियोजनाओं में सम्पर्क सड़कों की चार परियोजनाएं शामिल हैं ताकि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मानदंड के अनुसार चुने हुए गांवों को जोड़ा जा सके। अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत
अनुमोदित मध्य प्रदेश की परियोजनाओं की सूची।

	परियोजना का नाम	केन्द्रीय समिति द्वारा संस्वीकृत धनराशि (लाख रुपये में)
	1	2
1.	मध्य प्रदेश में वनों में स्थित गांवों का विकास, पेयजल कुंओं, निस्तार तालाबों तथा सम्पर्क सड़कों का निर्माण	600.00
2.	मध्य प्रदेश के 12 जिलों रायगढ़, सरगुजा, दुर्ग, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मुरैना, बस्तर, रीवा, जिलासपुर, सागर, दमोह और रायपुर) में श्रेणी-1 की ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण	1825.42
3.	मृ-संरक्षण तथा वाटरशेड विकास	125.23
4.	मध्य प्रदेश में मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु सूक्ष्म संवितरण प्रणाली	500.00
5.	छह सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जिलों अर्थात् वेतुल, धार, झाबुआ, खरगौन, शहडोल तथा सिधी में वाटरशेड पर आधारित भूमि विकास कार्य के लिए भू-संरक्षण योजनाएं	181.03

1	2
6. मध्य प्रदेश के 4 जिलों (ग्वालियर, भिंड, बालाघाट, रायगढ़) में 1500 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों की सड़कों से जोड़ने के लिए श्रेणी-1 की सड़कों का निर्माण	269.30
7. मध्य प्रदेश के 6 जिलों (शाजापुर, रतलाम, उज्जैन, देवास, मंदसौर, जबलपुर) में 1500 और उससे अधिक की जनसंख्या वाले गांवों के लिए श्रेणी-1 की सड़कों का निर्माण	336.14
8. मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण	500.00
9. मध्य प्रदेश के 6 जिलों (शाहदौल, सिधी, धार, झाबुआ, सतना, बेतुल) में 1500 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों के लिए श्रेणी-1 की सड़कों का निर्माण	287.77
10. मध्य प्रदेश के 45 जिलों में समेकित सामाजिक वानिकी	500.00

राजगढ़, गुना और विदिशा जिलों में कार्यान्वित किए जाने वाले निर्माण-कार्य अनुमोदित परियोजनाओं में शामिल हैं। सम्पर्क सड़कों, प्राथमिक पाठशालाओं के भवनों के निर्माण, वनों में स्थित गांवों के विकास और सामाजिक वानिकी के कार्य राजगढ़ जिले के लिए मंजूर किए गए हैं। गुना जिले के लिए अनुमोदित किए गए कार्यों में प्राथमिक पाठशालाओं के भवनों, सिंचाई की नालियों का निर्माण और सामाजिक वानिकी के कार्य शामिल हैं। विदिशा जिले के लिए जो परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं, उनमें प्राथमिक पाठशालाओं के भवनों के निर्माण, वनों में स्थित गांवों के विकास और सामाजिक वानिकी के कार्य शामिल हैं।

इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन अभी हाल ही में शुरू किया गया है।

मध्य प्रदेश में समाप्त हो रहा वन क्षेत्र

*689. **श्री ए० के० राय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में वन

क्षेत्र समाप्त होने के कगार पर हैं जिससे इस क्षेत्र में ईंधन की लकड़ी का अकाल पैदा हो रहा है और परिस्थिति की संतुलन अस्तव्यस्त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को कहा है कि राज्य की वन सम्पदा के विनाश को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जायें; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) राज्य में वनों के अन्तर्गत 1950-51 से लगभग 189 लाख हैक्टार का जो क्षेत्र था 1983-84 में घटाकर लगभग 155 लाख हैक्टार कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्य के 45 में से 30 जिलों में ईंधन की लकड़ी की कमी महसूस की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकार ने वनों के बेहतर संरक्षण के साथ साथ उन पर पड़ रहे मौजूदा दबाव को कम करने के लिए उपाय करना शुरू कर दिया है। इस दिशा में किए गए मुख्य उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वनों के विनाश को रोकने और राज्य के वनों पर पड़ रहे दबावों को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाय शुरू किए हैं :

(1) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वनों को आरक्षणमुक्त करने अथवा वन भूमियों को दूसरे काम में लाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

(2) ईंधन की लकड़ी और लकड़ी के कोयले को राज्य से बाहर ले जाना बन्द कर दिया गया है।

(3) अतिरिक्त राष्ट्रीय उद्यानों और आश्रय स्थलों की स्थापना करके सुरक्षित क्षेत्रों के जाल को बढ़ा दिया गया जिसके अन्तर्गत अब लगभग 17,308 वर्ग किलो-मीटर का क्षेत्र आता है जो राज्य के कुल वन क्षेत्र के लगभग 11 प्रतिशत के बराबर बैठता है।

(4) राज्य सरकार द्वारा वनों के कार्य में ठेकेदारों की एजेंसी को समाप्त कर दिया गया है।

(5) वन क्षेत्र के लगभग 8,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 'संरक्षण वन' के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है जिनका प्रबन्ध मुख्य रूप से मृदा और जल संरक्षण के लिए किया जाता है ।

(6) वनरोपण, सामाजिक और फार्म वानिकी कार्यक्रमों को तेज कर दिया गया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :—

व्यय (लाख रुपए)	उपलब्धियां (हैक्टार)	
सामाजिक और उत्पादन वानिकी	सामाजिक वानिकी	उत्पादन वानिकी
2063	100,317	31,191

(7) राज्य में ईंधन की कमी वाले 15 चुनींदा जिलों में ग्रामीण ईंधन के वृक्षारोपण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है ।

(8) अन्धा-धुन्ध कटाई और वन उत्पादन के अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारतीय वन अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करके अपराध करने में इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों, उपकरणों सहित वन उत्पादों को जब्त करने की व्यवस्था की गई है ।

(9) क्षेत्र-स्तर पर संरक्षण और प्रवर्तन को कड़ा बना दिया गया है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की स्वर्ण-जयन्ती

*690. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **कृषि मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के स्वर्ण-जयन्ती समारोह पर कितना अनावर्ती व्यय किया गया;

(ख) स्वर्ण-जयन्ती वर्ष के दौरान शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं पर अनावर्ती व्यय कितना होगा, उनके मुख्य उद्देश्य क्या हैं और अब तक की क्या उपलब्धियां हैं;

(ग) स्वर्ण-जयन्ती समारोह के लिए कितने विदेशी अतिथियों को आमंत्रित किया गया और उनका योगदान क्या था;

(घ) समारोह के कार्यवाही वृत्तान्त को अंतिम रूप कब दिया गया और उसे कब मुद्रित किया गया; और

(ङ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा स्वर्ण जयन्ती वर्ष (1979) के समारोह के दौरान 11.32 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्वर्ण जयन्ती समारोहों के दौरान विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रायोजना अर्थात प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम को चलाया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1979-82 के दौरान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के 86 केन्द्रों के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा 49,344 छोटे और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों को अपनाया गया था। चुनिन्दा किसानों के फार्म और गैर फार्म वाले संसाधनों का अध्ययन किया गया था। तथा उन्हें अपना उत्पादन और आमदनी बढ़ाने के लिए अपनायी गई व्यय लागत वाली प्रौद्योगिकियों के बारे में प्रशिक्षित किया गया तथा सलाह दी गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए किसानों के खेतों पर प्रदर्शन भी किए गए, जिसमें उत्पादन अन्तरालों और उत्पादन को तीव्र करने की गुंजाइस का प्रदर्शन किया गया। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम से किसान काफी लाभान्वित हुए और सब मिलाकर उनके उत्पादन तथा आय को 50 से 200 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम अब अपने द्वितीय चरण (1982-84) में है। इस चरण में लगभग 75,000 नये छोटे और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के 142 केन्द्रों के वैज्ञानिकों द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा रहा है। इस प्रायोजना पर प्रति वर्ष औसतन 2 करोड़ रु० आवर्ती व्यय होता है।

(ग) स्वर्ण जयन्ती समारोह में 108 विदेशी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था जिनमें से 23 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में अपने कागजात प्रस्तुत किए थे। इस सम्मेलन को सफल बनाने में अन्य लोगों का भी सक्रिय सहयोग तथा योगदान रहा। इस संगोष्ठी को अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसन्धान प्रणाली विकास संघ (आई० एफ० ए० आर० डी०) के सहयोग से आयोजित किया गया था।

(घ) इसकी कार्यवाहियों को फरवरी, 1981 में अन्तिम रूप दिया गया था और उन्हें फरवरी, 1983 में मुद्रित किया गया था।

(ङ) इस अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश और विदेश से काफी संख्या में आए हुए वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। इसमें अनेक वैज्ञानिकों ने तात्कालिक (उसी समय) भाषण दिए तथा उन्होंने अपनी वार्ता की प्रतियां नहीं दीं। इसलिए, उनके कागजात प्राप्त करने की प्रक्रिया (कुछ मामलों में विदेश से) में काफी समय लगा। इसके अलावा यह एक विस्तृत कार्य था जिसके 437 मुद्रित पृष्ठ हुए। इनके संकलन, संशोधन, सम्पादन और मुद्रण कार्य में काफी समय तथा मेहनत लगी। फिर भी, कार्यवाहियों के मुद्रण से पहले भी महत्वपूर्ण कागजातों और विचार-विमर्श से सम्बन्धित सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया था।

उत्पादन बढ़ाने हेतु छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष परियोजना

*691. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक विशेष परियोजना आरम्भ करने की योजना बनाई है जो उत्पादन बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़े और छोटे किसानों के द्वारा नई प्रौद्योगिकी अपनाने के बारे में कोई अध्ययन शुरू किया जा रहा है;

(ग) क्या इस नये कृषि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई ऐसी सूचना (रिपोर्टिंग) पद्धति है जिससे इस कार्यक्रम की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के लिए राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) सरकार कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाने में लघु और सीमांत किसानों की समस्याओं के प्रति हमेशा जागरूक रही है और उन्हें तकनीकी जानकारी उपलब्ध करा रही है। 1983-84 के दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लघु और सीमांत किसानों के लिए सहायता के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई थी।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई अध्ययन शुरू नहीं किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत वास्तविक और वित्तीय प्रगति का प्रबोधन करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे आवधिक प्रगति रिपोर्ट भेजें।

भारत सरकार ने 1983-84 के दौरान राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय अंश के रूप में 85 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। राज्य-वार नियुक्त की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत 1983-84 में तिलहनों और दलहनों के उत्पादन के लिए बीज और उर्वरकों के 25.23 लाख मिनीकिट वितरित किए गए हैं। फल और ईंधन की लकड़ी के वृक्षों का रोपण और लघु सिंचाई योजनाएं भी शुरू की गई हैं।

विवरण

क्र० संख्या	राज्य का नाम	निर्मुक्त की गई कुल धनराशि (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	547.12
2.	असम	148.92
3.	बिहार	910.06
4.	गुजरात	544.84
5.	हरियाणा	169.06
6.	हिमाचल प्रदेश	134.22
7.	जम्मू एवं कश्मीर	103.50
8.	कर्नाटक	291.50
9.	केरल	266.40
10.	मध्य प्रदेश	851.54
11.	महाराष्ट्र	739.20
12.	मणिपुर	35.88
13.	मेघालय	20.70
14.	नागालैण्ड	28.98
15.	उड़ीसा	433.32
16.	पंजाब	161.46
17.	राजस्थान	100 00
18.	सिक्किम	5.52
19.	तमिलनाडु	734.26
20.	त्रिपुरा	23.46

1	2	3
21.	उत्तर प्रदेश	1408.88
22.	पश्चिम बंगाल	502.30
	कुल :	8197.12

संघ शासित प्रदेश का नाम

1.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	13.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	132.84
3.	चण्डीगढ़	2.76
4.	दादर और नगर हवेली	धनराशि की आवश्यकता नहीं है।
5.	दिल्ली	13.80
6.	गोवा, दमन तथा दीव	60.00
7.	लक्ष्यद्वीप	13.80
8.	मिजोरम	55.20
9.	पाण्डिचेरी	11.04
	कुल :	302.88
	कुल योग :	8500.00

सरकस दल

*692. **श्री जेवियर अराकल :** क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने सर्कस दल हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय सरकसों को क्या सहायता दी जाती है; और

(ग) वर्ष 1980 से अब तक कितने सरकस दलों को केन्द्र सरकार से सहायता मिली है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) भारतीय सर्कस संघ के अनुसार, उससे सम्बद्ध 22 सर्कस दल हैं। ऐसे सर्कस दलों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जो संघ के सदस्य नहीं हैं।

इस समय सर्कस प्रदर्शन वाणिज्यक प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम हैं जिसमें व्यवसायिक प्रदर्शन भी शामिल हैं। तदनुसार, सरकार द्वारा सर्कस दलों को दी जाने वाली सहायता सामान्यतः सर्कस दलों के आने जाने के लिए उन्हें रेलवे रियायत देने, राज्य सरकारों द्वारा मनोरंजन कर तथा उनके द्वारा रियायती दरों पर खुले मैदानों के आवंटन आदि के भुगतान से छूट देने तक ही सीमित है। केन्द्रीय सरकार सीधे तौर पर रेलवे रियायत से सम्बन्धित है, जिसके लिए ऐसे सर्कस दलों के लिए जिन्होंने इसक लिए आवेदन दिया है, के पक्ष में खेल विभाग द्वारा निरपवाद सिफारिश की गई है। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि रेलवे रियायत ऐसी सिफारिशों के बावजूद उपलब्ध नहीं कराई गई है। जहां तक राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सुविधायें देने का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने उन्हें कुछ समय पहले ही सर्कस दलों को ऐसी सुविधायें उपलब्ध करने के लिए सलाह दी है।

किसानों को गन्ना बनाने के लिए प्रोत्साहन

*693. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**
श्री दिगम्बर सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चालू मौसम में चीनी का उत्पादन सबसे कम हुआ है, सरकार का विचार किसानों को गन्ने की अधिक बुआई करने के लिए प्रोत्साहन देने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) चालू मौसम में चीनी का उत्पादन सबसे कम नहीं हुआ है जैसा कि निम्नलिखित सारणी से प्रकट होता है :—

मौसम	1 अक्तूबर और 15 मार्च को चीनी का उत्पादन
	(लाख मीटरी टन)
1979-80	32·36
1980-81	41·68
1981-82	52·25
1982-83	54·13
1983-84	46·30

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में संगठनात्मक परिवर्तन

*694. **श्री बी० डी० सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और सचिव, डी० ए० आर० ई० के पद के स्थान पर दो पृथक् पद बनाने का है, ताकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कार्यचालन की स्वतंत्र रूप से निगरानी की जा सके और उसकी गतिविधियों की दक्षता में सुधार हो सके और यदि नहीं, तो यथास्थिति बनाए रखने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के योगदान में बाधा डालने वाली कमियों का पता लगाने के लिए इसके कार्यचालन तंत्र में 1975 से किए गए पुनर्गठनात्मक परिवर्तनों के निष्कर्षों की स्वतंत्र रूप से जांच की है :

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन पहलुओं की जांच करने और निवारक उपायों की सिफारिश करने के लिए एक न्यायिक समिति की नियुक्ति करने का है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग के सचिव के पदों को दो पृथक्-पृथक् पदों के रूप में बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कार्यविधि की जांच के लिए 1972 में गठित की गयी गजेन्द्र गडकर समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को उसके कार्यसंचालन के लिए और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने और भारत सरकार के साथ इसके सम्बन्ध को मजबूती से बनाए रखने के लिए भी सिफारिश की थी क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यों के लिए भारत सरकार के द्वारा शत-प्रतिशत कोष प्रदान किया जाता है। इस उद्देश्य से सन् 1973 में एक नया विभाग अर्थात् कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग खोला गया जिसमें सचिव (डेयर) का पद बनाया गया जो इसके साथ-साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के पद का कार्य भार भी संभालेगा । यह व्यवस्था सुचारू रूप से और कारगर ढंग से चल रही है इसलिए यथापूर्व स्थिति को बदलने की आवश्यकता नहीं है ।

(ख) और (ग) गजेन्द्र गडकर समिति की सिफारिशों पर मंत्रिमंडलीय स्तर पर गहराई से विचार करने के बाद भारत सरकार ने जो निर्णय लिए उनके आधार पर भारतीय

कृषि अनुसंधान परिषद की कार्मिक नीतियों में जबर्दस्त परिवर्तन किया गया और उन्हें कृषि अनुसंधान की आवश्यकताओं के लिए और अधिक अनुकूल बनाने के लिए पूर्ण रूप से पुनर्गठित किया गया। विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों में हो रहे परिवर्तनों की पूर्ण जानकारी रखने की दृष्टि से परिषद की नीतियों की लगातार समीक्षा की जाती है और जहां कहीं भी न्यायसंगत हो उनमें आवश्यक संशोधन करने के लिए उन पर लगातार नजर रखी जाती है। जब कभी भी वर्तमान नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है उनमें शीघ्र ही अनुकूल परिवर्तन किए जाते हैं।

(घ) पूर्ववर्ती पैरा में दिये गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुए परिषद की कार्यविधि की जांच के लिए किसी न्यायिक समिति को गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से क्रियान्वित की जा रही सिंचाई परियोजनाएं

*695. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **सिंचाई मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से क्रियान्वित की जा रही सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरे क्या हैं;

(ख) इन सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य किस तारीख को आरंभ हुआ था;

(ग) इन बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से प्रत्येक के निष्पादन के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, वर्ष-वार, कितनी सहायता दी गई थी;

(घ) इन प्रत्येक सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को पूरा करने की निर्धारित विधियां क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ) मध्य प्रदेश की छठी योजना में 30 बृहद और 77 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सिंचाई एक राज्य-विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं का वित्त-पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनकी समूची विकास योजना के ढांचे के भीतर स्वयं किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों कौर ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी परियोजना अथवा विकास के क्षेत्र से जुड़ी हुई नहीं होती है। इसे ध्यान में रखते हुए भाग (ङ) के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता।

क्रम सं०	स्कीम का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	निर्माण/आरम्भ करने की तारीख	83-84 के अंत तक प्रत्याशित खर्च	अंतत: सृजनीय क्षमता (हजार-हैक्टेयर में)	83-84 के अंत तक प्रत्याशित क्षमता	पूर्ण होने की निर्धारित तारीख
			विवरण				
1	2	3	4	5	6	7	8
	(क) **बृहद परियोजनाएं**						
1.	चम्बल	8664	प्रथम योजना	8561	273·2	273·2	1985
2.	राजघाट (बांध और नहरें)	14523	1980	3028	97·2	शून्य	सातवीं योजना
3.	बाणसागर (बांध और नहरें)	36735	1977	5102	248·8	शून्य	सातवीं योजना
4.	बार्गी	37519	1971	10435	245	शून्य	1985
5.	महानदी जलाशय	53046	1974	9550	340	62·4	1985
6.	हसदेव बांगो	51305	1977	10250	255	शून्य	सातवीं योजना
7.	कोलार	7000	1979	2303	45	शून्य	सातवीं योजना
8.	तवा	10416	1966	10107	333	263	1985
9.	बर्मा	1630	1979	1620	60·5	60·5	1985

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	सुकता	1325	1976	1233	18.6	18.6	1985
11.	बरियारपुर वाम तट नहर	2500	1978	906	43.9	शून्य	सातवीं योजना
12.	उर्मिल	996	1978	396	7.7	शून्य	सातवीं योजना
13.	रंगवान उच्च स्तरीय नहर	630	1973	535	17.7	13.6	1985
14.	अपर वेनगंगा	8000	1976	6161	105.0	शून्य	सातवीं योजना
15.	सिंध सोपान-एक	2221	1972	1822	37.2	35.2	1985
16.	भंडेर नहर	223	1952	228	44.5	44.5	1985
17.	हलाली	1266	1982	1206	37.2	27.2	सातवीं योजना
18.	पैरी	1900	1973	1310	72.9	52.9	सातवी योजना
19.	कोडार	1701	1977	1292	23.5	8.4	सातवीं योजना
20.	जोंक	1400	1976	1016	14.4	4.8	सातवीं योजना
21.	थनवार	1525	1978	950	18.2	3.2	सातवीं योजना
22.	हसदेव दक्षिण तट नहर	1433	1967	3993	42	42	1985
23.	सिंध सोपान-दो	1400	—	518	92.5	शून्य	*
24.	नर्मदासागर	47689	—	737	252	शून्य	*

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	बावनथाडी (मध्य प्रदेश का हिस्सा)	5570	—	290	18·6	शून्य	सातवीं योजना
26.	अपर ताप्ती	9000	—	32	46·6	शून्य	*
27.	अरपा	13000	—	247	73	शून्य	*
28.	मान	3800	1984	229	19·2	शून्य	सातवीं योजना
29.	जोबट	2692	1984	23	9·8	शून्य	सातवीं योजना
30.	माही	7200	1984	745	34·2	शून्य	सातवीं योजना
	(ख) **मध्यम परियोजनाएं**						
	77 मध्यम परियोजनाएं	48806	—	14857	249·1	90 6	**

* 1984-85 की वार्षिक योजना के दस्तावेज में, राज्य सरकार ने पूर्ण होने की निर्धारित तारीख नहीं दी है।

** 1984-85 की वार्षिक योजना के दस्तावेजों के अनुसार, 35 मध्यम परियोजनाओं के छठी योजना के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है।

रोहिणी परियोजना में काम कर रहे श्रमिकों की समस्यायें

*696. **श्री वित्त बसु :**
श्री धर्म बीर सिन्हा :

क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तत्सम्बंधी विषय पर उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों के बावजूद उत्तर दिल्ली में रोहिणी परियोजना के निर्माण-कार्य में लगे श्रमिकों के लिए कार्य-स्थिति, मजूरी के भुगतान और चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था से सम्बंधित श्रम-कानूनों में से किसी भी कानून का पालन नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कानूनों को लागू करने के लिए इस बीच क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण या इसके ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाए गए श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सफाई प्रबन्धों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के आदर्श नियम बनाए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा ठेकेदार के मध्य ठेके की शर्तों के रूप में इन नियमों को अपनाया जाता है।

दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि श्रम निरीक्षणालय द्वारा श्रम कानूनों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। वर्ष 1983 के दौरान, रोहिणी परियोजना में कार्यरत 10 नियोक्ताओं/ठेकेदारों पर श्रम नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमा चलाया गया।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के विस्तार हेतु
आन्ध्र प्रदेश का अनुरोध

*697. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री सतीश अग्रवाल :

क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से कहा है कि कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उस राज्य में विभिन्न बड़ी और मंझोली सिंचाई परियोजनाओं में विस्तार किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने के लिए छः सिंचाई परियोजनाओं को अनुमोदित करने का अनुरोध किया था। ये छः परियोजना हैं—स्वर्णा परियोजना, वम्सधारा परियोजना चरण-एक और दो, पेड्डावागु परियोजना, तल्लीपेरू परियोजना, सतनाला परियोजना और गडीपालम परियोजना। केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नई परियोजनाओं को शामिल करने हेतु अन्तरःमंत्रालयीय स्वीकृति समिति द्वारा इन प्रस्तावों पर विचार किया गया था। स्वीकृति समिति की सिफारिशों पर, तीन परियोजनाएं नामशः स्वर्णा परियोजना, पेड्डावागु परियोजना तथा वम्सधारा चरण-एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत शामिल की गई हैं।

फार्म पशुओं के रोगों की संवीक्षा के लिए राष्ट्रीय व्यवस्था

*698. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार फार्म-पशुओं के रोगों की संवीक्षा करने, उन पर नजर रखने तथा उनकी पूर्व सूचना देने के लिए कोई राष्ट्रीय व्यवस्था बना रही है जिससे उन पशुओं के स्वास्थ्य के लिए प्रभावी व्यवस्था की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) कृषि मन्त्रालय ने एक केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजना की मंजूरी दी है, जिसमें मन्त्रालय में एक पशु रोग निगरानी कक्ष तथा राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में मरक-विज्ञान एकक स्थापित करने का विचार है। ये एजेंसियां मुख्य संक्रामक पशुधन रोग के प्रकोप के मरक विज्ञान संबंधी पहलुओं पर सूचना एकत्र करके उसका मिलान और प्रसार करेगी, ताकि संकट ग्रस्त क्षेत्रों में पूर्वचेतावनी दी जा सके। केन्द्रीय कक्ष मासिक आधार पर अखिल भारतीय पशु स्वास्थ्य सूचना बुलेटिन, पशुप्लेग बुलेटिन और पशुप्लेग महामारी सूचना प्रकाशित करता है और इसी प्रकार राज्य एकक पशु रोग निगरानी बुलेटिन प्रकाशित करते हैं। केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 1981-82 से 1983-84 तक विभिन्न राज्यों को (50 : 50 के आधार पर) और संघ शासित क्षेत्रों को (प्रतिशत के आधार पर) 15.36 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है।

राज्यों में भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग

*699. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने छठी योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए क्या विभिन्न उपाय किए हैं;

(ख) उड़ीसा में उपरोक्त अवधि के दौरान इसके लिए क्रियान्वित की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में उपरोक्त योजना अवधि में भूमिगत जल का उपयोग करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) छठी योजना के दौरान, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड को जल-भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सभी राज्यों में लगभग 52 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने और विभिन्न प्रकार के 1525 समन्वेषी वेधन-छिद्रों का निर्माण किए जाने की आशा है। 600 से अधिक प्रवर्धन (डिपाजिट) कुओं का वेधन किए जाने का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, सिंचाई मंत्रालय ने राज्यों में भूमिगत जल संगठनों को सुदृढ़ करने तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र प्रायोजित दो स्कीमें भी आरम्भ की हैं ताकि भूमिगत जल संसाधनों के अन्वेषण में तेजी लाई जा सके। छठी योजना के दौरान, भूमिगत जल संसाधनों से 6 मिलियन हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने की आशा है।

जब एक राज्य विषय होने के कारण, भूमिगत जल स्कीमों सहित सभी लघु सिंचाई स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। ऊपर उल्लिखित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत, उड़ीसा सरकार को राज्य के भूमिगत जल संगठन को सुदृढ़ करने के लिए 7.0 लाख रुपए तथा ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2.63 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई थी।

उड़ीसा राज्य में छठी योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान जल-भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अन्तर्गत 2.23 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है तथा 22 वेधन-छिद्र ड्रिल किए गए हैं। जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1980-83 के दौरान जल-भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अन्तर्गत कवरेज

क्रम सं०	जिला	क्षेत्र (हैक्टेयर)	1980-81	1981-82	1982-83
1.	बालासोर	6,39,400	—	—	—
2.	बौध खोडमाल्स	11,07,000	45,000	—	—
3.	बोलनगिर	8,90,300	5,000	2,10,000	2,10,000
4.	कटक	11,21,100	31,000	2,23,000	67,000
5.	धेनकनाल	10,82,600	—	—	1,42,000
6.	गंजम	12,52,700	—	2,75,000	2,50,000
7.	कालाहांडी	11,83,500	66,000	17,000	—
8.	क्यूझेर	8,24,000	75,000	72,000	89,300
9.	कोरापुत	27,12,000	89,500	—	—
10.	मयूरभंज	10,41,200	24,000	70,000	1,24,200
11.	पुरी	10,15,900	—	—	40,000
12.	सम्बलपुर	17,57,000	—	—	25,000
13.	सुन्दरगढ़	9,67,500	—	—	—
	जोड़		4,23,500	8,67,000	9,38,500

उड़ीसा राज्य में समन्वेषी ड्रिलिंग की स्थिति

क्रम सं०	जिला	1881-82				1982-83			
		स०कू०	प्रे०कू०	अ०छि०	दा०कू०	स०कू०	प्रे०कू०	अ०छि०	दा०कू०
1.	मयूरभंज	2	2	—	—	11	5	—	—
2.	कटक	—	—	—	—	1	1	—	—
		2	2	—	—	12	6	—	—

स० कू०-समन्वेषी कूंए : अन्वेषण के लिए आछादित वेधन छिद्र

प्रे० कू०-प्रेक्षण कूंए : प्रेक्षण के लिए आछादित सहायक वेधन छिद्र

अ० छि०-अल्प छिद्र : भू-वैज्ञानिक सूचना के संचयन के लिए अनाछादित वेधन-छिद्र ड्रिल किए गए ।

दा० कू०-डाबमीटर कूंए : जल-स्तरों की व्यवहार्यता की मानीटरिंग के लिए आछादित वेधन-छिद्र ।

इंडियन डेरी कारपोरेशन/नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड के कार्यकरण का मूल्यांकन करने हेतु समिति

7543. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **कृषि मंत्री** इंडियन डेरी कारपोरेशन/नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड के कार्यकरण का मूल्यांकन करने हेतु समिति के बारे में 12 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2506 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि क्या समिति द्वारा इंडियन डेरी कारपोरेशन/नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड की परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जायेगा तथा इच्छुक व्यक्तियों को साक्ष्य के लिए बुलाया जाएगा;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जा समिति की नियुक्ति को दर्शाने वाले संकल्प में निम्नलिखित विचारार्थ बिषय दिये गये हैं :

(क) आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के विशिष्ट लक्ष्यों के सन्दर्भ में भारतीय डेरी निगम/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कार्यनिष्पादन तथा उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना ।

(ख) अनुभव किये गये अवरोधों तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए उठाये गये कदमों तथा अच्छे और शीघ्र परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को तेज करने के लिए वांछित सुझाये गये उपधारात्मक उपायों के सम्बंध में रिपोर्ट देना।

समिति अपने कार्य करने के ढंग को निश्चित करेगी। यह भी समिति पर छोड़ दिया गया था कि वह इस सम्बंध में राज्य सरकारों/संगठनों/व्यक्तियों आदि से या तो व्यक्तिगत रूप से या लिखित रूप में विचार प्राप्त करे।

उर्वरकों तथा फार्म तकनीक के संबंध में किसानों के लिए सूचना

7544. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों तथा फार्म तकनीक के संबंध में किसानों को नवीनतम सूचना उपलब्ध करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने जापान की तरह ही एक वर्ष में अधिक फसलें उगाने के लिए कुछ विदेशी तकनीक प्राप्त करने चाहे हैं, और

(ग) सरकार का विचार भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) किसानों को उर्वरकों और खेती की तकनीकों के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, विश्व बैंक की सहायता से 13 बड़े राज्यों में एक पुनर्गठित कृषि विस्तार प्रणाली कार्य कर रही है। इस प्रणाली में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों के उपयोग सहित उन्नत तकनीक से संबंधित जानकारी का क्रमबद्ध तरीके से आदान प्रदान करके अर्थात् मासिक कार्यशाला के जरिए अनुसंधान वैज्ञानिकों से विषय के विशेषज्ञों, पाक्षिक प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से विषय विशेषज्ञों से सहायक विस्तार अधिकारियों/ग्राम सेवकों और निर्धारित दौरों के पाक्षिक कार्यक्रम के जरिए सहायक विस्तार अधिकारियों ग्राम सेवकों से इस तकनीक को किसानों तक पहुंचाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त जन प्रसार-प्रचार तंत्र, कृषि संबंधी चलचित्रों, कृषि प्रदर्शनियों और आदान पखवाड़ों का आयोजन करके सूचना संबंधी सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भूमि को बनाने के लिए, उर्वरकों के प्रयोग की सिफारिश की जाती है। मिट्टी की उर्वरा-शक्ति को ध्यान में रखते हुए, उर्वरकों की उपयुक्त मात्रा इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि उर्वरकों का इस्तेमाल करते समय पोषक तत्वों का सन्तुलन आवश्यक रूप से बनाए रखा जाए। किसानों को उपयुक्त मात्रा में जैविक खादों के इस्तेमाल की भी सलाह दी जाती है ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति में सुधार हो तथा

उर्वरकों का उपयोग हो सके। इस संबंध में बायो-उर्वरकों के इस्तेमाल का भी प्रचार किया जा रहा है। हाल ही में "रिजोबियम कल्चर" और "ब्लयू ग्रीन एलगाए" के उत्पादन के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे नाइट्रोजन की उपलब्धता में वृद्धि होगी और उर्वरकों के नवीकरण योग्य स्रोतों के जरिए भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इस सम्बंध में रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि को सुनिश्चित किया जा रहा है और सही समय पर, सही स्थान पर और पूरी मात्रा में इन्हें किसानों को सुलभ कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि

7545. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी राशि निर्धारित की थी;

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान गुजरात में आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई; और

(ग) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अब तक कितनी राशि व्यय की गई और किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) इस देश के ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रम आदिवासी क्षेत्रों सहित देश के सभी खण्डों में लागू किए जा रहे हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत यह नियत किया गया है कि कुल लाभभोगियों में 30 प्रतिशत लाभभोगी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के होने चाहिए तथा ऋणों और उपदानों के कुल लाभों का कम से कम 30 प्रतिशत लाभ उन्हें मिलना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत यह नियत किया गया है कि कम से कम 10 प्रतिशत परिव्यय ऐसी योजनाओं के लिए उपयोग में लाया जाए जिनसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को सीधे लाभ पहुंचें।

(ग) वर्ष 1983-84 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात में वितरित की गई कुल 1956.89 लाख रुपए की आर्थिक सहायता में से 423.08 लाख रुपए की धनराशि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को आर्थिक सहायता के रूप में वितरित की गई है। फरवरी, 1984 तक 135795 लाभभोगियों में से 43293 लाभभोगी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के हैं। 1983-84 (फरवरी, 1984 तक) के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित किए गए कुल 100.43 लाख श्रम दिवसों में से 57.77 लाख श्रम दिवस अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के

लिए सृजित किए गए हैं। यह सृजित किए गए कुल श्रम दिवसों का 57 प्रतिशत बनता है। इस अवधि के दौरान गुजरात में अभी तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय किए गए कुल 1233.91 लाख रुपए में से 301.82 लाख रुपए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए खर्च किए गए हैं। यह अभी तक कुल व्यय की गई धनराशि का 24.5 प्रतिशत बनता है।

भारतीय पर्वतारोही दल को सहायता

7546. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मई में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए कर्नल दर्शन कुमार खुल्लर के नेतृत्व में 7 महिलाओं सहित एक भारतीय पर्वतारोही दल का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दल को क्या सहायता प्रदान की गई है ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृत 35.00 लाख रुपये तक की कुल वित्तीय सहायता में से अब तक 32.00 लाख रुपये के अनुदान की धनराशि इस एवरेस्ट अभियान के व्यय को वहन करने के लिए, भारतीय पर्वतारोहण संस्था को मुक्त की जा चुकी है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ड्राफ्ट्समैन के वेतनमानों का संशोधन

7547. **श्री रेणु पद दास** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक मध्यस्थ बोर्ड ने केन्द्रीय लोक निर्माण में कार्यरत ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमानों में संशोधन के सम्बंध में उनके पक्ष में पंचाट दिया है;

(ख) पंचाट को लागू करने की तारीख क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य केन्द्रीय सरकारी विभागों में कार्यरत ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमानों को संशोधित करके केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमानों के समान करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो संशोधित वेतनमानों को लागू करने की तारीख क्या है;

(ङ) क्या अन्य केन्द्रीय विभागों में ड्राफ्ट्समैनों के सम्बंध में संशोधित वेतनमान लागू करने की तारीख केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ड्राफ्ट्समैनों से भिन्न है; और

(च) यदि हां, तो इस भेदभाव के कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां ।

(ख) सैद्धान्तिक लाभ 1-1-1973 से दिया गया तथा वास्तविक लाभ 16-11-1978 से दिया गया ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जबकि सैद्धान्तिक लाभ 13-5-1982 से दिया गया तो वास्तविक लाभ 1-11-1983 से दिया गया है ।

(ङ) जी, हां ।

(च) अन्य केन्द्रीय सरकारी विभागों में ड्राफ्ट्समैनों के सम्बंध में प्रभावी तारीख राष्ट्रीय परिषद् की समिति द्वारा कर्मचारी पक्ष तथा सरकारी पक्ष के मध्य विधिवत् विचार-विमर्श के बाद 6-1-1984 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर है ।

ईंधन की कमी वाले जिले

7548. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि देश में बहुत सारे जिले ईंधन की कमी से ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि लकड़ी ही मुख्य ईंधन है जिसे गांवों के लोगों द्वारा उपयोग में लाया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो देश में सामाजिक वानिकी योजना को कड़ाई से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) छठी योजना के दौरान ग्रामीण जलावन की लकड़ी के लिए वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के लिए जलावन की लकड़ी की कमी वाले 157 जिलों का पता लगाया गया है । इस प्रकार के जिले की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) जी हां ।

(घ) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं : –

(1) सामाजिक वानिकी को नये 20 सूत्री कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल करना ।

(2) राज्य योजना, केन्द्र द्वारा प्रायोजित तथा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं/योजनाओं के तहत सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना ।

(3) विभिन्न विभागों, सार्वजनिक निकायों, निगमों, स्वैच्छिक संगठनों, पंचायतों, किसानों, नवयुवकों तथा बच्चों का सहयोग प्राप्त करना तथा उन्हें इसमें भागीदार बनाना ।

विवरण

ग्रामीण जलावन की लकड़ी के लिए वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी की नए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के लिए 157 चुनींदा जिलों की सूची ।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	चुनींदा जिलों नाम
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	1. रंगारेड्डी
	2. गुन्टुर
	3. मैडक
	4. नलगोंडा
	5. कृष्णा
	6. नैल्लौर
	7. प्रकाशम
	8. निजामाबाद
2. असम	1. कामरूप
	2. गोलपारा
	3. शिवसागर
	4. कच्छार

1	2
3. बिहार	1. संथाल परगना
	2. भागलपुर
	3. गिरिडिह्
	4. धनबाद
	5. हजारीबाग
	6. गया
	7. औरंगाबाद
	8. नालन्दा
	9. मुंगेर
	10. रोहतास
	11. नवादाह्
4. गुजरात	1. वदोदरा
	2. पंचमहल
	3. कच्छ
	4. सुरेन्द्र नगर
	5. साबरकंथा
	6. जामनगर
	7. भावनगर
5. हरियाणा	1. करनाल
	2. महेन्द्रगढ़
	3. कुरुक्षेत्र
	4. गुड़गांव
	5. सोनीपत

1	2
6. हिमाचल प्रदेश	1. कांगड़ा
	2. मंडी
	3. सिरमौर
	4. शिमला
	5. हमीरपुर
7. जम्मू व कश्मीर	1. अनन्तनाग
	2. रजौरी
	3. कारगिल
	4. कथुवा
8. कर्नाटक	1. बंगलौर
	2. गुलबर्गा
	3. कौलार
	4. बेलारी
	5. मांड्या
	6. धारवाड
	7. मैसूर
	8. चिकमगलूर
9. केरल	1. कन्नानौर
	2. त्रिनेन्द्रम
	3. कौजीकौड
	4. कौट्टायम

1	2
10. मध्य प्रदेश	1. रीवा
	2. रतलाम
	3. इन्दौर
	4. भोपाल
	5. ग्वालीयर
	6. झबुवा
	7. सौनी
	8. जबलपुर
	9. बिलासपुर
	10. रायपुर
	11. सतना
	12. दुर्ग
	13. सागर
	14. खंडवा
	15. पन्ना
11. महाराष्ट्र	1. अहमदनगर
	2. रत्नागिरि
	3. शोलापुर
	4. उस्मानाबाद
	5. कोल्हापुर
	6. परभानी
	7. नासिक
	8. पूणे
	9. थाने
	10. जलगांव

1	2
12. मणिपुर	1. मणिपुर केन्द्रीय
	2. मणिपुर उत्तर
13. मेघालय	1. पश्चिमी खासी की पहाड़ियां
	2. पश्चिमी गारो की पहाड़ियां
14. नागालैंड	1. कोहिमा
	2. फेक
	3. त्यैंसांग
15. उड़ीसा	1. बालासौर
	2. कटक
	3. बोलनगिर
	4. पुरी
	5. गंजम
16. पंजाब	1. अमृतसर
	2. पटियाला
	3. फिरोजपुर
	4. गुरुदासपुर
	5. फरीदकोट
17. राजस्थान	1. जयपुर
	2. उदयपुर
	3. भरतपुर
	4. अलवर
	5. भीलवाड़ा
	6. अजमेर

1	2
17. राजस्थान (जारी)	7. बंसवाड़ा
	8. झुंझुनु
	9. कोटा
	10. सवाई माधोपुर
18. सिक्किम	1. पूर्वी गंगटोक
	2. दक्षिणी गंगटोक
19. तमिलनाडु	1. मदुराई
	2. त्रिचिरापल्ली
	3. चेंगलपट्टु
	4. धर्मपुरी
	5. उत्तरी अर्काट
	6. दक्षिणी अर्काट
20. त्रिपुरा	1. पश्चिमी जिला
	2. उत्तरी जिला
21. उत्तर प्रदेश	1. हमीरपुर
	2. जालौन
	3. पीलीभीत
	4. खैरी
	5. झांसी
	6. ललितपुर
	7. टेहरी
	8. अल्मौड़ा

1	2
21. उत्तर प्रदेश (जारी)	9. गढ़वाल
	10. मिर्जापुर
	11. मेरठ
	12. इलाहाबाद
	13. देवरिया
	14. गोरखपुर
	15. जौनपुर
	16. आजमगढ़
	17. मुरादाबाद
	18. आगरा
	19. अलीगढ़
22. पश्चिम बंगाल	1. बर्दवान
	2. मिदनापुर
	3. बांकुरा
	4. 24-परगना
	5. बिरभूम
	6. नादिया
	143

संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	चुनींदा जिलों के नाम
1. अरुणाचल प्रदेश	1. पश्चिम मेंग
	2. लोवर सुबानसिरी
	3. दिबंग घाटी
	4. तिराप
	5. लोहित
	6. इस्ट कमेंग
	7, अपर सुबानसिरी
	8. पूर्वी सिआंग
	9. पश्चिमी सिआंग
2. दिल्ली	1. दिल्ली
3. मिजोरम	1. ऐजल
	2. लुंगलोई
	3. चिन्तुईपुई
4 गोवा, दमन तथा दीव	1. गोवा
	14
योग : 157 जिले	

थोक चावल व्यापारियों के लाभ की मात्रा में वृद्धि

7549. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रानीगंज वाणिज्य मंडल से दिनांक 14 फरवरी, 1984 को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत थोक चावल व्यापारियों के लाभ की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार उत्सुक है कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों की पूर्ति की जानी चाहिए । तथापि, राज्य सरकारों द्वारा थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए मार्जिन तथा ऐसे अन्य प्रासंगिक खर्चे निर्धारित किए जाते हैं, जो कि खुदरा बिक्री मूल्य निर्धारित करते समय इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे ।

हमारे समुद्री क्षेत्र में विदेशी मत्स्य नौकाएं

7550. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि कुछ विदेशी मत्स्य नौकाएं हमारे समुद्री क्षेत्र में अत्याधुनिक जालों का प्रयोग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) चार्टर किए गए कुछ विदेशी मत्स्य जलयानों द्वारा मेश आकार के छोटे जाल उपयोग करने के बारे में सूचना मिली है ।

(ग) हालांकि चार्टर किए गए विदेशी जलयानों को सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति, जिसमें जलयान तथा गियर की किस्म, अर्थात ट्रावलिंग, लांगलाइनिंग आदि, के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया गया होता है, के अन्तर्गत केवल जल सीमा क्षेत्र के बाहर ही कार्य करने की अनुमति है । उसके बावजूद सरकार ने मेश आकार के छोटे जालों का उपयोग करने को गम्भीरता से लिया है । मामले को मात्स्यकी उद्योग के ध्यान में भी लाया गया था ।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार से प्राप्त प्रस्ताव

7551. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार से प्राप्त प्रस्ताव के बारे में 19 मार्च, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 318 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार से नए नमूनों के आधार पर संशोधित सड़क परियोजनाएं प्राप्त हो गई हैं, और वास्तविक कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी होने के क्या कारण हैं और उनको शीघ्र निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) जी हां। बिहार सरकार ने अपने दिनांक 30-3-1984 के पत्र में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत दो संशोधित सड़क परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं। पहली परियोजना उत्तरी बिहार के 16 जिलों में 17.33 करोड़ रुपए (लगभग) की अनुमानित लागत के 435 निर्माण कार्यों से संबंधित है, जिसमें 1229.5 कि० मी० ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य शामिल है। दूसरी परियोजना दक्षिणी बिहार के 11 जिलों में 10.20 करोड़ रुपए (लगभग) की अनुमानित लागत के 259 निर्माण कार्यों से संबंधित है, जिसमें 698.25 कि० मी० ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य शामिल है। इन परियोजनाओं पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की केन्द्रीय समिति ने 9-4-84 को हुई अपनी बैठक में विचार किया था। समिति ने दोनों परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैस्ट हाऊसों/होलीडे होमों का रख-रखाव

7552. **श्री जी० वाई०कृष्णन** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नियन्त्रण में उपक्रम-वार प्रत्येक गैस्ट हाऊस/होलीडे होम किस-किस स्थान पर स्थित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक गैस्ट हाऊस के रख-रखाव/किराया सहायता आदि पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक गैस्ट हाऊस/होलीडे होम में आवास और भोजन की दरें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) निर्माण और आवास मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन 3 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से केवल एक उपक्रम नामत: राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड के नयी दिल्ली में निम्नलिखित 2 अतिथिगृह हैं :—

1. फ्लैट नं० 281, डी० डी० ए० (स्व० वि० पो० योजना) हौजखास, नयी दिल्ली
2. फ्लैट नं० 12, डी० डी० ए० (स्व० वि० पो० योजना) हौजखास, नयी दिल्ली

तीनों सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से कोई भी उपक्रम कोई होलीडे होम नहीं चला रहा है।

(ख) एन० बी० सी० सी० ने सूचित किया है कि उपर्युक्त क्रम सं० 1 पर अतिथिगृह 11-4-83 से 2,500 रुपये प्रतिमास की दर से तथा क्र० सं० 2 पर अतिथिगृह 1-6-83 से 2300 रुपये प्रतिमास की दर से किराए पर लिया गया है। क्र० सं० 1 पर अतिथिगृह के अनुरक्षण पर एन० बी० सी० सी० ने लगभग 5,000 रुपये व्यय किए हैं।

(ग) क्र० सं० 1 पर अतिथिगृह के बारे में सरकारी दौरों के लिए एन० बी० सी० सी० द्वारा भोजन तथा आवास के लिए नियत की गई दरें निम्नलिखित हैं :—

	प्रतिदिन प्रति बिस्तर दरें	
	साधारण	वातानुकूलित
I. निम्नलिखित मूल वेतन लेने वाले एन० बी० सी० सी० के अधिकारियों के लिए		
(क) 1,000 रुपये प्रतिमास से कम	8 रु०	10 रु०
(ख) 1,000 रुपये प्रतिमास तथा अधिक	13 रु०	15 रु०
II. निम्नलिखित मूल वेतन लेने वाले अन्य कम्पनियों तथा सरकारी विभागों के अधिकारियों के लिए		
(क) 1,000 रुपये प्रतिमास से कम	20 रु०	25 रु०
(ख) 1,000 रुपये प्रतिमास तथा अधिक	30 रु०	35 रु०

III. (क) 24 घण्टों से कम परन्तु 12 घण्टे से अधिक अवधि के लिए अतिथिगृह में ठहरना पूरे दिन के रूप में समझा जाएगा।

(ख) 12 घंटों से कम अतिथिगृह में ठहरने के लिए पूरे दिन प्रभारों का 50 प्रतिशत वसूल किया जाएगा।

IV. **चाय तथा नाश्ता**

1. चाय प्रति कप	0·50 रुपया
2. चाय के साथ दो बिस्कुट	1·00 रुपया
3. चाय के साथ दो उबले अण्डे	2·00 रुपये
4. चाय के साथ एक उबला अण्डा	1·50 रुपये

5. चाय के साथ दो अंडों का आमलेट तथा दो ब्रेड स्लाइस 3.50 रुपये

6. 250 ग्राम दूध के साथ 50 ग्राम कार्नफ्लैक 2.50 रुपये

नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना

7554. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में कार्य करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों को कुछ दिन कार्य करने के बाद स्वत: ही नियमित कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान कितने नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया गया;

(घ) ऐसे नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या कितनी है जो दो वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे है परन्तु उन्हें नियमित नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) जी नहीं। रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन) के 'सरप्लस सैल' में उपलब्ध व्यक्तियों को खपाने के बाद, नैमित्तिक श्रमिकों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले चपरासियों के उपलब्ध पदों पर लिया जा सकता है, बशर्ते कि वे गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों में निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करते हों।

(ग) 31-3-1984 को समाप्त होने वाले पिछले एक वर्ष में 7 नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया गया है;

(घ) इस समय ग्रामीण विकास मंत्रालय में ऐसा कोई नैमित्तिक श्रमिक नहीं है, जो नियमित पदों पर लिए जाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ?

मन्त्रियों के बंगलों के रख-रखाव पर व्यय

7554. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों के बंगलों के रख-रखाव पर होने वाले व्यय में कटौती करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय मंत्रियों के बंगलों का अपेक्षित स्तर एक रख-रखाव करने के लिए न्यूनतम व्यय किया जा रहा है।

स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाएं

7555. **श्री नवीन रावणी** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य द्वारा भेजी गई इस प्रकार की परियोजनाओं का क्या ब्यौरा है;

(ग) ये परियोजनाएं कब से केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी हुई हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) केन्द्र के पास 90 नई वृहद, मध्यम सिंचाई तथा बहूद्देशीय स्कीमें, जिनके लिए तकनीकी जांच हेतु रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं, स्वीकृति के वास्ते लम्बित पड़ी हैं। इन स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इन परियोजनाओं पर केन्द्र द्वारा स्वीकृति प्रदान करना इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणियों का स्पष्टीकरण कितनी जल्दी भेजा जाता है। इसको मद्देनजर रखते हुए लम्बित पड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति की कोई निश्चित तारीख बता पाना संभव नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	लाभ (हजार हैक्टेयर में)	केन्द्रीय जल आयोग में परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि
1	2	3	4	5
	आन्ध्र प्रदेश			
1.	सिंगुर परियोजना	4234.0	जल आपूर्ति	25-10-77
2.	तेलुगु गंगा	63653	234.7	5-12-83
	बिहार			
1.	अपर सकरी जलाशय	5975.23	58.20	18-4-78
2.	अपर महानदी सिंचाई	2570.31	40.77	नवम्बर, 1983
3.	पंचकेरो जलाशय	631.716	2.74	नवम्बर, 1980
4.	कुंडघाट जलाशय	569.12	2.05	23-11-82
5.	पुनासी जलाशय	2609.00	24.29	नवम्बर, 1979
6.	मेसन	3472.92	26.015	अक्तूबर, 1980
7.	अजगैबीनाथ पम्प नहर	1680.00	17.200	22-12-78
8.	सुबर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना	48090.00	241.873	दिसम्बर, 1980
9.	सिक्तिया (अजोय)	6603.00	40.59	अक्तूबर, 1976
10.	ढाढर में तिलैया व्यपवर्तन	4800.00	56.28	15.10-74
11.	बरारी पम्प नहर	983.4	9.37	20-7-76
12.	धनसिंहटोली	637.99	2.90	अप्रैल, 1982
13.	सतपोतका जलाशय	666.60	2.35	8-3-82
14.	देशी जलाशय	600.24	3.56	अप्रैल, 1982

1	2	3	4	5
15.	सलैया जलाशय	595·25	2·67	अगस्त, 1982
16.	कतरी जलाशय	710·34	4·91	13-7-82
17.	बस्की सिंचाई एवं जल आपूर्ति	1302·00	5·67 (जल आपूर्ति)	अप्रैल, 1981
18.	रामरेखा जलाशय	876·14	3·230	25-5-83
	गुजरात			
1.	सरदार सरोवर	424000·00	1792 0 4×200 मैगावाट	11-2-80
2.	खारीकट का आधुनिकीकरण	591·14	10·50	अगस्त, 1983
3.	वतरक	2200·00	16·874	4-9-81
4.	उमरिया	282·319	2·356	27-11-81
	हरियाणा			
1.	जसपुर बराज	2605·27	401·257	4-10-80
2.	धनूरा बराज	2444·00	14·395	4-10-80
	हिमाचल प्रदेश			
1.	भाबोर साहब चरण-दो लिफ्ट सिंचाई	250·00	3·432	7-5-83
	जम्मू और कश्मीर			
1.	तराल लिफ्ट सिंचाई	1491·50	6·00	17-9-81
2.	राजपुरा लिफ्ट सिंचाई	846·00	2.430	17-9-81
3.	नया प्रताप नहर का आधुनिकीकरण	125·00	1·012	30-12-83
	केरल			
1.	चिमोनी	2343·00	25·00	17-10-75
2.	नेय्यार सिंचाई का आधुनिकीकरण	905·45	9·914	25-2-84
3.	मेन्ना चिल नदी घाटी	4956·00	9·960	10-2-84

1	2	3	4	5
	मध्य प्रदेश			
1.	माही	6238·00	34·283	16-1-76
2.	राजघाट नहर	4615·00	127·45	25-4-79
3.	मेहान	3900·00	19·04	21-7-82
4.	सिंध चरण-दो (मोहिनी सागर)	8500·00	120·00	19-6-78
5.	रामपुरी पिक अप	634·83	5·492	21-4-81
6.	बारोहा नाला	378·62	2·631	17-2-81
7.	कोलार	6996·40	60·867	21-11-83
8.	महानदी जलाशय	49602·00	459·23	19-10-83
9.	बाणसागर यूदिट-दो नहरें	23710·00	248·918	21-12-83
10.	थनवार सिंचाई	1830·28	18·211	16-1-84
11.	ओम कारेश्वर बहूद्देशीय परियोजना	57800·00	129·00	22-1-84
	महाराष्ट्र			
1.	पडगांव	739·09	8·792	6-5-81
2.	हेतवाने	1955·95	9·116	1-7-81
3.	बोरी (शोलापुर)	762·42	6·680	30-11-81
4.	लोअर मुन्ना	3975·094	28·410	1-10-83
5.	गोसी खुर्द (लिफ्ट)	37222·00	फ्लो 69·656 फ्लो 68·094	7-12-83
6.	ह्यूमन नदी परियोजना	3759·06	26·727	27-12-83
7.	तिल्लारी	8502·00	36·77	19-11-83
8.	सत्ती नदी परियोजना	2138·00	15·892	18-1-84
9.	बेम्बला नदी परियोजना	5075·289	40·170	9-3-84

1	2	3	4	5
10.	जंगमहट्टी (लिफ्ट सिंचाई)	345.41	2.700	3-12-81
11.	वाम तट नहर (भूतपूर्व गिरना बांध)	734.878	22.360	11-6-82
12.	मोर्ना	730.52	3.806	28-5-83
13.	चिम्बोदा	1656.07	3.840	24-6-83
14.	सोम्बर कुंड	1156.74	2.528	24-6-83
15.	उत्तरी मंड	530.17	4.587	जुलाई, 1983
16.	तेराली	1103.77	8.757	जून, 1983
17.	कटंगी	200.712	2.271	30-8-81
18.	चारगढ़	280.810	2.755	20-10-83
19.	नींबूघाट	177.00	2.35	13-3-84
	मणिपुर			
1.	तिपाईमुख बहूद्देशीय परियोजना	94500.00	412 मैगावाट एवं बाढ़ नियंत्रण	25-12-83
	उड़ीसा			
1.	समकोई सिंचाई	2635.24	37.50	16-1-79
2.	सुबर्णरेखा सिंचाई	22167.79	166.82	17-5-78
3.	देव सिंचाई	1945.20	15.646	31-3-82
4.	तितिलगढ़ सिंचाई	407.43	2.95	5-6-82
5.	बाघलती	1737.44	3.675	7-7-81
6.	महानदी चटरोपाला	1946.13	26.849	10-12-82
7.	तेलेंगिरी	1864.747	11.900	9-3-84
8.	कुटुलीसोंगा	788.440	3.640	9-3-84
9.	रुकुरा	847.00	8.303	12-3-84

1	2	3	4	5
	पंजाब			
1.	सतलुज यमुना लिंक नहर भाग-एक	21800.00	हरियाणा के लिए जल पहुंचाती है ।	19-7-82
	राजस्थान			
1.	कोटा बराज का उत्थान	91.00	चम्बल चरण एक और दो के अधीन	12-2-82
2.	गरारडा सिंचाई	1021.60	9.805	8-6-81
3.	सुकली सिंचाई	548.75	3.84	24-8-81
4.	बर्नी सिंचाई	525.38	4.608	19-6-81
5.	लहोसी सिंचाई	544.86	5.755	15-1-82
6.	बाथली सिंचाई	525.40	4.316	10-5.82
	उत्तर प्रदेश			
1.	कन्हार सिंचाई	8946 93	33.128	8-10-73
2.	मौदहा बांध	2675.40	27.70	27-8-79
3.	कोटलीभाल बांध	118600.00	395.00 (1000 मैगावाट)	अगस्त, 1983
	पश्चिम बंगाल			
1.	अपर कंग्साबती	4384.00	59.115	24-2-76
2.	बामानगोला हबीबपुर	2162.65	31.09	28-5-80
3.	टांगों घाटी सिंचाई	1360.00	43.455	4-6-80
4.	सुबर्णरेखा बराज	15855.00	13001	6-6-81
5.	कंग्साबती जलाशय का आधुनिकीकरण	23284	367.200	26-4-83

1	2	3	4	5
7.	तीस्ता बराज दो चरण-एक का उपचरण-दो	11160.00	250.00	17.12.83
	अरुणाचल प्रदेश			
1.	सुबनसिरी बांध (ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार किया गया)	252500.00	1789 मैगावाट	5-8-83

भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता

7556. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों के लिए वर्ष-वार अदा की गई राजसहायता के सम्बंध में ब्यौरा क्या है; और

(ख) गेहूं और चावल के लेवी मूल्यों में वृद्धि द्वारा उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कुल कितनी राशि वसूल की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) भारतीय खाद्य निगम को केंद्रीय खाते में खाद्यान्नों को सम्भालने के लिए राजसहायता की दी गई कुल राशि का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	करोड़ (रुपयों में)
1. 1980-81	650
2. 1981-82	700
3. 1982-83	710
4. 1983-84	835

(ख) चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में समय समय पर संशोधन किया गया है। 1980-81 से 1983-84 तक की अवधि के दौरान निर्गम मूल्यों में संशोधन करने के परिणाम स्वरूप वर्ष-वार प्राप्त अनुमानित अतिरिक्त राशि इस प्रकार बताई गई है :—

वर्ष	रुपये/करोड़	
	गेहूं	चावल
1980-81	—	19.56
1981-82	—	19.94
1982-83	112.23	35.92
1983-84	130.99	22.32

वंसधारा नदी में गाद का जमा होना

7557. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980 में वंसधारा नदी में आई बाढ़ के बाद विभिन्न स्थानों में विशेषकर उड़ीसा में गुणुपुर टाऊन के पास और आन्ध्र प्रदेश में नेरादी बैरेज के पास बीच नदी तल में गाद जमा हो गई है;

(ख) क्या उड़ीसा और आन्ध्र सरकारों ने गाद की ऊंचाई के आधार पर परियोजना को संशोधित करने के लिए गाद की ऊंचाई नापी है;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न स्थानों पर विशेषकर गुणुपुर और नेरादी बैरेज के पास गाद की ऊंचाई कितनी है; और

(घ) क्या नदी को गहरा करने के लिए उड़ीसा में गुणुपुर टाऊन के पास नदी तल में गाद को निकालने और टाऊन की सुरक्षा के लिए नदी का मार्ग बदलने का कोई प्रस्ताव है तथा गाद की ऊंचाई के आधार पर बैरेज की ऊंचाई कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) 1980 मे वम्सधारा नदी में भारी बाढ़ आई थी तथा अनेकों पहुंचों (रीचेज) में नदी तल में अभिवृद्धि हुई। बेसिन की बाढ़ समस्या को हल करने के लिए उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश की सरकारो ने यह तय किया था कि साझी सीमाक्षेत्र के लिए तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य हल निकालने के वास्ते एक संयुक्त सर्वेक्षण किया जाए।

सदस्य (जल संसाधन), केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जनवरी, 1984 में आयोजित एक अन्तर्राज्यीय बैठक में नेरादी बराज के बाढ़ जल विज्ञान पर विचार-विमर्श किया गया था। जनवरी, 1984 में नेरादी-गुनुपुर पहुंच का संयुक्त रूप से निरीक्षण भी किया गया था और

सम्बन्धित राज्यों तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा आगे के सर्वेक्षण अध्ययन इत्यादि का कार्यक्रम तय किया गया था।

(घ) गुनुपुर के निकट नदी तल से गाद निकालने या टाउन की सुरक्षा के लिए नदी का मार्ग बदलने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजनाओं के लिए गुजरात को धनराशि देना

7558. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजनाओं के लिए धनराशि देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों, विशेष कर देश के गामीण क्षेत्रों में, आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार की नीति क्या है;

(घ) इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी गई है; और

(ङ) इस योजना के क्रिन्वान्वयन के लिए वर्ष 1984-85 के लिए क्या प्रावधान किया गया है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) आवास राज्य का विषय होने के कारण सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। केन्द्रीय सहायता समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी योजना से सम्बन्धित नहीं होती है।

1983-84 (फरवरी-1984 तक) के दौरान प्रत्येक राज्य का निष्पादन संलग्न है।

(ङ) ग्रामीण गृह स्थत व निर्माण सहायता के अन्तर्गत भूमिहीन श्रमिकों के वर्ष 1984-85 के लिए प्रावधानों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपलब्धियां	
	आवास स्थल	निर्माण सहायता
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	239634	61584
2. असम	24369	—
3. बिहार	13890	—
4. गुजरात	84867	43290
5. हरियाणा	50143	735
6. हिमाचल प्रदेश	—	—
7. जम्मू तथा कश्मीर	261	140
8. कर्नाटक	68289	47645
9. केरल	4181	1238
10. मध्य प्रदेश	38076	34492
11. महाराष्ट्र	11230	14685
12. मणिपुर	यह योजना चालू नहीं है।	
13. मेघालय	यह योजना चालू नहीं है।	
14. नागालैण्ड	यह योजना चालू नहीं है।	
15. उड़ीसा	42230	3516
16. पंजाब		414
17. सिक्किम	कोई योजना चालू नहीं है।	
18. राजस्थान	61398	27203
19. तमिलनाडु	196687	24704*

1	2	3
20. त्रिपुरा	7848	2797
21. उत्तर प्रदेश	71138	10640
22. पश्चिम बंगाल	16058	10760
संघ राज्य क्षेत्र		
1. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1726	41
2. अरुणाचल प्रदेश	यह योजना चालू नहीं है।	
3. चण्डीगढ़	प्रगति पर्याप्त नहीं है।	
4. दादर तथा नगर हवेली	44	314
5. दिल्ली	2986	शून्य
6. गोवा, दमण तथा दीव	333	450
7. लक्षद्वीप	यह योजना चालू नहीं है।	
8. मिजोरम	यह योजना चालू नहीं है।	
9. पाण्डिचेरी	1175*	1621
योग	936463	286269

*राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र पर आधारित

बेलारी और बीजापुर में केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान की गतिविधियां

7559. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण में बेलारी और बीजापुर में केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान की विस्तार गतिविधियों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिण भारत के गडरियों के हितों के संवर्धन हेतु सरकार के कार्यक्रम के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भेड़ प्रजनन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के माध्यम से दक्षिण भारत में आन्ध्र प्रदेश राज्य में मटन तथा तमिलनाडु में उम्दा किस्म की ऊन के लिए भेड़ पालकों के हितों को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसन्धान संस्थान का एक दक्षिणी क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्र मन्नावनूर, कोडाई पहाड़ियां, तमिलनाडु में 1967 से स्थित है जो दोहरे कार्यों के लिए भेड़ प्रजनन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसन्धान करता है जिसमें कोरीएडल का कोयम्बटूर के साथ संकर प्रजनन भी शामिल है। आगे, तमिलनाडु राज्य में छठी पंचवर्षीय योजना में परिचालन के लिए भेड़ प्रजनन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान प्रायोजना का एक अनुसन्धान एकक मटन के लिए स्वीकृत किया गया है। छठी योजना की मध्यावधि मूल्यांकन में यह निर्णय किया गया था कि दक्षिण में केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसन्धान संस्थान का एक अन्य केन्द्र स्थापित किया जाय जिसके लिए विशेष स्थान का अभी निर्णय लिया जाना है तथा परिषद द्वारा स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया गया है।

होली के अवसर पर खाद्य वस्तुओं का विशेष कोटा

7560. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने होली के अवसर पर दिल्ली तथा अन्य राज्यों के लिए आटा, चावल, चीनी, मैदा आदि का विशेष कोटा आवंटित किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त कोटे का राज्यवार क्या ब्यौरा है; और

(ग) क्या सभी राज्यों ने इस कोटे का उपयोग किया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

छोटे किसानों के लाभ के लिए योजनाओं का अध्ययन

7561. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा छोटे किसानों के लिए चलाई गई योजनाओं के परिणामस्वरूप

उनको हुए लाभों का कोई अध्ययन अथवा विश्लेषण कराया गया है, यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्य-निष्पादन में त्रुटियां यदि कोई पाई गई हैं, तो वे क्या हैं; और

(ग) त्रुटियों को दूर करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) योजना आयोग द्वारा 1974-75 में छोटे किसानों की विकास एजेंसियों और सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों की एजेंसियों से सम्बन्धित योजना के मूल्यांकन करने का अध्ययन शुरू किया गया था। इस अध्ययन में 17 राज्यों में स्थिति छोटे किसानों की 21 विकास एजेंसियां और इतने ही राज्यों की सीमान्त और खेतिहर मजदूरों की 13 एजेंसियां शामिल थीं।

(ख) कुछ प्रमुख कमियां जो सामने आयीं, निम्नलिखित थीं :—

(1) पर्याप्त ऋण सुविधाओं का उपलब्ध न होना।

(2) किसानों में कार्यक्रम के प्रचार और प्रसार का अभाव।

(3) यथा अपेक्षित समय पर आवश्यकतानुसार मात्रा में आदानों का उपलब्ध न होना।

(4) लघु सिंचाई कार्यक्रमों में भागीदारी की कम दर।

(ग) छोटे और सीमान्त किसानों की अत्पादकता और फार्म-आय में वृद्धि करने के लिए, छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता हेतु 1983-84 में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत लघु सिंचाई कार्यों, फलों और ईंधन के वृक्ष लगाने, भूमि विकास और तिलहन और दलहन उत्पादन के लिए छोटे और सीमान्त किसानों में बीजों और उर्वरकों के मिनीकिटों के वितरण हेतु राजसहायता प्रदान की जा रही है।

दिल्ली दुग्ध योजना के उत्पादों के मूल्य में वृद्धि

7562. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने हाल ही में मक्खन के दाम बढ़ाए थे;

(ख) यदि हां, तो मक्खन के मूल्य में कितनी वृद्धि की गई थी;

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण थे और इसका क्या औचित्य था;

(घ) क्या निकट भविष्य में दिल्ली दुग्ध योजना के दूध का मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। मक्खन का विक्रय मूल्य 2.1.1984 से संशोधित किया गया है।

(ख) विभिन्न पैकों में मक्खन के मूल्य में हुई वृद्धि नीचे दी गई है :

किस्म तथा पैकेट	वृद्धि (प्रति पैकेट रुपयों में)
नमकीन टेबुल मक्खन	
25 ग्राम	0.10
100 ग्राम	0.4
250 ग्राम	1.00
500 ग्राम	2.00
सफेद मक्खन	
250 ग्राम	1.00
500 ग्राम	2.00

(ग) मक्खन के विक्रय मूल्य में वृद्धि होने का मुख्य कारण ताजे दूध के क्रय-मूल्य में वृद्धि होना है।

(घ) तथा (ङ) इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

यमुना-पार क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण की बस्तियों से विकास प्रभार

7563. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटपड़गंज कम्पलेक्स, पूर्वी विनोद नगर और पश्चिमी विनोद नगर की नियमित बस्तियों के निवासियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण को कितना विकास प्रभार देना होगा जिससे कि प्राधिकरण विकास कार्य शुद्ध कर सके; और

(ख) विकास प्रभारों की प्राप्ति हो जाने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किस प्रकार का विकास कार्य किया जाएगा ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विकास प्रभार दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित किए जाने हैं। तथापि, दिल्ली प्रशासन के आदेशों की प्रत्याशा में इन कालोनियों के विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाट के क्षेत्र के लिए 95 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से विकास प्रभार वसूल किया जा रहा है।

(ख) विकास प्रभारों के प्राप्त हो जाने के पश्चात जल पूर्ति, गत निर्यास, सड़कों और फुटपाथों का निर्माण, बरसाती पानी की नालियां आदि सभी विकास कार्यों को आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है।

"स्टैप्स टू एंड मिसयूज आफ आई० आर० डी० पी० सबसिडी अर्ज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

7564. **श्री अटल विहारी वाजपेयी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 10 फरवरी, 1984 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "स्टैप्स टू एंड मिसयूज आफ आई० आर० डी० पी० सबसिडी अर्ज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है;

(ख) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को राज सहायता रोक कर उस राशि को बैंक में जमा करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि उसको अथवा उसके ब्याज को लाभार्थियों को दिए गए बैंक ऋणों की किश्तों की अदायगी के लिए उपयोग किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसका अर्थ राज सहायता की राशि का उसका लाभ तथा उसकी क्रय शक्ति का फायदा लाभार्थियों को प्राप्त हुए बिना चलन में न आना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए ऋणों की वसूली कम होती जा रही है और साथ ही समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आरम्भ की जा रही परियोजनाएं घटिया किस्म की होने के कारण ऋणों की अदायगी की क्षमता उत्पन्न नहीं हो रही है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) आर्थिक सहायता के दुरुपयोग को कम करने हेतु प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ परिवर्तनों की छानबीन की जा रही है। एक सुझाव शिक्षित बेरोजगारों के लिए घोषित सहायता की पद्धति को अपनाने की संभाववा से सम्बन्धित है जिसका इस मंत्रालय में परीक्षण किया जा रहा है। इस पद्धति के अनुसार आर्थिक-सहायता को लाभभोगियों को प्राप्त होने वाले ब्याज सहित बैंक में जमा किया जाता है तथा जब वसूली की किस्तें देय होती हैं तो उनमें समायोजित कर दिया जाता है।

(ग) जी नहीं।

अब भी, आर्थिक सहायता का उपयोग ऋण का समायोजन करने में किया जा रहा है। प्रस्तावित प्रक्रिया के अनुसार यह समायोजन ऋण की अवधि के अन्त में किया जाएगा। ऐसी कोई मूल्यांकन रिपोर्ट नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं की क्वालिटी अच्छी नहीं है और इनसे ऋणों की अदायगी की क्षमता पैदा नहीं हो रही है।

पोलो-खेल

7565. **श्री विश्वासम फुलबारिया** : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुगल काल का प्रसिद्ध पोलो-खेल धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस खेल के संवर्धन हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : खेल विषय को बढ़ावा देने के लिए, विशेष योजनायें सम्बन्धित खेल संघ द्वारा तैयार की जाती है। यद्यपि पोलो को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पोलो एसोसिएशन से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी विभिन्न सरकारी प्रयोजनाओं के लाभ भारतीय पोलो एसोसिएशन के लिए भी उतने ही अनुमत्य है जितने कि अन्य खेल संघों के लिए है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रामकृष्ण पुरम में धार्मिक भूमि का वाणिज्यिक परिसर के रूप में उपयोग करना

7566. **श्री रशीद मशूद** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रामकृष्ण पुरम में धार्मिक संस्थाओं को धार्मिक उद्देश्यों के लिए आवंटित भूमि के प्रमुख भाग का भूमि और विकास कार्यालय के साथ हुए समझौते के नियम और शर्तों का उल्लंघन करके वाणिज्यिक परिसर के रूप में उपयोग किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में पिछले पांच वर्षों के दौरान धार्मिक संस्थाओं/स्थानीय संगठनों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और धार्मिक उद्देश्यों के लिए भूमि को वाणिज्यिक परिसर में बदले जाने के क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केवल 0.7 एकड़ नाप के एक छोटे से भाग का उपयोग किया था जो कि किसी भी धार्मिक संस्था का हिस्सा नहीं है और जिसे रामकृष्ण पुरम क्षेत्र में दुकानदारों/सेना कार्मिकों के लिए उद्दिष्ट किया गया है। स्थल पर इस निर्माण के विरुद्ध दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

सनलाइट कालोनी में निम्न आय वर्ग के फ्लैटों में पेय जल का कम दबाव

दलबीर
बलवीर

7567. **श्री बलवीर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेयजल के कम दबाव के कारण सनलाइट कालोनी में डी० डी० ए० (एल० आई० जी०) फ्लैट्स के प्रथम तल के निवासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या इन "फ्लैटों" के अनेक निवासी प्रथम तल पर पानी उपलब्ध करने के लिए मोटर पम्पों/बूस्टरों का उपयोग कर रहे हैं;

(ग) क्या रिहायशी क्षेत्र में मोटर पम्पों/बूस्टरों का उपयोग करना नियमों का उल्लंघन है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का मोटर पम्पों/बूस्टरों का उपयोग करने वाले निवासियों के विरुद्ध कार्यवाही करने और उक्त कालोनी में पेयजल का दबाव बढ़ाने का विचार है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली जलपूर्ति एवं गत व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि सनलाइट कालोनी के निम्न आय वर्ग फ्लैटों के प्रथम तल के निवासियों के लिए सुबह व शाम दोनों समय लगभग डेढ़ घण्टे की अवधि के लिए पानी उपलब्ध है।

(ख) तथा (ग) संस्थान के अनुसार, पालिका की मुख्य लाइन पर सीधे ही बूस्टर पम्प लगाना नियमों का उल्लंघन है। तथापि, बूस्टर पम्प भू-गत टैंकों में लगाए जा सकते हैं, जहां ऐसे टैंक अनुमेय हैं। संस्थान ने सूचित किया है कि म्यूनिसिपल मेन पर बूस्टर पम्प लगाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(घ) संस्थान ने सूचित किया है कि जब कभी भी अनेक स्टॉफ द्वारा या कालोनियों के निवासियों द्वारा उनके ध्यान में यह बात लाई जाती है तो मुख्य लाइनों पर सीधे ही तने बूस्टर पम्पों को हटाने की कार्यवाही की जाती है। इस संस्थान ने सूचित किया है कि सनलाइट कालोनी तथा इसके समीपस्थ क्षेत्रों में जल सप्लाई में सुधार लाने का कार्य तीन महीने की अवधि में पूर्ण हो जाने की आशा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की "डीम्ड यूनिवर्सिटी"

7568. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की "डीम्स यूनिवर्सिटी" के बारे में 19 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3685 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान की "डीम्ड यूनिवर्सिटी" के लिखित संविधान का ब्यौरा क्या है, जिसके अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक और शैक्षिक परिषद को उपाधियां देने की शक्ति दी गई है जैसा कि सभी अन्य यूनिवर्सिटियों के लिए प्रावधान है;

(ख) किन प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का निदेशक, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में कतिपय एस-3 वैज्ञानिकों को चयन किए बिना प्रोफेसर नामित करने के लिए सक्षम है और किस प्राधिकार के अंतर्गत उसको यह अधिकार दिए गए हैं; और

(ग) इन वैज्ञानिकों को 4-7 वर्षों अथवा इससे भी अधिक अवधि तक प्रोफेसरों के रूप में कार्य जारी रखने का औचित्य क्या है जबकि इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 22-8-1958 की अधिसूचना संख्या एफ० 24-44/58-यू-5 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। दिनांक 22-8-1958 की अधिसूचना से पठित, इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान को अपनी डिग्री देने का अधिकार दिया गया है।

(ख) और (ग) संस्थान के अध्यक्ष होने के नाते निदेशक अपने अन्तर्गत कार्य कर रहे वैज्ञानिकों को विशेष ड्यूटी सौंपने तथा उपयुक्त एस-3 वैज्ञानिक को प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करने में सक्षम है। आमतौर पर प्रभागाध्यक्ष के बाद सबसे वरिष्ठ एस-3 वैज्ञानिक को प्रोफेसर नियुक्त किया जाता है। प्रभागों में जहां कृषि अनुसंधान सेवा के शुरू होने से पहले अध्यक्षों तथा/या प्रोफेसर को भर्ती किया गया था या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभागाध्यक्ष को तीन वर्ष

की दूसरी सेवा अवधि दी जाती है तो अगला सबसे वरिष्ठ वैज्ञानिक एस-3 प्रोफेसर के पद पर बना रहेगा।

सरकारी कर्मचारियों को एक ही समय में दो स्रोतों से गृह निर्माण ऋण

7569. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** सरकारी कर्मचारियों को एक समय में दो स्रोतों से गृह निर्माण ऋण के बारे में 19 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3705 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी किया गया 22 फरवरी, 1983 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-15(3)/78-डब्ल्यू० आई० पी० देखा है, जिसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि थल सेना, नौ सेना और वायु सेना ग्रुप बीमा योजना के आधार पर रक्षा कर्मचारी उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के विस्तार क्षेत्र में आते हैं जिसके परिणाम-स्वरूप आवास वित्तीय विकास निगम, नई दिल्ली रक्षा कर्मचारियों के आवेदन स्वीकार नहीं करता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त ज्ञापन में संशोधन करने का तथा आवास वित्तीय विकास निगम को रक्षा कर्मचारियों से ऋणों के आवेदन स्वीकार करने के निर्देश देने का है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की ग्रुप बीमा योजना जो 1-1-1982 से लागू हुई थी, थल सेना, नौ सेना और वायु सेना जितनी पहले से ही अपनी अलग योजना है, के सदस्यों को छोड़कर सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को लागू है। उपर्युक्त स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए, उक्त कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बोडेला में ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को दी गई भूमि का विकास

7570. **श्री ईरा अनबारासु :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1979-80 में पंजीकृत की गई 21 सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को पश्चिमी दिल्ली में बोडेला (चरण-II) में आबंटित की गई भूमि के विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है यद्यपि उन्हें भूमि का कब्जा दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा विकास कार्य, अर्थात सड़कों का निर्माण, मल व्ययन और पानी की लाइन डालना आदि, के कब तक पूरा होने की आशा है;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) क्षेत्र का विकास कार्य अभी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आरम्भ किया जाना है।

(ख) क्षेत्र के लिए परिधीय सेवाओं के लिए योजनायें अभी दिल्ली विकास प्राधिकरण में तैयार की जा रही हैं। दिल्ली नगर निगम का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात इन योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए आरम्भ किया जाएगा। निधियों की उपलब्धता पर इन योजनाओं के पूर्ण होने में दो वर्ष का समय लगेगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय के लिए दी गई सहायता

7571. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए सहायता संबंधी कितनी धनराशि प्रदान की है;

(ख) इस समय कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1980 से अब तक दी गई सहायता का पूरा ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1-10-1964 को हुई थी। प्लान (पंचवर्षीय योजना) योजना "कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और विकास" के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों को उनकी स्थापना और विकास के लिए सहायता दी जाती है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना और विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो सहायता दी गयी है वह निम्न प्रकार है :

रुपये लाख में

(क) III प्लान (पंचवर्षीय योजना)	1961 से 1966	5·68
(ख) IV प्लान (पंचवर्षीय योजना)	1969 से 1974	221·97
(ग) V प्लान (पंचवर्षीय योजना)	1974 से 1978	115·04
(घ) मध्यावधि प्लान	1978 और 1980	170·00

(ख) मौजूदा समय में केवल एक ही कृषि विश्वविद्यालय अर्थात् जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है जो मध्य प्रदेश के जबलपुर नामक स्थान में स्थित है।

(ग) छठे प्लान (पंचवर्षीय योजना) (1980-85) के दौरान "कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना और विकास" योजना के अंतर्गत जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को 292-91 लाख रु० की राशि आबंटित की गयी है। इस राशि में से 1980-81 से 1983-84 की अवधि के दौरान इस विश्वविद्यालय को 251·44 लाख रु० की रकम दी गयी है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(क) 1980-81	37·91 लाख रुपये
(ख) 1981-82	65·00 लाख रुपये
(ग) 1982-83	69·00 लाख रुपये
(घ) 1983-84	79·53 लाख रुपये
कुल	251·44 लाख रुपये

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान के लिए पशुओं का आयत

7572. **श्री पीताम्बर सिंह :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अनुसंधान के लिए 1970 से भेड़/बकरी तथा अन्य छोटे पशुओं का आयात किया है और यदि हां, तो आयात किए गए प्रत्येक प्रकार के पशुओं के लिंग-वार और आयु-वार तथा वर्ष-वार संख्या क्या है और उनके लिए कितना मूल्य अदा किया तथा उन्हें कहां रखा गया तथा उनका क्या उपयोग किया गया और 1 अप्रैल, 1984 को उनके उपयोग सहित प्रत्येक प्रकार के कितने पशु विद्यमान हैं; और

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भेड़/बकरी और अन्य छोटे पशुओं का और आयात कर रहा है तथा यदि हां, तो कब तथा कैसे और प्रत्येक की प्रत्याशित लागत सहित देश-वार आयात की प्रस्तावित संख्या क्या है ?

(ग) इनके उत्पादन में किसी बड़ी उपलब्धि के बिना इस प्रकार के पशुओं के निरन्तर आयात को सरकार किस प्रकार उचित ठहराती है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के आयात और उनके उपयोग के ब्यौरे की

जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री(श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने अनुसंधान संस्थानों और भेड़ बकरी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं के अंतर्गत अनुसंधान के लिए कुछ भेड़, बकरियां और खरगोश आयात किये हैं । वर्ष 1970 से लिंग-वार और वर्ष-वार आयातित भेड़, बकरी और खरगोशों की संख्या के बारे में सूचना संलग्न विवरण I में दी गई है । ये विदेशी पशु संस्थानों की अनुसंधान प्रायोजनाओं तथा भेड़ और बकरियों पर अ० भा० स० अ० प्रा० के एककों के लिए सी० एस० डब्ल्यू० आर० आई०, एन० डी० आर० आई० और एम० पी० के० वी०, राहुरी में रखे गये और उपयोग में लाये गये । आयात की गई प्रत्येक नस्ल की उम्रवार संख्या और 1 अप्रैल, 1984 को उनकी वर्तमान संख्या के बारे में सी० एस० डब्ल्यू० आर० आई०, सी० आई० आर० जी० और एन० डी० आर० आई० से सूचना एकत्र की जा रही है और उसे बाद में लोक-सभा के पटल पर रखा जाएगा ।

(ख) जी हां, श्रीमान । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने अनुसंधान संस्थानों और भेड़ तथा बकरी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान प्रायोजनाओं के अंतर्गत अनुसन्धान कार्यक्रमों के लिए भेड़, बकरी और खरगोश आयात करने का प्रस्ताव कर रही है । प्रस्तावित आयात किए जाने वाले पशुओं की संख्या और अनुमानित लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है । उपयुक्त पशुओं को मुख्य रूप में सं० रा० अमेरिका से आयात किया जाएगा । आगे, इन पशुओं को आयात किए जाने से संबंधित विवरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) भेड़ प्रजनन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि दो नयी नस्लों नामतः अपारेल (अविवस्त्र) और बढ़िया कारपेट ऊन नस्ल अविकालीन का विकास रहा है । अविवस्त्र नस्ल से वार्षिक 2.5 कि० ग्रा० मुलायम ऊन 21 माइक्रान डायोमीटर और 4 प्र० श० मेडुलेशन वाला प्राप्त होता है । अविकालीन से वार्षिक 2.0 कि० ग्रा० ऊन 25 माइक्रान डायोमीटर और 21 प्र० श० मेडुलेशन वाला प्राप्त होता है । वस्त्र ऊन उत्पादन में सुधार और गुणवत्ता के लिए गर्म शुष्क और अद्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए प्रजनन नीति का विकास किया गया है । अ० भा० स० अ० प्रा० के अंतर्गत मांस के लिए संकर नस्ल, जिसमें स्थानीय कोर्स कारपेट ऊन नस्लों का विदेशी सूफोक और डोरसेट मांस वाली नस्लों के साथ संकरण के द्वारा, विकसित की गई है । साथ ही, गहन प्राशन प्रणाली के अंतर्गत सुधरी हुई प्राशन दक्षता और बेहतर लोथ किस्म है तथा इससे छह महीने की उम्र में 30 कि० ग्रा० जीवित भार प्राप्त होता है । यह देखा गया है कि इस संकर नस्ल में 1 कि० ग्रा० मांस स्थानीय नस्लों की तुलना में आधी कीमत पर प्राप्त होगा । चोकला और नाली रैम्बुले तथा सोवियत मैरिनो के साथ अर्द्ध संकरों से ऊन उत्पादन और गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई दिया है तथा अर्द्ध संकरों से प्रति वर्ष

2.5 मुलायम रेशा (ऊन) प्राप्त हुआ है तथा 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी वंशक्रम बढ़ाने से बहुत ही कम लाभ हुआ।

देशी कोर्स कारपेट ऊन की नस्लों के साथ कराकुल संकरों और कराकुल से स्वीकार्य गुणवत्ता वाली मेमने की खाल, शीत और गर्म मरुस्थलीय परिस्थितियों दोनों के अंतर्गत प्राप्त हुई।

खरगोशों की मांस और फर चर्म उत्पादन के लिए कई विदेशी नस्लों का आयात किया गया तथा इनसे संतोषजनक उत्पादन मिला। उत्तरी शीतोष्ण प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या के लिए इससे रोजगार के नये अवसर मिले हैं। दो नये रंगीन प्रभेद अर्थात् ब्लैक और डच फर चर्म खरगोशों के संकरण द्वारा विकसित किए गए हैं।

बीटल बकरी का उत्पादन और सन्नान नस्ल के संकरों से 342 लीटर दूध-उत्पादन मिला जबकि केवल बीटल का उत्पादन 157 लीटर है। महाराष्ट्र में भारतीय नस्ल मोहरे का स्थानीय बकरियों का अंगोरा के साथ ग्रेडिंग करके विकास किया गया है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता। संस्थानों के अनुसन्धान कार्यक्रमों की प्रगति का संस्थानों की कर्मचारी अनुसन्धान परिषदों और परिषद द्वारा गठित भा० कृ० अ० प० के बाहर के विशेषज्ञों से गठित पंचवर्षीय समीक्षा दलों द्वारा अवलोकन किया जाता है। आगे, अ० भा० स० अ० प्रा० की प्रगति की प्रायोजनाओं की वार्षिक कार्यगोष्ठियों में तथा परिषद द्वारा नियुक्त मध्यावधि समीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। इन उपर्युक्त अवलोकन एजेन्सियों द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों को संबंधित समन्वित प्रायोजनाओं की इकाइयों और संस्थानों द्वारा लागू किया जाता है। इन प्रायोजनाओं की प्रगति को प्रबोधन एजेंसियों ने संतोषजनक पाया है।

विवरण I

केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान द्वारा आयात की गई भेड़, बकरी और खरगोशों का विवरण

नस्ल	नर	मादा	तिथि/वर्ष	जिस देश से आयात हुआ	दिया गया मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
भेड़						
रसियन मेरिनो	75	150	अक्तूबर, 1971	सोवियत रूस	रु० 2,98,050	एस० टी० सी० को भुगतान किया गया
सफोक और डोरसेट	118	—	नवंबर-दिसंबर, 1973	आस्ट्रेलिया	S·A· 31,157	(सी० आई० एफ० मूल्य) नि:शुल्क भेंट
सफोक	32	25	मई, 1975	ब्रिटेन	रु० 3,92,049·40	एस० टी० सी० से
डोरसेट	—	25	मई, 1975	ब्रिटेन		
काराकुल	50	200	नवंबर, 1975	सोवियत रूस	शून्य	भारत रूस नयाचार के अंतर्गत नि:शुल्क भेंट
खरगोश						
न्यूजीलैंड व्हाइट रैबिट	10	50	मार्च, 1978	ब्रिटेन	रु० 19,705·06	एस० टी० सी० से
चिनचिला	25	100	नवंबर, 1979	सोवियत रूस	शून्य	भारत रूस नयाचार के अंतर्गत
ग्रे जेन्ट	25	100				
व्हाइट जेन्ट	25	100				
अंगोरा	12	53				

1	2	3	4	5	6	7
राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान द्वारा आयातित बकरियों का विवरण						
बकरी						
सानेन	38	—	अक्टूबर, 1972	स्विटजरलैंड	शून्य	निःशुल्क भेंट
अल्पाइन	6	12	फरबरी, 1975	स० रा० अ०	S. 5400	एस० टी० सी० से
सानेन	—	12	फरवरी, 1975	स० रा० अ०	S. 3600	एस० टी० सी० से

विवरण II

आयात किये जाने वाले प्रस्तावित पशुओं का विवरण

प्रकार	नस्ल	संख्या	प्रति पशु अनुमानित लागत*
भेड़	डोरसेट	70	350 डालर
	सफोक	30	
	रेम्बुले	51	
बकरी	सन्नान	31	350 डालर
	एल्पाइन	21	
	एंग्लो न्युवियन	46	
खरगोश	व्हाइट कैलीफोर्निया	50	25 डालर
	अंगोरा	50	

*परिवहन लागत के अतिरिक्त

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जारी की गई योजना-निधि

7573. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की संस्थाओं, अनुसन्धान-समन्वय परियोजनाओं के लिए, शैक्षणिक तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए 1983-84 के दौरान, 31 मार्च, 1984 तक, प्रत्येक के अंतर्गत स्वीकृति की गई, बजट में प्रावधित की गई और संशोधित अनुमानों की स्थिति में प्रस्तावित की गई धनराशि की तुलना में, कितनी योजना निधि जारी की;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में प्रस्तावित धनराशि और वास्तव में दी गई धनराशि के मध्य विसंगति होने के क्या कारण हैं;

(ग) 1984-85 के लिए योजना-बजट में क्षेत्रवार कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्रत्येक के अंतर्गत सातवीं योजना के दौरान कितनी धनराशि आबंटित करने का पूर्वानुमान किया है और उसमें क्षेत्रवार वृद्धि तथा गिरावट होने का क्या औचित्य है; और

(घ) सरकार भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के कार्यक्रमों की प्रासंगिकता और कुशलता और इसके वित्तीय कार्यों की, किस तरह निगरानी करती है और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की योजनाओं के परिचालन में सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अनुसन्धान समन्वित प्रायोजनाओं तथा शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में 1983-84 के बजट आकलन में किये गये प्रावधान, 1983-84 का अन्तिम विनियोग और मार्च, 1984 के अंत तक लगभग उपयोग को दर्शाने वाला विवरण I संलग्न है । बजट आकलन तथा संशोधित आकलन सहित फरवरी, 1984 तक अनुसन्धान संस्थानों में किये गये व्यय को भी दर्शाता है तथा संस्थानों द्वारा मार्च, 1984 के अन्त तक के अन्तिम विनियोग व्यय के आंकड़ों का अभी संकलन किया जाना है । आंकड़े सभी अस्थायी हैं क्योंकि वार्षिक लेखा का संकलन अभी किया जाना है ।

(ख) विवरण से यह देखा जा सकता है कि 1983-84 का जो अन्तिम विनियोजन है वह उपयोग के करीब-2 बराबर है ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद का 1984-85 का क्षेत्रवार योजना बजट विवरण II में दिया गया है । सातवीं योजना के लिए आबंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(घ) प्रत्येक संस्थान में किये जा रहे कार्य की उसकी प्रबन्ध समितियों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा उसके बाद प्रत्येक संस्थान तथा समन्वित प्रायोजना के लिए स्थापित पंचवर्षीय समीक्षा दलों द्वारा उसकी व्यापक समीक्षा की जाती है । पंचवर्षीय समीक्षा दलों की सिफारिशों पर मुख्यालय में विचार किया जाता है तथा उनकी जांच की जाती है एवं इन संस्थानों/केन्द्रों की गतिविधियों को सही दिशा प्रदान करने और पैदा होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके कार्यक्रमों को फिर अनुकूल बनाने के लिए अनुवर्त्ती कार्यवाही का कार्यक्रम तैयार किया जाता है ।

विवरण I

(रुपये लाखों में)

	बजट आकलन 1983-84	वर्ष 1983-84 के दौरान अन्तिम विनियोग	31-3-1994 तक व्यय (अस्थायी)
1. शिक्षा कार्यक्रम	1512.00	1477.00	2437.00
2. अनुसंधान प्रायोजनाएं तथा अन्य	2888.00	2389.32	2435.00
3. संस्थान	2600.00	2422.68	1530.00 (2/84 तक)
कुल :	7000.00	6289.00	

टिप्पणी : व्यय के आंकड़े अस्थायी हैं तथा उनकी लेखा परीक्षा की जानी है ।

फरवरी, 1984 तक संस्थानों के सामने केवल व्यय की गई रकम है ।

मार्च, 1984 का लेखा अभी बन्द किया जाना है तथा संस्थानों से आंकड़ों की प्रतीक्षा है ।

विवरण II

क्र० सं०	शीर्ष	(रुपये लाखों में) 1084-85 के लिए योजना बजट
1.	संस्थान	3400.00
2.	राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्र	90.00
3.	प्रायोजना निदेशालय तथा अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान प्रायोजनाएं	1497.00
4.	कृषि शिक्षा	1350.00
5.	प्रकाशन तथा मुख्यालय	23.00
6.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए प्रायोजनाएं	127.00
7.	विश्व बैंक प्रायोजनाएं	1200.00
8.	विदेश से सहायता प्राप्त प्रायोजनाएं	63.00
9.	*वर्तमान योजनाएं को सुदृढ़ करना	50.00
		कुल : 7800.00

* यह शीर्ष केवल 1984-85 योजना व्यय के लिए दिया गया है।

सड़कों और नालियों पर व्यय

7574. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल दिल्ली विकास प्राधिकरण ही उन इलाकों की सड़कों नालियों और निर्माण कार्यों पर व्यय करता है जो डी० डी० ए० के स्लम विभाग के अन्तर्गत आते हैं और जिनका पुनर्विकास डी० डी० ए० द्वारा किया गया, क्योंकि व्यय का एक भाग नगर निगम द्वारा भी वहन किया जाता है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नवी करीम, सराय रोहिल्ला और आनन्द पर्वत क्षेत्रों में किए गए निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है जिन पर डी० डी० ए० स्लम विभाग और दिल्ली नगर निगम द्वारा अलग-अलग व्यय किया गया और प्रत्येक निर्माण कार्य पर कितना व्यय हुआ ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जिन क्षेत्रों को मलिनवस्ती क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है उन क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार योजना के अन्तर्गत मलिन बस्ती विभाग नालियां, सड़कें सार्वजनिक शौचालय आदि जैसी न्यूनतम मूल-भूत सुविधाओं की व्यवस्था करता है।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि ये क्षेत्र अन्य आस-पास के क्षेत्रों के संयुक्त भाग हैं। जिनके विकास/अनुरक्षण दिल्ली नगर निगम के पास निहित हैं और वह मलिन बस्तियों के रूप में घोषित क्षेत्रों में सड़कों, फुटपाथों, मल निर्यास पद्धति तथा नाली पद्धति के दिन प्रतिदिन के छुट-पुट नवीकरण कार्यों को कर रहा है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उपर्युक्त क्षेत्रों में सेवाओं के दिन-प्रतिदिन के अनुरक्षण पर किए गए व्यय का वह अलग से कोई लेखा-जोखा नहीं रखा है।

मलिन बस्ती

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण के मलिनवस्ती विभाग द्वारा किए गए व्यय का विवरण ।

स्थान	वर्ष	पार्क	रोड	पानी की लाइन	सीवर लाइन	शौचालय ब्लाक	लाल पथरों का फुटपाथ पर विछाना तथा नालियां ।	योग
							(लाख रुपयों में)	
नबी करीम	1981-82	—	—	—	—	—	—	शून्य
	1982-83	शून्य	शून्य	0·46	0·78	0·26	0·40	1·90
	1983-84	शून्य	शून्य	शून्य	0·55	0·30	0·45	1·30
सराय रोहिल्ला	1981-82	0·50	—	—	शून्य	—	—	0·50
	1982-83	0·37	शून्य	शून्य	0·18	शून्य	शून्य	0·55*
	1983-84	1·68	शून्य	0·35	3·02	1·48	0·87	7·40
आनन्द पर्वत (बापा नगर)	1981-82	—	—	—	—	—	—	शून्य
	1982-83	शून्य	0·71	शून्य	शून्य	शून्य	0·44	1·15
	1983-84	0·45	0·41	0·81	३·34	शून्य	0·64	5·65

*इसके अतिरिक्त मल निर्यास नालियों बिछाने के लिए दिल्ली नगर निगम को 10 लाख रुपये दिए गए थे ।

राजस्थान में अरावली पहाड़ी क्षेत्रों में वनों का काटना

7575. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजस्थान में अरावली पहाड़ी क्षेत्रों में वनों के अंधाधुंध कटान की ओर दिलाया गया है, जिसका उल्लेख 28 फरवरी, 1984 के "स्टेट्समैन" में किया गया है, जिससे मेवाड़ रेगिस्तानी क्षेत्र में बदला जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योमेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) 1. सरकार को अरावली की पहाड़ियों में वानिकी संसाधनों के अपकर्ष के बारे में पूरी जानकारी है ।

2. भारत सरकार ने देश में वन सम्पदा को सुरक्षित रखने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 बनाया है ।

3. भारत सरकार ने सामाजिक वानिकी को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना पहले ही शुरू कर दी है । इसके अन्तर्गत अरावली की पहाड़ियों वाले राजस्थान के 10 चुनींदा जिलों में ग्रामीण जलावन की लकड़ी के लिए वृक्षारोपण भी शामिल है, जहां चिरकाल से जलावन की लकड़ी की कमी है ।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने भी स्थिति का सामना करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) वन तथा पंचायत की भूमि में ग्रामीण जलावन की लकड़ी तथा चारे का रोपण ।

(2) सरकारी भूमि (वन तथा गैर वन) गांव की भूमि तथा कृषि भूमि पर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम ।

(3) नये 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों (अर्थात् ग्रामवासियों, संस्थानों के लिए जैव-गैस, तथा जलावन की लकड़ी के लिए पौधों के लिए प्रोत्साहन तथा निःशुल्क वितरण) का प्रचार-प्रसार ।

(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के प्रत्यक्ष लाभानुभोगियों का पता लगाना तथा उनकी आर्थिक बेहतरी के लिए वन विकास में उन्हें भागीदार बनाना ।

(5) आदिवासी उप-योजना क्षेत्र कार्यक्रम आदिवासी सहकारी संघ के तहत विशेष परियोजना (लघु वन उत्पादों का संचयन तथा विकास) और

(6) नियमित रूप से वनों की गश्त लगाने के लिए उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा चित्तौड़गढ़ में जांच करने वाली चार पार्टियों को लगा करके वन संरक्षण का सुदृढ़िकरण।

देश में वनों की कटाई

7576. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि देश में बड़े पैमाने पर वनों को काटे जाने के कारण पारिस्थितिक व्यवस्था बदल रही है;

(ख) क्या वनों सम्बन्धी केन्द्रीय कानून ने इस क्षेत्र में कोई प्रभाव डाला है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) किन किन राज्यों में वनों का काटा जाना चौंका देने वाली स्थिति तक पहुंच गया है; और

(ङ) सरकार का विचार इस स्थिति से किस तरह निपटने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से वन कटाई की गति कारगर ढंग से नियंत्रित की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वन-कटाई नहीं हुई है।

(ङ) सरकार ने परिस्थितियों का सामना करने के लिए वन-रोपण तथा मृदा संरक्षण के निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) नदी घाटी परियोजना के स्रवण-क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।

(2) बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध।

(3) हिमालय क्षेत्र में मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण।

(4) भूमि उपयोग की उन्नत पद्धतियों को अपनाना ।

(5) उत्तर प्रदेश में हिमालय पनधारा प्रबन्ध परियोजना ।

(6) ग्रामीण जलावन लकड़ी के लिए वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी ।

राहुरी में पशु अनुसंधान परियोजनाओं का कार्यकरण

7577. **श्री राम किंकर :**
श्री विजय कुमार यादव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राहुरी में लम्बे अर्से से चल रही कुछ पशु अनुसन्धान परियोजनाओं का कार्यकरण बहुत धीमा और विकृत है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978-79 से 1983-84 तक प्रत्येक परियोजना के खर्च आमदनी का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राहुरी कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के शासकीय निकाय के सदस्य हैं और उन्होंने अभी हाल में पशुपालन विभाग में कर्मचारियों में भारी परिवर्तन किए हैं जिसके कारण कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार क्या उपचारात्मक उपाय करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान । अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान प्रयोजनाओं की तकनीकी प्रगति को परिषद द्वारा नियुक्त प्रायोजनाओं की वार्षिक कार्यशालाओं और प्रायोजनाओं की मध्यावधि समीक्षा समिति के माध्यम से प्रबोधन किया जाता है । राहुरी में गोपशु, भेड़ और बकरियों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान प्रायोजना की इकाइयों की तकनीकी प्रगति को प्रबोधन एजेंसियों द्वारा सन्तोषजनक पाया गया है ।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को विश्वविद्यालय से कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष की कोई सूचना नहीं मिली है । तथापि, महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय राहुरी के कुलपति को सलाह दी गई है कि तकनीकी कार्यक्रम के सभल कार्योन्वयन की दृष्टि से विश्वविद्यालय में रखी गयी अलग-अलग पशुधन प्रजातियों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान प्रायोजनाओं के कर्मचारियों में कम से कम आवश्यक परिवर्तन किए जायें ।

दिल्ली में सुपर बाज़ार की कुल बिक्री

7578. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सुपर बाजार की इस वर्ष और पिछले दो वर्षों की कुल बिक्री कितनी थी ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में, प्रति वर्ष अलग-अलग इसको कितना मुनाफा हुआ;

(ग) 31 दिसम्बर, 1983 तक विभिन्न पार्टियों से सुपर बाजार को कितनी धनराशि वसूली करनी बकाया थी;

(घ) उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिनकी ओर से एक लाख रुपए से अधिक की धनराशि बकाया है; और

(ङ) इन धनराशियों को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) दिल्ली सुपर बाजार की कुल बिक्री इस प्रकार है :—

1981-82	23.93 करोड़ रुपये
1982-83	29.01 करोड़ रुपये
1983-84 (जून , 1983 से मार्च, 1984 तक 9 महीनों की)	30.20 करोड़ रुपये

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान हुआ लाभ इस प्रकार है :—

	(लाख रुपए में)
1980-81	4.45
1981-82	19.19
1982-83	34.50 (लेखा परीक्षा किए जाने तक अनन्तिम)

(ग) सुपर बाजार केवल सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थाओं को उधार की सुविधाएं प्रदान करता है । 31-12-1983 को लगभग 96 लाख रुपये की राशि वसूल करने के लिए रह गई थी ।

(घ) एक सूची संलग्न है ।

(ङ) देयों की वसूली पर सतत निगरानी रखी जाती है। सम्बन्धित उधार लेने वाली पार्टियों को स्मरण पत्र भेजे जाते हैं और उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क भी किया जाता है। यदि किसी पार्टी ने निर्धारित समय पर भुगतान नहीं किया है तो उसे भविष्य में माल उधार नहीं दिया जाता है।

विवरण

31-12-1984 को जिन पार्टियों पर एक लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया देय है, उनके नाम

क्र० सं०	पार्टी का नाम	राशि
1	2	3
1.	समन्वित बाल विकास योजना, तीस हजारी, दिल्ली	1,10,372.60
2.	आब्जरवेशन होम फार ब्वायज फिरोजशाह कोटला, नई दिल्ली।	1,00,411.82
3.	जी० बी० पन्त अस्पताल, नई दिल्ली	1,05,170.83
4.	डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	8,01,692.16
5.	राजकीय बाल अन्ध विद्यालय, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली	1,01,741.22
6.	आफिसर इन्चार्ज मैस एसोसिएशन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।	3,10,504.69
7.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	1,06,551.67
8.	होम फार लिप्रोसी एंड टी० बी० एफेक्टिड बैगर्स, ताहिरपुर, दिल्ली।	3,30,242.20
9.	रिहेबिलिटेशन सेन्टर फार लैपर्स, ताहिरपुर, दिल्ली	2,11,762.85
10.	समन्वित बाल विकास योजना संख्या 8	2,97,803.91
11.	चिल्ड्रन होम फार गर्ल्स, मैगजीन रोड, दिल्ली।	1,12,133.46
12.	होम फार ब्वायज, मैगजीन रोड, दिल्ली	1,01,403.11

1	2	3
13.	पूअर हाऊस, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली	2,96,237·71
14.	बैगर होम नं० 1, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली	1,30,294.38
15.	होम फार मेल बैगर (एबल एंड डिस्केयर्ड) किंग्जवे कैम्प, दिल्ली	1,89,966·92
16.	समन्वित बाल विकास योजना, मंगोलपुरी	3,00,875·20
17.	होम फार ओल्ड एंड इन्फर्मड बैगर्स, नरेला, दिल्ली	1,33,297·30
18.	चिल्ड्रन होम फार ब्वायज II, अलीपुर, दिल्ली	2,99,859·50
19.	चिल्ड्रन होम फार बैगर्स ब्वायज, नरेला, दिल्ली	1,45,508·71
20.	चिल्ड्रन होम फार ब्वायज I, अलीपुर, दिल्ली	6,25,387·25
21.	समन्वित बाल विकास योजना, जहांगीरपुरी दिल्ली	1,50,286·13
22.	होम फार एबल एंड डिसएबल बैगर्स, नरेला, दिल्ली	1,44,015·53
23.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, निर्माण भवन, नई दिल्ली ।	27,01,000·00
		77,97,519·05

"भगीरथ" के कर्मचारियों को केन्द्रीय सूचना संवर्ग में सम्मिलित करना

7579. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "भगीरथ" और सहयोगी प्रकाशनों और अन्य प्रचार साहित्य के प्रकाशन का कार्य करने वाले कर्मचारियों को केन्द्रीय सूचना संवर्ग में सम्मिलित करने का निर्णय ले लिए जाने के बावजूद ऐसा न करने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे; और

(ख) इन पत्रिकाओं के सम्पादकीय कर्मचारियों को केन्द्रीय सूचना संवर्ग में सम्मिलित करने के लिए कार्यवाही कब तक की जाएगी और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) भगीरथ

पत्रिकाओं इत्यादि के लिए संस्वीकृति विभिन्न पदों को, केन्द्रीय सूचना सेवा संवर्ग में शामिल करने का प्रश्न मन्त्रालय में विचाराधीन है। संवर्ग में शामिल करने से सम्बन्धित सभी पहलुओं की विस्तृत जांच की जा रही है। तथापि, मन्त्रालय द्वारा इस मामले पर निर्णय ले लिए जाने की निश्चित तारीख बता पाना संभव नहीं है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत खर्च की गई धनराशि

7580. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 के दौरान असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और वर्ष 1984-85 में कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछड़ेपन पर विचार करते हुए इसे कोई विशेष सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) वर्ष 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत असम तथा अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 1984-85 के दौरान प्रस्तावित आबंटन तथा वर्ष 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए निधियों के कुल उपयोग को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का कार्यान्वयन अभी हाल ही में शुरू किया गया है तथा वर्ष 1983-84 के दौरान किया गया व्यय अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता का आबंटन एक निर्धारित मानदण्ड के आधार पर किया जाता है जिसके खेतिहर मजदूरों तथा सीमान्त कृषकों की संख्या पर 75 प्रतिशत बल तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में गरीबी के प्रभाव को 25 प्रतिशत महत्व दिया जाता है।

विवरण

असम तथा अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1984-85 के दौरान प्रस्तावित आबंटन और 1883-84 के दौरान निधियों के कुल उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्य केन्द्र शासित क्षेत्र	वर्ष 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित आबंटन	वर्ष 1984-85 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित आबंटन	वर्ष 1083-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग में लाई गई निधियां	अवधि जिससे कालम-5 की सूचना संबंधित है।
1	2	3	4	5	6
1.	असम	498·00	1080·00	293·57	जनवरी, 1984
2.	मणिपुर	25·00	55·00	21·19	दिसम्बर, 1983
3.	मेघालय	34·00	75·00	3·31	सितम्बर, 1983
4.	नागालैंड	24·00	50·00	25·91	दिसम्बर, 1983
5.	सिक्किम	18·00	40·00	29·69	जनवरी, 1984
6.	त्रिपुरा	76·00	165·00	85·64	जनवरी, 1984
7.	अरुणाचल प्रदेश	36·00	40·00	35·46	जनवरी, 1984
8.	मिजोरम	36·00	40·00	7·50	सितम्बर, 1983

डी० आई० जैड क्षेत्र में गन्दगी की स्थिति

7581. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डी० आई० जैड० क्षेत्र में टाइप-I क्वार्टरों में दूसरे तल की बालकानी से बरसात का फालतू पानी या तो भू-तल पर स्थित क्वार्टरों में चला जाता है या भू-तल पर स्थित क्वार्टरों के रास्ते में फैल जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में गन्दगी हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का कब तक उपचारात्मक कार्रवाई करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) डी० आई० जैड० क्षेत्र में टाइप-I क्वार्टरों की दूसरी मंजिल की बालकानियों से बरसाती पानी को नीचे बहाने के लिए अधोगामी पाइप लगा दिये गये हैं । इन पाइपों से बरसाती पानी भवनों से दूर गिरता है और सामान्य ढलान से इस क्षेत्र से बहकर समीपस्थ बरसाती पानी नालियों में चला जाता है जहां से यह पानी क्षेत्र से बाहर निकल जाता है । यह पानी भू-तल के क्वार्टरों में प्रवेश नहीं करता है इस तरह से इससे अस्वास्थ्यकर स्थिति पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्याज के लिए लाभप्रद मूल्य

श्रीमती

7582. **श्रीमति प्रमिला दंडवते** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपने महाराष्ट्र के दौरे के समय किसानों को प्याज के लिए लाभप्रद मूल्य देने का आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने प्याज उत्पादकों को किस मूल्य का आश्वासन दिया था;

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि संघ (नेफेड) ने किसानों से प्याज खरीदने से इंकार कर दिया है, जिससे प्याज के मूल्यों में अचानक गिरावट आई है तथा जिसका किसानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार प्याज उत्पादकों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) पिछले दिसम्बर में कृषि मंत्री ने महाराष्ट्र में नासिक जिले के कुछ स्थानों का दौरा किया था। उन्होंने कृषकों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के बारे में सरकार की नीति की व्याख्या की थी। मंत्री जी ने प्याज के किसी विशेष समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की थी।

(ग) तथा (घ) जी नहीं। सरकार ने निर्णय किया है कि सार्वजनिक एजेंसियां मंडियों में आएं और प्याज के लिए समर्थन मूल्य की व्यवस्था करें। तद्नुसार नेफेड बाजार में कार्य कर रही है और 11-4-84 तक 20,000 टन प्याज की खरीद कर चुकी है। स्थिति का मंत्रालय में साप्ताहिक आधार पर पुनरीक्षण किया जाता है और खरीद की मात्रा का निर्णय करके सार्वजनिक एजेंसियों को सूचित किया जाता है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण की दुकानों का आबंटन

7583. **श्री भीखाभाई** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** अनुसूचित जातियों और अनुसूजित जनजातियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण की दुकानों का आबंटन के बारे में 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 312 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित 973 दुकानों की शर्तें क्या हैं; और

(ख) 1980 से 1983 के दौरान अनूसूचित जनजातियों को उनमें से कितनी दुकानें आबंटित की गईं;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कुल 973 दुकानें आबंटित की गई हैं इनमें से 113 दुकानें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को आबंटित की गई।

अनुसूचित जाति/जनजातियों को बनी बनाई दुकानों के आबंटन की शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि बनी बनाई दुकानों के आबंटन में अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजातियों के लिए 12.8 प्रतिशत का आरक्षण रखा गया है। केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है। 973 दुकानों में से 113 दुकानें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को आबंटित की गई थी जिनका वर्षवार विवरण निम्नलिखित है :—

क्रम सं०	वर्ष	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को आबंटित दुकानों की संख्या
1.	1980-81	13
2.	1981-82	50
3.	1982-83	50

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि की बिक्री) नियमावली, 1981 के अन्तर्गत पट्टाधिकार आधार पर बनी बनायी दुकानों । स्टालों के आबंटन की शर्तें ।

I. आबंटी

1. वह कोई भी व्यक्ति जो अनुबन्ध के लिए सक्षम हो और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित हो, दुकान/स्टाल के आबंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है । उच्चतम बोलीदाता को अपने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने का प्रमाण पत्र उपायुक्त/सम्बंधित मजिस्ट्रेट से प्रस्तुत करना होगा । फर्म साझेदारी/कम्पनी के मामले में निविद्रा/नीलामी में भाग लेने वाले सभी साझेदारों तथा निदेशकों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिये और जैसे ऊपर बताया गया है उनमें से हर एक को प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

2. किसी भी परिस्थति में इच्छुक आबंटनी को नाम में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी ।

II. निविदा आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करना

1. आवेदन पत्र केवल संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा । अन्यथा प्राप्त पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

2. इसमें संलग्न सूची-I में यथा उल्लिखित विभिन्न क्षेत्रों में दुकान/स्टाल के आबंटन के लिए चिरस्थायी पट्टाधिकारों के लिए निविदायें हैं ।

3. निविदा को मोहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसके ऊपर दुकान/स्टाल के आबंटन के लिए निविदा लिखा होना चाहिये और विकास भवन 9वीं मंजिल इन्द्रप्रस्थ एस्टेट नई दिल्ली में किसी व्यक्ति को पावती प्राप्त करके सौंपा जाना चाहिये । कोई भी निविदा निम्नलिखित तिथि के बाद प्राप्त होती है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा ।

4. निविदाएं 16-2-84 को 3.00 बजे सायं तक प्राप्त की जायेंगी और 16-2-84 को 4.00 बजे सायं को खोली जायेंगी । जोकि विकास मीनार के नजदीक दिल्ली विकास प्राधिकरण के नीलामी हाल में खोली जायेंगी ।

5. सभी निविदा आवेदन पत्र ऊपर निर्धारित तारीख को इच्छुक निविदा-दाताओं की उपस्थिति में खोली जायेंगी यदि वे विकास मीनार में प्राधिकरण के कार्यालय में समय पर उपस्थित हों ।

6. निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति (यों) को यह बताना होगा कि वहां वे निम्नलिखित अधिकार में हस्ताक्षर कर रहे हैं—

(क) फर्म के एकमात्र प्रोप्राइटर या इसके अटार्नी के रूप में ।

(ख) फर्म के पंजीकृत सक्रिय साझेदार या इसके अटार्नी के रूप में ।

यदि कोई कम्पनी भारतीय साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है तो उस मामले में हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति की वह क्षमता जिसमें वह हस्ताक्षर करता है, उदाहरणार्थ प्रोपराइटर, साझेदार या अटार्नी को स्पष्ट रूप से यह बताना होगा । वे मूल दस्तावेज (एक अतिरिक्त प्रति सहित) जिनसे व्यक्ति(यों) को निविदा पर हस्ताक्षर करने तथा उसे प्रस्तुत करने के अधिकार दिए गए हैं, को जब कभी भी अपेक्षित हों, प्रस्तुत करने होंगे । साझेदारी फर्म के मामले में सभी साझेदारों के नाम निविदा प्रपत्र में उल्लिखित होने चाहियें । गैर पंजीकृत फर्म या व्यक्तियों की एसोसिएशन के मामले में उनके अटर्नियों के सभी सदस्यों को उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत होना चाहिए, वे निविदा के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करेंगे और उन सभी दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर करेंगे जो इससे सम्बन्धित हैं ।

7. इसके साथ संलग्न सूची-I में दुकान/स्टाल के आबंटन तथा पट्टाधिकारों की न्यूनतम कीमत दर्शायी गयी है ।

8. निविदा-दाता को अपनी पेशकश की राशि के 25 प्र० श० रकम नकद रूप से सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, विकास मीनार में जमा करानी होगी या डीमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से

धरोहर राशि के रूप में (दिल्ली विकास प्राधिकरण को देय) जमा करानी होगी। नकद जमा या मूल रूप से डीमाण्ड ड्राफ्ट जैसा भी मामला हो, की एक प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि वापिस कर दी जायेगी। जमा धरोहर राशि पर ब्याज के दावे पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही सफल या असफल निविदादाता को उस पर कोई ब्याज दिया जायेगा।

9. निविदादाता को उस स्रोत का भी उल्लेख करना होगा जिसके माध्यम से वह भुगतान का प्रबन्ध करता है।

III. **निविदा को स्वीकार करना तथा दुकान/स्टाल का आबंटन**

1. स्वीकार करने वाला अधिकारी (एतस्मिन पश्चात् उपाध्यक्ष द्वारा विधिवत नियुक्त कहे जाने वाला अधिकारी) को उपाध्यक्ष द्वारा पुष्टि करने की शर्त पर सामान्य रूप से उच्चतम निविदा को स्वीकार करेगा। स्वीकार करने वाला अधिकारी लिखित में दिए गए कारणों और उपाध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए कारणों से किसी भी निविदा को चाहे वह उच्चतम निविदा क्यों न हो, अस्वीकृत कर सकता है।

2. प्राधिकरण उच्चतम या किसी अन्य निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए और किसी भी निविदाकर्ता को किसी भी तरीके से उत्तर बताए बिना अस्वीकृत करने का अधिकार रखता है।

3. उपाध्यक्ष द्वारा निविदा के अनुमोदन के बाद या इसके लिए उपाध्यक्ष द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद निविदादाता को लिखित रूप में निविदा की स्वीकृति की सूचना देनी होगी और निविदादाता को पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिनों के अन्दर प्राधिकरण को शेष 75 प्र० श० राशि नकद या दिल्ली विकास प्राधिकरण के नाम बैंक ड्राफ्ट से जमा करदी होगी।

4. यदि निविदादाता प्राधिकरण को 30 दिनों के अन्दर अपनी पेशकश की शेष 75 प्र० श० की राशि देने में या निविदा की स्वीकृति देने में इस अवधि के दौरान असफल रहता है और दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि की बिक्री) नियमावली, 1981 के अनुसार अन्यथा निर्धारित तरीके से असमर्थ होता है तो आबंटन रद्द कर दिया जायेगा और धरोहर राशि जब्त कर दी जाएगी तथा दुकान को पुनः बेचने के लिए उपाध्यक्ष सक्षम होगा।

IV. **भूमि किराया**

1. दुकान के प्रीमियम के अतिरिक्त आबंटी को कब्जे लेने की तारीख से प्रतिवर्ष उसे

आबंटित दुकान के लिए .....रुपये दर के हिसाब से भूमि किराया देना होगा। आबंटी को भूमि किराया की राशि के बराबर अनुरक्षण प्रभारों को भी जमा करना होगा जब तक कि विपणन केन्द्र की सेवाएं दिल्ली नगर निगम को सौंपी जाती हैं। भूमि किराया तथा अनुरक्षण प्रभार अग्रिम में देय हैं।

2. भूमि किराया की दरें आबंटन की तारीख से 30 वर्षों की अवधि के बाद पट्टाकर्ता द्वारा यथा निर्णित दरों पर वृद्धि करने की शर्त पर होगी।

3. विलम्बित भुगतानों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण/पट्टाकर्ता समय समय पर अपने ही स्वविवेक से पट्टे के अन्तर्गत पुनः दखल के अधिकार को चुनौती के बिना प्रतिवर्ष 10 प्र० श० ब्याज या ऐसे ही अन्य दरों से वसूल कर सकता है। यह ब्याज पूरे 15 दिनों या माह के लिए जैसा भी मामला हो, पर लिया जायेगा और न कि उसके किसी गुणक के लिए।

V. पट्टा विलेख और पट्टे की अन्य शर्तें

1. पट्टे की शर्तें चिरस्थायी पट्टा विलेख के प्रपत्र में दी गई हैं। यह समझा जायेगा कि आबंटी उसमें दी गई सभी शर्तों से सहमत है। आबंटी को उस प्रपत्र में पट्टा विलेख निष्पादित करना होगा जब कभी भी उसे ऐसा करना के लिए कहा जाये।

2. कथित दुकान/स्टाल का सम्पूर्ण नियन्त्रण तथा अधीक्षण पट्टाकर्ता/दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास निहित होगा जिसके कर्मचारी कथित दुकान/स्टाल को इसके निर्धारित उपयोग के सम्बन्ध में निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

3. दुकान/स्टाल किसी मरम्मत/उत्पादन कार्य या किसी आटा चक्की, नहीं किसी अन्यरूप उपयोग जैसे कि बृहत योजना में बताया गया है, के लिए उपयोग में नहीं लायी जायेगी।

4. पट्टाधारी सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना दुकान/स्टाल के कारोबार में परिवर्तन नहीं करेंगे जो कि विपणन केन्द्र के विन्यास नक्शे में निर्धारित है।

5. दुकान/स्टाल का आबंटनी/पट्टाधारी इनके कब्जा लेने की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर व्यापार शुरू करेगा।

6. आबंटित दुकान आबंटी द्वारा केवल अपने आप ही उपयोग में लानी होगी।

7. आबंटी बिना पट्टाकर्ता/दिल्ली विकास प्राधिकरण की लिखित सहमति के बिना

दुकान/स्टाल को बेचने, अन्तरण करने या उसके किसी भाग का कब्जा देने या अन्यथा किसी भी कार्य के लिए पात्र नहीं होगा।

8. यदि सहमति दे दी जाती है तो पट्टाकर्ता/दिल्ली विकास प्राधिकरण उन शर्तों को लगा सकता है जिन्हें वह उचित समझता है। पट्टाकर्ता/दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि की लागत (अर्थात दिए गए प्रीमियम और बाजार लागत के मध्य अन्तर I का 50 प्र० श० वसूल करने का भी अधिकारी होगा। इसका हिसाब उस समय लगाया जायेगा जब दुकान/स्टाल की बिक्री, अन्तरण, अन्य कार्य या कब्जे के विलग्न होता है।

बशर्ते कि पट्टाकर्ता अर्जित वृद्धि का 50 प्र० श० काटने के बाद दुकान/स्टाल को खरीदने के पूर्वाधिकार रखता हो। तथापि, आबंटित दुकान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं की जाएगी।

9. तथापि, आबंटी पट्टाकर्ता की लिखित पूर्वानुमति से दुकान/स्टाल को किसी ऐसे व्यक्तियों को रेहन पर दे सकता है जैसे कि पट्टाकर्ता द्वारा स्वविवेक से अनुमोदित हो।

10. आबंटी को पट्टा विलेख कागजात को उसे भेजने की तारीख के 15 दिनों की अवधि के अ दर स्टाम्प कलैक्टर से विधिवत स्टाम्प लगवाकर पट्टा विलेख को वापिस करना होगा।

11. आबंटी दुकान/स्टाल की कोई भी क्षति नहीं करेगा जिसमें जोड़ की दीवारें भी शामिल हैं। आबंटी किन्हीं भी परिस्थितियों में विद्यमान संरचनाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा और न ही दुकान/स्टाल की छत पर कोई संरचना बनाने की उसको अनुमति दी जाएगी।

12. आबंटी दिल्ली नगर निगम अधिनियम, दिल्ली विकास अधिनियम, उपनियम या नियम तथा विनियम जो कि उनके अधीन बनाए गए हैं और दिल्ली दुकान तथा स्थापना अधिनियम के उपबन्धों या समय पर लागू अन्य कानून का आज्ञाकारी ढंग से अनुसरण करेगा और वह इन सभी उपबन्धों को मानने के लिए बाध्य होगा।

13. आबंटी कथित दुकान/स्टाल में या उनके बाहर पशुओं या वाहनों को नहीं रखेगा।

14. आबंटी दुकान/स्टाल के भीतर या बाहर कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो पड़ोसियों के लिए दुःखदायी हो या चलने वालों को असुविधाजनक हो।

15. आबंटी को दुकान/स्टाल साफ सुथरा रखना होगा तथा दुकान/स्टाल में किसी ऐसे व्यक्ति को रोजगार या रोजगार देने की अनुमति या उसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता है जो किसी संक्रामक, घृणित या फैलने वाले रोग से ग्रस्त हो।

16 आबंटी दुकान/स्टाल के सम्बन्ध में दरों, करों, प्रभारों और अन्य किसी प्रकार के निर्धारण का भुगतान करेगा चाहे वह मूल्यांकित हो, प्रभारित हों या दुकान/स्टाल पर लगाए गए हों या उसके सम्बन्ध में हों।

17. दुकान/स्टाल के सम्बन्ध में पट्टाकर्त्ता/दिल्ली विकास प्राधिकरण को देय सभी बकाया, भूमि राजस्व के रूप में वसूल किए जायेंगे।

18. यदि दुकान/स्टाल का पट्टाधारी किसी दुर्व्यवहार, झूठ बोलने या धोखाधड़ी या उसे बतायी गयी शर्तों के उल्लंघन में पाया जाता है तो पट्टा जब्त कर लिया जायेगा और दुकान/स्टाल का कब्जा दिल्ली विकास प्राधिकरण/पट्टाकर्ता द्वारा ले लिया जायेगा और आबंटी उसके लिए किसी प्रकार के मुआवजे का दावा करने का पात्र नहीं होगा।

19. दुकान/स्टाल के आगे का बरामदा जनता के आगे जाने के लिए है और उस पर आबंटी अतिक्रमण नहीं करेगा या बरामदे का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

20. आबंटी शब्द का तात्पर्य भारत के राष्ट्रपति (पट्टाकर्ता) के लिए पट्टाधारी होगा जैसे कि ऊपर शर्तों में उल्लिखित है।

21. दुकान/स्टाल का कब्जा दुकान/स्टाल के आबंटी को ही सौंपा जायेगा और न कि किसी आर्टी आदि को।

22. (i) नामपट्ट केवल निर्धारित स्थानों पर ही लगाए जायेंगे न कि अन्यत्र।

(ii) दिल्ली विकास प्राधिकरण की पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्तन/परिवर्धन/तबदीली नहीं की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में शटरों को उनके विद्यमान स्थान से दूसरी जगह बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

VI. लागत तथा अन्तरण शुल्क

पट्टा विलेख तथा उसकी प्रतियों के बनाने, स्टाम्प लगवाने तथा पंजीकृत करने और अन्य सहायक खर्चों पर किए गए व्यय को आबंटी द्वारा दिया जायेगा। आबंटी अचल सम्पत्ति के अन्तरण पर शुल्क या प्रभार जोकि दिल्ली नगर निगम द्वारा लगाए गए शुल्क या प्रभार जोकि किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा लगाया जायेगा उसका भुगतान भी आबंटी द्वारा किया जायेगा।

मैं/हम उपर्युक्त शर्तों को स्वीकार करते हैं।

ऊंची बोली वाले/वाली की ओर से
अथवा इच्छुक आबंटी की ओर से हस्ताक्षर

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे गए खाद्यान्नों की जांच

7584. **श्री भीम सिंह :**
श्री मोतीभाई आर० चौधरी :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम अपने गोदामों में खाद्यान्न का भंडारण करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन गोदामों में भंडार किए गए खाद्यान्नों की मात्रा और किस्म की जांच करने के कोई प्रबन्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन गोदामों के सम्बन्ध में की गई अन्तिम जांच पड़ताल का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) : भारतीय खाद्य निगम की स्टाक की नियमित और नियतकालिक प्रत्यक्ष जांच करने की कार्यविधि है। यह जांच न केवल परिधीय गिनती कर की जाती है बल्कि यादृच्छिक नमूना प्रणाली के अधीन तौल कर की जाती है। इसके अलावा, विशेष स्क्वायडों द्वारा अचानक जांच भी की जाती हैं। स्टाक की स्वस्थता और उसकी गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए स्टाक के निरीक्षण के बारे में एक विस्तृत कार्यविधि भी विहित की गई है। स्टाक का नियतकालिक निरीक्षण और उसका वर्गीकरण/श्रेणीकरण किया जाता है। कभी-कभी स्टाक का रोगहर उपचार किया जाता है ताकि गोदामों में स्टाक को आने वाले स्टाक से कीड़े लगने से बचाया जा सके और सुरसरी पर नियन्त्रण किया जा सके। यथावश्यक उपयुक्त प्रधूमकों/कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर स्टाक को प्रधूपन भी दिया जाता है।

राजस्थान की मन्जूरी के लिए लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाएं

7585. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार की उन प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मन्जूर किया गया है;

(ख) दक्षिण पूर्व राजस्थान की उन प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो मन्जूरी के लिए केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना के अन्त तक इन सिंचाई परियोजनाओं को मन्जूरी देने का है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) योजना आयोग द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान की कोईनई बृहद सिंचाई स्कीम अभी तक अनुमोदित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) यह माना जाता है कि दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित जिले आते हैं :—

(1) झालावाड़

(2) कोटा

(3) सवाई माधोपुर

(4) टोंक

(5) बूंदी

(6) चित्तौड़गढ़

(7) भीलवाड़ा

(8) बांसवाड़ा

राजस्थान सरकार ने 4 नई बृहद सिंचाई स्कीमों तथा पुरानी सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 3 स्कीमों की परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी जांच करने तथा क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की थीं; इन स्कीमों से उपर्युक्त जिलों में (बांसवाड़ा को छोड़कर) क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।

स्कीमों और सम्बन्धित जिलों के नाम आगे दिए गए हैं :—

स्कीमों के नाम	लाभान्वित जिला
नई बृहद स्कीमें	
1. गागरिन सिंचाई	झालावाड़
2. बिलासपुर (बनास) सिंचाई	टोंक, सवाई माधोपुर तथा बूंदी
3. पिपाल्दा लिफ्ट सिंचाई	सवाई माधोपुर
4. कोटा बराज को ऊंचा करना	कोटा, बूंदी तथा सवाई माधोपुर
आधुनिकीकरण स्कीमें	
1. गम्भीरी नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	चित्तौड़गढ़
2. गुधा सिंचाई का आधुनिकीकरण	बूंदी
3. मेजा नहर का आधुनिकीकरण	भीलवाड़ा

राज्य ने ऊपर उल्लिखित गागरिन स्कीम की आशोधित रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत करनी है। अन्य स्कीमों के सम्बन्ध में, राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग/योजना आयोग की सलाहकार समिति की टिप्पणियों के उत्तर और आगे जांच तथा कार्रवाई करने के लिए अभी भेजने हैं। इन स्कीमों का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा आशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने अथवा टिप्पणियों के संतोषजनक स्पष्टीकरण भेजने और राज्य की योजनाओं में इन परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए राज्य के वित्त और योजना विभाग की सहमति मिलने की गति पर निर्भर करेगा।

भारत में विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट

7586. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या **खेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड भारत में विश्व कप टूर्नामेंट आयोजित करने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित टूर्नामेंट में किन-किन देशों के भाग लेने की आशा है ?

खेल विभाग में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) भारतीय क्रिकेट

नियन्त्रण बोर्ड, का पाकिस्तान क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड के साथ 1987 में संयुक्त रूप में, विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करने का प्रस्ताव है। इस टूर्नामेंट के ब्यौरे तथा स्थान जहां ये मैच खेले जाएंगे, को जुलाई, 1984 में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन की बैठक में अन्तिम रूप दिया जाएगा।

जम्मू और कश्मीर में सेवों में स्कैब बीमारी लगना

7587. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सेवों में लगने वाली स्कैब बीमारी जिसके कारण फल उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है, का मुकाबला करने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) क्या इस खतरे से निपटने के लिए केन्द्र द्वारा जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में फल उत्पादकों को कोई राज सहायता दी जा रही है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश के मामले में स्कैब ग्रस्त सेवों को शराब कारखानों के लिए खरीदा जा रहा है अथवा नुकसान का मुआवजा दिया गया है; और

(घ) क्या जम्मू और कश्मीर के मामले में इस नीति का पालन नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जम्मू और कश्मीर में सेवों को प्रभावित करने वाले स्कैब रोग से निपटने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार-दोनों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. फलोद्यानियों को निम्न प्रकार से उपाय लागू करने हेतु तैयार करना :

   (क) सामूहिक सम्बन्धों द्वारा,

   (ख) रेडियो-वार्तालाप, नारों, दूरदर्शन कार्यक्रमों, फिल्मों और शीर्षकों द्वारा।

   (ग) विवरिणकाएं, पुस्तिकाएं, पोस्टर, साहित्य तथा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में चेतावनियां जारी करवाकर।

2. पत्तों को (फलोद्यानों के भीतर और बाहर) जलाकर और फलोद्यानों से प्रभावित फलों को हटाकर एक जोरदार अभियान चलाकर रोग के प्रभाव को कम करना।

3. मुद्रित राशन कार्ड पर प्रभावी फफूंदीनाशी औषधियां जारी करना, जिनमें महत्वपूर्ण और आवश्यक अनुदेश लिखे गए हों। राज्य विभागीय अधिकारियों के दूरभाष

नम्बर (फोन नम्बर) इन राशन कार्डों पर मुद्रित रहते हैं, ताकि फलोद्यानी उनसे सम्बन्ध स्थापित कर सकें।

4. आवश्यकता पर आधारित छोटे और बड़े आकार के प्लाटों की स्थापना द्वारा।

5. रोग के नियंत्रण के लिए राज्यों के बागवानी विभागों में स्कैब नियंत्रण कक्षों की स्थापना द्वारा।

6. तकनीक मार्गदर्शन हेतु केन्द्रीय और विदेशी विशेषज्ञों के दौरों की व्यवस्था करके।

7. फफूंदीनाशी औषधियां 50 प्रतिशत राज-सहायता लागत पर भारी मात्रा में जारी की जाती हैं। इनमे अंशदान राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा बराबर-बराबर किया जाता है।

8. राज्य सरकार अपने बागवानी और ग्रामीण विकास विभागों के माध्यम से सामान्य फलोद्यानियों को 33-1/3 प्रतिशत की राज-सहायता लागत पर "फुट पम्प" के रूप में मशीनरी जारी करती रही है।

9. वर्ष 1983-84 के दौरान जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीन मुख्य सेव उत्पादक राज्यों में क्वालिटी सेव उत्पादन हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी की एक अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजना हाथ में ली गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे क्वालिटी सेवों का उत्पादन करता है जो रोगों, कृमियों और औलावृष्टि आदि की क्षति से मुक्त हों। इस प्रयोजन के लिए सेव उत्पादकों को फुट स्प्रेयरों, बिजली से चलने वाले स्प्रेयरों, औलावृष्टि विरोधी जाल और सूक्ष्म पोषक तत्वों आदि के लिए राज सहायता दी जाती है।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) कुकरी रोग से प्रभावित सेवों की, शराबखानों (डिसरिलयरियों) के लिए भारी मात्रा में खरीद करने हेतु हिमाचल प्रदेश को कोई धनराशि नहीं दी गई। तथापि, हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर वित्त मंत्रालय ने 1983-84 के दौरान पड़े सूखे से पैदा अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करने के लिए 5 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की है। राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि 2 करोड़ रुपए प्रभावित फलों और पत्तों को एकत्र करने और उनके विनाश पर व्यय किए जाएं और सेवकुकरी का नियन्त्रण करने हेतु 100 प्रतिशत की दर से छोटे और सीमांत किसानों को तथा 50 प्रतिशत की दर से अन्य किसानों को फफूंदीनाशी औषधियों पर राज सहायता के वास्ते 3 करोड़ रुपए दिए जाएं।

"एगमार्क" के अन्तर्गत वस्तुएं

7588. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय एगमार्ग के अन्तर्गत कितनी वस्तुएं अनुसूचित हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कितनी नई वस्तुओं को "एगमार्ग" के अन्तर्गत लाया गया है; और

(ग) "एगमार्क" लेबल के दुरुपयोग किए जाने के बारे में सरकार को कितने मामले/शिकायतें प्राप्त हुई और गत दो वर्षों के दौरान दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पान के पत्तों का विपणन

7589. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पान के पत्तों के उत्पादकों के लाभ के लिए पान के पत्तों के विपणन के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) ग्राम मंत्रालय चुनी गई नियमित मंडियों का विकास करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत वाणिज्यिक फसलें जिसमें पान के पत्ते भी शामिल हैं की संभाल करने विनिमित मंडियों में अवस्थापना का विकास करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है । राज्य कृषि विपणन बोर्डों/विपणन समितियों को राज्य सरकारों के माध्यम से सहायता दी जाती है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रबी फसल का उत्पादन

7590. **श्री हरिहर सोरन** :
श्री दिगम्बर सिंह :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 में रबी फसल के उत्पादन के लिए जिसवार कितना राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ख) उपर्युक्त वर्ष के दौरान राज्यवार और जिसवार रबी फसल का कितना उत्पादन हुआ है; और

(ग) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) 1983-84 के दौरान फसलों के उत्पादन के लक्ष्य तथा प्रत्याशित उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

फसल	लक्ष्य 1983-84 (लाख मीटरी टन)	प्रत्याशित उपलब्धियां 1983-84 (लाख मीटरी टन)
गेहूं	410	446
अन्य रबी खाद्यान्न (दलहन सहित)	181	173
योग रबी खाद्यान्न	591	619
रबी तिलहन	51·7	51·7

चूंकि रबी की फसलें अभी काटी जा रही हैं, अतः राज्यवार उत्पादन के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। ऊपर दिए गए अनुमान अस्थायी हैं और इनमें संशोधन होने की सम्भावना है।

(ग) रबी मौसम के लिए निर्धारित किए गए उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित विशेष उपायों सहित कई कदम उठाए हैं :

(1) रबी उत्पादन के सभी राज्यों में उत्पादन अभियानों को तैयार करना।

(2) रबी मौसम से पूर्व राष्ट्रीय कृषि आदान पखवाड़े का संगठन करना।

(3) किसानों की सहायता के लिए उनके नलकूपों तथा पम्पसैटों के लिए बिजली प्राप्त कर प्रमुख राज्यों को संयुक्त दल भेजे गए थे।

(4) बीज मिनिकिटों का बड़े पैमाने पर वितरण।

(5) उर्वरकों के मूल्य में कटौती।

(6) बीजों तथा अन्य आदानों की समय पर सप्लाई करना।

एक्सक्लुसिव इकानामिक जोन में समुद्री मत्स्य क्षमता सम्बन्धी अध्ययन

7591. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे एक्सक्लुसिव इकनामिक जोन में समुद्री मत्स्य क्षमता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) कृषि मन्त्रालय के अधीनस्थ कार्यालय भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण ने 40 पाथम गहराई के अन्दर के तटीय क्षेत्र के डेमसर्ल मात्स्यकी संसाधनों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। इस क्षेत्र की सम्भावित उत्पादन क्षमता 16.7 लाख मीटरी टन आंकी गई है। 40 पाथम गहराई के परे के क्षेत्र का सर्वेक्षण हो रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्यात फार्म में खेती करने हेतु प्रस्तावित फसलें

7592. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऐसे फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है, जहां उत्पन्न सभी फसलों का शत-प्रतिशत निर्यात किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के फार्म स्थापित करने का मुख्य प्रयोजन क्या है;

(ग) इस प्रकार के विशेष फार्मों में किस प्रकार की फसलों की खेती किए जाने का विचार है;

(घ) वर्ष 1984-85 में इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि के आबंटन में प्राथमिकता

7593. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन क्षेत्रों में जहां से होकर नदियां बहती हैं; सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि के आबंटन में कोई प्राथमिकता देगी और परियोजनाओं की रूपरेखा इस प्रकार तैयार करेगी जो इन राज्यों/क्षेत्रों के लिए लाभप्रद होगा क्योंकि 1984-85 की वार्षिक योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना के पर्वतीय क्षेत्रों की कीमत पर अब तक समतल क्षेत्र ही लाभान्वित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो निर्माण के लिए आरम्भ किए जाने वाली परियोजनाओं के स्थान और डिजाइन में क्या परिवर्तन किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार राज्य सरकारों को सिंचाई परियोजना के बांधों द्वारा पर्वतीय राज्यों में बनाये गये जलाशय से पानी उठाकर नई सिंचाई परियोजना तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने की अनुमति देगी; और

(घ) यदि हां, तो किस संभावित तारीख से पर्वतीय क्षेत्रों में जलाशयों/झीलों से सिंचाई/पीने के लिए जल का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, प्राथमिकताएं प्रदान करना तथा उनका क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने समग्र विकास योजनाओं के ढांचे के अन्तर्गत किया जाता है। उन राज्यों के लिए, जिनके क्षेत्रों को पूर्णत: पहाड़ी क्षेत्र वर्गीकृत किया गया है, योजनाएं अपने आप में ही पहाड़ी क्षेत्र की योजनाएं हैं और उस क्षेत्र की समस्याओं का ध्यान रखती हैं जो पहाड़ी क्षेत्र किसी बड़े राज्य का भाग होते हैं, उनको पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। उनकी विशेष समस्याओं को हल करने की दृष्टि से राज्यों द्वारा अलग उप-योजनाएं तैयार की जाती हैं जिनकी वित्त व्यवस्था अंशत: विशेष केन्द्रीय सहायता से की जाती है तथा इनमें ऐसे क्षेत्रों को लाभ देने वाली लघु सिंचाई स्कीमों को प्राथमिकता दी जाती है।

सिंचाई स्कीमों के लिए स्थल-चयन तथा वर्तमान जलाशयों से लिफ्ट सिंचाई स्कीमों की व्यवस्था के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्यों द्वारा निर्णय, जल उपलब्धता तथा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता को देखते हुए किया जाता है।

सातवीं योजना के दौरान खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय योजना

7594. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यालयों में खेल स्टेडियमों की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या सातवीं योजना के दौरान खेलों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए राज्यों, संघ राज्य-क्षेत्रों खेल संघों के साथ कोई पत्र व्यवहार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) यदि नहीं तो क्या सरकार देश में खेल गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय जनमत तैयार करेगी ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर, सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों में, उनके मुख्यालयों में खेल स्टेडियम हैं :—

(i) अरुणाचल प्रदेश

(ii) पाण्डिचेरी

(iii) लक्ष्यदीप

(iv) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह ।

(ख) और (ग) 7वीं योजना अवधि के दौरान खेलों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना, योजना आयोग द्वारा स्थापित कार्यदल द्वारा तैयार की जा रही है, जिसमें अन्यों के साथ-साथ, राज्य सरकारों और खेल निकायों के प्रतिनिधि शामिल हैं । योजना में अखिल भारतीय खेल परिषद द्वारा सिफारिश किए गए राष्ट्रीय खेल नीति के प्रारूप पर, जिसका राज्य/संघ शासित प्रशासनों के खेल मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा पहले ही समर्थन कर दिया गया है, विचार किया जाएगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं जिलों में बाढ़ और वर्षा से जान की हानि

7595. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 के दौरान उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं जिलों में बाढ़ और वर्षा के कारण कुल कितने लोगों की जानें गईं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के परिवार और आश्रितों को सहायता की कितनी राशि दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि बरेली और बदायूं में बाढ़ों तथा भारी वर्षा के कारण क्रमशः 6 तथा 21 व्यक्तियों की जानें गईं।

(ख) बाढ़ राहत के लिए राज्य को केन्द्रीय सहायता की जो अधिकतम सीमा रखी गई है उसमें जिनकी जानें गई है उनके आश्रितों को 1000 रुपए प्रति व्यक्ति अनुग्रह-पूर्वक अदायगी करने की व्यवस्था भी शामिल है।

हिमाचल प्रदेश में रोलर फ्लोर मिलों को लाइसेंस

7596. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में कितनी रोलर फ्लोर मिलों को लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उनको कितनी मात्रा में गेहूं की सप्लाई की गई है; और

(ग) चक्कियों तथा रोलर फ्लोर मिलों के लिए राज्य सरकार को प्रति वर्ष कितनी मात्रा में गेहूं सप्लाई किया जाता है और इस संबंध में उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इस समय राज्य में गेहूं रोलर फ्लोर मिल्स (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) आदेश, 1957 के अधीन लाइसेंसशुदा 3 रोलर फ्लोर मिलें हैं।

(ख) और (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश की रोलर फ्लोर मिलों के लिए गेहूं के आबंटन और उठान का ब्यौरा अगले पेज पर दिया गया है :—

	आबंटन	(हजार मीटरी टन में) उठान
1982	28·0	28·8
1983	28·0	17·6

भारत सरकार केन्द्रीय पूल से चक्कियों को गेहूं का कोई विशेष आबंटन नहीं करती है ।

विश्व बैंक की सहायता से सिंचाई परियोजनाएं

7597. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक सहायता योजना के अंतर्गत, पिछले चार वर्षों के दौरान कितनी मध्यम तथा बृहत सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई;

(ख) पिछले चार वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत लागत तथा ऋणों और इन परियोजनाओं पर राज्यवार वास्तव में किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने पर कितनी और अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होगा ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) पिछले चार वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

पिछले चार वित्तीय वर्षों अर्थात् 1980-81 से 1983-84 के दौरान विश्व बैंक ग्रुप की सहायता से क्रियान्वित की जा रही सिंचाई तथा कमान क्षेत्र विकास सेक्टर की परियोजनाओं का ब्यौरा देने वाला विवरण।

राज्य	परियोजना का नाम तथा क्रेडिट/ऋण संख्या	विदेशी सहायता की राशि (मिलियन डालर)	करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख	परियोजना की कुल लागत (मूल्यांकन के समय) (मिलियन रुपए)	इन परियोजनाओं पर हुआ वास्तविक व्यय (मिलियन रुपये)	अतिरिक्त सिंचाई क्षमता जो सृजित की जाएगी (हजार हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	द्वितीय गुजरात सिंचाई परि० आई० डी० ए० क्रेडिट-1011-आई० एन०)	175.00	12-5-80	3024.0	1049.03 9/83 तक	144.00
बिहार	सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना (बिहार और उड़ीसा) (आई० डी० ए० क्रेडिट 1289-आई०एन०)	127.00	9-11-82	1640.0	74.30 11/83 तक	2.55

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	हरियाणा सिंचाई-दो परि० (आई० डी० ए० क्रेडिट 1319-आई० एन०)	150·00	23-2-83	27027·0	272·01 12/82 तक	245·00
केरल	कल्लाडा सिंचाई और वृक्ष फसल विकास परियोजना (आई० डी० ए० क्रेडिट 1269-आई० एन०/ आई० बी० आर० डी० ऋण-2186-आई० एन०)	80·30	6-7-83	13633·0	403·00 8/83 तक	37·60
महाराष्ट्र	द्वितीय महाराष्ट्र सिंचाई परियोजना (आई० डी० ए० क्रेडिट 955-आई० एन०)	210·00	14-4-80	38786·0	2812·66 9/83 तक	147·00
	महाराष्ट्र जल उपयोग परियोजना (आई० डी० ए० क्रेडिट 1383-आई० एन०)	54·70	30-6-83	7416·0	36·00 3/83 तक प्रत्याशित खर्च	147·00 इसका उद्देश्य कारगर समुपयोजन के लिए सुविधाएं जुटाना है ।
मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश मध्यम सिंचाई परियोजना (आई० डी० ए० क्रेडिट 1108-आई० एन०)	140·00	26-3-81	1950·0	447·68 9/83 तक	125·00

1	2	3	4	5	6	7
	मध्य प्रदेश बृहद सिंचाई परियोजना (आई० डी० ए० क्रेडिट 1127-आई० एन०)	220.00	24-2-82	3513.6	592.70 9/83 तक	154.00
	चम्बल (मध्य प्रदेश) सिंचाई-दो परियोजना (आई० डी० ए० क्रेडिट 1288-आई० एन०)	31.00	7-9-82	556.3	142.8 9/83 तक	सिंचित क्षेत्र का विस्तार 32.0 है जबकि सुधरे हुए स्तर पर 40.00 होगा।
उड़ीसा	महानदी बराज परियोजना (आई० डी० ए० क्रेडिट 1078-आई० एन०)	83.00	5-12-80	926.5	218.89 12/83 तक	प्रतिस्थापन कार्य
	उड़ीसा सिंचाई-दो परियोजना (आई० डी० ए० क्रेडिट 1297-आई० एन०)	105.00	16-9-83	1335-6	110.0 9/83 तक	108.00

कृषि उत्पादकों के मूल्यों में घट बढ़

7598. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कृषि उत्पादों के नाम क्या हैं जिनके मूल्यों में गत तीन वर्षों के दौरान घट बढ़ होती रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस घट बढ़ का इन वस्तुओं के उत्पादन पर क्या प्रभाव रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सभी कृषि उपज की कीमतें मौसमी उतार-चढ़ाव तथा मांग और पूर्ति की परिस्थितियों में वर्षानुवर्ष होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करती है।

(ग) आमतौर पर किसी वस्तु की ऊंची कीमत के कारण उसके अन्तर्गत क्षेत्र और धननिवेश में वृद्धि होती है और उसके विपरीत स्थिति में उसका उल्टा होता है। लेकिन उत्पादन प्रतियोगी फसलों के सापेक्षिक मूल्यों, बढ़े हुए उत्पादक के लिए प्रौद्योगिकी की उपलब्धि, मौसम और वर्षा की परिस्थितियों और विस्तार सहयोग इत्यादि जैसे अनेक घट को प्रभावित होता है। अनुभव के साथ अधिकांश कृषि वस्तुओं विशेषकर चावल, गेहूं, मोटे धान्य, दलहनों, आलू और अनेक जिन्सों के उत्पादन में गत तीन वर्षों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भेड़ अनुसंधान परियोजना के निष्कर्ष

7599. **श्री सूर्यनारायण सिंह** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने, इन वर्षों में कार्य करती रही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भेड़ अनुसंधान परियोजना के माध्यम से 1970-71 की तुलना में ऊंची दर पर काफी मात्रा में ऊन का आयात किया है;

(ख) सरकार इस क्षेत्र में यथा-समय आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय आवश्यकताओं, उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों और अनुसंधान समर्थन के बीच किस प्रकार समन्वय स्थापित करेगी;

(ग) ऊन उत्पादन में वृद्धि के लिए ऐसा करना क्यों संभव नहीं हुआ है, और इस संबंध में सरकार का विचार किस प्रकार का उत्तरदायित्व निश्चित करने का है और यह कब तक कर दिया जाएगा;

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भेड़ अनुसन्धान परियोजना में गंभीर कुप्रबंध पाया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस दिशा में सरकार का विचार क्या सुधारात्मक उपाय करने का है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इसके लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे बाद में लोक सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

महानगरों की डेरियों द्वारा स्किम मिल्क पाउडर तथा बटर आयल का प्रयोग

7600. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिल्क पाउडर का स्वदेश में भारी मात्रा में उत्पादन होने के बावजूद प्रत्येक महानगर द्वारा दूध सप्लाई के लिए अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपहार में दिए गए स्किम मिल्क पाउडर तथा बटर आयल को प्रयोग में लाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो महानगर डेरीवार 1980-81 से 1983-84 तक इसका वर्षवार कितनी मात्रा में प्रयोग किया गया तथा प्रत्येक वर्ष कितना (आई० डी० सी०/एन० डी० डी० बी०) मूल्य वसूल किया गया तथा स्वदेश में तैयार किए गए स्किम मिल्क पाउडर का पर्याप्त मात्रा में बनाने और उसका उपयोग न किए जाने का क्या औचित्य है;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

नेहरू युवक केन्द्र में कार्य करने वाले युवक संयोजकों (यूथ कोआर्डीनेटर्स) को खपाया जाना

7601. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **खेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेहरू युवक केन्द्र पिछले बारह वर्षों से काम कर रहा है;

(ख) क्या युवक संयोजकों के पदों पर कार्य करने वाले कई वर्षों के या तो प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य कर रहे हैं अथवा सीधे भर्ती किए गए हैं;

(ग) क्या विभाग का विचार उन्हें केन्द्रीय सेवा ने स्थायी रूप से खपाने का है; और

(घ) यदि हां, तो किस तारीख से और किस प्रकार खपाया जायेगा ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) विद्यमान भर्ती नियमों के अनुसार केन्द्रीय सेवाओं में, युवक समन्वयकों को स्थाई रूप से विलय करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी को सप्लाई किए गए दुग्ध के खरीद मूल्य में वृद्धि

7602. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी को सप्लाई किए गए दूध के खरीद मूल्य में हाल की वृद्धि के बावजूद भी, उसके बिक्री मूल्य से वृद्धि नहीं की गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, अलग अलग कितना नुकसान हुआ है;

(ग) यदि यह नुकसान खरीद मूल्य के कम होने के बावजूद हुआ है तो क्या अब इस नुकसान में और वृद्धि नहीं होगी और यदि हां, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली की तुलना में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े नगरों में दूध का बिक्री मूल्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कच्चे दूध के क्रय मूल्य में हाल में हुई वृद्धि के बाद दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले टोंड दूध के विक्रय में संशोधन नहीं किया गया है । पोलीथिन की थैलियों में बेचे जाने वाले दिल्ली दुग्ध योजना के मानकीकृत दूध के विक्रय मूल्य में संशोधन करके 1-4-1984 से इसे प्रति लिटर 3.50 रुपये से बढ़ाकर 3.80 रुपये कर दिया गया है ।

मदर डेरी द्वारा बेचे जाने वाले टोंड और पूर्ण क्रीम वाले दूध का विक्रय मूल्य 1-4-1984 से क्रमशः प्रति लिटर 2.70 रुपये से बढ़ाकर 2.80 रुपये तथा 4.20 रुपये से बढ़ाकर 4.50 रुपये कर दिया गया है ।

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना को हुई हानि निम्नलिखित है :

वर्ष	लाख रुपये
1981-82	623·34
1982-83	1130·00 (अनंतिम)
1983-84	850·00 (अनंतिम)

मदर डेरी को गत तीन वर्षों के दौरान कोई हानि नहीं हुई है ।

(ग) सितम्बर, 1983 में टोंड दूध तथा अप्रैल, 1984 में मानकीकृत दूध के विक्रय मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण 1984-85 के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना को और अधिक हानि की कोई सम्भावना नहीं है ।

मदर डेरी को प्रति मास 30 लाख रुपये की हानि होने की सम्भावना है ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

जनवरी, 1984 में दूध का विक्रय मूल्य (प्रति लिटर) दर्शाने वाला विवरण

डेरी का नाम	मानकीकृत दूध		टांड दूध			भैंस का दूध
	(प्रोपक में)	(बोतल में)	(बोतल में)	(थलियों में)	(भारी मात्रा में)	
1	2	3	4	5	6	7
1. मधावरम, मद्रास	कार्ड-3.15 रु० नकद-3.30 रु०	कार्ड-3.05 रु० नकद-3.20 रु०	2.85 रु०	—	—	—
2. मदर डेरी, कलकत्ता	—	—	—	3.10 रु०	छोटी डेरी 2.87 रु०	—
3. मदर डेरी, कुरला, बम्बई	4.30	—	—	—	—	6.00 रु० (थलियों में)
4. बोरली डेरी, बम्बई	—	4.30 रु० कैन्स में 4.20 रु०	— —	— —	—	6.00 रु० कैन्स में 5.90 रु०

1	2	3	4	5	6	7
5. केन्द्रीय डेरी, आरे, बम्बई	—	4.30 रु०	—	—	—	6.00 रु०
6. मदर डेरी, दिल्ली	—	—	—	—	2.70	4.20
					ऋ 2.80	ऋ 4.50
7. दिल्ली दुग्ध योजना	3.50	—	2.70 रु०	—	—	—
	ऋ 3.80					

ऋ—1-4-1984 से कीमत लागू।

उत्प्रवासी कर्मचारियों को सरकारी आवास

7603. **श्री एन० सेल्वराजू** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के उत्प्रवासी कर्मचारियों को दिल्ली में क्वार्टर उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का दिल्ली में गम्भीर आवास समस्या को ध्यान में रखते हुए उन कर्मचारियों को जो दूरस्थ राज्यों से राजधानी में केन्द्र सरकार की सेवा करने हेतु आते हैं, कम से कम एक कमरे की आवास सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) सरकारी वास के आबंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियमावली, 1963 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का कोई "उत्प्रवासी" वर्ग नहीं है। सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एक अधिकारी के दिल्ली में प्रथम नियुक्ति या स्थानान्तरण पर कार्यभार सम्भालने पर एक महीने के भीतर सामान्य पूल वास के लिए आवेदन कर सकता है तथा वह नियमानुसार रिहायशी वास के आबंटन के लिए पात्र है।

(ख) सरकार इस मामले से अवगत है।

"बायोमास" आधारित निर्वाह अर्थ व्यवस्था

7604. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने "बायोमास" आधारित निर्वाह अर्थ व्यवस्था पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसलिए कोई योजना जैसे भूमि के उपयोग और बायो उत्पादन प्रणाली सम्बन्धी योजना तैयार की गई है जिससे ग्रामीण आबादी के विभिन्न वर्गों की ईंधन, चारे, खाद्यान्न सम्बन्धी कुल तथा समेकित आवश्यकताओं और अन्य मौलिक आवश्यकताएं पूरी होंगी;

(ग) उसकी मोटी रूपरेखा क्या है और किन किन राज्यों में ऐसी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं अथवा किए जाने का विचार है; और

(घ) क्या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता से उड़ीसा के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी प्रयोगात्मक योजना चलाई जाएंगी और यदि हां, तो राज्य के किस क्षेत्र में ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। सरकार "बायोमास" पर आधारित कार्यक्रम की आवश्यकता पर विचार कर रही है।

(ख) "बायोमास" के उत्पादन के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जो ईंधन, चारा, फल तथा ग्रामीण जनसंख्या सहित लोगों के वर्गों की अन्य मूल आवश्यकताओं की समुचित तथा समेकित मांगें पूरा करेंगी।

(ग) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्यक्रम-क्रियान्वित किए जा रहे हैं। छठी योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान हुई प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) उड़ीसा के निम्नलिखित जिलों में केन्द्रीय सहायता से ग्रामीण जलावन लकड़ी के लिए वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा उड़ीसा के शहरी तथा आदिवासी क्षेत्रों में वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं :

(1) बालासोर

(2) कटक

(3) बोलनगीर

(4) पुरी

(5) गंजम

विवरण

	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
(क) **वनरोपण**				
लगाए गए पौधे (लाख में)	8467·38	13188·25	20785·00	33119·54
(ख) **सामाजिक वानिकी**				
रोपित क्षेत्र (हैक्टेयर में)	152811	254030	374794	407655
(ग) सप्लाई किए गए पौधे (लाख में)	——	4410·56	8970·00	11452·20

उड़ीसा के लिए भारतीय खाद्य निगम का गोदाम

7605. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय खाद्य निगम के राज्य-वार कुल कितने गोदाम हैं;

(ख) उड़ीसा में ऐसे कितने गोदाम हैं और उनकी भन्डारण क्षमता क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि यह गोदाम खाद्यान्नों के भन्डारण के लिए सक्षम नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या वर्ष 1984-85 के दौरान उड़ीसा में और अधिक गोदाम बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें भारतीय खाद्य निगम के दोनों अपने और किराये के मिलाकर गोदामों की राज्यवार संख्या दी गई है ।

(ख) निगम के उड़ीसा में 50 गोदाम हैं जिनकी कुल क्षमता 3.36 लाख मीटरी टन है ।

(ग) और (घ) निगम के पास उड़ीसा में उपलब्ध भण्डारण क्षमता का वर्तमान स्टाक स्तर पर्याप्त समझा जाता है । तथापि, भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निगम का 1984-85 के दौरान क्षमता में 15,000 मीटरी टन तक की वृद्धि करने का प्रस्ताव है । इसमें से नौरानपुर में 5,000 मीटरी टन और रोउरकेला, बारबिल, रायागुडा और रानीताल में प्रत्येक 2,500 मीटरी टन की क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों (दोनों अपने और किराए के) की संख्या

क्रम सं०	राज्य	गोदामों की संख्या
1	2	4
1.	असम	57
2.	आन्ध्र प्रदेश	143

1	2	3
3.	बिहार	95
4.	गुजरात	27
5.	हरियाणा	90
6	हिमाचल प्रदेश	14
7.	कर्नाटक	57
8.	केरल	36
9.	मध्य प्रदेश	246
10.	महाराष्ट्र	33
11.	मेघालय	4
12.	मणिपुर	4
13.	नागालैण्ड	4
14.	पंजाब	257
15.	राजस्थान	114
16.	उड़ीसा	50
17.	सिक्किम	2
18.	तमिलनाडु	85
19.	त्रिपुरा	7
20.	उत्तर प्रदेश	197
21.	पश्चिमी बंगाल	243
22.	जम्मू तथा कश्मीर	9
संघ शासित प्रदेश		
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—

1	2	3
3.	चण्डीगढ़	—
4.	दादर तथा नगर हवेली	—
5.	दिल्ली	4
6.	गोआ, दमन और दीप	1
7.	लक्षद्वीप	—
8.	मिजोरम	2
9.	पांडिचेरी	1
	जोड़	1782

उड़ीसा के गांवों के लिए पेयजल सुविधाओं की व्यवस्था

7606. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983-84 के दौरान उड़ीसा में, विशेष रूप से तटीय क्षेत्र में, गांवों को पेय जल की सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

(ग) उस राज्य में वर्ष 1984-85 के दौरान कितने गांवों को पेय जल की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) वर्ष 1983-84 के लिए पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित करने का लक्ष्य उड़ीसा में पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया गया है। तटीय क्षेत्रों से सम्बन्धित उपलब्धियां राज्य सरकार के पास उपलब्ध होगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अस्थायी अनुमानों के अनुसार, 1984-85 के दौरान उड़ीसा में 8240 समस्या-ग्रस्त गांवों में पेय जल सुविधाएं मुहैया किए जाने की सम्भावना है। राज्य सरकार के परामर्श से ठीक-ठीक लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियतन संसद द्वारा पारित बजट के पश्चात ही किया जाएगा।

मछुआरों का बीमा करने की योजना को लोकप्रिय बनाने हेतु कदम

7607. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मछुआरों की बीमा करने की 1983 में शुरू की गई योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने व्यक्तियों का बीमा किया गया है ; और

(ग) खासतौर पर उड़ीसा के समुद्रतटवर्ती जिलों में और अधिक मछुआरों को इस योजना के अन्तर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस योजना में प्रीमियम पर राजसहायता देने की योजना के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मुक्त की गई धनराशि का अधिकतम 10 प्रतिशत तक प्रचार सम्बन्धी व्यय के लिए केन्द्रीय अनुदान की व्यवस्था है। इस वर्ष 1983-84 के दौरान आवश्यक प्रचार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1.43 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई थी।

(ख) इस योजना के तहत लगभग 5 लाख मछुआरे बीमीकृत शामिल किए गए हैं।

(ग) सूचना दी गई है कि 1983-94 के दौरान उड़ीसा में मछुआरों के लिए दल दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत लगभग 10,000 मछुवारों का बीमा किया गया है। इस अवधि के दौरान उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय राजसहायता के रूप में 66,000 रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है।

केन्द्र द्वारा आयोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए धनराशि का आबंटन

7608. **श्री के० प्रधानी :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय इस वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम शुरू कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) प्रत्येक राज्य के लिए खासतौर पर अत्यधिक आदिवासी और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले राज्य के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय स्तर पर कोई एजेंसी गठित की जाएगी; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सम्बद्ध राज्यों को इस सम्बन्ध में कोई विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम जिसे 1977-78 में पुन: आरम्भ किया गया था वह छठी योजना के दौरान जारी रहा। 1984-85 के दौरान भी इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्य के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता देने के लिए 1984-85 के बजट आंकलनों में 242.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा बजट पारित करने के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियतन किया जाएगा।

(ग) नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 1-4-1980 को पता लगाए गए सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को 31 मार्च, 1985 तक लाभान्वित करने का प्रयास है जिसमें वे ग्राम भी शामिल हैं वहां अधिकांशत: जनजाति और अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि जहां यह तकनीकी तथा सुप्रचलित रूप से असम्भव नहीं है गांवों में पेय जल का प्रत्येक स्रोत अनुसूचित जातियों के वासस्थानों में स्थापित किया जाय।

(घ) तथा (ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पेय जलपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबोधन इस मन्त्रालय के केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन द्वारा किया जा रहा है। जब कभी भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तकनीकी मार्गनिर्देशन मांगा जाता है, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन द्वारा दी जा रही है।

दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए खाद्य सुरक्षा व्यवस्था

7609. **श्री के० प्रधानी :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्गा पिछले माह दिल्ली में आयोजित दक्षिण एशिया में विकास सहयोग संबंधी क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए योजना मंत्री ने दक्षिण एशियाई देशों से आपात आषात काल में प्रयोग के लिए एक क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का गठन करने का आग्रह किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस व्यवस्था की व्यवहार्यता और कार्यचालन पहलुओं की आवश्यकता का अध्ययन आरम्भ कर दिया गया है;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त विशेषज्ञ अध्ययन के पश्चात् सरकार का इसे किस प्रकार क्रियान्वित करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां। योजना मंत्री ने साथ-साथ इस बात को भी देखा कि कृषि उत्पादन की परिवर्तनशीलता के राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति पर प्रभाव को आपात के समय में इस्तेमाल करने के लिए क्षेत्रीय खाद्य आरक्षणों के माध्यम से कम किया जा सकता है।

(ख) से (घ) क्षेत्रीय खाद्य आरक्षणों के विषय पर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में विचार-विमर्श किया गया है लेकिन किसी भी देश ने इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट स्थिति नहीं बताई है।

दिल्ली के किराये के भवनों में चल रहे कार्यालय

7610. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालयों के कितने दफ्तर कब से किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) उक्त प्रत्येक कार्यालय का नाम क्या है तथा इन कार्यालयों द्वारा प्रत्येक भवन के लिए कितना मासिक किराया दिया जाता है;

(ग) किराए पर लिए गए दिन से लेकर 29 फरवरी, 1984 तक प्रत्येक भवन के लिए कुल कितना किराया दिया गया;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार अपने कार्यालय किराए के भवनों से हटाकर सरकारी भवनों में ले जाने की इच्छुक नहीं है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर "नहीं" में है, तो देश की अर्थव्यवस्था पर भार कम करने के लिए अपने कार्यालय किराए के भवनों से हटाने के लिए सरकार द्वारा अभी तक प्रभावकारी कदम न उठाने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) इस मन्त्रालय का केवल एक अधीनस्थ कार्यालय (अर्थात् विपणन और निरीक्षण निदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय) 31 अगस्त, 1957 से दिल्ली में किराए के भवन में है। मासिक किराया 2700 रु० दिया जाता है।

(ग) 5,34,687 रुपये।

(घ) और (ङ) जी नहीं। सरकार कभी सरकारी कार्यालयों को किराये के भवनों से सरकारी भवनों में ले जाने की इच्छुक तथापि, दिल्ली नई दिल्ली के सामान्य पूल में कार्यालय स्थानों की अत्यन्त कमी के कारण वैकल्पिक स्थानों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं हो सका है।

मन्त्रालय में कार्यरत नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया जाना

7611. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या **खेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय में नैमित्तिक श्रमिकों को कुछ दिन काम करने के बाद स्वत: ही नियमित कर दिया जाता है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) गत वर्षों में उनके मंत्रालय में कितने नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया गया है ;

(घ) ऐसे कितने नैमित्तिक श्रमिक हैं जो दो वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं और उन्हें नियमित नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने उन्हें नियनित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) से (ङ) जी, नहीं। केवल दो नैमित्तिक मजदूरों को, दैनिक मजदूरी के आधार पर, मार्च, 1984 के अन्त तक, कुल 62 दिनों की अवधि के लिए लगाया गया था। यह विभाग, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-ससय पर निर्धारित मार्गदर्शी रूप रेखाओं का अनुसरण करता है, तथापि दोनों में से कोई भी नैमित्तिक श्रमिक नियमित करने के लिए पात्र नहीं है ।

किराये के भवनों में कार्यालय

7612. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या **खेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उनके मन्त्रालय के विभिन्न कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय कब से किराए के भवनों में हैं;

(ख) प्रत्येक कार्यालय का क्या नाम है तथा इन कार्यालयों हेतु लिए गए प्रत्येक भवन का मासिक किराया कितना है;

(ग) प्रत्येक भवन को किराए पर लिए जाने के बाद 29 फरवरी, 1984 तक प्रत्येक का कुल कितना किराया दिया गया है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार अपने कार्यालयों को किराए के भवनों में से सरकारी भवनों में नहीं ले जाना चाहती; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं कि राजस्व पर भार कम करने के लिए सरकार ने अपने कार्यालयों को किराए के भवनों से सरकारी भवनों में ले जाने के लिए प्रभावशाली कदम नहीं उठाए हैं ?

खेल विभाग में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) और (ख) खेल विभाग तथा 3 में से 2 नेहरू युवक केन्द्र दिल्ली में सरकारी आवास में स्थित हैं। नांगलोई स्थित केवल एक नेहरू युवक केन्द्र ही अगस्त, 1983 से 500 रुपये प्रतिमाह के एक किराए के आवास में स्थित है ।

(ग) 3,500 रुपये ।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) नांगलोई स्थित नेहरू युवक केन्द्र हेतु उपयुक्त कार्यालय आवास की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली प्रशासन से अनुरोध किया गया था, परन्तु आवास की कमी के कारण उन्होंने इस मामले में असमर्थता व्यक्त की है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा रिलीज की गई गेहूं और चावल की किस्में

7613. **श्री निहाल सिंह** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार गेहूं और चावल की कितनी किस्में रिलीज की हैं, प्रत्येक के लिए वर्ष-वार कितना प्रजनन बीज उत्पादित किया गया, वर्ष-वार किन-किन राज्यों में उनका उत्पादन हुआ उसकी तुलना में कितनी भूमि पर ये फसलें उगाई गई हैं, उन राज्यों में इन फसलों का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ और अनाजों की उत्पादकता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार जिन स्थानों पर इनका प्रदर्शन किया गया था और अपनाया गया वहां पर चावल और गेहूं के उत्पादन के लिए सस्य विज्ञान संबंधी क्या नई प्रक्रिया बनाई गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार क्षेत्र-वार गेहूं और चावल में क्या बीमारी, महामारी फैली और उसकी तुलना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रत्येक की रोकथाम और नियन्त्रण के लिए किन उपायों की सिफारिश की है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) गेहूं और चावल पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किए जा रहे उत्पादन सम्बन्धी अनुसंधान में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या सुधारात्मक उपाय करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में वाणिज्यिक केन्द्र खोला जाना

7614. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण अपनी विभिन्न कालोनियों में कई वाणिज्यिक केन्द्र खोलने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का कालोनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में निकट भविष्य में और अधिक वाणिज्यिक केन्द्र खोलने के लिए चरणवद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न कालोनियों में बनाए गए व्यापार केन्द्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। विवरण में बताए गए इन केन्द्रों के अलावा पुरानी आवासीय योजनाओं नामत: सफदरजंग, ईस्ट आफ कैलाश, नारायण टैगोर मार्डन, फ्रेण्डस कालोनी, विवेक विहार और जनकपुरी इत्यादि में कई अन्य सामुदायिक केन्द्र, स्थानीय विपणन केन्द्र, सुविधाजनक विपणन केन्द्रों का विकास किया गया है।

1500 हैक्ट० कुल क्षेत्रफल वाली 47 पुनर्वास कालोनियों में 2 लाख प्लाटों को काटते हुए लगभग 100 हैक्ट० क्षेत्रफल को 8,960 दुकानों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के विपणन केन्द्रों के लिए नियोजित तथा विकसित किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) **जिला केन्द्र** : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दो जिला केन्द्र विकसित कर दिए हैं और छः और स्थलों पर विकास कार्य प्रगति पर है। इसके 3 केन्द्र योजना स्तर में हैं।

सामुदायिक केन्द्र : अभी तक 11 सामुदायिक केन्द्रों का विकास किया गया है तथा 17 और सामुदायिक केन्द्रों के विकास का कार्य प्रगति पर है। 34 केन्द्र योजना स्तर में हैं।

स्थानीय विपणन केन्द्र : 45 स्थानीय विपणन केन्द्र तैयार किए गए हैं तथा 27 का कार्य प्रगति पर है। 69 केन्द्र योजना स्तर पर हैं।

सुविधा विपणन केन्द्र : 153 केन्द्र तैयार कर दिए गए हैं तथा 46 और स्थलों का कार्य प्रगति पर है। 84 केन्द्र योजना स्तर पर हैं।

निम्नलिखित प्रकार के विभिन्न अन्य व्यापार केन्द्र प्रगति के विभिन्न सोपानों में हैं :—

1. फल तथा सब्जी बाजार

2. कियोस्क और थड़े ।

विवरण

योजना का नाम	सामुदायिक केन्द्रों की संख्या	स्थानीय विपणन केन्द्र की स्थापना	सुविधा विपणन केन्द्रों की संख्या
शालीमार बाग ब्लाक-ए	1	2	6
शालीमार बाग ब्लाक-बी	1	4	10
पश्चिम पुरी ब्लाक-ए	1	5	7
पश्चिम पुरी ब्लाक-बी	0	5	0
विकासपुरी	2	5	24
पीतमपुरा	1	6	19
पटपड़ गंज काम्पलेक्स	1	9	32
साकेत	1	1	5
कालकाजी एक्सटेंशन	1	3	0
पीतमपुरा (समितियां)	2	7	23

वैज्ञानिक प्रतिभा के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार

7615. **श्री निहाल सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वैज्ञानिक प्रतिभा के लिए कौन से पुरस्कार प्रदान करती है और व्यक्तियों के चयन में क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक पुरस्कार की वर्ष-वार सूची क्या है और कितनी अवधि के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं तथा पुरस्कार कब दिया गया एवं उस समय वह किस पद पर था और कब से था;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में पुरस्कार प्रदान करने वालों के चयन और नामों की सिफारिश का कार्य सम्बन्धित समितियों को सौंपने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पुस्कार योजना के कार्यकरण की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का है और यदि हां तो कब ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उपलब्ध सूचना अनुबंध-II में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8182/84]** जहां सूचना उपलब्ध नहीं है, उसे एकत्रित किया जा रहा है तथा उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

विवरण

उत्कृष्ट कृषि अनुसंधान हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने निम्नलिखित एवार्ड प्रारम्भ किए हैं :—

(1) कृषि अनुसंधान हेतु श्री अहमद किदवई स्मारक पुरस्कार।

(2) कृषि में उत्कृष्ट स्नातकोत्तर अनुसंधान के लिए जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार।

(3) डा० पी० वी० सरकार दान पुरस्कार।

(4) डा० आर० डी० आसना दान पुरस्कार।

(5) हरिओम ट्रस्ट अवार्ड।

(6) टीम अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पुरस्कार।

(7) पशु विज्ञान तथा मात्स्यिकी सहित कृषि पर हिन्दी में मूल मानव कार्य के लिए डा० राजेन्द्र प्रसाद पुरस्कार।

(8) भारत के जनजातीय क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान के लिए फखरुद्दीन अली अहमद पुरस्कार।

(9) हिन्दी में लोकप्रिय विज्ञान लेखन के लिए खेती पुरस्कार।

विभिन्न एवार्डों को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार, निर्णायक समितियों का

गठन, जिसमें प्रतिष्ठित वैज्ञानिक होते हैं, अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुमोदन से किया जाता है। विभिन्न एवार्डों को प्राप्त करने के लिए, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक एवार्ड के प्राप्त करने वाले के नाम का परिषद में सिफारिश करने के लिए इनका गठन किया जाता है। निर्णायक समितियों की सिफारिशों को महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/शासी निकाय/अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

गुजरात में कृषि का विकास

7616. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त राज्य को वर्ष 1982-83 और 1983-84 में इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता दी गई है और अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1984-85 के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गुजरात राज्य में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों में आमतौर पर ये शामिल हैं, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, फसल उत्पादन, बागवानी, उर्वरक एवं खाद, पौद-रक्षण, कृषि उपकरण एवं मशीनें, विस्तार, मृदा एवं जल संरक्षण, पशु-पालन, डेरी, मात्स्यकी, वानिकी आदि। ये कार्यक्रम राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें आदिवासी क्षेत्र भी शामिल हैं, में क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में क्रियान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

(1) आदिवासी किसानों को राज सहायता देकर बीज तथा उर्वरकों का वितरण करना।

(2) राज-सहायता देकर उन्नत कृषि उपकरणों की सप्लाई करना।

(3) राज सहायता देकर फलों की कलमें, पौदों, बैलों तथा बैलगाड़ियों की सप्लाई करना।

(4) पैदा की जा रही फसलों की किस्मों में सुधार लाने के लिए अनुसंधान करना

तथा विस्तार प्रयासों के माध्यम से आदिवासी किसानों में नई फायदेमन्द फसलों का प्रचलन करना ।

(5) आदिवासी काश्तकारों को लघु सिंचाई के लिए नए कुओं का निर्माण करने और पम्पसेट लगाने ले लिए राजसहायता देना ।

(6) मृदा और जल संरक्षण के कार्यकलाप, विशेष तौर से परिरेखा पुश्तें बनाना, टेरेसिंग, नाले बंद करना, वनरोपण, चरागाह विकास आदि ।

(ख) चालू पद्धति के अनुसार राज्यों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय योजना सहायता एक-मुश्त ऋणों और एक-मुश्त अनुदान के रूप में दी जाती है । यह किसी योजना, परियोजना या क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं होती । गुजरात सरकार को दी गई केन्द्रीय योजना सहायता राशि 1982-83 में 129·55 करोड़ रुपये और 1983-84 के दौरान 144·98 करोड़ रुपये थी ।

इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पादन, लघु सिंचाई और मृदा संरक्षण के लिए मिलाकर दी गई कुल विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि 1982-83 में 2·37 करोड़ रुपये और 1983-84 में 2·21 करोड़ रुपये थी ।

राज्य में प्रमुख कृषि जिन्सों के उत्पादन के मामले में अब तक की गई प्रगति नीचे दी गई सारणी में दिखाई गई है :—

(हजार मीटरी टन/हजार गांठें)

मद	1980-81 वास्तविक	1981-82 वास्तविक	1982-83 वास्तयिक	1983-84 संभावित
खाद्यान्न	4475	5089	4359	5347*
तिलहन	1862	2518	1785	2370*
गन्ना (गन्ने के रूप में)	4435	5023	6695	5800*
कपास (हजार गांठें)	1714	2095	1548	1500*
दूध	2153	2239	2317	2442
मछली	336	240	213	275

* 1983-84 के लिए दिए गए आंकड़े आधिकांश रूप में अग्रिम तौर पर लगाने के तदर्थ अनुमानों पर आधारित है और फसल कटाई सम्बन्धी सर्वेक्षणों पर आधारित आंकड़े प्राप्त होने पर इनमें परिवर्तन हो सकता है ।

(ग) 1984-85 के लिए निर्धारित की गई केन्द्रीय योजना सहायता की धनराशि 153.98 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त 3,77 करोड़ रुपये की राशि विशेष केन्द्रीय योजना सहायता के रूप में निर्धारित की गई है जिसमें वर्ष 1984-85 के उत्पादन, लघु सिंचाई और मृदा संरक्षण शामिल हैं।

रोलर फ्लोर मिल्स को गेहूं की सप्लाई

7617. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फ्लोर मिलों को रियायती दर पर गेहूं की सप्लाई कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किस दर पर और प्रत्येक फ्लोर मिल को कितनी मात्रा में सप्लाई की गई है;

(ग) रोलर फ्लोर मिल्स को गेहूं के आवंटन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि गेहूं उपलब्ध न होने अथवा गेहूं की कम सप्लाई किए जाने के कारण अनेक रोलर फ्लोर मिलें बन्द कर दी गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यह भी सच है कि कुछ फ्लोर मिलों ने खुले बाजार से उन्हें गेहूं खरीदने की अनुमति देने के लिए सरकार से अनुरोध किया है क्योंकि वे अपने गेहूं का कोटा छोड़ने को तैयार हैं तथा सरकार द्वारा निर्धारित दर पर गेहूं उत्पादों की सप्लाई करने को भी तैयार हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) रोलर फ्लोर मिलों को 15 अप्रैल, 1983 से 208 रुपये प्रति क्विंटल की समान दर से गेहूं सप्लाई किया जा रहा है। रोलर फ्लोर मिलों द्वारा पिसाई करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को एक मुश्त गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। यह राज्य/संघ शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है कि वे राज्य/संघ शासित प्रदेश के अन्दर प्रत्येक रोलर फ्लोर मिल को गेहूं का आवंटन करें। एक विवरण संलग्न है जिसमें विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अप्रैल, 1984 के दौरान आवंटित की गई गेहूं की मात्रा का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को रोलर फ्लोर मिलों द्वारा पिसाई करने के लिए गेहूं का आवंटन, केन्द्रीय स्टाक में गेहूं की उपलब्धता, मिलों की क्षमता, गेहूं के उत्पादों की मांग और अन्य संगत बातों जैसे विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा व्यक्तिगत रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं की मात्रा का उप-आवंटन करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) जी हां।

(छ) रोलर फ्लोर मिलों के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका था क्योंकि वर्तमान नीति के अनुसार रोलर फ्लोर मिलों को सरकारी स्टाक से गेहूं आवंटित किया जाता है और उन्हें खुले बाजार से गेहूं खरीदने की अनुमति नहीं दी जाती है।

विवरण

अप्रैल, 1984 मास के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों आदि को रोलर फ्लोर मिलों के लिए गेहूं के आवंटन को बताने वाला विवरण।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	(मीटरी टन में) गेहूं का आवंटन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	21·000
2.	असम	9,500
3.	बिहार	20,770
4.	गुजरात	12,300
5.	हरियाणा	9,300
6.	हिमाचल प्रदेश	2,250
7.	जम्मू तथा कश्मीर	10,620

1	2	3
8.	कर्नाटक	24,500
9.	केरल	6,000
10.	मध्य प्रदेश	5,500
11.	महाराष्ट्र	39,800
12.	मेघालय	700
13.	नागालैण्ड	2,000
14.	उड़ीसा	9,100
15.	पंजाब	18,000
16.	राजस्थान	4,000
17.	सिक्किम	380
18.	तमिलनाडु	38,000
19.	त्रिपुरा	1,500
20.	उत्तर प्रदेश	38,800
21.	पश्चिमी बंगाल	40,500
22.	चण्डीगढ़	1,500
23.	दिल्ली	27,500
24.	गोआ, दमन और दीव	1,700
25.	पांडिचेरी	400
26.	मिजोरम	450
27.	एम० एफ० आई० एल०	8,100
	जोड़	3,54,170

नर्मदा घाटी परियोजना में डूबने वाले वन

7618. **श्री ए० के० राय** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा घाटी परियोजना में डूबने वाले वन क्षेत्र का ब्यौरा क्या है और तथ्यों का राज्य-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वनों के इस प्रकार डूबने और नष्ट होने से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा; और

(ग) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा किए गए प्राथमिक अनुमानों के अनुसार विभिन्न राज्यों में संभावित जलमग्न वन-क्षेत्र नीचे दिए गए हैं :—

गुजरात	4165·91 हैक्टार
महाराष्ट्र	6145·77 हैक्टार
मध्य प्रदेश	3545·63 हैक्टार
योग	15657·31 हैक्टार

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत उल्लंघन होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार के धनबाद और गिरिडीह जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम

7619. **श्री ए० के० राय** : क्या **ग्रामीण और विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनबाद और गिरिडीह जिलों में पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला-वार और वर्ष-वार अलग-अलग कितनी प्रगति हुई है और इसके अन्तर्गत खर्च की गयी धनराशि, वितरित किए गए अनाज, बनायी गयी स्थायी आस्तियां और जन दिवसों के रूप में दिए गए रोजगार का विवरण क्या है;

(ख) इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ग) क्या यह सच है कि वहां पर निगरानी करने वाली कोई एजेंसी न होने के कारण अधिकांश कार्यक्रम केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र स्तर पर जिला-वार कार्यान्वयन का विवरण नहीं रखा जाता है। बिहार राज्य में पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति संलग्न विवरण में दर्शायी गई है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों और विवरणियों के माध्यम से केन्द्र स्तर पर इस कार्यक्रम की निरन्तर निगरानी की जा रही है। इसके अलावा, क्षेत्रीय स्तर पर इस राज्य के कार्यान्वियन का निरीक्षण करने के लिए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और केन्द्रीय दल राज्यों के नियमित दौरे करते हैं। इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन में पाई गई कमियों को राज्य सरकार के ध्यान में लाया जाता है ताकि आवश्यक उपचारी उपाय किए जा सकें। राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वियन की नियमित समीक्षा की जाती है। वरिष्ठ राज्य अधिकारी भी क्षेत्र के नियमित दौरे करते हैं। जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियां इस कार्यक्रम की आयोजना, समन्वय और मानिटरिंग आदि के लिए उत्तरदायी हैं।

विवरण

वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वियन की प्रगति को दर्शाने वाला विवरण।

I. **नकद निधियों और खाद्यान्नों का उपयोग :**

वर्ष	पिछले वर्षों की बकाया सहित उपलब्ध की गई नकद निधियां (लाख रुपए में)	नकद निधियों का उपयोग (लाख रुपए में)	पिछले वर्ष के बकाया खाद्यान्न सहित उपलब्ध किए गए खाद्यान्नों की मात्रा (मीटरीटन)	उपयोग में ली गई मात्रा (मीटरी टन)
1982-83	7315·60	5139·65	86422	22564
1983-84	7111·77	2670·62 (फरवरी, 84 तक)	48523	7339·60 (फरवरी, 84 तक)

II. सृजित श्रमदिन

वर्ष	सृजित श्रमदिन (लाख श्रमदिनों में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि
1982-83	484.00	450.64
1983-84	405.46	223.74 (फरवरी, 1984 तक)

III. सृजित परिसम्पत्तियां :

मदें	यूनिट	1982-83	1983-84 (दिसम्बर, 83 तक)
1	2	3	4
1. वनरोपण/सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत लिया गया क्षेत्र	हेक्टेयर	6208	10649
2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पेयजल कुंए, सामुदायिक सिंचाई कुंए/सामूहिक आवास/भूमि सुधार	(संख्या)	5276	1313
3. लगाए गए वृक्ष	(संख्या लाख में)	—	174.24
4. ग्रामीण तालाबों का निर्माण	(संख्या)	8077	2624
5. लघु सिंचाई कार्यों से लाभान्वित क्षेत्र	(हेक्टेयर)	51520	4809
6. भूमि तथा जल संरक्षण तथा भूमि सुधार से लाभान्वित क्षेत्र	(हेक्टेयर)	40	11

1	2	3	4
7. ग्रामीण सड़कों का सुधार/ निर्माण	(किलोमीटर)	4296	1119
8. स्कूल तथा बालवाड़ी भवन, पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र, जंगली पशुओं के लिए पेयजल स्रोत, पशुओं के लिए तालाब पिंजरापोल, गोशालाएं, सामुदायिक मुर्गीपालन तथा सूअर गृह, नहाने तथा कपड़े धोने के प्लेटफार्म आदि	(संख्या)	1051	817
9. अन्य कार्य	(संख्या)	1347	328
10. निर्मित पेयजल कुंए	(संख्या)	—	278

पश्चिम बंगाल में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मकानों का निर्माण

7620. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में चालू योजना अवधि के दौरान समाज के कमजोर वर्गों के लिए मकानों के निर्माण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यह लक्ष्य कहां तक प्राप्त किया गया है; और

(ग) पश्चिम बंगाल में समाज के इस वर्ग के लिए अब तक कितने मकानों का निर्माण किया गया है और 1984-85 के दौरान कितने मकानों का निर्माण करने का विचार है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राज्य सरकार द्वारा यथा सूचित चालू योजना अवधि के दौरान समाज दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकानों के निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्य 588 एकक है ।

(ख) तथा (ग) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 528 एकक पूर्ण हो गए हैं तथा शेष 60 एककों का 1984-85 में निर्माण करने का प्रस्ताव है।

सेवानिवृत्ति जे० सी० ओ०/एन० सी० ओ० क्लब के लिए डिफेंस कालोनी में कल्याण/समुद्राय केन्द्र का निर्माण

7621. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवानिवृत्त जे० सी० ओ०/एन० सी० ओ० के उपयोग के लिये प्रस्तावित जे० सी० ओ० क्लब के स्थान के रूप में वर्ष 1948 में निर्धारित डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली के ब्लाक "ए" का एक भू-खण्ड, अभी भी बिना उपयोग पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि प्रस्तावित जे० सी० ओ० क्लब के लिए भूमि के मूल्य को निर्धारित करते समय आबंटियों से पहले ही वसूल कर लिया गया है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि उस ब्लाक में रहने वाले सेवानिवृत्ति जे० सी० ओ० द्वारा कल्याण समुदाय केन्द्र के रूप में उपयोग करने के लिए भू-खण्ड पर एक भवन निर्माण करने का प्रस्ताव था, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) डिफेंस कालोनी के विन्यास नक्शे को दिल्ली नगर निगम ने 8-7-1961 को अनुमोदित किया था। डिफेंस कालोनी के ब्लाक "ए" में 2 एकड़ का एक प्लाट जे० सी० ओ० क्लब के लिए उद्दिष्ट किया था। तथापि जे० सी० ओ० सहित कालोनी के सभी निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डिफेंस कालोनी वैलफेयर एसोसिशएशन ने डिफेंस कालोनी के ब्लाक "सी" में एक क्लब भवन का निर्माण किया। अतः ब्लाक "ए" में उद्दिष्ट स्थल को इस प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया गया था।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) चूंकि जे० सी० ओ० की आवश्यकताओं की भी पूर्ति के लिए डिफेंस कालोनी वैलफेयर एसोशिएशन ने पहले ही एक क्लब भवन का निर्माण कर दिया था, इसलिए केवल जे० सी० ओ० के लिए अलग क्लब का प्रस्ताव उन्होंने 1978 के बाद सरकार के साथ नहीं उठाया। तथापि, जनवरी, 1984 में डिफेंस कालोनी एसोशिएशन "ए" सैक्टर (पंजी०) ने अपने अनुरोध को दुहराया है, जिसकी जांच की जा रही है।

पिपुल्स एक्शन फार डेवलपमेंट (इण्डिया) सोसाइटी द्वारा प्राप्त धनराशियां

7622. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिपुल्स एक्शन फार डेवलपमेंट (इण्डिया) सोसाइटी ने गत तीन वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से दान के रूप में कुछ धनराशि प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो दान की राशि क्या है और उसमें से कितनी धनराशि सावधि जमा में रखी गई है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सोसाइटी ने कौन-कौन सी परियोजनाओं को आरम्भ किया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

विवरण I

वर्ष 1981, 1982 तथा 1983 के दौरान विदेशी दानदाता एजेन्सी-वार प्राप्त दान की मात्रा

(रुपये में)

विदेशी दानदाता एजेन्सी का नाम	प्राप्त दान की राशि	प्राप्त दान की राशि में से सावधि जमा में रखी राशि	निधियों को सावधि जमा में रखे जाने के कारण
1	2	3	4
	(1) 1981		
1. डेनिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी	10,00,000.00	शून्य	प्रश्न नहीं
2. फ्रीडम फ्राम हंगर कैम्पेन, पश्चिमी जर्मनी	24,75,395.00		उठता

1	2	3	4
3. फ्रीडम फ्राम हंगर कैम्पेन, यूनाइटेड किंगडम	3,26,240·00		
4. विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा गांवों को अपनाने की योजना	31,914·23		
योग :	38,33,549·25		
(2) 1982			
1. स्विस डेवलपमेन्ट कारपोरेशन	5,06,000·00	शून्य	प्रश्न नहीं
2. संयुक्त राष्ट्र संघ का खाद्य तथा कृषि संगठन	1,91,685·00		उठता
योग :	6,91,685·00		
(3) 1983			
1. डेनिडा	98,82,440·00	शून्य	प्रश्न नहीं
2. स्विस डेवलपमेंट कारपोरेशन	5,35,000·00		उठता
3. फ्रीडम फ्राम हंगर कैम्पेन, पश्चिम जर्मनी	4,39,950·00		
4. फ्रीडम फ्राम हंगर कैम्पेन, यूनाइटेड किंगडम	1,40,000·00		
योग :	1,09,97,390·00		

विवरण II

वर्ष 1981, 1982 तथा 1983 के दौरान भारतीय विकास लोक कार्यक्रम द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं के नाम

क्र० सं०	परियोजना का नाम तथा कार्यान्वयन एजेन्सी का नाम	संस्वीकृति की तारीख	मंजूर की गई राशि रुपयों में	दानदाता एजेंसी का नाम
1	2	3	4	5
		(1) 1981		
1.	समन्वित कृषि विकास परियोजना—भेरीहरी एरिया स्माल फार्मर्स एंड रिसोर्सलैस पीपुल्स एसोसिएशन, लक्ष्मीपुर, जिला पश्चिम चम्पारन (बिहार) द्वारा कार्यान्वित	12-2-1981	6,00,000	डेनिका-डेनमार्क
2.	मत्स्य पालन विकास परियोजना—कृषि विज्ञान केन्द्र, सुलतानपुर, जिला सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) द्वारा कार्यान्वित	9-3-1981	3,53,000	डेनिका-डेनमार्क
3.	खुर और मुंह के रोगों की वैक्सीन परियोजना चरण-2—भारतीय एग्रो-इन्डस्ट्रीज फाउन्डेशन, उरूली कंचन, पूना (महाराष्ट्र) द्वारा कार्यान्वित	16-3-1981	1,42,49,000 (उपकरण + नकद)	डेनिडा-डेनमार्क
		(2) 1982		
4.	आम की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक कीट प्रबन्ध व्यवस्था—सेसीडोलोजिकल सोसायटी आफ इण्डिया, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) द्वारा कार्यान्वित	9-2-1982	8,46,000	डेनिका-डेनमार्क

1	2	3	4	5
5.	ग्राम सेवा योजना—अर्न एण्ड लर्न सेन्टर, मुंगेर—श्रम भारती, प्रो आ० खादीग्राम, जिला मुंगेर (बिहार) द्वारा कार्यान्वित	19-3-1982	2,30,800	स्विस डवलेपमेंट कारपोरेशन
6.	मिनाचे दुग्ध उद्योग परियोजना—डेकोस्पिन चेरीटेबल ट्रस्ट, इचालकारंजी, जिला कोल्हापुर (महाराष्ट्र) द्वारा कार्यान्वित	3-4-1982	3,26,300	संयुक्त राष्ट्र का खाद्य व कृषि संगठन
7.	बहु-उद्देशीय कृषि दुग्ध उद्योग फार्म—कमला नेहरू स्मारक समूह्य विकासन महिला समाजम, परिपल्ली, विवलोन (केरल) द्वारा कार्यान्वित	7-7-1982	1,81,785	स्विस डेवलपमेंट कारपोरेशन
8.	सुन्दरवन के कृषकों को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं पहुंचाना—आर० के० आश्रम, निम्पिथ 24 परगना (पश्चिम बंगाल) द्वारा कार्यान्वित	11-10-1982	5,39,000	स्विस डवलेपमेंट कारपोरेशन
9.	विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा गांवों को अपनाने की योजना के अंतर्गत ग्राम महादेव दुबे, जिला गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में पेयजल हेतु ट्यूबवैल लगाना	21-10-1982	30,000	त्रिनिदाद तथा टोबैगो (वेस्ट इण्डीज) के नागरिक श्री शम्भूनाथ कपिलदेव
10.	उठाऊ सिंचाई योजना—भोगावती से रोपादेवी नदी तक—शिवाजी शिक्षा संस्थान गाओदगांव जिला शोलापुर, महाराष्ट्र	22-10-1982	5,42,000	डेनिडा-डेनमार्क

1	2	3	4	5
		(3) 1983		
11.	घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन के विकास हेतु परियोजना—थैनाद कोआपरेटिव सोसायटी लि० पुथेनचेनथाएं, त्रिवेन्द्रम (केरल)	9-2-1983	1,77,000	डेनिका-डेनमार्क
12.	मान्दरा ग्राम का समन्वित विकास—मान्दरा उन्नयम समसद, पी० ओ० मान्दरा, जिला हुगली (पश्चिम बंगाल) द्वारा कार्यान्वित	18-1-1983	1,07,600	डेनिका-डेनमार्क
13.	सेवा भारती—भारतीय विकास लोक कार्यक्रम सेवा भारती, कापगढ़ी, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल।	17-3-1983	7,14,456	डेनिका-डेनमार्क

मध्य प्रदेश में भारतीय कृषि अनुसंधाद परिषद् की पशुपालन परियोजना

7623. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की पशु-पालन परियोजना, 1970 में शुरू की गई थी; यदि हां, तो यह किस तारीख को शुरू की गई थी, इस योजना के अन्तर्गत दूध का वर्ष-वार कितना उत्पादन हुआ है; दूध देने वाली गाय कितनी हैं, दूध न देने वाली गाय कितनी हैं; योजना के आरम्भ से लेकर 15 मार्च, 1984 तक श्रेणी-वार, मादा पशुओं की संख्या कितनी रही है;

(ख) क्या डी० डी० जी० (ए० एस०) और डी० जी० (आई० सी० ए० आर०) ने 1979 से लेकर अब तक इसका दौरा किया है और इसके कार्य-निष्पादन के बारे में रिपोर्ट दी है; यदि हां, तो मार्च, 1984 तक प्रस्तुत की गई प्रत्येक रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने योजना के आरम्भ से 1983-84 तक, वर्ष-वार कितनी धनराशि जारी की और वर्ष-वार कितनी धनराशि अर्जित हुई, तथा किसी समिति/या

वर्कशाप द्वारा इसके कार्यों की की गई समीक्षा के क्या निष्कर्ष निकले तथा उन पर 1 अप्रैल, 1984 तक परिषद् द्वारा क्या कार्यवाई की गई; और

(घ) क्या सरकार इस एकक के कार्य-निष्पादन से संतुष्ट है, यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कार्यवाई करने का विचार है और कब ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान । एकक ने 1-12-1970 से कार्य करना शुरू किया । 31 मार्च, 1983 तक वर्ष-वार उत्पादित दूध का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8183/84]** प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक 1971 से 1983 तक तथा 1-12-83 तक दूध देने वाली गाय, दूध न देने वाली गाय तथा कुल मादाओं की संख्या का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8113/84]** 8183

(ख) वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर कृषि विश्वविद्यालयों का दौरा करते हैं तथा इन विश्वविद्यालयों में स्थित योजनाओं के कार्यकरण के बारे में विचार विमर्श करने के लिए उपलब्ध समय का उपयोग भी करते हैं । उप-महानिदेशक (ए० एस०) ने भी अखिल भारतीय समन्वित कुक्कट अनुसंधान प्रायोजना पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेने के लिए हाल ही में 26 तथा 27 फरवरी, 1984 को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर का दौरा किया था । सहायक महानिदेशक (ए० पी० एण्ड बी०) ने भी एकक का 19 से 21 मार्च, 1984 तक दौरा किया था तथा विश्वविद्यालय प्राधिकारियों तथा प्रायोजना समन्वयक (ए० बी०) को आगे की कार्यवाही के लिए स्थिति से अवगत करा दिया गया है । टिप्पणी प्राप्त होने के बाद परिषद् की तरफ से आगे कार्यवाही की जाएगी ।

(ग) शुरू से 1983-84 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा वर्षवार रिलीज की गई धनराशि तथा वर्षवार प्राप्त धनराशि पर सूचना अनुबंध-III में दी गई है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8183/84]**

समय-समय पर आयोजित कार्यशाला में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मवेशी प्रायोजना के कार्य की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है । दिनांक 28 से 30 अगस्त, 1983 तक हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में हुई छठी कार्यशाला में हाल ही में इसकी समीक्षा की गई थी ।

प्रायोजना के कार्य की समीक्षा परिषद द्वारा गठित मध्यावधि समीक्षा समिति द्वारा की गई थी जो कि इस उद्देश्य के लिए गठित की गई थी । इस समिति ने प्रायोजना के कार्य के सुधार के लिए स्टाफ, आवास तथा निधि के रूप में एकक के लिए कई उपायों का सुझाव दिया है ।

(घ) जी हां, श्रीमान । तथापि, भारतीय कृषि अनुसधान परिषद समय-समय पर प्रायोजना के कार्यकरण में आगे सुधार के लिए संभावित उपाय कर रही है ।

राजधानी में सेप्टिक टैंक में उत्पन्न गैस से मृत्यु

7624. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 मार्च, 1984 के पेट्रिओट में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली में सेप्टिक टैंक में उत्पन्न गैस से तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इससे प्रभावित लोगों को कोई मुआवजा दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि 12-3-84 की रात को लगभग सायं 9.00 बजे, ठेकेदार ने तीन कर्मचारियों (2 पुरुष और 1 महिला) को ब्लाक "ए", जहांगीरपुरी में सैप्टिक टैंक को साफ करने के लिए लगाया था । बताया गया कि उनमें से एक कर्मचारी जो बाल्टी से मैनहोल से कीचड़ निकाल कर सैप्टिक टैंक साफ कर रहा था, मैनहोल में फिसल गया । वह सैप्टिक टैंक से बाहर नहीं आ सका । बताया गया कि तब दूसरे व्यक्ति ने उसको बचाने के लिए सैप्टिक टैंक में प्रवेश किया । वह भी बाहर नहीं आया । अतः तीसरे कर्मचारी ने जिसे महिला कर्मचारी द्वारा स्थल पर बुलाया गया था, दो व्यक्तियों को बाहर निकालने की कोशिश की किन्तु कोई सफलता नहीं मिली । तत्पश्चात कुछ और व्यक्तियों ने सैप्टिक टैंक में प्रवेश किया और फंसे हुए तीन व्यक्तियों को बाहर निकालने में वे सफल हो गए । तत्काल सभी प्रभावित व्यक्तियों को स्थानीय निवासियों की मदद से हिन्दूराव अस्पताल ले जाया गया । हिन्दूराव अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डाक्टर ने उन तीनों व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया । अन्य तीनों व्यक्तियों को उपचार के लिए दाखिल किया गया । तीनों मृत व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. श्री चुम्बाड़िया

2. श्री रेमुना

3. श्री रमेश

जिन जीवित व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया था, उन्हें अस्पताल से पहले ही छुट्टी दे दी गई है।

(ग) सैक्टिक टैंक की सफाई करते समय जिन तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, दिल्ली के उप राज्यपाल ने प्रत्येक के परिवार को अनुकम्पा के आधार पर 5,000 रुपये की अनुग्रह राशि के भुगतान की मंजूरी दी।

कृषि के विकास के लिए हिमालयन अलपाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना

7625. **श्री हरीश रावत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय क्षेत्र में कृषि तथा उससे संबंद्ध क्षेत्रों के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में मुनसियारी में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के सहयोग से एक हिमालयन अलपाइन इंस्टीट्यूट स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संस्थान का पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) गोविन्द बल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के सहयोग से उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के मनस्यारी में हिमालय अलपाइन संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को एक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना में, जिसकी सहायता के लिए 1-2 अनुसंधान उप-केन्द्रों की स्थापना की जाएगी, सहायता देने पर सहमत हो गया है, जो हिमालय क्षेत्र में आठ जिलों के लिए कार्य करेगा। मुख्य क्षेत्रीय केन्द्र को रानीचौरी (टिहरी गढ़वाल) में स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा चमोली, उत्तराकांक्षी तथा पिथौरागढ़ जिलों के एक उपयुक्त स्थान में इन उप केन्द्रों में से एक को स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय पिथौरागढ़ जिले के मनस्यारी तहसील में करीब 100 एकड़ फार्म प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है।

यह अनुसंधान उप-केन्द्र रानीचौरी के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र के परीक्षण तथा प्रमाणीकरण केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। यह कृषि की महत्वपूर्ण समस्याओं पर अनुसंधान भी करेगा।

विश्वविद्यालय से उप-केन्द्र के संबंध में एक विस्तृत प्रायोजना प्रस्ताव आने की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश में वनरोपण तथा भू-क्षरण नियन्त्रण योजनाएं

7626. **श्री हरीश रावत** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मंजूर की गई विभिन्न वनरोपण तथा भू-क्षरण नियंत्रण योजनाओं (विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित) के नाम क्या हैं; और

(ख) इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विश्व बैंक से वित्तीय सहायता के लिए गत दो वर्षों के दौरान, "हिमालय क्षेत्र जल विभाजक" प्रबंध परियोजना, उत्तर प्रदेश" नामक एक परियोजना मंजूर की गई थी । इस परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में नयार और सरयू के दो जल विभाजक आते हैं ।

(ख) इस परियोजना की मुख्य विशेषतायें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

विवरण

हिमालय क्षेत्र जल विभाजक प्रबन्ध परियोजना की प्रमुख विशेषतायें

इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य वन संरक्षण की क्षीणता, अधिक बराई घटिया भू-उपयोग तथा लापरवाही से सड़क निर्माण के द्वारा हिमालय क्षेत्र के चुनींदा क्षेत्रों की पारिस्थिति की पद्धति में होने वाले और ह्रास को कम करना है । इन सभी कारणों से इन क्षेत्रों में मृदा कटाव में वृद्धि हुई है । कार्यक्रम की विस्तृत विशेषतायें निम्नलिखित हैं :—

(1) सरकारी तथा निजी स्वामित्व वाली, दोनों प्रकार की भूमियों में ईंधन, इमारती लकड़ी और चारा उत्पादन के लिए मिश्रित प्रजातीय बागानों की स्थापना ।

(2) वर्तमान सड़कों की सुरक्षा करने तथा कृषि योग्य भूमि का संरक्षण करने के लिए सीढ़ीदार खेत बनाने जैसे मृदा संरक्षण उपायों को शुरू करने के लिए मृदा संरक्षण और संरचनाओं का निर्माण ।

(3) पशुधन विकास तथा पशु आदान-प्रदान कार्यक्रम जिसके जरिए निकायें तथा अनुत्पादन पशुओं को उत्पादक भैंसों के साथ 2-1 की दर से बदला जाता है ।

ताकि पशुओं की संख्या कम हो तथा उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो। इस प्रकार बदले गए पशु पहाड़ी क्षेत्रों से गो सदनों को लाए जाते हैं।

(4) कृषि विस्तार सेवाओं का सुधार।

(5) उद्यान विकास।

(6) छोटी जल वाटिकाओं के निर्माण तथा उन्हें पक्का बनाकर तालाबों का निर्माण करके सिंचाई विकास।

(7) जल विकास से संबंधित अनुसंधान और प्रशिक्षण का विकास।

इस परियोजना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में नयार और सरयू जल विभाजक आते हैं तथा इसमें दीर्घ हिमालय नदी पद्धति (ऊपरी गंगा) के श्रवण क्षेत्र बनते हैं। कुल जल विभाजक क्षेत्र 312,000 हैक्टार है। सात वर्षों की अवधि में 66 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से विश्व बैंक की सहायता करीब 46 करोड़ रुपये होगी।

करार पर 8 जून, 1983 को हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना लागू की जा रही है।

पनार नदी परियोजना

7527. **श्री हरीश रावत** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पनार नदी परियोजना पर अब तक कितना धन खर्च किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस परियोजना पर काम आरंभ करने के लिए अत्यधिक विलम्ब हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य में वांछित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) माननीय सदस्य संभवतः गुजरात के पंचमहल जिले में पानम सिंचाई परियोजना का उल्लेख कर रहे हैं। यह स्कीम योजना आयोग ने 1971 में अनुमोदित कर दी थी। इस स्कीम में 49370 हैक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई करने तथा घरेलू और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए बड़ौदा को प्रतिदिन 100 मिलियन गैलन जल की आपूर्ति करने के लिए पानम नदी पर एक बांध तथा संचयन जलाशय के निर्माण की व्यवस्था है। परियोजना के निर्माण-कार्य 1972 में आरम्भ किए गए थे। बांध 1977 में पूर्ण किया जा चुका है। नहर प्रणाली भी पूरी होने वाली

है और परियोजना से पूरी सिंचाई क्षमता जून, 1984 तक सृजित कर लिए जाने की आशा है। परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत लगभग 45 करोड़ रुपए होगी। राज्य ने मार्च, 1984 तक 42.69 करोड़ रुपए व्यय किए हैं और चालू वर्ष 1984-85 के लिए 1.92 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। परियोजना के 1984-85 के दौरान सभी तरह से पूरा हो जाने की संभावना है।

भू-क्षरण के कारण भू-तत्वों की हानि

7628. **श्री हरीश रावत** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भू-क्षरण के कारण प्रति वर्ष विभिन्न भू-सम्पत्तियों के बह जाने से होने वाली हानि के राज्यवार आंकड़े क्या हैं तथा भू-क्षरण को रोकने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा प्रति वर्ष कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) उत्तर प्रदेश में भू-क्षरण रोकने का कार्य कर रही एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में गत चार वर्षों के दौरान भू-क्षरण के कारण कितनी भूमि बह गई; और

(घ) इन क्षेत्रों में व्यापार रूप से हो रहे भू-क्षरण को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) प्रत्येक वर्ष मृदा के विभिन्न तत्वों में अपरदन के परिणामस्वरूप होने वाली क्षति के राज्यवार आंकड़े दर्शाने के लिए कोई क्रमबद्ध सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि यह एक समग्र अनुमान है कि लगभग 1750 लाख हैक्टार क्षेत्र में मृदा अपरदन और भूमि निम्नीकरण होता है। 1982-83 तक 941 करोड़ रुपये की लागत से 265 लाख हैक्टार क्षेत्र का विभिन्न मृदा और जल संरक्षण उपायों के साथ उपचार किया गया है।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन पर नियंत्रण करने और अन्य मृदा तथा जल संरक्षण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए निम्न एजेंसियां है :—

1. कृषि विभाग
2. वानिकी विभाग
3. पर्वतीय विकास विभाग

भूमि और मृदा संसाधन के अधिकतम उपयोग से संबंधित एक ही कार्यक्षेत्र के विभागों की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य भूमि उपयोग बोर्ड स्थापित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में विशेष सर्वेक्षण न किए जाने के कारण मृदा अपरदन के परिणामस्वरूप बहने वाली मृदा की मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता। तथापि कृषि सांख्यिकी से पता चलता है कि 53.68 लाख हैक्टार कृष्य क्षेत्र सहित लगभग 97.64 लाख) हैक्टार क्षेत्र बुरी तरह से निम्नीकृत हो चुका है जिसके लिए गहन मृदा और जल संरक्षण उपाय करने की आवश्यकता है। पर्वतीय इलाकों सहित राज्य में मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के प्रयास मुख्यत: राज्य क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से किए जा रहे हैं, जो निम्नलिखित हैं :—

(1) पर्वतों में मृदा और जल संरक्षण

(2) मैदानों में मृदा और जल संरक्षण

(3) पठारी भूमि का संरक्षण और ऊबड़खाबड़ भूमि का स्थिरीकरण।

(4) भूमि और अपरदित भूमि में मृदा का सुधार और गहन खेती।

(5) आवंटियों की ऊसर भूमि का सुधार।

(6) मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण

(7) मैदानों और पर्वतों दोनों में अनुसंधान, प्रदर्शन और परीक्षण

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने चालू परती भूमि के अतिरिक्त परती भूमि के पुनरुद्धार का उत्पादकता वर्ष कार्यक्रम 1982-83 के दौरान क्रियान्वित किया है जिसे 1983-84 के दौरान भी चालू रखा गया है। इन दो वर्षों के दौरान राज्य ने आवश्यकतानुसार अपरदन नियंत्रण उपाय करने के साथ-साथ खेती, वनरोपण, बागान और चरागाह विकास के माध्यम से लगभग 0.70 लाख हैक्टार क्षेत्र उत्पादक प्रबंध पद्धतियों के अन्तर्गत लिया है। राज्य को निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है :—

(1) नदी घाटी परियोजनाओं अर्थात् रामगंगा के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना,

(2) गंगा बैसिन की बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों, अर्थात् गौमती, सोन, उपरी यमुना और उपरी गंगा के स्रवण क्षेत्र में समेकित जल स्रवण प्रबन्ध की केन्द्रीय प्रायोजित योजना,

(3) हिमालय क्षेत्र में मृदा, जल और वृक्ष संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना,

(4) जलाऊ लकड़ी के पौध रोपण सहित सामाजिक वानिकी,

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश में विदेशी सहायता प्राप्त निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यरत हैं :—

(1) विश्व बैंक सहायता प्राप्त हिमालय की जलस्रवण प्रबन्ध परियोजना, उत्तर प्रदेश;

(2) यूरोपीय आर्थिक समुदाय सहायता प्राप्त दक्षिण भगीरथ में वनरोपण और मृदा संरक्षण परियोजना।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूमिगत जल क्षमता

7629. **श्री अजय विश्वास** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूमिगत जल क्षमता का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो आकलन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने सिंचाई के काम के लिए भूमिगत उल भण्डारों का दोहन करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपयोज्य भूमिगत जल संसाधन प्रतिवर्ष लगभग 1.86 मिलियन हैक्टेयर मीटर है। और आगे विकास के लिए 1.84 मिलियन हैक्टेयर मीटर के शेष को छोड़ते हुए, वर्तमान उपयोग 0.02 मिलियन हैक्टेयर मीटर प्रतिवर्ष है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने अब तक भूमिगत जल संसाधनों के अन्वेषण के लिए विभिन्न प्रकार के 202 वेधन-छिद्रों की ड्रिलिंग की है। इसके अतिरिक्त 48 प्रवर्धन (डिपाजिट) कूओं की भी ड्रिलिंग की गई है।

भारत सरकार की सलाह पर, असम सरकार ने 1980 में 5000 उथले नलकूपों के निर्माण का एक क्रेश कार्यक्रम शुरू किया था। फरवरी, 1984 तक इस प्रकार के 7919 नलकूपों का निर्माण किया गया था। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए, सिंचाई मंत्रालय ने लघु सिंचाई निगम की स्थापना की, के लिए असम सरकार को सहायता दी है। इस देश में केवल यही एक निगम है जिसे न नलकूपों की निर्माण के कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत साधनों से की काफी मात्रा में वित्त सहायता प्राप्त हो रही है।

अन्वेषण कार्यक्रम को बढ़ाने में राज्यों को सहायता देने के लिए, सिंचाई मंत्रालय इस समय दो केन्द्र प्रायोजित स्कीमें संचालित कर रहा है। इन स्कीमों के अन्तर्गत, उपस्करों की खरीद करके भूमिगत जल संगठनों को सुदृढ़ करने तथा सौर पम्पों, पवन चक्कियों जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों और पम्पों तथा छिड़काव यन्त्र और टूप्स (ड्रिप) सिंचाई प्रणाली के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इन स्कीमों के अन्तर्गत 1980-83 के दौरान असम तथा त्रिपुरा राज्यों को केन्द्र के हिस्से के रूप में 7.443 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई थी।

विवरण

उत्तर-पूर्वी राज्यों के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधन क्षमता

(मिलियन हैक्टेयर मीटरों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उपयोज्य साधन	नेट ड्राफ्ट	भावी विकास के लिए उपलब्ध क्षमता
1	2	3	4
1. असम	1.65	0.02	1.63
2. मणिपुर	0.008	नगण्य	0.008
3. मेघालय	0.028	0.001	0.027
4. नागालैंड	0.003	नगण्य	0.003
5. त्रिपुरा	0.059	0.001	0.058
6. अरुणाचल प्रदेश	0.113	नगण्य	0.113
7. मिजोरम	मूल्यांकन नहीं किया गया है।		
	1.861	0.022	1.839

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों को लाभ

7630. **श्री अजय विश्वास** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कुल कितने कार्य-भारित कर्मचारी हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति सभी लाभ मिल रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों को उपलब्ध सभी सुविधाएं देने पर विचार करेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) 20,442 (31-12-1983 की स्थिति के अनुसार)

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

नहरों से पानी का रिसना

7631. **श्री राम लाल राही** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के नौ राज्यों में नहरों से पानी के रिसने के बारे में किए गए सर्वेक्षण के दौरान 7 लाख हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पानी के रिसने के कारण जल निमग्न पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में शेष राज्यों के संबंध में स्थिति क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त आंकड़ों के बारे में पुष्टि की गई है और यदि हां, तो क्या पानी के रिसने से प्रभावित भूमि संबंधी वास्तविक आंकड़े एकत्र करना आवश्यक है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) पानी के रिसने से प्रभावित राज्यों में सर्वेक्षण कब तक शुरू किये जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार ने पानी के रिसने से भूमि को बचाने के लिए तथा भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) 15 राज्यों में 41 सिंचाई कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं से प्राप्त सूचना में बताया गया है कि गंडक परियोजना कमान में 5.6 लाख हैक्टेयर में खरीफ में जल-निकास समस्या सहित 7.43 लाख हैक्टेयर भूमि जल जमाव से प्रभावित है। राज्यों में अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में सूचना राज्यों द्वारा नहीं भेजी गई है। राज्य सरकारों को सिंचाई कमानों में जल-जमाव वाले क्षेत्रों का मूल्यांकन करने तथा परियोजनावार आंकड़े समेकित करने के लिए अनुरोध किया गया है। जल-जमाव वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण पूरा हो जाने की विशिष्ट अवधि बता पाना संभव नहीं है।

(ङ) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना तथा कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। रिसन के कुप्रभावों से भूमि की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर (1) अत्यधिकरिसन वाली पहुंचों में नहरों को पक्का करना; (2) अत्यधिक रिसन वाली पहुंचों में चुनिंदा लाइनिंग सहित वर्तमान सिंचाई प्रणालियों का आधुनिकीकरण; (3) भूजल तथा भूमिगत जल का संयुक्त उपयोग; (4) वारबंदी तथा क्रमवार जल सप्लाई प्रणाली आरंभ करना; (5) सिंचित क्षेत्र में जल-निकास की पर्याप्त व्यवस्था करना जैसे उपचारात्मक उपाय बरतने की सलाह दी गई है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अंशतः या पूर्णतः पक्की खेत-नालियों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन

7632. **श्री राम लाल राही** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 26 फरवरी, 1984 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित समाचार के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वेत क्रांति (आपरेशन फ्लड) एक और दो के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन में भारी वृद्धि है;

(ख) यदि हां, तो देश में प्रत्येक राज्य में श्वेत क्रांति (आपरेशन फ्लड) एक और दो के अंतर्गत अलग-अलग कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या देश के प्रत्येक राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इस संबंध में आंकड़े क्या हैं; और

(घ) पिछले वर्ष और इस समय राज्य-वार कितना दुग्ध उत्पादन हुआ और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आपरेशन फ्लड 1 और 2

के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन के लिए कोई पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि उत्तर प्रदेश में दुग्ध के कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(ख) आपरेशन फ्लड-1, जो 31-3-81 को समाप्त हुई, के अन्तर्गत धनराशि का कुल आबंटन निम्न प्रकार थे :—

राज्य	आई० डी० सी० द्वारा आबंटित (करोड़ रुपए)
आन्ध्र प्रदेश	7·22
बिहार	3·85
गुजरात	25·32
हरियाणा	5·07
महाराष्ट्र	25·76
पंजाब	5·45
राजस्थान	4·97
तमिलनाडु	18·58
उत्तर प्रदेश	7·96
पश्चिम बंगाल	20·64

आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत भारतीय डेरी निगम द्वारा दिसम्बर, 1983 तक विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त की गई कुल धन राशि नीचे दी गई है।

राज्य	आई० डी० सी० द्वारा निर्मुक्त (लाख रुपए)
1	2
अन्दमान और निकोबार	14·18
आन्ध्र प्रदेश	1732·60

1	2
असम	124·12
बिहार	133·34
दिल्ली	478·60
गोवा	100·87
गुजरात	3096·34
हरियाणा	152·81
हिमाचल प्रदेश	8·67
कर्नाटक	308·00
जम्मू तथा कश्मीर	7·87
केरल	358·42
मध्य प्रदेश	797·74
महाराष्ट्र	1067·91
उड़ीसा	439·34
प्रांडिचेरी	25 24
पंजाब	1331·59
राजस्थान	175·79
सिक्किम	30·62
तमिलनाडु	876·74
त्रिपुरा	14·19
उत्तर प्रदेश	190·36
पश्चिम बंगाल	451·21

(ग) तथा (घ) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के लिए दूध के राज्यवार उत्पादन के बारे में आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान राज्यवार अनुमानित दुग्ध उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण

(000 मीटरी टन)

क्र० सं०	राज्य का नाम	उत्पादन		
		1980-81	1981-82	1982-83
1.	आन्ध्र प्रदेश	2350	2420	2500
2.	असम	501	522	543
3.	बिहार	1942	2035	2133
4.	गुजरात	2153	2239	2317
5.	हरियाणा	2107	2274	2300
6.	हिमाचल प्रदेश	315	339	358
7.	जम्मू तथा कश्मीर	250	260	270
8.	कर्नाटक	1154	1202	1350
9.	केरल	924	950	1010
10.	मध्य प्रदेश	2282	2390	2510
11.	महाराष्ट्र	1620	1772	1857
12.	मणिपुर	60	62	63
13.	मेघालय	56	58	60
14.	नागालैण्ड	3.30	3.45	4
15.	उड़ीसा	310	316	322
16.	पंजाब	3221	3494	3599
17.	राजस्थान	3250	3300	3400
18.	सिक्किम	17	18	19
19.	तमिलनाडु	1800	1840	1900
20.	त्रिपुरा	16.50	17.50	18.50
21.	उत्तर प्रदेश	5721	5953	6203
22.	पश्चिम बंगाल	1280	1782	2012
23.	अरुणाचल प्रदेश	31	32	33
24.	दिल्ली	157	163	168
25.	मिजोरम	2.70	2.85	2.95

स्रोत : योजना आयोग के योजना विचार विमर्श पर आधारित है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन

7633. **श्री राम लाल राही** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपरेशन फ्लड i और ii के अंतर्गत दूध का रिकार्ड उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो आपरेशन फ्लड i और ii के अंतर्गत दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य में दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो आपरेशन फ्लड i और ii के शुरू किये जाने के समय दूध का राज्यवार उत्पादन कितना था और इस समय कितना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आपरेशन फ्लड-1 तथा 2 के तहत दुग्ध उत्पादन के लिए कोई पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) तथा (घ) आपरेशन फ्लड-1 को लागू करते समय के राज्यवार दुग्ध उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के लिए दूध के उत्पादन के राज्यवार आंकड़े विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान राज्यवार अनुमानित दुग्ध उत्पादन प्रदर्शित करने वाला विवरण

(मीटरी टन)

क्र० सं०	राज्य का नाम	उत्पादन		
		1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2350	2420	2500

1	2	3	4	5
2.	असम	501	522	543
3.	बिहार	1942	2035	2133
4.	गुजरात	2153	2239	2317
5.	हरियाणा	2107	2274	2300
6.	हिमाचल प्रदेश	315	339	358
7.	जम्मू तथा कश्मीर	250	260	270
8.	कर्नाटक	1154	1202	1350
9.	केरल	924	950	1010
10.	मध्य प्रदेश	2282	2390	2510
11.	महाराष्ट्र	1620	1772	1857
12.	मणिपुर	60	62	63
13.	मेघालय	56	58	60
14.	नागालैण्ड	3.30	3.45	4
15.	उड़ीसा	310	316	322
16.	पंजाब	3221	3494	3599
17.	राजस्थान	3250	3300	3400
18.	सिक्किम	17	18	19
19.	तमिलनाडु	1800	1840	1900
20.	त्रिपुरा	16.50	17.50	18.50
21.	उत्तर प्रदेश	5721	5953	6203
22.	पश्चिम बंगाल	1280	1782	2012
23.	अरुणाचल प्रदेश	31	32	33

1	2	3	4	5
24.	दिल्ली	157	163	168
25.	मिजोरम	2·70	2·85	2·95

स्रोत : योजना आयोग के योजना विचार-विमर्श पर आधारित है।

ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के वित्त-पोषण के लिए एक आवास बैंक की स्थापना

7634. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग फेडरेशन ने आवास समितियों को ऋण देने के लिये शेयर पूंजी एकत्र करने हेतु एक आवास बैंक की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय 424 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को, जिन्हें भूमि दी गई है, 300 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीयकृत बैंक और "हुडको" इन सोसाइटियों का वित्त पोषण करने में असमर्थ रहे हैं; और

(घ) उन्हें किस सीमा तक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा और ऋण की प्रतीक्षा करने वाली उन सोसाइटियों के नाम क्या हैं जो ऋण उपलब्ध कराये जाने में विलम्ब के कारण परेशानी में हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पंजीकार सहकारी समिति, दिल्ली ने सूचित किया है कि दिल्ली सहकारी आवास बैंक के पंजीकरण के लिए उन्हें कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) सहकारी सामूहिक आवास समितियों के सदस्यों को, जिन्हें भूमि आबंटित की गई है, उन्हें स्वयं अपने संसाधनों से और वित्तीय संस्थाओं से ऋण सहित अन्य स्रोतों से धनराशि लेकर फ्लैटों के निर्माण में वित्त व्यवस्था करनी होगी। इसलिए सहकारी समितियों के पंजीकार ने सूचित किया है कि उनके पास यह सूचना नहीं है कि कितनी ऋण सहायता अपेक्षित होगी।

(ग) इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) समितियों को ऋण सहायता सहकारी सामुहिक आवास समितियों की दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति द्वारा दी जा रही है। उन्होंने 17.47 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी दी है और इस प्रकार की 24 समितियों को 11.45 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति लि० ने ऋण प्रदान करने के उद्देश्य के पत्र निम्नलिखित दो समितियों को जारी किए हैं :—

1. पूर्वी दिल्ली सहकारी सामुहिक आवास समिति
2. स्वतन्त्र भारत मिल्स सहकारी सामूहिक आवास समिति

दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति निम्नलिखित सहकारी सामूहिक आवास समितियों के ऋण संबंधी आवेदन पत्रों की जांच कर रही है :—

1. अजय सहकारी ग्रुप आवास समिति
2. इमिनाबाद सहकारी ग्रुप आवास समिति
3. ज्योति बाग सहकारी ग्रुप आवास समिति
4. आई० एम० डी० कर्मचारी सहकारी ग्रुप आवास समिति
5. न्यू सुभाष सहकारी ग्रुप आवास समिति
6. मधुवन सहकारी ग्रुप आवास समिति।

आवास तथा नगर विकास निगम अपने मार्गनिर्देशनों के अनुसार पंजीकृत प्राइमरी हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटियों को सीधे ही तथा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में यदि कोई हो, एपेक्स वित्त आवास योजनाओं के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है। हुडको ने दो सहकारी सामुहिक आवास समितियों को 128.98 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया है। निम्नलिखित दो समितियों के आवेदन पत्रों पर हुडको द्वारा विचार किया जा रहा है :—

1. रंगमहल सहकारी सामुहिक आवास समिति लिमिटेड
2. वायु सैनिक एवं नाविक सहकारी सामुहिक आवास समिति।

खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की स्थापना

7635. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री राम कृष्ण मोरे :
श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में विभिन्न नीति उपायों के प्रभावों का अध्ययन करने तथा उन में सुधार के लिये सुझाव देने हेतु खाद्य अनुसंधान नीति संस्थान की स्थापना का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी के लिये मुख्य कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1973 के व्यापार नियमों के निर्धारण के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा एक राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र संस्थान को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव रखा गया था जो अन्य बातों से साथ-साथ खाद्य नीति संबंधी अनुसंधान भी देखेगा। इस प्रस्तावित संस्थान का नाम पहले केन्द्रीय कृषि विपणन तथा खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान रखा गया था। इस प्रस्ताव को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की छठी योजना के प्रस्तावों में शामिल किया गया था।

(ख) इस पर यथा शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

(ग) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

पिपरासी पिपराघाट बांध

7636. **श्री पिताम्बर सिंह** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि "पिपरासी पिपराघाट बांध" में गत वर्ष जून/जुलाई में पड़ी दरार से 8 से 11 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में पड़ने वाले न केवल बिहार के पश्चिम चम्पारन जिले के मधुबनी अंचल में बल्कि उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के कुछ भागों में भी गोंवों, फसलों, वृक्षों को उखाड़ दिया और करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने काप्पटिया में दरारों को भरने के लिए अब तक क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) आगामी मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए उक्त दरारों के भरने के लिए किए गए प्रयासों के क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) उच्च स्तरीय समिति ने गंडक पर पिपरासी-पिपराघाट तटबंध में 8 कि० मी० से 12 कि० मी० के बीच में

1983 की दरारों को भरने के लिए कटाव रोधी निर्माण कार्यों सहित लगभग 5 कि० मी० पश्च तटबंध के निर्माण की सिफारिश की थी ।

उच्च स्तरीय समिति की हाल ही में हुई बैठक के दौरान बिहार के प्रतिनिधि ने यह बताया है कि थोरी अन्तराल में कटाव-रोधी कार्यों सहित पश्च तटबंध के निर्माण कार्य को 1984 की बाढ़ों से पूर्व पूरा करने का प्रस्ताव है ।

पशुओं का वध और गोमांस का निर्यात

7637. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **कृषि मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1980, 1981, 1982 और 1983 के दौरान पंजीकृत और लाइसेंसशुदा बूचड़खानों तथा कसाईघरों में कितने गोजातीय पशुओं अर्थात् गायों, बैलों तथा बछड़ों का वध किया गया;

(ख) बूचड़खानों में कम उम्र के पशुओं का वध रोकने के लिये निगरानी रखने वाला अधिकरण तथा पर्यवेक्षण एजेंसी का नाम क्या है;

(ग) क्या भारत से गोमांस के निर्यात पर प्रतिबन्ध है, यदि हां, तो कब से;

(घ) उक्त प्रतिबन्ध से पूर्व पिछले वर्ष के दौरान, गोमांस के निर्यात के आंकड़े क्या हैं तथा इसका कितने टन निर्यात किया गया और उक्त निर्यात से कितनी आय हुई;

(ङ) क्या "भैंस का मांस" शीर्ष के अंतर्गत गुप्त रूप से सऊदी अरब तथा अन्य देशों को गोमांस के निर्यात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(च) गोजातीय पशुओं को वध से बचाने के लिए और तस्करी जैसे विभिन्न अन्तर्राज्जीय कदाचारों को रोकने के लिए सरकार ने क्या विशेष कदम उठाने की योजना बनायी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1980, 1981, 1982 और अक्तूबर, 1983 तक के दौरान देश में वध किए गए गोजातीय पशुओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) बूचड़खानों में युवा पशुओं का वध रोकने के लिए संबंधित राज्य का पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग प्रबोधन प्राधिकरण और पर्यवेक्षी एजेंसी है ।

(ग) जी हां । भारत से गोमांस के निर्यात की कभी अनुमति नहीं दी गई ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

(ङ) जी हां। कुछ आरोप लगाए गए थे और शिकायतें प्राप्त हुईं। गोमांस के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा है।

(च) राज्य पशु निवारण अधिनियमों में दुधारू, भारवाही और प्रजनन सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए उपयुक्त पशुओं के वध की अनुमति नहीं हैं। राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करें ताकि उन राज्यों को गायों के निर्यात के परमिट जारी करने से रोका जा सके जिन्होंने गोवध को रोकने अथवा प्रतिबन्ध लगाने के लिए अभी कानून नहीं बनाए हैं। संबंधित राज्यों से बाहर वध के प्रयोजन के लिये गोपशुओं को लाने ले आने की अनुमति न देने हेतु राज्य सरकारों के प्रस्तावों को भी समर्थन किया गया है।

विवरण

1980, 1681, और अक्तूबर, 1983 तक के दौरान देश में वध किये गये गोजातीय पशुओं की राज्यवार संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1980		1981		1982		1983 (अक्तूबर तक)	
		गायें	गोजातीय पशु (गायों को छोड़कर)	गायें	गोजातीय पशु (गायों को छोड़कर)	गायें	गोजातीय पशु (गायों को छोड़कर)	गायें	गोजातीय पशु (गायों को छोड़कर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	1,28,000	—	1,37,0 0	—	1,48,000	उ० न०	उ० न०
2.	असम	उ० न०	1,02,027	उ० न०	1,08,240	उ० न०	1,11,487	उ० न०	उ० न०
3.	बिहार	—	27,679	—	34,681	—	36,050	—	उ० न०
4.	गुजरात	—	78,531	—	72 382	—	62,840	—	31,264
5.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	—	1,11,740	—	1,37,835	—	1,21 077	—	68,828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	केरल	40,742	1,25,402	34,309	1,36,260	35,441	1,39,597	30,278	19,570
10.	मध्य प्रदेश	—	47,154	—	27,637	—	49,276	—	4,336
11.	महाराष्ट्र	—	5,47,258	—	4,46,986	—	4,80,019	—	3,46,189
12.	मणिपुर	—	कोई संगठित बूचड़खाना नहीं है।						
13.	मेघालय	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	26,000	91,000	उ० न०	उ० न०
14.	नागालैंड	10,568	11,480	11,725	14,088	18,689	21,558	7,009	1,085
15.	उड़ीसा	7,502	11,834	7,909	23,208	8,655	25,414	7,918	23,260
16.	पंजाब	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	तमिलनाडु	—	44,338	—	43,392	—	43,583	—	24,494
19.	त्रिपुरा	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०
20.	उत्तर प्रदेश	—	4,28,328	—	4,24,126	—	4,48,046	—	उ० न०
21.	पश्चिम बंगाल	उ० न०	59,022	उ० न०	92,321	उ० न०	79,240	उ० न०	46,235
22.	सिक्किम	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	3,198	36,771	उ० न०	1,419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	संघ शासित क्षेत्र								
1.	अन्दमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	186	—	218	—	237	—	140
2.	चंदीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	दादर व नगर हवेली	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०
4.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	गोवा दमन व दीप	—	12,179	—	15,517	—	10,086	—	उ० न०
6.	लक्षद्वीप	2021	572	1,944	507	2,589	578	1,470	223
7.	पांडिचेरी	—	7,946	8,503	—	—	8,921	—	4,894
8.	अरुणाचल प्रदेश	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	3,424	उ० न०	उ० न०
9.	मिजोरम	—	7,035	—	7,690	—	उ० न०	—	4,367

उ० न०=उपलब्ध नहीं

डी० डी० ए० के फ्लैटों का स्वामित्व के आधार पर पंजीकरण

7638. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में फ्लैटों के हस्तांतरण और स्वामित्व के आधार पर पंजीकरण की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी स्वचित पोषित योजना, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग योजनाओं के अन्तर्गत स्थायी पट्टे के आधार पर फ्लैटों की बिक्री आरम्भ कर दी है;

(घ) यदि हां, तो आबंटियों के नाम में ऐसे फ्लैटों के पंजीकरण का तरीका क्या होगा;

(ङ) क्या दिल्ली में गैर-सरकारी लोगों के फ्लैटों के हस्तांतरण के पंजीकरण के लिये भी यही तरीका लागू होगा; और

(च) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैट लीज होल्ड आधार पर आबंटित किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित फ्लैटों की भूमि को पंजीकृत अभिकरण तथा इसके निर्वाचक सदस्यों को शाश्वत पट्टा आधार पर लीज पर दिए जाते हैं।

(घ) संरचना के हस्तान्तरण विलेख को आबंटी के नाम पर निष्पादित तथा पंजीकृत किया जाएगा। हस्तान्तरण विलेख दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा आबंटी के बीच होगा।

(ङ) तथा (च) यह धृति की स्थिति पर निर्भर होगा।

दिल्ली में झुग्गी झौंपड़ी बनाने पर प्रतिबंध

7639. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में सरकारी जमीन पर झुग्गी/झौंपड़ी बनाने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है और यदि हां, तो आदेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रतिबन्ध के बावजूद राजधानी में विभिन्न स्थानों पर झुग्गी/झौंपड़ियां अभी भी बढ़ती जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सरकारी भूमि पर झुग्गी-झौंपड़ियां बनाना अनुमेय नहीं है।

(ख) तथा (ग) सरकारी भूमि पर कुछ झुग्गियां तथा झौंपड़ियां बनी हैं। सरकारी भूमि तथा सम्पत्ति पर अतिक्रमण को न होने देने, रोकने तथा हटाने के आदेश कर दिए गए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी पुष्टि की है कि समय-समय पर अब अतिक्रमण ध्यान में आते हैं उन्हें हटाया जाता है।

नीम के पेड़ लगाने का कार्यक्रम

7640. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नीम के पेड़ लगाने का कोई व्यापक कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो देश भर में नीम के पेड़ लगाने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ग) क्या नीम के बीज इकट्ठा करने का लक्ष्य प्राप्त हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो हानि पहुंचाने वाले कीड़ों के नियंत्रण हेतु उर्वरक तैयार करने तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रयोजनों/आवश्यकताओं में नीम के उपयोग संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विभिन्न वनरोपण कार्यक्रमों के तहत नीम के पेड़ लगाने को प्रोत्साहन दिया जाता है, जो स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

(ख) नीम के वृक्षों को लगाने के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ग) नीम के बीज इकठ्ठा करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

खाद्यान्नों के नुकसान को कम करना

7641. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक ढंग से भण्डारण के अभाव के कारण भारत में खाद्यान्नों को अधिकतम नुकसान होता है;

(ख) उक्त नुकसान का प्रतिशत क्या है;

(ग) खाद्यान्नों के नुकसान को कम से कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ;

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) जी नहीं । भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डागार निगम में वसूली, भण्डारण और परिवहन के दौरान विभिन्न तथ्यों के कारण खाद्यान्नों की कुछ हानि होती है । भारतीय खाद्य निगम में 1980-81 से 1982-83 के वर्षों के दौरान परिचालनों की कुल मात्रा (खरीद और बिक्री) के संदर्भ में कुल हानियों की प्रतिशतता का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1980-81	2·76%
1981-82	2·28%
1982-83	2·37%

(ग) और (घ) इन हानियों को कम करने के लिए कई एक निवारक और उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। इसमें लदान और उतरान केन्द्रों पर प्रभावकारी देख-रेख करना, परिवहन और प्राप्ति के समय बोरियों का वजन करना और उनकी गिनती करना, सुरक्षा प्रबंध कड़े करना, सभी स्थानों पर गुण नियंत्रण उपाय करना, वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता में वृद्धि करना और खुले में भण्डारण कम करना शामिल हैं ।

निगमित क्षेत्र में निर्यात फार्म

7642. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष, निगमित क्षेत्र में, कृषि-उत्पादकों का शतप्रतिशत निर्यात

करने वाले "निर्यात-फार्म" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यह भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी अधिनियम को किस तरह प्रभावित करेगा;

(ग) क्या सरकार निगमित क्षेत्र को सुविधाएं देने के बजाय किसानों को निर्यात मदों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा गोदी श्रमिकों की सहानुभूति में हड़ताल

7643. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा गोदी श्रमिकों की सहानुभूति में की गयी हड़ताल से निगम को कितना नुकसान हुआ है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की हड़ताल से देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो कितना; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि हड़ताल के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बेहतर व्यवस्था हो ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने गोदी कर्मचारियों की सहानुभूति में कोई हड़ताल नहीं की है । तथापि, बम्बई और विजाग के पत्तन-शहरों में स्थित गोदामों में कार्य कर रहे विभागीय श्रमिक 1-1-1984 से वेतन वृद्धि की अपनी मांग को मनवाने के लिए अन्य पत्तन और गोदी कर्मचारियों के साथ 15-3-1984 (मध्य रात्रि) से हड़ताल पर चले गए हैं ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखा जा रहा है और इसको हानि नहीं पहुंचने दी गई है ।

किसानों की मांगें

7644. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय किसानों ने हाल ही में सरकार को यह धमकी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे 15 अप्रैल, 1984 से अपने उत्पादों को मंडियों में नहीं भेजेंगे;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) देश में किसानों के संगठनों में से एक संगठन अर्थात शेतकारी संगठन, पुणे ने सरकार को दिए गए अपने पत्र में निम्नलिखित मांगें रखी हैं :—

(1) कृषि मूल्य आयोग को तुरन्त भंग करना तथा कृषि लागत आयोग की स्थापना करना जो व्यापक कृषि लागत को, जिसमें 20 रुपये दैनिक की दर से मजदूरी भी शामिल होनी चाहिए वैज्ञानिक पद्धति पर आंकेगा।

(2) नए कृषि लागत आयोग के गठन होने तक 1980 से जीवन लागत सूचकांक की गति की तुलना में समस्त कृषि समर्थन तथा वसूली मूल्यों का समायोजन।

(ग) कृषि जिन्सों के अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्यों को निर्धारित करने के लिए पहले से अंगीकृत पद्धति वैज्ञानिक है और इसमें वास्तविक उत्पादन लागत के समीतत्वों तथा कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र के परस्पर परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है। अतः कृषि मूल्य आयोग के स्थान पर कृषि लागत आयोग को स्थापित करने अथवा 1980 से जीवन लागत सूचकांक में हुए परिवर्तनों के अनुसार समर्थन एवं अधिप्राप्ति मूल्यों को समायोजित करने की जरूरत नहीं है। विद्यमान पद्धति के अन्तर्गत सरकार ने गत चार वर्षों में धान्यों, दलहनों, तिलहनों, कपास आदि के मामले में उनकी अधिप्राप्ति और न्यूनतम समर्थन मूल्यों में पहले ही काफी वृद्धि कर दी है।

रोलर फ्लोर मिलों की खराब हालत

7645. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 17 मार्च, 1984 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें आरोप लगाया गया

था कि गेहूं के रिलीज संबंधी सरकार की अथार्थवादी नीति के कारण उत्तरी जोन के रोलर फ्लोर मिलों पर ऊंचे मूल्य के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप मिलों की क्षमता का उपयोग कम होने लगा और वे "बिना किसी लाभ" के चल रही हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) समाचार में नार्थ जोन फ्लोर मिलर्स चैम्बर के इस आशय के वक्तव्य का उल्लेख किया गया था कि जिस ऊंचे मूल्य पर जोन की रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं दिया जा रहा है उसका उन पर कुप्रभाव पड़ा है। इस वक्तव्य के अनुसार गेहूं के वसूली मूल्य और खुले बाजार में गेहूं के मूल्य के बीच के अन्तर का यह परिणाम हुआ कि मिलों की क्षमता के इस्तेमाल में कमी हुई और उन्हें शून्य लाभ हुआ।

रोलर फ्लोर मिलों को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से 208 रु० प्रति क्विंटल के समान मूल्य पर गेहूं दिया जा रहा है। यह इक्नामिक लागत से कम मूल्य है। मिलों द्वारा 1983 के दौरान आवंटन के 90% से भी अधिक गेहूं का इस्तेमाल, जो कि कई एक तथ्यों पर निर्भर करता है, किया गया था। मिलों से निर्धारित मूल्य पर गेहूं के उत्पादों की सप्लाई करने की अपेक्षा की जाती है। इस मूल्य में मिलों के लिए गेहूं के निर्गम मूल्य के अलावा उचित मिलिंग मार्जिन की व्यवस्था भी होती है। इसलिए, इसके कारण उनके द्वारा लाभ न कमाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

देश की वन सम्पदा को बचाने हेतु चिपको आन्दोलन

7646. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश की वन सम्पदा को बचाने के लिए शुरू किए गए "चिपको" आन्दोलन की जानकारी है;

(ख) क्या यह सच है कि वनों को 32 हैक्टयर प्रति मिनट की दर से निदयत पूर्वक बर्बाद किया जा रहा है; और

(ग) यदि वन सम्पदा की इस बर्बादी को रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं तो वे क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) वन सम्पदा की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं—

(1) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को लागू करना।

(2) वनों के कार्य में ठेकेदारों की एजेंसियों को समाप्त करना।

(3) वृक्षों की अनाधिकृत कटाई रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कानून बनाना।

(4) वन संरक्षण के सिद्धांतों पर वनों की व्यवस्था के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निपण।

(5) दीर्घ कालीन हलों का पता लगाने की दृष्टि से चराई, अनधिकृत कब्जों तथा झूम खेती की समस्याओं का गहन अध्ययन शुरू करना।

(6) बड़े पैमाने पर वृक्षों का रोपण करके जलावन की लकड़ी के लिए आरक्षित स्थानों की व्यवस्था करना।

स्टाक जमा हो जाने के कारण चीनी उद्योग के समक्ष गंभीर समस्याएं

7647. **श्री राम कृष्ण मोरे** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीनी उद्योगों को अत्यधिक उत्पादन होने के कारण स्टाक जमा हो जाने से संबंधित विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन से अधिक निर्यात कोटे की मांग करेगी; और

(ग) 1983-84 से संबंधित चीनी के उत्पादन, घरेलू मांग और निर्यात का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागनिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) 1981-82 और 1982-83 के मौसमों में चीनी का भरपूर उत्पादन होने के कारण चीनी फैक्ट्रियों के पास 1-10-1983 को चीनी का स्टाक बढ़कर 46.05 लाख मीट्री टन हो गया

था। आन्तरिक खपत और निर्यात के लिए भारी मात्रा में चीनी की निर्मुक्तियां करने के फलस्वरूप फैक्ट्रियों के पास चीनी के स्टाक धीरे-धीरे कम हो रहे हैं और चालू मौसम 1983-84 में 31 मार्च की फैक्ट्रियों के पास चीनी का कुल स्टाक केवल 54.64 लाख मीटरी टन था जबकि 1982-83 मौसम में उसी तारीख को उनके पास 60.47 लाख मीटरी टन का स्टाक था। आन्तरिक खपत और निर्यात के लिए भारी मात्रा में निर्मुक्तियां करने के अलावा जो अन्य कदम उठाए गए थे उनमें उदार बैंक ऋण सुविधाएं सुलभ करना और उद्योग के पास दस लाख मीटरी टन चीनी का बफर स्टाक बनाए रखना जिस पर चीनी फैक्ट्रियां स्टाक रखने की लागत और बैंकों से 100 प्रतिशत ऋण प्राप्त कर रही हैं। भारत का अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1977 के अधीन वर्तमान निर्यात कोटा लगभग 6.5 लाख मीटरी टन है और नए अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार, जिसके बारे में अभी बात-चीत चल रही है, के अधीन अधिक निर्यात कोटा प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) चीनी वर्ष अक्तूबर से सितम्बर माना जाता है। चालू चीनी वर्ष 1983-84 अर्थात अक्तूबर, 1983 से मार्च, 1984 के दौरान चीनी के उत्पादन, आन्तरिक खपत और निर्यात के अद्यतन आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :—

(लाख मीटरी टन में)

अवधि	चीनी का उत्पादन	आन्तरिक खपत	निर्यात के लिए
अक्तूबर, 1983 से मार्च, 1984	51.03	37.08	5.58

कुल मिलाकर चीनी वर्ष 1983-84 के लिए उपर्युक्त के बारे में विश्वस्त अनुमान मुख्य मौसम अर्थात् मई, 1984 के अन्त में किसी समय उपलब्ध हो पाएंगे।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का विस्तार क्षेत्र बढ़ाना

7648. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का विस्तार क्षेत्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जिससे कि और अधिक सिंचाई परियोजनाओं को इसके अन्तर्गत लाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के कार्यक्रम के बारे में परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) हरियाणा राज्य सरकार का कुछ और सिंचाई परियोजनाओं को शामिल करने के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए केवल एक प्रस्ताव राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण यह प्रस्ताव भारत सरकार के विचारार्थ लम्बित पड़ा है।

(ख) यह चार परियोजनाएं हैं : पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा, शिवानी लिफ्ट सिंचाई तथा लोहारू लिफ्ट सिंचाई।

मिनीकिट योजनाओं का कार्यान्वयन

7649. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में मिनीकिट योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(ख) उन राज्यों में, इस योजना के प्रारम्भ से अब तक, कितने किसानों को मिनी किट योजनाओं के लाभ मिले हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सभी राज्यों में मिनिकिट योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं।

(ख) छठी योजना से पूर्व, मिनिकिट की योजनाएं अनुसंधान समर्थन के रूप में, विशेष रूप से खाद्य फसलों के मामले में नियुक्ति पूर्व किस्मों का पूर्व-परीक्षण करने के लिए शुरू की गई थी। छठी योजना के दौरान यह कार्यक्रम उन्नत किस्मों को लोकप्रिय बनाने के साधन के रूप में नवीकृत किया गया है। 1980-81 से वितरण की प्रगति नीचे दी गई है :—

वर्ष	वितरित किए गए मिनिकिट संख्या (लाख में)
1980-81	1·06
1981-82	6·12
1982-83	24·54
1983-84	49·20

थाइलैंड के चावल का आयात

7650. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास थाइलैंड से चावल खरीदने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो थाइलैंड से कुल कितने टन चावल खरीदने का विचार है;

(ग) क्या थाइलैंड से चावल 1984-85 में भेजा जाएगा; और

(घ) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) सरकार ने पहले ही 1983-84 के दौरान थाइलैंड से 3.70 लाख मीटरी टन चावल का आयात करने का ठेका कर लिया है। ठेकाबद्ध सुपुर्दगी अनुसूची के अनुसार 0.75 लाख मीठरी टन की मात्रा 1984-85 के दौरान सुपुर्द की जाएगी।

(घ) सरकार हमेशा जब कभी आवश्यक और व्यवहार्य समझा जाता है चावल का आयात करने का वैकल्प अपने पास रखती है।

फल उत्पाद आदेश सम्बन्धी प्राधिकारियों की भूमिका

7651. **श्री चिन्ता मणि जेना** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी फल और खाद्य पदार्थ संसाधन एकक खाद्य अपमिश्रण/निवारण अधिनियम के अन्तर्गत है;

(ख) फल उत्पाद आदेश, 1955 की भूमिका क्या है;

(ग) किसी कारखाने को लाइसेंस देने या नमूना परीक्षण के बाद फल उत्पाद आदेश संबंधी प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व क्या है;

(घ) क्या फल उत्पाद आदेश सम्बन्धी प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के बाद कोई शिकायतें मिली हैं और फल उत्पाद आदेश के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की की गई है; और

(ङ) एक उद्योग पर दो पर्यवेक्ष निकाय रखने की क्या आवश्यकता है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सभी फल/खाद्य विधायन यूनिट खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन आते हैं। तथापि, फल उत्पाद आदेश, 1955 के अन्तर्गत आने वाले फल और सब्जी विधायन यूनिटों से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत माल तैयार करने आदि के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

(ख) फल उत्पाद आदेश ऐसे उत्पादों के निर्यातकों से आदेश के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने की अपेक्षा करता है और वह उनके द्वारा उत्पादित और विपणित उत्पादों की किस्म को विनियमित करता है।

(ग) एक फैक्ट्री को लाइसेंस देने के बाद, फल उत्पाद आदेश प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर जिम्मेदार होते हैं कि वह आदेश के उपबंधों का अनुपालन करती है। जहां तक उन नमूनों का संबंध है जिन्हें परीक्षण के बाद विहित मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, उन्हें ऐसी कार्रवाई करनी होती है जो कि आदेश के अधीन करनी आवश्यक समझी जाती है।

(घ) हाल ही में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है।

(ङ) दोनों प्राधिकरण फल उत्पादों की किस्म को विनियमित करने में एक दूसरे के प्रयासों को सम्पूरण करते हैं।

महाराष्ट्र में चीनी उद्योग में संकट

7652. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सभी यूनिटों को गन्ने की सम्यक् सप्लाई की योजना के पूर्णत: अस्त व्यस्त हो जाने के कारण देश में और विशेष रूप से महाराष्ट्र की अनेक चीनी मिलों में संकट उत्पादन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि चालू मौसम के दौरान चीनी उत्पादन में कमी होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो इन यूनिटों को गन्ने की सप्लाई नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि चीनी उत्पादन का नुकसान न हो और चीनी उद्योगों को भी बचाया जा सके ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) चीनी मिलों को गन्ने की सप्लाई सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

केन्द्रीय सरकार को इस बारे में कोई औपचारिक रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि चीनी मिलों को गन्ने की सप्लाई की किसी योजना के ठप हो जाने के कारण महाराष्ट्र की चीनी मिलें संकट का सामना कर रही हैं।

(ग) जी हां।

(घ) चीनी के उत्पादन में प्रत्याशित कमी मिलों को गन्ने की असमान सप्लाई के कारण नहीं कही जा सकती है। उत्पादन में कमी कई एक कारणों से हुई है जिसमें प्रमुख चालू चीनी वर्ष के शुरू होने के तुरन्त पूर्व कृषि-मौसमी परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रकार से परिवर्तन होना है।

दूध और दूध उत्पादों का उत्पादन

7653. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितनी मात्रा में दूध और दूध उत्पादों का उत्पादन होता है;

(ख) सरकार ने डेरी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कार्यवाही की हैं;

(ग) क्या दूध की डेरियां स्थापित करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहाता भी दी जाती है;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों के लोगों को कोई विशेष रियायतें दी जाती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1982-83 के लिए राज्य-वार अनुमानित दुग्ध उत्पादन संलग्न विवरण I में दिया गया है।

दुग्ध चूर्ण, शिशु दुग्ध आहार तथा माल्टेड दुग्ध आहार का राज्यवार अनुमानित उत्पादन संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ख) सरकार ने आपरेशन फ्लड कार्यक्रम, जिसमें सहकारी धारणाओं पर आधारित

व्यवहार्य, आधुनिक तथा आत्मपोषी डेरी उद्योग को स्थापित करने की व्यवस्था है, के माध्यम से डेरी विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए हैं ।

(ग) आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत भारतीय डेरी निगम द्वारा राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है ।

(घ) और (ङ) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत पशुपालन तथा डेरी योजनाओं के सहित आय सृजन योजनाओं को शुरू करने के लिए सहायता दी जाती है । इस कार्यक्रम में भूमिहीन कृषि मजदूरों, सीमांत किसानों, छोटे किसानों, ग्रामीण दस्तकारों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के उन सभी परिवारों जिनकी आय 350 रुपये से कम है, को शामिल करने का लक्ष्य है । इस सम्बन्ध में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार राज सहायता और ऋण के रूप में 30 प्रतिशत सहायता अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को दी जानी चाहिए ।

विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम के तहत 4 से 32 महीने के संकर प्रजनित ओसरों को चारा प्रदान करने के लिए राजसहायता दी जाती है । छोटे और सीमान्त किसानों को भी राजसहायता दी जाती है ।

विवरण I

वर्ष 1982-83 के लिए राज्यवार अनुमानित दुग्ध उत्पादन

	राज्य	दुग्ध उत्पादन (हजार मीटरी टन)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2500
2.	असम	543
3.	बिहार	2133
4.	गुजरात	2317

1	2	3
5.	हरियाणा	2300
6.	हिमाचल प्रदेश	358
7.	जम्मू तथा कश्मीर	270
8.	कर्नाटक	1350
9.	केरल	1010
10.	मध्य प्रदेश	2510
11.	महाराष्ट्र	1857
12.	मणिपुर	63
13.	मेघालय	60
14.	नागालैण्ड	4
15.	उड़ीसा	1322
16.	पंजाब	3599
17.	राजस्थान	3400
18.	तमिलनाडु	1900
19.	त्रिपुरा	18.5
20.	उत्तर प्रदेश	6203
21.	पश्चिमी बंगाल	2012
22.	सिक्किम	19

विवरण II

वर्ष 1983 के दौरान दुग्ध चूर्ण, शिशु दुग्ध आहार, माल्टेड दुग्ध आहार का राज्यवार अनुमानित उत्पादन

मात्रा मीटरी टन में (अनंतिम)

राज्य का नाम	दुग्ध चूर्ण	शिशु दुग्ध आहार	माल्टेड दुग्ध आहार
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	6410	2370	3990
2. बिहार	18	—	—
3. गुजरात	15930	28050	1150
4. हरियाणा	1283	2423	—
5. महाराष्ट्र	3750	—	5667
6. राजस्थान	2108	648	—
7. पंजाब	12918	9076	8028
8. उत्तर प्रदेश	1591	3297	—
9. तमिलनाडु	2220	—	1
10. मध्य प्रदेश	491	—	—
11. कर्नाटक	516	9	—

मकानों के निर्माण के लिए गुजरात को स्वीकृत धनराशि

7654. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकानों के निर्माण के लिए गुजरात सरकार को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री

(श्री मल्लिकार्जुन) : आवास राज्य का विषय होने के कारण सभी सामाजिक आवास योजनायें राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा स्वयम् क्रियान्वित की जा रही हैं। केन्द्रीय सरकार केवल समेकित ऋण तथा समेकित अनुदानों के रूप में सहायता देती है। ये किसी भी योजना से सम्बद्ध नहीं होते हैं।

जहां तक गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए आवास का सम्बन्ध है लक्ष्य निम्न प्रकार है :—

1981-82	सुलभता से उपलब्ध नहीं है
1982-83	17,546 एकक
1983-84	15,000 एकक

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किया जाना

7655. **श्री के० वी० एस० मणि :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नैमित्तिक मजदूरों को एक निश्चित अवधि तक कार्य करने के पश्चात् अपने आप नियमित कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली में कितने नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किया गया है;

(घ) ऐसे कितने मजदूर हैं, जो दो वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं किन्तु अभी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 264.

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जी, नहीं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों को रिक्तियों की उपलब्धता तथा श्रमिकों द्वारा अपेक्षित शर्तों को पूरा करने की शर्त पर उन नियमित पदों पर नियुक्त किया जाता है जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना अपेक्षित होता है।

सौराष्ट्र में सिंचाई क्षमता

7656. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई क्षमता की तुलना में 1983 तक कितने प्रतिशत सिंचाई का लक्ष्य प्राप्त हुआ;

(ख) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य का सौराष्ट्र क्षेत्र सिंचाई सुविधाओं के मामले में पिछड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में चल रहीं सिंचाई परियोजनाओं का क्या ब्यौरा है; और

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली संभावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और अब तक इस दिशा में क्या उपलब्धि हुई है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) योजना आयोग में राज्यों को सिंचाई योजनाओं पर एक साथ विचार-विमर्श होता है, क्षेत्रवार नहीं। अत: किसी राज्य के विशेष क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है।

योजनाबद्ध विकास के दौरान, सौराष्ट्र क्षेत्र में लगभग 1.46 लाख हैक्टेयर क्षमता की 40 बृहद/मध्यम स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त छठी योजना के दौरान 48 मध्यम तथा 2 आधुनिकीकरण स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। लघु सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति राज्यों द्वारा प्रदान की जाती है और इसलिए उक्त क्षेत्र में लघु सिंचाई परियोजनाओं के बारे में सूचना केन्द्र के पास उपलब्ध नहीं है।

वार्षिक योजना 1984-85 पर विचार-विमर्श के समय गुजरात सरकार ने जिन निर्माणाधीन तथा नई मध्यम स्कीमों का प्रस्ताव रखा था, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में निर्माणाधीन तथा नई वृहद/मध्यम सिंचाई स्कीमों के ब्यौरे ।

(करोड़ रुपए/हजार हैक्टेयर)

क्र० सं०	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत	मार्च, 83 तक व्यय	अन्ततः सृजनीय क्षमता	जून. 1983 तक सृजित क्षमता
1	2	3	4	5	6
एक.	निर्माणाधीन स्कीमें				
क.	**बृहद स्कीमें**	कोई नहीं			
ख.	**मध्यम स्कीमें**				
1.	सुखभादर	13·97	7·03	6·86	अनुपलब्ध
2.	मछून्द्री	11·34	8·34	अनुपलब्ध	”
3.	ऊबेन	6·45	6·29	अनुपलब्ध	”
4.	कलिन्द्री	1·81	1·81	1·25	”
5.	शिंगोडा	3·00	2·89	3·73	”
6.	अम्बाजल	0·99	0·97	1·52	”
7.	रावल	3·53	3·30	अनुपलब्ध	”
8.	अमीपुर	3·70	1·87	6·76	”
9.	हिरना (एस)	5·54	5·04	अनुपलब्ध	”
10.	कालुभर	11·30	7·48	3·93	”
11.	बागड़	4·07	3·40	1·53	”
12.	राजवल (पी)	4·32	3·12	3·28	”
13.	बेनू-दो	13·69	7·48	5·29	”

1	2	3	4	5	6
14.	अजी-दो	8·19	5·09	2·39	अनुपलब्ध
15.	अजी-तीन	22·84	10·28	6·84	,,
16.	देमी-दो	7·42	4·73	2·44	,,
17.	फोफाल	3·57	3·56	4·06	,,
18.	छपराबडी	2·90	2·88	अनुपलब्ध	,,
19.	घोडाबारी	2·60	1·99	अनुपलब्ध	,,
20.	खण्ड (जीवापुर)	28·90	12·87	5·33	,,
21.	सानी	8·64	2·14	3·24	,,
	स्कीमों का आधुनिकीकरण				
22.	माछू-एक	6·92	—	9·95 (2·61 अतिरिक्त)	
23.	सर्तुजी	14·40	—	35·00 (0·20 अतिरिक्त)	
दो नई स्कीमें					
क.	**बृहद स्कीमें**	कोई नहीं			
ख.	**मध्यम स्कीमें**				
1.	रैडी	3 17	1·03	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2.	हमीरपुर	2·55	0·79	,,	,,
3.	खारो	3·51	3·38	,,	,,
4.	लखानका	2·31	1·80	,,	,,
5.	केनीयेढ	1·26	0·01	,,	,,
6.	दरेद (मेलन)	5·43	0·01	,,	,,
7.	मीठापुर	8·18	0·01	,,	,,
8.	सोनामती	2·36	0·94	,,	,,

1	2	3	4	5	6
9.	रंगमती	2·39	1·15	"	"
10.	दाई (मिन्सार)	3·96	2·84	"	"
11.	खण्ड दो	7·48	0·01	"	"
12.	वार्डी	2·67	0·01	"	"
13.	ब्राजनी	2·80	0·81	"	"
14	अनी	8·40	0·14	"	"
15.	ओजाट	4·52	0·01	"	"
16.	सांगावाड़ी	1·53	0·01	"	"
17.	रामनाथ	3·83	0·01	"	"
18.	ओजाट-दो	15·92	0·01	"	"
19.	ऊबेन	9·06	0·01	"	"
20.	नयारी-दो	4·61	0·58	"	"
21.	करमल	3·15	2·37	"	"
22.	बंगाबाड़ी	2·70	0·12	"	"
23.	मालगध	0·78	0·46	"	"
24.	ईश्वरिया	1·14	0·71	"	"
25.	अजी-चार	6·47	0·01	"	"
26	माछू-तीन	3·80	0·01	"	"
27.	माछू-दो	20·44	2·54	"	"
	जोड़	134·42	18·78		

एशियाड फ्लैटों का रख-रखाव

7657. **श्री मोहन लाल पटेल :**
श्री नवीन रावणी :

क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड फ्लैटों के रख-रखाव पर प्रतिमाह कितना व्यय किया जाता है; और

(ख) इस समय इन फ्लैटों को किस काम में लाया जा रहा है ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एशियाई खेल गांव काम्पलेक्स की सम्पदाओं के सिविल, विद्युत तथा बागवानी कार्यों सहित विभिन्न सेवाओं के अनुरक्षण तथा परिचालन का मासिक औसतन व्यय 4 लाख रुपये है।

(ख) प्रवासी भारतीयों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को फ्लैटों की बिक्री की प्रक्रिया चालू है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों के पद पर पदोन्नति

7658. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सहायक इंजीनियरों के कुल कितने पद विभागीय परीक्षा द्वारा और कितने पदोन्नति द्वारा भरे गए;

(ख) 1977 तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में पृथक्-पृथक् कितने सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तदर्थ आधार पर काम कर रह थे और वरिष्ठतम् जूनियर इंजीनियर की तदर्थ पदोन्नति की अन्तिम तारीख क्या है;

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों के पद के लिए नवीनतम भर्ती नियम क्या हैं;

(घ) 31-12-83 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सिविल और इलैक्ट्रिकल सहायक इंजीनियरों के पृथक्-पृथक् कुल कितने पद रिक्त थे;

(ङ) 1984-85 में नए पदों सहित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सिविल और इलैक्ट्रिकल सहायक इंजीनियरों के रिक्त होने वाले पदों का ब्यौरा क्या है; और

(च) 31-12-1983 को विभाग में सिविल तथा इलैक्ट्रिकल डिवीजनों में कुल कितने जूनियर और सहायक इंजीनियर काम कम रहे थे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क)

	विभागीय परीक्षा द्वारा	पदोन्नति द्वारा
सहायक इंजीनियर (सिविल)	20	17
सहायक इंजीनियर (विद्युत)	शून्य	शून्य

(ख) 5-2-1977 अर्थात् भर्ती नियमों में संशोधन करने की तारीख तक की गई तदर्थ पदोन्नतियों की संख्या इस प्रकार है :—

(i) सहायक इंजीनियर (सिविल)	319
(ii) सहायक इंजीनियर (विद्युत)	136

कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) के मामले में तदर्थ पदोन्नति की अन्तिम तारीख 20-11-76 और कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत) के मामले में 1-2-1977 है।

(ग) सहायक इंजीनियर (सिविल तथा विद्युत) के पद के लिए भर्ती नियम निर्माण और आवास मन्त्रालय के क्रमश: अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1842 और 1844 के अन्तर्गत 21 मई, 1954 को प्रकाशित किया गया और समय-समय पर संशोधित किया गया।

(घ)	सहायक इंजीनियर (सिविल)	18
	सहायक इंजीनियर (विद्युत)	10
(ङ)	**सहायक इंजीनियर (सिविल)**	
	सेवा निवृत्ति की संख्या	17
	उच्चतर ग्रेडों में सेवा-निवृत्ति की संख्या	43
	योग	60

सहायक इंजीनियर (विद्युत)

सेवा-निवृत्ति की संख्या	3
उच्चतर ग्रेडों में सेवा-निवृत्ति की संख्या	—
योग	3

नए पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध है और इसलिए नए पदों के सृजन के लिए आवश्यक पदों की संख्या का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(च)	कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल)	3899
	कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत)	1603
	सहायक इंजीनियर (सिविल)	1193
	सहायक इंजीनियर (विद्युत)	398

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्य करने वाले अधिकारियों की वर्तमान संख्या

7659. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इस समय सिविल और इलैक्ट्रिकल्स विभाग में काम कर रहे अधिकारियों अर्थात चीफ इंजीनियरों, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों, एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों, असिस्टेंट इंजीनियरों और जूनियर इंजीनियरों की संख्या इस समय कार्य कर रहे और स्वीकृत पदों की पृथक्-पृथक् संख्या सहित कितनी है;

(ख) क्या श्रेणी एक, दो और तीन में इंजीनियरिंग संवर्ग के वर्तमान ढांचे की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सहायक इंजीनियरों से सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों तक के पदों को एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों से तथा एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों से चीफ इंजीनियर तक के पदों को सुपरिन्टेंडेंट इंजीनियरों से भरने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो जूनियर इंजीनियरों के असीस्टेंट इंजीनियरों के पदों पर पदोन्नति हेतु तत्सम्बंधी गत्यवरोध को किस प्रकार नियंत्रित किया जा रहा है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) विभिन्न ग्रेडों की वर्तमान संख्या इस प्रकार है :—

सिविल	स्वीकृत संख्या	कार्यरत
मुख्य इंजीनियर (स्तर-I)	8	7
मुख्य इंजीनियर (स्तर-II)	8	8
अधीक्षक इंजीनियर	66	63
कार्यपालक इंजीनियर	356	323
सहायक कार्यपालक इंजीनियर	123	67
सहायक इंजीनियर	1164	1193
कनिष्ठ इंजीनियर	4185	3899
विद्युत		
मुख्य इंजीनियर (स्तर-I)	1	1
मुख्य इंजीनियर (स्तर-II)	1	1
अधीक्षक इंजीनियर	18	18
कार्यपालक इंजीनियर	98	98
सहायक कार्यपालक इंजीनियर	32	22
सहायक इंजीनियर	404	398
कनिष्ठ इंजीनियर	1625	1603

(ख) समूह "क" सेवाओं के बारे में संवर्ग समीक्षा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । चूंकि यह मामला केवल विचाराधीन स्तर पर है, इसलिए ब्यौरे नहीं बताए जा सकते हैं । समूह "ख" के संवर्ग समीक्षा प्रस्ताव अभी नहीं बनाए गए हैं ।

जहां तक समूह "ग" का सम्बंध है, सरकार द्वारा अगस्त, 1982 में गठित विशेष समिति ने संवर्ग समीक्षा की है किन्तु चतुर्थ वेतन आयोग के गठन को मद्दे नजर रखते हुए उसकी सिफारिशों पर कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) समूह "ख" सेवाओं के संवर्ग समीक्षा में इसका ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल, सहायक इंजीनियर के पद पर कनिष्ठ इंजीनियरों की पदोन्नति सहायक इंजीनियरों के पद के लिए भर्ती नियमों के अनुसार विनियमित किया जा रहा है।

दिल्ली दुग्ध योजना के व्यय में वृद्धि

7660. **श्री भीम सिंह :**
श्री मोतीभाई आर० चौधरी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना का व्यय गत तीन वर्षों से लगातार बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है और इस वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस खर्च को कम करने के प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों का व्यय निम्नलिखित है :—

वर्ष	व्यय (गैर-योजना) (करोड़ रुपए)
1981-82	27·18
1982-83	34·28
1983-84	41·10 (अनन्तिम)

व्यय में वृद्धि होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) संसाधित दूध की मात्रा में वृद्धि ।

(2) कच्चे दूध के खरीद मूल्य में वृद्धि ।

(3) भारतीय डेरी निगम द्वारा सप्लाई किए गए संप्रटा दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल के खरीद मूल्यों में वृद्धि ।

(4) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा खपत किए गए डीजल, फरनेस आयल, कोयले टायर-ट्यूब तथा अन्य सामग्री के खरीद मूल्यों में वृद्धि ।

(5) वार्षिक वेतन वृद्धि तथा समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते तथा अन्तरिम राहत में वृद्धि ।

(ग) तथा (घ) कुल व्यय का लगभग 80 प्रतिशत भाग कच्चे दूध, संप्रटा दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल की खरीद से सबंधित है । बटर आयल तथा संप्रटा दुग्ध चूर्ण के मूल्य भारतीय डेरी निगम द्वारा निर्धारित किए जाते हैं । कच्चे दूध के मूल्य को प्रति वर्ष संशोधित किया जाता है ताकि राज्य डेरी फैडरेशनों के माध्यम से दिल्ली दुग्ध योजना को अधिक दूध सप्लाई करने के लिए किसानों को कुछ अधिक पारिश्रमिक दिया जा सके। इसी प्रकार वेतन एवं मजदूरी में वृद्धि करना भी अपरिहार्य है । तथापि, उपयोग क्षमता में सुधार करके तथा संभाल कार्य में होने वाली क्षतियां तथा बोतलों की टूट-फूट को नियंत्रित करके प्रचालन खर्चे में वृद्धि पर समुचित नियंत्रण रखना संभव हो गया है । 1983-84 के दौरान प्रचालन खर्चे दूध के कुल उत्पादन लागत का लगभग 18 प्रतिशत है, जबकि 1981-82 के दौरान यह लगभग 20 प्रतिशत था ।

हाऊसिंग सोसाइटियों को भूमि के आबंटन

7661. **श्री भीम सिंह :**
श्री मोतीभाई आर० चौधरी :

क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि हाऊसिंग सोसायटियां दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार कितनी सोसायटियां पंजीकृत की गईं;

(ग) इनमें से कितनी सोसायटियों को वर्ष-वार भूमि आबंटित कर दी गई है;

(घ) सोसायटियों को भूमि किन मानदण्डों के आधार पर आबंटित की गई है; और

(ङ) इन सोसायटियों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को अग्रिम के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जी, हां। जुलाई-अगस्त 1981 में भूमि के आवंटन के लिए पंजीकरण हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सामूहिक ग्रुप आवास समितियों से आवेदन पत्र मांगे थे। 453 सामुहिक ग्रुप आवास समितियों ने भूमि के आबंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवेदन किया था।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 424 सामूहिक ग्रुप आवास समितियों को भूमि आबंटित कर दी है। वर्षवार आबंटन नीचे दिए गए हैं :—

1982	—	262
1983	—	162

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन सामूहिक ग्रुप आवास समितियों को भूमि आबंटित की है जिन्होंने भूमि की पूरी कीमत अदा कर दी है और जिन्हें पंजीयक सहकारी समिति, दिल्ला तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा कर दिया है।

(ङ) इन समितियों ने भूमि की लागत के रूप 47 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम रूप में अदा की थी।

विदेशी सहयोग से चल रही सिंचाई परियोजनाएं

7662. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अतिरिक्त चल रही उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो गत पांच वर्षों से विदेशी सहायता से चल रही हैं तथा तत्संबंधी वर्षवार आंकड़े क्या हैं तथा इनमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ख) क्या उक्त परियोजनाओं की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं में कितने विदेशी कार्य कर रहे हैं और गत पांच वर्षों के दौरान हमारी सरकार द्वारा इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेशी सहायता के लिए 34 परियोजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया। इन परियोजनाओं के ब्यौरे तथा सम्बद्ध राशि संलग्न विवरण में दी गई है। इनमें से 3 परियोजनाओं के मार्च, 1983 तक पूरा हो जाने की संभावना थी। इनमें से केवल एक परियोजना नामशः यू० पी० पब्लिक ट्यूबवैल चरण-एक निर्धारित अवधि के अन्दर पूरी की गई है। भारत में बाढ़ नियंत्रण संबंधी यू० एन० डी० पी० स्कीम में, भारतीय इलेक्ट्रानिक उपस्करों के विकास के संबंध में देरी से निर्णय लेने, जिसके कारण परियोजना की समय-सारिणी में पूरा संशोधन करना आवश्यक हो गया तथा गुजरात कम्यूनिकेशन तथा इलेक्ट्रानिक लि० द्वारा इलेक्ट्रानिकी उपस्करों की सप्लाई में देरी के कारण विलम्ब हो गया है। शेष परियोजनाओं के पूरा किए जाने की निर्धारित अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है।

(ग) विश्व बैंक परियोजना में किसी विदेशी को नियुक्त नहीं किया गया है। तथापि, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के विशेषज्ञ तथा विश्व बैंक के विशेषज्ञ मानीटरिंग, मूल्यांकन और परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजना का दौरा करते हैं।

कुछेक परियोजनाओं में प्रवासी विशेषज्ञ परियोजना समन्वयक अथवा मुख्य तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये हैं : यू०एस०ए०आई०डी० की सहायता से महाराष्ट्र सिंचाई प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्ध परियोजनाएं तथा मध्य प्रदेश लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए एक परियोजना समन्वयक। इसी प्रकार सीडा की सहायता से समुद्रतटीय केरल परियोजना में भूमिगत जल अध्ययन, केन्द्रीय जल आयोग की परियोजनाओं—बाढ़ पूर्वानुमान एकक; प्रणाली इंजीनियरी; पर भी प्रत्येक में एक-एक प्रवासी मुख्य परियोजना समन्वयक नियुक्त है। परामर्शदाताओं/परियोजना समन्वयकों पर खर्च, यू० एस० ए० आई० डी०, यू० एन० डी० पी० जैसी भी स्थिति हो, द्वारा वित्तपोषित होता है।

विवरण

उन सिंचाई परियोजनाओं की सूची जिनके संबंध में पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेशी सहायता के लिए करार पर हस्ताक्षर किए गए

क्रम सं०	परियोजना का नाम	उधारदाता एजेंसी	करार पर हस्ताक्षर होने का वर्ष (वित्तीय वर्ष)	पूर्ण होने की संभावित तारीख मूल संशोधित	सहायता की राशि (अमरीकी मिलियन डालर)
1	2	3	4	5	6
1.	सुवर्ण रेखा सिंचाई (बिहार औरउड़ीसा) परियोजना (ऋण 1289-आई० एन०)	आई० डी० ए०	1982-83	31-3-86	127.00
2.	द्वितीय गुजरातसिंचाई परियोजना (ऋण 1011-आई० एन०)	आई० डी० ए०	1980-81	30-4-85	175.00
3.	हरियाणा सिंचाई-दोपरियोजना (ऋण 1319-आई० एन०)	आई० डी० ए०	1982-83	31-3-87	150.00
4.	कर्णाटक ताल सिंचाई परियोजना (ऋण 1116-आई० एन०)	आई० डी० ए०	1980-81	31-3-85	54.00
5.	कल्लाडा सिंचाई और वृक्ष फसल विकास परियोजना				
	(क) ऋण (क्रेडिट) 1269-आई० एन०	आई० डी० ए०	1982-83	31-3-86	60.00
	(ख) ऋण (लोन) 2186	आई०बी०आर०डी०	1982-83	31-3-86	20.00
6.	द्वितीय महाराष्ट्र सिंचाई परियोजना (ऋण 954-आई० एन०)	आई० डी० ए०	1980-81	31-12-84	210.00

1	2	3	4	5	6
7.	महाराष्ट्र जल आयोग परियोजना				
	(क) ऋण (क्रेडिट) 1383-आई० एन०	आई० डी० ए०	1983-84	31-8-89	32·00
	(ख) ऋण (लोन) 2301-आई० एन०	आई०बी०आर०डी०	1983-84	31-8-89	22.70
8.	मध्य प्रदेश मध्यम सिंचाई परियोजना (ऋण 1108-आई० एन०)	आई० डी० ए०	1980-81	31-3-86	140·00
9.	मध्य प्रदेश बृहद सिंचाई परियोजना (ऋण 1177-आई० एन०)	आई० डी० ए०	1981-82	30-6-86	220·00
10.	चम्बल (मध्य प्रदेश) सिंचाई परियोजना (ऋण 1288-आई० एन०)	आई० डी० ए०	1982-83	30-6-86	31·00
11.	महानदी बराज परियोजना (ऋण 1078-आई० एन०)	आई० डी० ए०	1980-81	31-3-86	83.00
12.	उड़ीसा सिंचाई-दो परियोजना (ऋण 1397-आई० एन०)	आई० डी० ए०	1983-84	31-3-87	105·00
13.	पंजाब सिंचाई परियोजना (ऋण 889-आई० एन०)	आई० डी० ए०	1979-80	30-6-84	129·00
14.	उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप-एक परियोजना (ऋण 1004-आई० एन० (	आई० डी० ए०	1980-81	31-3-83	18·00
15.	द्वितीय उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप परियोजना (ऋण 1332-आई० एन०)	आई० डी० ए०	1982-83	31-3-87	101·00

1	2	3	4	5	6
16.	कृत्रिम रि-चार्ज अध्ययन	यू०एन०डी०पी	1980-81	अप्रैल, 85	0·54
17.	मृदा डायनामिक्स प्रयोगशाला केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला	यू०एन०डी०पी०	1982-83	मई, 86	1·09
18.	पत्थर-भराई में अनुसंधान और परीक्षण सुविधाएं, केंन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला	- तदेव -	1981-82	सितम्बर, 85	1·28
19.	जलीय संरचना अनुसंधान केन्द्र	- तदेव -	1981-82	सितम्बर, 84	4·17
20.	हाई ट्राइएक्सियल स्ट्रैस के अंतर्गत कंक्रीट के स्वरूप पर अनुसंधान, केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला	- तदेव -	1982-83	अगस्त, 86	1·37
21.	राक-मेकेनिक्स के लिए अनुसंधार और परीक्षण, केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला	- तदेव -	1982-83	सितम्बर, 87	1·82
22.	जल अध्ययन संस्थान, मद्रास	- तदेव -	1983-84	जुलाई, 85	0·27
23.	हरियाणा में सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्र में लवणीय जल के उपयोग के बारे में अध्ययन	- तदेव -	1982-83	मई, 84	0·88
24.	महाराष्ट्र में सिंचाई-कृषि के अंतर्गत ब्लैक काटन साइल का निकास	यू०एन०डी०पी०	1983-84	नवम्बर, 86	0·50
25.	जल तथा विद्युत सूचना प्रणाली	- तदेव -	1982-83	जून, 85	0·84
26.	भारत में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली	- तदेव -	1979-80	सितम्बर, 82 दिसम्बर, 84	1·49

1	2	3	4	5	6
27.	नहरों को पक्का करके और तटबंधों को ठोस बनाकर सिंचाई में सुधार	- तदेव -	1983-84	जून, 86	0·57
28.	केरल में साइलेंट घाटी क्षेत्र सहित तटीय केरल में भूमिगत जल अध्ययन	एस०आई० डी०ए०	1982-83	नवम्बर, 87	7 मिलियन स्वीडन क्रोनर
29.	राजस्थान मध्यम सिंचाई परियोजना	यू०एस०ए० आई०डी०	1880-81	30-6-85	36·25
30.	सिंचाई प्रबंध तथा प्रशिक्षण परियोजना	- तदेव -	1983-84	30-9-90	51·00
31.	महाराष्ट्र सिंचाई तथा प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध परियोजना	- तदेव -	1982-83	31-3-87	47·00
32.	मध्य प्रदेश सिंचाई परियोजना	- तदेव -	1983-84	30-9-89	46·00
33.	गुजरात राज्य में नहर की लाइनिंग के निर्माण हेतु पूर्व निर्मित घटकों के निर्माण के वास्ते एक उद्यम के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन की तैयारी तथा उनकी स्थापना	सोवियत रूस	1980-81	1983 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई	520 मिलियन रूबल्ज के अंतर्गत वित्त पोषण
34.	बांधों के निर्माण में दिशात्मक विस्फोट तकनीकों का प्रयोग (हिमाचल प्रदेश में)	तदेव -	1980-81	,, ,, ,,	,, ,, ,,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य

7663. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य देश में इस प्रकार के कार्य करना है जो स्थायी स्वरूप के हैं; ग्रामों के लिए लाभदायक है और स्थाई परिसंपत्तियों के रूप में हो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आरम्भ करने के बाद किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सामुदायिक भूमि को सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत लाया गया है और कितना क्षेत्र इसके अन्तर्गत लाया गया है; सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाए गए हैं : फलदार वृक्ष लगाए गए हैं और कितने पेड़ लगाए गए हैं; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आवासीय मकान बनाए गए हैं; पीने के पानी के कुंए खोदे गए हैं और बाढ़ नियंत्रण के लिए लघु सिंचाई योजनाएं पूरी की गई हैं; और

(ग) मदवार, राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्रवार इस पर कितना व्यय किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करने के अलावा ग्रामीण आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए टिकाऊ स्वरूप की सामुदायिक परिसम्पतियों का निर्माण करना भी है ।

(ख) 1980-81 से लेकर 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित की गई परिसम्पत्तियों से संबंधित राज्य-वार स्थिति विवरण-1 से 4 में दी गई है । **[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8184/84]**

(ग) सामाजिक वानिकी और केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों को छोड़कर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हुए मद-वार व्यय की सूचना एकत्र नहीं की जा रही है । वर्ष 1980-81 से लेकर 1983-84 में सामाजिक वानिकी और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों को पूर्णतया लाभ पहुंचाने वाले कार्यों के अन्तर्गत हुआ व्यय विवरण-5 और 6 में दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8184/84]**

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का नियमित किया जाना

7664. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मन्त्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने

दिनांक 5 जनवरी, 1984 के का० ज्ञा० सं० 49014(3)183-प्र०(सी०) द्वारा आदेश जारी किए हैं कि यदि कोई कर्मचारी 240 दिन की सेवा पूरी कर लेता है, तो वह नियमित किए जाने का हकदार है; और

(ख) यदि हां, तो के० लो० नि० वि० के पूछताछ कार्यालय में 1980 से काम कर रहे ऐसे कितने मिस्त्री, बढई, पेंटर, और बेलदार हैं जिन्होंने 240 दिन से अधिक की सेवा पूरी कर ली है किन्तु उन्हें नियमित नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं। गृह मंत्रालय के 5 जनवरी, 1984 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार वह दैनिक मजदूरी वाला कर्मचारी जिसकी सेवावधि दो वर्षों (केवल 240 दिन ही नहीं) की हो गई हो, को नियमित नियुक्ति के लिए लिया जा सकता।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

काजू का उत्पादन

7665. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काजू के उत्पादन के लिए 1983-84 के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) 1983-84 के दौरान जिन राज्यों में काजू के बागान लगाए गए;

(ग) 1983-84 के दौरान काजू के उत्पादन में प्रत्येक राज्य की क्या कार्यनिष्पति रही; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1983-84 के लिए काजू उत्पादन संबंधी कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) 1983-84 के दौरान काजू बागान कार्यक्रम केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा के राज्यों तथा गोवा के संघ राज्य क्षेत्र में शुरू किया गया।

(ग) तथा (घ) काजू के क्षेत्र और उत्पादन के कोई सरकारी अनुमान निर्मुक्त नहीं किए गए हैं और इसलिए वर्ष 1983-84 के लिए काजू के उत्पादन के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि 1981-82 में काजू उत्पादन मोटे अनुमान के अनुसार 1,95,760 मीटरी टन था।

दिल्ली के सुपर बाजार में वर्ष 1982-83 में नुकसान

7066. **श्री रेणुपद दास** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में दिल्ली के सुपर बाजार की कुल लाभ हानि कितनी है;

(ख) उसके आरम्भ के समय से उसे कुल कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) वर्ष 1982-83 के अनन्तिम तुलन पत्र के अनुसार, सुपर बाजार ने 34.50 लाख रुपये का निबल लाभ अर्जित किया ।

(ख) 1966-67 से 1971-72 तक शुरू के छ: वर्षों की अवधि में सुपर बाजार को 100.05 लाख रुपए की हानि हुई थी । 1972-73 से यह लाभ में चल रहा है । 30-6-1983 को अनुमानित संचित हानि 17.29 लाख रुपये है ।

(ग) सुपर बाजार के प्रबंधकों ने इसके कार्य में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए हैं । इनमें कुल बिक्री में वृद्धि करना, ऊपरी खर्चों में किफायत करना, बेहतर वस्तु सूची प्रबंध अपनाना, अपने ही साधनों से अपने व्यापार का संचालन करना, आदि शामिल है ।

सुपर बाजार द्वारा वस्तुओं की खरीद के संबंध/में मार्गनिर्देश

7667. **श्री रेणुपद दास** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सुपर बाजार की शाखाओं के माध्यम से वस्तुएं बेचने के लिए उनकी खरीद के सम्बन्ध में कोई मार्गनिर्देश है;

(ख) यदि हां, तो क्रय नीति अथवा मार्गनिर्देशों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सुपर बाजार यथार्थरूप से कई क्षेत्रों में, विशेष कर साबुन और टुथपेस्ट के क्षेत्र में बड़ी फालेर फर्मों और बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के उत्पादों की प्रदर्शनी स्थल बन गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक संभव होता है, सारी खरीद सीधे विनिर्माताओं अथवा उनके प्राधिकृत स्टाकिस्टों वितरकों/एजेन्टों से, वितरण के प्रथम बिन्दु पर लागू दरों पर की जाती है। दालों, मसालों आदि जैसी वस्तुएं राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ से खरीदी जाती हैं, बशर्ते वे वहां उपलब्ध हों और थोक बाजार की तुलना में उनकी दरें प्रतिस्पर्द्धी हों। इसी प्रकार फल, सब्जियां, और अंडे नेफेड से खरीदे जाते हैं। कपड़े अधिकांश मामलों में राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से सीधे मिलों से, खरीदे जाते हैं। सुपर बाजार के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक क्रय उप-समिति खरीद से संबंधित कार्य के बारे में मार्गदर्शन करती है और उस पर निगरानी रखती है। सुपर बाजार की क्रय-नीति की पुनरीक्षा उसकी प्रबंध समिति द्वारा समय-समय पर की जाती है।

(ग) जी नहीं।

अन्तर-राज्यीय नदी घाटी परियोजनाओं का विकास

7668. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी योजना में देश में अन्तरराज्यीय नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के लिए अनेक उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अवधि में इस कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) विभिन्न अन्तर-राज्यीय घाटी नदी परियोजनाओं पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उड़ीसा में हीराकुंड, मछकुंड और रेंगाली अंतर-राज्यीय नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) राज्यों की सिंचाई योजनाओं के लिए निधियों की सिफारिश करते समय योजना आयोग का कार्यकारी दल राज्यों के संसाधनों की कठिनाइयों को देखते हुए पर्याप्त परिव्ययों की सिफारिश करता है। छठी योजना के दौरान अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं के लिए परिव्यय/उनकी प्रगति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) हीराकुंड तथा रेंगाली बहूद्देशीय परियोजनाएं हैं जो केवल उड़ीसा राज्य की ही

सिंचाई लाभ प्रदान करते हैं। हीराकुंड परियोजना के लिए 251.15 हजार हैक्टेयर की पूर्ण क्षमता का पहले ही उपयोग किया जा रहा है। रेंगाली परियोजना में सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत मार्च, 1984 तक बांध के निर्माण पर 2672.91 लाख रुपये तथा सिंचाई परियोजना पर 369.33 लाख रुपये का व्यय होने का अनुमान है। मचकुंड एक जल-विद्युत परियोजना है, जो पहले ही पूरी की जा चुकी है।

विवरण

निर्माणाधीन अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं की प्रगति दिखाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	छठी योजना परिव्यय	मार्च, 1985 तक संभावित व्यय
1	2	3	4	5
1.	**तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर चरण-दो**			
	आन्ध्र प्रदेश	71.30	18.57	47.00
	कर्नाटक	15.00	0.74	11.73
2.	**बाणसागर**			
	बिहार	27.87	16.50	19.69
	मध्य प्रदेश	367.35	42.00	83.25
	उत्तर प्रदेश	65.00	21.00	20.50
3.	**माही बजाजसागर**			
	गुजरात	45.35	35.63	38.61
	राजस्थान (यूनिट-1 और 2)	82.64	32.03	93.95

1	2	3	4	5
4	**ब्यास यूनिट-1 और विस्तार**			
	पंजाब	13·82	1·22	13·66
	हरियाणा	9·22	0·81	9·10
	राजस्थान	4·05	0·37	4·03
5.	**ब्यास यूनिट-2 और विस्तार**			
	पंजाब	62·08	6·58	58·61
	हरियाणा	41·38	4·40	39·23
	राजस्थान	145-84	15.45	136·80
6.	**नया ओखला बराज**			
	हरियाणा	8·00	8·00	2·00
	राजस्थान	1·25	1.25	1·25
7.	**राजघाट**			
	मध्य प्रदेश	145·23	21·00	41·28
	उत्तर प्रदेश	115·00	60·00	51·06
8.	**उर्मिल**			
	मध्य प्रदेश	9·96	6·13	9·96
	उत्तर प्रदेश	10·00	6·97	8·58
9.	**गुड़गांव नहर**			
	हरियाणा	16·83	2·34	15·34
	राजस्थान	10·93	6·23	10·36
10.	**चम्बल**			
	राजस्थान	52·38	14·85	50·48
	मध्य प्रदेश	86·64	11·10	86·07

1	2	3	4	5.
11.	**गण्डक**			
	बिहार	427·61	185·00	373·0
	उत्तर प्रदेश	103·85	17·00	105·45
12.	**नया ताजेवाला बराज**			
	हरियाणा	26·00	22·91	17·32
	उत्तर प्रदेश	15·00	शून्य	0·10
13.	**तिल्लारी**			
	महाराष्ट्र	85·02	3·44	4·61
	गोवा	85·02	12·72	—
14.	**सरदार सरोवर**			
	गुजरात	4357·00	300·00	267·16
	मध्य प्रदेश	4357·00	—	—
	राजस्थान	परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है	299·70	—
15.	**सुवर्णरेखा**			
	बिहार	665·20	55·00	88·16
	उड़ीसा	391·41	शून्य	13·59
	पश्चिम बंगाल	161·46	0·13	0·46
16.	**सतलुज यमुना लिंक**			
	हरियाणा	214·00	101·02	97·00
	पंजाब		5·00	4·34

उड़ीसा के सूखा प्रवण क्षेत्रों में कृषि का विकास

7569. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान उड़ीसा में सूखा प्रवण क्षेत्रों में कृषि का विकास करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गये हैं;

(ख) उन क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिये वर्ष 1984-85 में कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) वित्तीय बर्ष 1984-85 में कृषि के विकास के लिये क्या विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983-84 में निम्नलिखित कृषि की योजनाएं शुरू की गई थीं :—

1. भूमि संरक्षण
2. चरागाह विकास
3. भूमि सर्वेक्षण
4. भूमि तथा जल प्रबंध कार्य
5. फसल उगाना ।

(ख) से (घ) वर्ष 1984-85 के लिये सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा में 383.00 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की गई है जिसे भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच बराबर-बराबर आधार पर वहन किया जाना है । निधियों का क्षेत्रवार आवंटन और स्कीमों का ब्यौरा राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही उपलब्ध होगा ।

उड़ीसा में छोटे किसान एजेंसी योजना का कार्यान्वयन

7670. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के विभिन्न जिलों में छोटे किसान विकास एजेंसी योजना लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना में अब तक उड़ीसा के कितने खण्डों में छोटे किसान विकास एजेंसी योजना लागू की जा चुकी हैं;

(ग) उक्त योजना से कितने लोगों को लाभ पहुंचा है; और

(घ) इन खंडों में शुरू किए गए विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी नहीं। लघु कृषक विकास एजेंसी योजना को 2-10-1980 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मिला दिया गया था और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम उड़ीसा के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में पिछड़े क्षेत्रों में कृषि का विकास

7671. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में विशेषकर अनुसूचित जनजातियों वाले क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों सहित समाज के कमजोर वर्गों के क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिये कार्यान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों के ब्यौरे के सम्बध में उड़ीसा सरकार से रिपोर्ट मांगी है :

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राज्य को वर्ष 1982-83 और 1983-84 में इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता दी गई है और अब तक उसमें क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1984-85 के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मौजूदा कार्य पद्धति के अनुसार राज्य की योजनाओं के लिए केन्द्रीय प्लान सहायता एक मुश्त ऋण तथा एक मुश्त अनुदान (ब्लाक ग्रांट) के रूप में दी जाती है। इसका

किसी योजना, परियोजना अथवा क्षेत्र से संबंध नहीं होता है। उड़ीसा सरकार को 1982-83 के दौरान 145.36 करोड़ रुपये की तथा 1983-84 के दौरान 162.82 करोड़ रुपए की केन्द्रीय प्लान सहायता निर्मुक्त की गई थी।

(घ) 1984-85 के लिए केन्द्रीय प्लान सहायता के लिए निर्धारित धनराशि 172.29 करोड़ रुपए है।

"ग्रोइंग अनरेस्ट अमंग फौरेस्ट सर्विस आफीसर्स" शीर्षक से समाचार

7672. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 मार्च, 1984 के "दि हिन्दुतान टाइम्स" में "ग्रोइंग अनरेस्ट अमंग फौरेस्ट सर्विस आफीसर्स" से प्रकाशित शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की तुलना में इनकी सेवाओं में गत्यावरोध और पदोन्नति के बहुत कम अवसरों के सम्बन्ध में क्या तथ्य हैं; और

(ग) सरकार द्वारा किस तारीख तक इन सेवाओं में व्याप्ते असन्तोष को दूर करने और इस सेवा को आकर्षक बनाने के लिए कोई कार्यवाही आरम्भ की जाएगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का राज्यों को आबंटन किया जाता है। राज्य संवर्ग में उनकी पदोन्नति संवर्ग अधिकारियों की कुल संख्या, रिक्तियों की उपलब्धि आदि पर निर्भर करती हैं। भारतीय वन सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के साथ वेतनमानों व अन्य सेवा शर्तों के मामले में समानता के लिए निवेदन कर रहे हैं। इस पहलू की चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा जांच की जानी है।

बहुमंजिले भवनों के निर्माण पर प्रतिबन्ध

7673. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **निर्माण और अवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने दिल्ली में बहु-मंजिले भवनों के निर्माण पर कोई प्रतिबंध लगा रखा है, यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे निर्माणों पर प्रतिबन्ध लगाने की सलाह दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में भवनों के निर्माण के लिए निर्धारित अधिकतम ऊंचाई नीचे दी गई है :—

1. रिहायशी (ग्रुप आवास विकास) के मामले में सरकारी प्वाइंट ब्लाक भवनों के सम्बन्ध में जहां पानी की ऊपरि टंकी की व्यवस्था की जाती है, में अधिकतम ऊंचाई 36·58 मीटर (120 फीट) अन्यथा अधिकतम ऊंचाई 24·4 मीटर (80 फीट) है।

2. सांस्थानिक भवनों के लिए अधिकतम ऊंचाई 24·4 मीटर (80 फीट) तक प्रातिबंधित है जहां पर लिफ्ट तथा अन्य आवश्यक सेवा दी जाती है, 13·72 मीटर (45 फीट) यदि ऐसी सेवायें पर्याप्त रूप से नहीं दी जाती है।

3. होटलों भोजनावास, अतिथिग्रहों, होस्टलों, संवासगृह तथा मोटलों (भवन मानक) विनियमन, 1977 में होटल भवनों की अधिकतम ऊंचाई 36·58 मीटर (120 फीट) बताई गई है जिसमें नागर विमान विभाग की अनुमति की शर्त पर दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा छूट दी जा सकती है।

4. महानगरीय नगर केन्द्र/जिला केन्द्रों में वाणिज्यिक/कार्यालय भवनों के लिए अलग-अलग भवनों की ऊंचाई विस्तृत योजना पर आधारित है जिसके अन्तर्गत इस प्रकार के भवन के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं। नगर विकास राज्य का विषय है। भू-उपयोग विनियमनों, भवन उपनियमों, बृहत्त योजना विनियमनों तथा संबंधित कानूनी उपबन्धों के सामंजस्य में भवन नक्शों की स्वीकृति स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के हस्तान्तरण के लिए कानून में परिवर्तन का प्रस्ताव

7674. **श्री मोहन महन्ती** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य आवास बोर्डों द्वारा लोगों को आबंटित फ्लैटों के निर्बाध हस्तान्तरण के लिए पट्टों की शर्तों के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं ;

(ख) आवास बोर्डों द्वारा निर्मित और वितरित फ्लैटों के निर्बाध हस्तांतरण के लिए कानून में किन राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों ने परिवर्तन कर दिए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) आवास राज्य का विषय है । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं का अपनी आवश्यकता तथा प्राथमिकता के अनुसार कार्यान्वयन करने तथा उनकी रूपरेखा तैयार करने में स्वतंत्र है । इसलिए, प्लाटों/फ्लैटों के आबंटन की पद्धति उनके द्वारा ही निश्चित की जाती है । दिल्ली में रिहायशी पट्टों से सम्बन्धित पट्टा विलेख पद्धति को समाप्त करना या उसमें संशोधन करने के प्रश्न के सभी पहलुओं से जांच की रही है ।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए गुजरात को सहायता

7675. **श्री नवीन रावभी** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात ने वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान बड़ी, मझोली एवं और छोटी परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) वस्तुतः उसको कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सच है कि आबंटित की गई धनराशि योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के लिए इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है और गुजरात राज्य द्वारा भेजी गई सिंचाई योजनाओं का क्या ब्यौरा है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री राम निवास मिर्धा) : **(क) से (ङ)** सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपने समग्र विकास योजनाओं के ढांचे के अन्तर्गत स्वयं की जाती हैं । केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती हैं और वह किसी परियोजना या विकास

के क्षेत्र से जुड़ी हुई नहीं होती है । 1982-83 के दौरान गुजरात सरकार ने सिंचाई स्कीमों के लिए 36.23 करोड़ रुपए की विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में अतिरिक्त परिव्यय के लिए अनुरोध किया था । परन्तु कोई अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी ।

तथापि, केन्द्र द्वारा प्रायोजित लघु सिंचाई स्कीमों के अन्तर्गत गुजरात सरकार को निम्नलिखित राशियां 50% के बराबर व्यय के आधार पर रिलीज दी गई: —

(लाख रुपए में)

स्कीम	1982-83 के दौरान रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता	1983-84
भूजल तथा भूमिगत जल संगठन (लघु सिंचाई) को सुदृढ़ बनाना छिड़काव-यंत्र/ड्रिप प्रणाली	23.00	85.30
सौर पम्प, पवनचक्की, हाइड्रम्स इत्यादि के जरिए सिंचाई को बढ़ावा देना	88.10	*

* 1982-83 के दौरान गुजरात सरकार को 100% केन्द्रीय (सहायता राज्य के हिस्से सहित) रिलीज की गई । 1982-83 के दौरान 50% केन्द्रीय सहायता अग्रिम के रूप में दी गई जिसका 1983-84 के दौरान समायोजन कर दिया जाना था ।

उपर्युक्त स्कीमों के लिए 1984-85 के दौरान दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के संम्बंध में अभी निर्णय लिया जाना है ।

इण्डियन वेट्रीनेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित टेस्ट ट्यूब बकरी के बच्चे

7676. **श्री के० मालन्ना :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 मार्च, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" की

ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि पशु स्वास्थ्य विज्ञान के प्रमुख संस्थान, इण्डियन वेट्रीनेरी इंस्टीट्यूट ने बकरियों में भ्रूण प्रतिरोपित संबंधी प्रौद्योगिकी लागू करने की दशा दिखाई है और हाल ही में अपनी प्रयोगशाला में विश्व में पहली बार "टेस्ट ट्यूब बच्चा" पैदा कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) शरीर के बाहर (अन्तःपात्र निषेचन) जीवाणुपोष पदार्थ संवर्धन में बकरी की जनन कोशिका (डिम्ब) के साथ बकरे की जनन कोशिका (शुक्राणु) का निषेचन करना संभव हो गया है। इस प्रकार पोषित बकरियों में विकसित किये गए भ्रूणों के प्रतिरोपण से "परखनली मेमने" जीवित पैदा हुए। आरंभ में इस तकनीक का मानकीकृत खरगोशों में किया गया था। खरगोश भ्रूण की विकासात्मक विशेषताओं के अध्ययन से बकरियों में समान अध्ययन करने के नियोजन में सहायता मिली। बकरी के डिम्ब को खरखोश के प्रजनक क्षेत्र में निषेचन करने के प्रयास 1982 तक सफल पाये गये और उसी वर्ष बकरी के डिम्ब का अन्तःपात्र निषेचन का कार्य शुरू किया गया था। इस तरह से विकसित किये गये 2 से 4 कोशिका अवस्था पर 20 भ्रूणों प्रतिरोपण जब पोषित बकरियों में किया गया तो उससे 2 और 28 मई, 1983 के बीच 8 मेमने पैदा हुए।

सूखा राहत कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता का उपयोग

7677. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें आबंटित किये गये खाद्यानों सहित केन्द्रीय सहायता का उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने केन्द्रीय सहायता का उपयोग किया है अथवा अन्य प्रयोजन के लिए भी उसका उपयोग किया है; और

(ग) केन्द्रीय सहायता का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) स्वीकृत की गई केन्द्रीय सहायता और उसमें से निर्मुक्त की गई धनराशि और वर्ष 1983-84 के लिए सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए आबंटन की तुलना में खाद्यान्नों का उपयोग संलग्न विवरण में

दिया गया है । केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा विभिन्न क्षेत्रीय शीर्षों के अन्तर्गत स्वीकृत की जाती है । राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यय के क्षेत्र-वार ब्यौरे के आधार पर धनराशि को व्यय की स्वीकृत अधिकतम सीमा में समायोजन किया जाता है । भारत सरकार को संस्वीकृति में उल्लिखित प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी राज्य से किसी अन्य प्रयोजन के लिए सहायता के उपयोग करने के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के उपयोग के बारे में अद्यतन जानकारी रखने के लिए पाक्षिक विवरणिका निर्धारित की गई है । केन्द्रीय सहायता के उपयोग के बारे में विशेष अन्तर-मंत्रालय दलों द्वारा जांच की जाती है जिन्हें केन्द्रीय सहायता के उपयोग की जांच करने के लिए राज्यों को भेजा जाता है ।

विवरण

राज्य का नाम	1983-84 में सूखे के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर सहायता की सीमा और निर्मुक्त की गई राशि		1983-84 में सूखा सहायता कार्यक्रम के अधीन आबंटित खाद्यान्न तथा उनका प्रयोग	
	मंजूर की गई सहायता की सीमा	निर्मुक्त राशि	आबंटित	प्रयोग
	(करोड़ रुपए)		(मीटरी टन)	
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	28·26	6·19	शून्य	शून्य
2. बिहार	8.98	००	9230	1583
3. गुजरात	9·18	7·60θ	शून्य	शून्य
4. केरल	42·46	39.57*	3500	शून्य
5. कर्नाटक	14·00	10·79t	12000	सूचित नहीं किया गया
6. मध्य प्रदेश	22·29	21·51	18200	183
7. महाराष्ट्र	11·63	3·15θθ	शून्य	शून्य
8. उड़ीसा	24·65	22·05	12285	सूचित नहीं किया गया

1	2	3	4	5
9. पंजाब	ए	4.00	शून्य	शून्य
10. राजस्थान	39.85	30.79F	22100	सूचित नहीं किया गया
11. सिक्किम	0.13	—tt	शून्य	शून्य
12. तमिलनाडु	59.15	54.38T	23000	21254
13. पश्चिम बंगाल	30.59	16.83	15000	सूचित नहीं किया गया
14. उत्तर प्रदेश	1.57	1.57	शून्य	शून्य

ए—सीमान्त राशि में से पूरा किया गया।

θ—1982-83 में अधिक राशि निर्मुक्त की गई थी और उसे देखते हुए 1983-84 के लिए राज्य योजना स्कीम के लिए राज्य सरकार की जो केन्द्रीय सहायता में भागीदारी थी उसमें से 7.60 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं।

*—1982-83 में निर्मुक्त 1.22 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

t—1982-83 में अग्रिम रूप से निर्मुक्त 6.66 करोड़ रुपए शामिल हैं जिनको 1983-84 में हिसाब में ले लिया गया।

ए—इसका कीटों द्वारा कपास फसल की क्षति से सम्बन्ध है, केन्द्रीय दल ने अभी राज्य का दौरा करना है।

F—1982-83 में, अग्रिम रूप से निर्मुक्त 11 करोड़ रुपए शामिल हैं।

tt—मार्च 1984 में सीमा मंजूर की गई थी। राज्य सरकार से व्यय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

T—1982-83 में 6.42 लाख रुपए अग्रिम रूप से निर्मुक्त शामिल हैं जो 1983-84 में हिसाब में छोड़े गये।

θθ—1983-84 में तदर्थ आधार पर 5 करोड़ रुपए निर्मुक्त दिये गये थे। तथापि राज्य सरकार द्वारा बताये व्यय के आधार पर वे 3.15 करोड़ रु० के हकदार हैं। बकाया 1.85 करोड़ रुपए 1983-84 के लिए राज्य योजना में से केन्द्रीय सहायता से वसूल कर लिए गए हैं।

खाद्य तेलों हेतु शोधन एककों की स्थापना की क्षमता के बारे में सर्वेक्षण करना

7678. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य तेल हेतु शोधन एककों की स्थापना की क्षमता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अपने तेल प्रोद्योगियों को इसकी संभावना का पता लगाने के लिए कहेगी; और

(घ) क्या सरकार का विचार परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में कोई योजना तैयार करने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) सरकार पहले से ही ग्रामीण क्षेत्रों में तेल परिष्करण एककों को प्रोत्साहन दे रही है । इस तरह के एककों को पहले ही सहकारी/राज्य क्षेत्र में तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के तत्वावधान में पंजीकृत किया जा चुका है/लाइसंस जारी किये जा चुके हैं ।

बाढ़ से प्रभावित और बंजर भूमि का सर्वेक्षण

7679. **श्री एन० ई० होरो** :
श्री छीतू भाई गामित :

क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बाढ़ से प्रभावित और बंजर भूमि के कुल क्षेत्र के संबंध में सर्वेक्षण क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा (हेक्टयर्स में) क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान बिहार में बाढ़ से प्रभावित भूमि पर उगायी गई फसल की रक्षा के लिए कोई योजना प्रारम्भ की है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 1980 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में देश में कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र लगभग 40 मिलियन हैक्टेयर तथा सुरक्षा किए जाने योग्य क्षेत्र 32 मिलियन हैक्टेयर आंका है, बंजर तथा कृषि के लिए अयोग्य भूमि अनुमान 21.50 मिलियन हैक्टेयर बताई है ।

(ग) कृषि योग्य जमीनों की सुरक्षा सहित बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को समुचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए बिहार सरकार द्वारा आरंभ की गई अनेकों स्कीमें निर्माण एवं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान लगभग 1.05 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की गई है ।

पेयजल सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये मध्य प्रदेश से प्राप्त योजनायें

7680. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1983-84 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं की व्यवस्था के लिए कितनी योजनायें प्रस्तुत की गई थी;

(ख) इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने गांवों में हैंड पम्प लगाने और जल प्रदाय योजनाओं के लिए पृथक् मापदण्ड निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) 1983-84 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने 270.152 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 388 समस्याग्रस्त ग्रामों के लिए तकनीकी अनुमोदन के लिए योजनायें भेजी हैं । इसमें से 113.76 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 105 समस्याग्रस्त ग्रामों की योजनाओं को तकनीकी अनुमोदन दे दिया गया था। 1983-84 के दौरान कार्य निष्पादन पर आधारित नई केन्द्रीय प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 1218.392 लाख रुपये की लागत से 1581 योजनाओं को भी तकनीकी अनुमोदन के लिए भेजा । इसमें से 788 371 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 1208 समस्याग्रस्त ग्रामों के लिए योजनाओं को तकनीकी अनुमोदन दे दिया गया था । शेष योजनाओं को निर्धारित मानदण्ड के पूरा न होने या त्रुटिपूर्ण होने के कारण अनुमोदित नहीं किया जा सका ।

(ख) 1983- 4 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1244.20 लाख रुपये की अनुदान सहायता दी है। राज्य सरकार के पास पिछले वर्ष के अनुदान में से 35.39 लाख रुपये की राशि भी शेष थी। 1983-84 के दौरान कार्य निष्पादन पर आधारित केन्द्रीय क्षेत्र की नई प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को 600 लाख रुपये की राशि भी दी गई है।

(ग) और (घ) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जलपूर्ति मुहैया कराने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के तकनीकी अनुमोदन के लिए निर्धारित मार्ग निर्देशन निम्नलिखित हैं :—

(i) पूरे वर्ष पर न्यूनतम पेय जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए 250-300 व्यक्तियों के लिए स्थल स्रोतों अर्थात् हैण्डपम्पों सहित नलकूपों इत्यादि की व्यवस्था।

(ii) पाइप द्वारा जल पूर्ति के मामले में 40 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मानदण्ड तथा सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्टो के माध्यम से पूर्ति की जानी चाहिये। घरेलू कनैक्शन पर विचार नहीं किया जाता है।

(iii) 1971 की जन गणना के अनुसार 150 प्र० श० जनसंख्या या परियोजना को तैयार करते समय गांव की 130 प्र० श० जनसंख्या के लिए योजनाओं का अभिकल्पन किया जाना है।

पेय जल सुविधाएं प्रदान करने के लिये राज्यों को मार्गनिर्देश

7681. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल सुविधायें प्रदान करने के लिए सभी राज्यों को कुछ मार्गनिर्देश भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति सम्बन्धी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जलपूर्ति राज्य का विषय है। राज्यों द्वारा राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल सुविधाएं मुहैया करने की योजनाएं स्वयम् बनाई जाती हैं, उनका कार्यान्वयन एवम् प्रबोधन किया जाता है। तथापि, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के तहत समस्याग्रस्त ग्रामों के रूप में पता लगाए गए ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए केन्द्र, सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को बढ़ाता है। अधिक से अधिक ग्रामों को लाभान्वित किया जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने की योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन करने के लिए 1977-78 में मार्गनिर्देश जारी किए थे। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए इन मार्गनिर्देशनों में योजनाओं के अनुमोदनार्थ निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित हैं :—

(i) सारे साल न्यूनतम पेय जल पूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 250-300 व्यक्तियों के लिए एक की दर पर स्थल स्रोत अर्थात् हैण्डपम्पों आदि सहित नलकूपों की व्यवस्था की जाए।

(ii) नल द्वारा जल पूर्ति पद्धति के मामले में, प्रति व्यक्ति मापदण्ड 40 लिटर प्रतिदिन है और जलपूर्ति सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्टों के माध्यम से ही होनी चाहिये। किसी घरेलू सेवा कनैक्शनों पर विचार नहीं किया जाता है।

(iii) 1971 की जनगणना के अनुसार 150 प्रतिशत जनसंख्या के लिए या परियोजना बनाते समय ग्राम की 130 प्रतिशत जनसंख्या के लिए योजनाएं बनानी होती हैं।

(ग) तथा (घ) नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार समस्याग्रस्त ग्रामों के रूप में पता लगाए गए सभी गांवों को छठी पंचवर्षीय योजना अर्थात् 31-3-1985 तक स्वच्छ पेय जल का कम से कम एक स्रोत सहित लाभान्वित करने का प्रयत्न करना है। 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार समस्याग्रस्त गांवों के रूप में पता लगाए गए 2,30,784 गांवों में से, 1,31,964 ग्रामों को दिसम्बर, 1983 तक लाभान्वित कर दिया गया था।

उपहार में प्राप्त सपरेटा दुग्ध चूर्ण और बटर आयल से प्राप्त धन में से व्यय

7682. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपहार में प्राप्त सपरेटा दुग्ध चूर्ण और बटर आयल से प्राप्त धन में से

1980-81 से 1983-84 तक दुग्ध संयंत्र लगाने और सज्जित करने तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा कितना धन व्यय किया गया है; और

(ख) सरकार द्वारा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है और यह कब तक किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय डेरी निगम ने आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के लिए 1980-81 से 1983-84 तक (जनवरी 1984 तक) दुग्ध परिसंस्करण संबंधी सुविधाओं तथा दुग्ध विपणन पद्धतियों के लिए लगभग 9012.96 लाख रुपए तथा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने तथा रोग नियंत्रण के लिए अवसंरचनात्मक समर्थन हेतु लगभग 3607.09 लाख रुपए की राशि खर्च की है।

(ख) आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का कार्य अन्य बातों से भी जुड़ा है और यह प्रति व्यक्ति लक्षित उपलब्धि पर निर्भर है। 1984-85 तक दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धि 146 ग्राम हो जाने की सम्भावना है। राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) ने पोषण की औसत न्यूनतम आवश्यकता प्रति दिन प्रति व्यक्ति 201 ग्राम बताई थी। दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धि आबादी की वृद्धि दर से संबंधित है। हालांकि दुग्ध उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, परन्तु उसके साथ आबादी में भी भारी वृद्धि हुई है। बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

आल इंडिया कोआर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट द्वारा विकसित की गई गाय की नई नस्लें

7683. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की मवेशी सुधार संबंधी आल इण्डिया कोआर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट द्वारा संकर नस्लों के माध्यम से डेरी टाइप की नई नस्लों का काफी संख्या में विकास किया गया है यदि हां, तो कहां पर, कब तथा प्रत्येक के द्वारा कितनी गायों की नस्लों का विकास किया गया है तथा इस क्षेत्र की उत्पादकता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) क्या इस परियोजना के अनुसंधान केन्द्रों में अधिकतर पानी की सप्लाई की कमी है यदि हां, तो भूमि क्षेत्र का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक केन्द्र में कितनी सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हैं तथा इसके साथ साथ ही कितनी सुविधाओं को आवश्यक माना गया है तथा प्रत्येक राज्य केन्द्र द्वारा क्या क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा इस अनुसंधान परियोजना पर कुल दो करोड़ रुपये से अधिक व्यय किया गया है लेकिन फिर भी किसी नस्ल का विकास नहीं किया गया है और न ही छठी योजना अवधि में भी किए जाने की संभावना है;

(घ) प्रत्येक केन्द्र प्रारम्भ करने की तिथि का ब्यौरा क्या है तथा उत्तर दायित्व के बारे में कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का जांच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान । अखिल भारतीय समन्वित गोपशु अनुसंधान प्रायोजना के अंतर्गत अभी तक संकर प्रजनन के माध्यम से डेरी किस्म के गोपशुओं की नयी नस्लों को विकसित नहीं किया गया है। फिर भी, विदेशी संकर नस्लों, विदेशी नस्ल के स्तर और संकर नस्लों के भावी प्रजनन की कारगरता के लिए नयी नस्लों को विकसित करने हेतु एक प्रौद्योगिकी को विकसित किया गया है।

(ख) गोपशु प्रायोजना के अनुसंधान केन्द्रों में से लाभ केन्द्रों में सिंचाई के लिए जल-आपूर्ति की कमी है। भूमि के क्षेत्र और सिंचाई की सुविधाओं का विवरण नीचे दिया गया है :—

	केन्द्र	भूमि क्षेत्र	सिंचाई की सुविधाएं
1.	लाभ	271 एकड़	70 एकड़ के लिए सीमांत सिंचाई की सुविधाएं

लाभ केन्द्र की जल-समस्या के समाधान के लिए आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद नागार्जुन नहर से पानी लेने की कोशिश कर रहा है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी लिफ्ट सिंचाई पद्धति से बेगू नदी से एक क्यूसेक पानी लेने के लिए स्थाई रूप से अनुमति प्रदान कर दी है।

(ग) संकर प्रजनन के माध्यम से मवेशियों की नई नस्लों के विकास का कार्य प्रगति पर है। तथापि, विदेशी संकर नस्लों की कारगरता के रूप में नई नस्लों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी तथा संकर नस्ल के विदेशी पशुओं के भावी प्रजनन क स्तर का विकास किया गया है।

(घ) प्रत्येक एकक के शुरू होने के तिथि निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	शुरू होने की तिथि
1.	भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (उ० प्र०)	1-4-1968
2.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा)	1-4-1968
3.	हरिनघाटा फार्म, हरिनघाटा (पश्चिम बंगाल)	1-1-1973
4.	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म० प्र०)	1-12-1970
5.	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुडी (महाराष्ट्र राज्य)	1-12-1970
6.	आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, लाम (आन्ध्र प्रदेश)	1-12-1970

मध्यावधि समीक्षा समिति द्वारा सवेशी प्रायोजना का मूल्यांकन किया गया है तथा समय-समय पर कार्यशाला में प्रायोजना के कार्य की जांच की गयी है। मध्यावधि समीक्षा समिति तथा कार्यशाला द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु कार्यवाही शुरू की गई है।

(ङ) उपरोक्त उत्तरों को ध्यान में रखते हुए, इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

डी० डी० ए० फ्लैटों की तुलना में वाणिज्यिक एककों के आबंटन में आरक्षण का प्रतिशत

7684. **श्री भीखाभाई** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० डी० ए० के न्यू हाउसिंग स्कीम (1976) के पैरा 8 में जनता/कम्युनिटी सर्विस पर्सनल एल० आई० जी०/एम० आई० जी० मकानों/फ्लैटों के आबंटन में

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 25 प्र० श० कोटा आरक्षित किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आबंटन करने के लिए $12\frac{1}{2}$ प्र० श० दुकानों/वाणिज्यिक फ्लैटों और प्लाटों को भी आरक्षित रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्मित दुकानों/स्टालों के आबंटन के लिए 12.8 प्र० श० तथा फ्लैटों के आबंटन में 22.5 प्र० श० का आरक्षण है । वाणिज्यिक फ्लैटों/प्लाटों के आबंटन के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की मांगों की जांच करने के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट

7685. **श्री भीखाभाई** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की मांगों की जांच करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के चेयरमैन द्वारा दिल्ली प्रशासन के वित्त सचिव श्री आर० एम० वत्स की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और उक्त समिति को दिनांक 30 नवम्बर, 1983 तक अपनी रिपोर्ट भेज देनी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है और यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसके कर्मचारियों की कतिपय मांगों पर विचार करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिसके सदस्य दिल्ली प्रशासन के वित्त सचिव श्री आर० एम० वत्स तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व इंजीनियर सदस्य श्री के० डी० बाली हैं ।

(ख) और (ग) जी, नहीं। समिति द्वारा शीघ्र ही इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैट और उनके आबंटन हेतु अपनायी गई प्रक्रिया

7686. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1983-84 के दौरान राजधानी में कितने फ्लैटों का निर्माण किया तथा उनके आबंटन हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी;

(ख) कितने व्यक्तियों ने इन फ्लैटों के आबंटन हेतु पंजीकरण कराया है और उनको फ्लैट कब तक आबंटित कर दिए जाएंगे;

(ग) क्या यह सच है कि फ्लैटों के लिए आवेदकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हुडको योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए राजस्थान में निर्धनों की सहायता

7687. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुडको योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए राजस्थान में निर्धन और पिछड़े वर्गों के लोगों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि की सहायता दी जा रही है;

(ख) क्या हुडको द्वारा उपलब्ध कराई जा रही 4 हजार रुपये की धनराशि पर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का मकानों के निर्माण के लिए दी जा रही इस धनराशि को बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : हुडको ने राजस्थान के पंचायत समिति क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 884.88 लाख रुपये मुहैया किये हैं।

(ख) हुडको द्वारा ऋण के रूप में प्रत्येक, मकान के लिए 3000 रुपये की राशि दी जाती है जिसको राज्य सरकार पर्याप्त समझती है।

(ग) फिलहाल केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

निर्माण और आवास मंत्रालय में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

7688. **श्री भीखा भाई** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1982 तक प्रत्येक विभाग के अनुसचिवीय और गैर-अनुसचिवीय कर्मचारियों में ग्रेड 'क' से 'ग' तक श्रेणीवार पृथक्-पृथक् (अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति को छोड़कर कुल कितने सरकारी कर्मचारी थे और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध कितने कर्मचारी थे; और

(ख) दिनांक 1 जनवरी, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 तक तथा 1 जनवरी, 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 तक उपरोक्त भाग (क) के सन्दर्भ में (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को छोड़कर) (श्रेणीवार) कुल कितने सरकारी कर्मचारियों की भर्ती की गई और पदोन्नति की गई तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई/पदोन्नति की गई ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रेड ए से सी तक के पदों पर सरकारी कर्मचारी

7689. **श्री भीखा भाई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1982 को उनके मंत्रालय के अधीन प्रत्येक विभाग में (मंत्रालयीय तथा गैर मंत्रालयीय) दोनों ग्रेड ए से सी तक के पदों पर (पदवार) सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को छोड़कर कितनी थी और उसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी; और

(ख) 1 जनवरी, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 तक और 1 जनवरी, 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 तक उक्त पदों पर भर्ती किए गए और पदोन्नत किए गए सरकारी कर्मचारियों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के कर्मचारियों को छोड़कर तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की के कर्मचारियों की कुल संख्या (पद वार) कितनी थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बकरा अनुसंधान योजनाओं से सम्बद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक

7690 **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **कृषि मंत्री** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बकरा अनुसंधान योजनाओं के अमेरिका के वैज्ञानिकों के संबंध के बारे में 26 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4707 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा मंजूर बकरा अनुसंधान योजनाएं पी० एल० 480 के धन से चलाई जा रही हैं और यदि हां, तो इसके प्रारम्भ के पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के जिन वैज्ञानिकों ने टिप्पणी की थी अथवा जिसने इसके संतोषजनक आवधिक कार्यकरण की पुष्टि की है उनका विवरण क्या है और उसकी वास्तविक भूमिका क्या है; और

(ख) 1 अप्रैल, 1984 तक प्राप्त परिणाम के साथ-साथ मंजूरी की तारीख, प्रारंभ होने की तारीख, मंजूर की अवधि और निर्धारित उद्देश्यों सहित मंजूर की गई राशि कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। भा० कृ० अ० प० ने जुलाई, 1974 से जून, 1979 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए "स्टडीज आन द कम्बाइनिंग एबिलिटी आफ डिजायरेबल करैक्टर्स आफ सम इम्पाटेण्ट गोट बीड्स फार मिल्क एण्ड मीट सेपरेटली एण्ड इन कम्बीनेशन" शीर्षक से एक स्कीम तथा 24-12-1980 से पांच वर्ष के लिए "स्टडीज आन कम्बाइनिंग एबिलिटी आफ डिजायरेबल करेक्टर्स आफ थ्री इम्पाटेण्ट गोट ब्रीड्स फार मीट सेपरेटली एण्ड इन कम्बीनेशन" शीर्षक से एक दूसरी स्कीम स्वीकृत की है। डा० क्लेअर, ई० टैरिल, स्टाफ-वैज्ञानिक, भेड़ और अन्य पशुओं का संघीय अनुसंधान राष्ट्रीय प्रोग्राम-स्टाफ, बैल्ट्सविले, मेरीलैण्ड, इन दो किस्सों की समीक्षा के लिए सहयोगी वैज्ञानिक रहे हैं तथा साथ ही इन्होंने आवधिक समीक्षा और अन्तिम तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व भी संभाला है। सहयोगी वैज्ञानिक को यू० एस० डी० ए० अनुसंधान कार्यालय ने तकनीकी सहायता और अनुसंधान के आदान-प्रदान के लिए मनोनीय किया था। क्योंकि वह इस क्षेत्र का विषय विशेषज्ञ है। इस प्रबंध का उद्देश्य प्रमुख जांचकर्ता (पी० आई०) और यू० एस० डी० ए० अनुसंधान कार्यालय के बीच संचार माध्यम के आसान और तीव्र साधन की व्यवस्था करना था। फिर भी, स० रा० अ० के वैज्ञानिक ने न तो भारत में बकरी

अनुसंधान में कोई रुचि दिखाई और न ही भा० कृ० अ० प० द्वारा सिफारिश की गई प्रायोजना के क्रियान्वयन से वह सम्बद्ध रहे, परन्तु सहयोगी वैज्ञानिक ने पूरक वैज्ञानिक की तरह सहयोग किया और भारत में बकरी प्रजनन की प्रगति का मूल्यांकन किया ।

(ख) स्वीकृति की तिथि, प्रारंभ होने की तिथि, अवधि और स्वीकृत राशि से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

प्रायोजना का उद्देश्य विभिन्न नस्लों और संकर नस्लों के उत्पादन (मांस और दूध) की कार्य निष्पादन क्षमता का अध्ययन करना था । गहन प्रबंध और बाड़े में खिलाई के अंतर्गत बारबरी से सर्वोत्तम नतीजे प्राप्त हुए । सम्पूर्ण कार्य निष्पादन क्षमता में दूध और मांस उत्पादन पुनरुत्पादन और आहार ग्रहण क्षमता पर विचार किया गया था । इसके बाद घटते स्तर पर क्रमशः वीटल, ब्लैक बंगाल और जमुनापारी का प्रदर्शन रहा । प्रारंभिक विश्लेषणों के आधार पर और वह भी दो संकरों के सीमित आंकड़ों के परिणामों से यह पता चला है कि जमुनापारी ब्लैक बंगाल संकर को मांस उत्पादन और वीटल बारबरी संकर को दूध उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है ।

विवरण

स० रा० अमेरिका के रुपया कोष (पी० एल०-480) द्वारा वित्तीय सहायता से बकरी प्रजनन पर दो स्कीमों का विवरण

प्रायोजना का नाम	स्वीकृति की तिथि	प्राप्त होने की तिथि	स्कीम की अवधि	स्वीकृति राशि
1	2	3	4	5
1—स्कीम सं० एफजी-इन-510 (समाप्त की जा चुकी है) "स्टडीज आन द कम्बाइनिंग एविलिटी आफ डिजायरेवल करैक्टर्स आफ इम्पोर्टेण्ट गोट ब्रीड्स फार मिल्क एण्ड मीट सेपरेटली एण्ड इन कम्बीनेशन"	3-12-1973	1-7-1974	5 वर्ष	14,67,871
2—प्रतिस्थापन स्कीम एफजी-इन-583 शीर्षक "स्टडीज आन कम्बाइनिंग एविलिटी आफ डिजायरेवल करेक्टर्स आफ थ्री इम्पोर्टेण्ट गोट ब्रीड्स फार मीट सेपरेटली एण्ड इन कम्बीनेशन"	9-5-1975	24-12-1980	5 वर्ष	22,30,000

राष्ट्रीय पशु जेनेटिक संसाधन ब्यूरो और पशु जेनेटिक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव

7691. **श्री सूर्य नारायण सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** राष्ट्रीय कृषि जेनेटिक संसाधन ब्यूरो और पशु जेनेटिक संस्थान स्थापित करने के बारे में 26 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4767 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पशु जेनेटिक संसाधन ब्यूरो और पशु जेनेटिक संस्थान के पृथक्-प्रथक् उद्देश्य क्या हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बताई गई प्रस्तावित वैज्ञानिक जनशक्ति क्या है और वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष वार कब और कितनी राशि मंजूर/अनुमोदित की गई;

(ख) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान बंगलौर के दक्षिणी क्षेत्रीय केन्द्र को वर्तमान में क्या निदेश दिया गया है और उपयुक्त संस्थानों के उद्देश्य राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान को दिये गये निदेश के कहां तक पूरक हैं और इस स्थल के बारे में निर्णय लेने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए;

(ग) प्रत्येक नये संस्थान के प्रभारी अधिकारी और चयन बोर्ड के गठन का विवरण क्या है; और

(घ) प्रासंगिकता और प्राथमिकता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रस्तावों पर सरकार किस प्रकार निगरानी रखती है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : क) राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो पशुओं के जननद्रव्य संसाधनों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण, विवरण और सूची बनाने का कार्य करेगा तथा उसके बाद समाप्त होने वाली पशुओं की विभिन्न प्रजातियों और कुक्कुटों की नस्लों/प्रभेदों के संरक्षण के लिए सिफारिश करेगा और उपाय करेगा । यह ब्यूरो देश के बढ़िया नस्ल के पशुओं सहित सभी पशुओं के आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित सूचना रखने वाला केन्द्र होगा ।

पशु आनुवंशिकी का यह संस्थान पशु आनुवंशिक संसाधनों की पहचान, मूल्यांकन, प्रलेखन, संरक्षण और उपयोग के तरीकों में मौलिक और व्यावहारिक अनुसंधान करेगा । यह पशु प्रजातियों की रोगरोधिता, उत्पादकता, प्रजनन, नस्ल पहचान और जाति आनुवंशिक, रुधिर वर्ग, जैव रासायनिक वहुरूपता संबंधी आधारभूत और व्यावहारिक अनुसंधान भी करेगा । छठी योजना के दौरान कुछ आवश्यक पदों को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी गई

है। ब्यूरो/संस्थान का वर्ष 1984-85 के लिए बजट आकलन 15 लाख रुपये होने का अनुमान है।

(ख) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान का यह दक्षिणी स्टेशन दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित डेरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी के कार्य में लगा हुआ है तथा यह इण्डियन डेरी डिप्लोमा में प्रशिक्षण देता है।

राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो और पशु आनुवंशिकी संस्थान को योजना आयोग ने डा० एम० एस० स्वामिनाथन की अध्यक्षता में हुई विशेषज्ञों की बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी। ये दोनों स्वतंत्र संस्थान हैं तथा ये रा० डे० अ० सं० के दक्षिणी क्षेत्रीय स्टेशन के कार्यकलापों के पूरक अथवा अनुपूरक नहीं हैं।

बंगलौर में इसके स्थल का चयन करने पर इसलिए विचार किया गया था कि वहां पर कृषि विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान अनुसंधान संस्थान जैसे रा० डे० अ० सं० और भा० प० चि० अ० सं० के दो स्टेशन तथा भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित हैं। बंगलौर में इसके लिए उपयुक्त भू-खण्ड देने के लिए राज्य सरकार से सम्पर्क किया गया था। चूंकि, बंगलौर में इसके लिए भू-खण्ड उपलब्ध नहीं हो सका और भा० कृ० अ० प० के पास रा० डे० अ० सं० का एक दक्षिणी क्षेत्रीय स्टेशन था, अतः यह निर्णय लिया गया कि उनके पास जो भू खण्ड उपलब्ध है, उसी के एक भाग का इस्तेमाल किया जाय।

(ग) डा० पी० जी० नायर, अध्यक्ष, रा० डे० अ० सं० का दक्षिणी क्षेत्रीय स्टेशन, बंगलौर को कहा गया था कि वे दिनांक 5-11-1983 से विशेष कार्य अधिकारी के रूप में इस ब्यूरो के अतिरिक्त कार्य की देखभाल करें। इसलिए, चयन बोर्ड के गठन का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके निदेशक का स्थायी चयन अभी किया जाना है।

(घ) योजना आयोग और अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की व्यय वित्त समिति/प्रायोजना कार्यान्वयन समिति द्वारा नये संस्थानों के लिए प्रस्तावों की जांच की जाती है।

भारत सरकार के कार्यालयों में सहायकों को अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति

7692. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **संसदीय कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों की तुलना में संसदीय कार्य विभाग में

सीधी भर्ती वाले सहायकों की अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के संबंध में स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि 1964 की परीक्षा में उत्तीर्ण बैच के सीधी भर्ती वाले सहायकों तक को अभी तक नियमित पदोन्नति नहीं दी गई है जबकि अधिकांश मंत्रालयों/विभागों में 1976 की परीक्षा में उत्तीर्ण बैच तक के सीधी भर्ती वाले सहायकों को अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) इस विभाग में वर्ष 1964 की परीक्षा में उत्तीर्ण सीधी भर्ती वाले दो सहायकों को अनुभाग अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति दे दी गई है और एक सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा है। अन्य मन्त्रालयों/विभानों में सीधी भर्ती वाले सहायकों को पदोन्नति के बारे में स्थिति मालूम नहीं है क्योंकि यह विभाग केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में शामिल नहीं है।

(ग) संसदीय कार्य विभाग (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1963 में सहायकों का अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में शत प्रतिशत पदोन्नति का प्रावधान है और इस प्रकार सहायकों का पदोन्नति, जसे ही और जब कोई रिक्ति होती है, की जाती है। इसके अतिरिक्त सहायक, अनुसंधान सहायक और लेखाकार पदों पर नियुक्ति के लिए भी पात्र हैं।

किसानों को नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना

7693. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने (i) तिलहन और दालों का उत्पादन बढ़ाने (ii) उस रोग की रोकथाम करने जिसने केरल में नारियल की फसल को बर्बाद कर दिया और (iii) रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं को खोज की है और उसे किसानों को उपलब्ध कराया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (i) जी हां, श्रीमान। तिलहन और दलहन अनुसंधान को अखिल भारतीय समन्वित तिलहन सुधार प्रायोजना और अखिल भारतीय समन्वित दलहन सुधार प्रायोजना के अन्तर्गत चलाया गया है। वर्षभर में कुल 8 दलहनी फसलें उगाई जाती हैं तथा कुल 113 सुधरी किस्में विकसित की गयीं और खेती के लिए रिलीज की गयीं। उत्पादकता में सुधार लाने के लिए अनुकूल उत्पादन प्रौद्योगिकियों का भी विकास किया गया है और इन्हें किसानों को खेती के लिए बताया गया।

दलहनों में भी उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकियों सहित अनेक सुथरी किस्मों का विकास किया गया है और राज्य/क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने के लिए इन्हें रिलीज किया गया। तिलहनों और दलहनों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए बारानी खेती की तकनीकों का भी विकास किया गया है तथा इनको अपनाने की सिफारिश की गई।

रोग और कीट समस्याओं के नियन्त्रण तथा उत्पादन में स्थिरता लाने के लिए पादप सुरक्षा अनुसूचियां मानकीकृत की गई हैं।

(ii) नारियल के रोग की हानियों को कम करने के लिए कुछ उपाय किए गये हैं, जो इस प्रकार हैं :

जैव सामग्री के पुनर्चक्रण, मिश्रित और अन्तःफसल, सन्तुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग; पश्चिमी तटों की नारियल की लम्बी किस्मों का बौनी-लम्बी संकर किस्मों के साथ प्रतिस्थापन, जो कि नारियल के जड़ मुरझान रोग के प्रति काफी रोधी हैं और रोगग्रस्त पेड़ों का उन्मूलन करके नारियल के बागानों की देख-रेख करना। इन उपायों को अपनाने से उपज स्तर में सुधार देखा गया है।

(iii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का रबड़ अनुसंधान से कोई संबंध नहीं रहा है तथा जहां तक इस पहलू का संबंध है, परिषद की ओर से इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

बकरियों और भेड़ों की नस्ल में सुधार के संबंध में अनुसंधान

7694. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : सी० एस० डब्ल्यू० आर० आई०, आई० बी० आर० आई०, एन० डी० आर० आई० और बकरियों तथा भेड़ों के संबंध में अनुसंधान के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा बकरियों और भेड़ों की नस्लें सुधारने और बकरियों से दूध और मांस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए अनुसंधान के क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान ने अर्ध संकर नस्ल के रूप में "रेम्बूलेट चोकला" के अन्तःप्रजनन और चयन से एक वस्त्र वाले ऊन प्रभेद "अविवस्त्र" का विकास किया है जो प्रति वर्ष लगभग 2.5 कि० ग्रा० चिकनी ऊन का उत्पादन करने में सक्षम है और इसकी ऊन का औसत व्यास 25 माइक्रोन होता है तथा इसमें लगभग 4 प्रतिशत मज्जका होता है। इसके बाद अर्ध संकर नस्ल के रूप में रेम्बूलेट मालपुरा के अन्तःप्रजनन और चयन द्वारा एक उम्दा गलीचा वाली ऊन प्रभेद अविकालीन को विकसित किया गया, जो वर्ष में 2.0 कि० ग्रा० चिकनी ऊन का उत्पादन करने में सक्षम है और इसको ऊन का औसत व्यास 25 माइक्रोन होता है तथा इसमें 21 प्रतिशत

मज्जका होता है। अखिल भारतीय समन्वित भेड़ प्रजनन प्रायोजना के अन्तर्गत अर्ध संकर नस्ल की भेड़ 2.5 कि० ग्रा० चिकनी ऊन की लक्षित मात्रा का उत्पादन करने में सक्षम हैं जिसका वार्षिक भार 50-60 एस होता है। उम्दा ऊन में 18 प्रतिशत तक सुधार हुआ और मज्जका में 52 प्रतिशत की कमी हुई। अर्ध संकर नस्ल की भेड़ों का अन्तःसंकरण किया जा रहा है ताकि उनमें उम्दा ऊन वाली विदेशी वंशक्रमता को 50 प्रतिशत पर स्थिर किया जा सके। अखिल भारतीय समन्वित भेड़ अनु० प्रायोजना के अन्तर्गत विदेशी मांस वाले भेड़ों के साथ देशी भेड़ों के संरक्षण से पैदा होने वाले अर्ध संकर नस्ल के मांस देने वाले मेमनों ने गहन खिलाई के अंतर्गत 6 माह की आयु में 30 कि० ग्रा० के जीवित भार का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अर्ध संकर नस्ल के मेमने आहार ग्रहण करने और आहार को पचाने की क्षमता में तथा कुछ सीमा तक जीवित भार के कारण ड्रेसिंग प्रतिशतता में देशी नस्लों से श्रेष्ठ हैं। देशी पेल्ट वाली भेड़ें, जो कि बहुत घटिया और बालों वाली नस्लें हैं यथा मालपुरा और सोनादी तथा मध्यम क्वालिटी की ऊन वाली नस्ल मारवाड़ी भेड़ों का सुधार करने के लिए उनको काराकुल मेढ़ों से संकरित कराया गया। काराकुल की अर्ध संकर नस्लों को ग्राह्य पेल्ट वाले मेमनों को पैदा करने में बहुत बढ़िया पाया गया।

केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान में गहन खिलाई के अन्तर्गत सिरोही और बीटल सिरोही संकरों ने 6 माह में 25 कि० ग्रा० शरीर भार का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। संकर नस्लें सीमान्त रूप में सिरोही नस्लों से श्रेष्ठ थीं।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में चयन के माध्यम से चीगू बकरियों में पशमीना के उत्पादन के सुधार का कार्य प्रगति पर है और कम ऊंचाई पर पशमीना का उत्पादन करने के लिए कुछ उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान में अखिल भारतीय समन्वित बकरी अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन के लिए बकरियों पर अनुसंधान किया गया था। बीटल के साथ सानेन और एल्पाइन के संकरण के परिणामस्वरूप दुग्ध उत्पादन में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 150 दिन तक दुग्ध उत्पादन के लिए सानेन बीटल संकरण को एल्पाइन संकरण से श्रेष्ठ पाया। अर्ध संकर नस्ल से अधिकतम दूध प्राप्त होता है और 50 प्रतिशत के बाद एक नस्ल से एक अथवा अधिक नस्लों से विदेशी वंशक्रमता में वृद्धि करने से मामूली लाभ हुआ।

केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में शीघ्र गर्भावस्था निदान की विधियों का विकास किया गया है, ताकि काफी संख्या में मेमने प्राप्त करने के लिए पूरे वर्ष बकरियों का पुर्नप्रजनन किया जा सके। इन विधियों से मेमना पैदा होने की तारीख से तीन माह पहले प्रजनन दर के आधार पर बकरियों की छंटाई में भी सहायता मिलेगी।

वर्ष 1982 में दुग्ध उप्पादन में सुधार लाने के लिए जमनापारी और मांस/दूध में सुधार

लाने के लिए बारबरी बकरियों पर केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में दो चयन संबंधी परीक्षण किए गए बकरे और मेढ़ों के वीर्य के हिमीकरण की तकनीक को मानकीकृत करने के लिए केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में बकरे और मेढ़ों के वीर्य के हिमीकरण पर अनुसंधान किया जा रहा है।

किसानों को तिलहन के मिनी किट का विवरण

7695. **श्री ईरा अनवारासु** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1983-84 में सारे देश में तिलहन और दालों की 30.35 लाख मिनी-किटें छोटे किसानों में निःशुल्क वितरित की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो उक्त वर्ष में तमिलनाडु में तिलहन और दालों की कितनी मिनी-किट जिला-वार निःशुल्क वितरित की गई; और

(ग) वर्ष 1984-85 का इसका लक्ष्य कितना है और इससे तमिलनाडु का जिलावार हिस्सा कितना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्य सरकारों द्वारा यह बताया गया है कि लघु और सीमान्त किसानों के लिये सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत लघु और सीमान्त किसानों को तिलहनों और दलहनों के लिए बीज और उर्वरक के 25.23 लाख मिनीकिट निःशुल्क वितरित किए गए हैं ताकि 1983-84 के दौरान कृषि उत्पादन में बृद्धि की जा सके।

(ख) तमिलनाडु में 1983-84 के दौरान लघु और सीमान्त किसानों को तिलहनों और दलहनों के 81700 मिनीकिट निशुल्क वितरित किए गए हैं। तिलहनों और दलहनों के मिनीकिटों का जिला-वार वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 1984-85 के दौरान विभिन्न राज्यों में तिलहनों और दलहनों के मिनिकिटों के वितरण संबंधी लक्ष्य 20.07 लाख है। इसमें से 150800 मिनीकिटों के तमिलनाडु राज्य में वितरित किए जाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने जिला-वार लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए हैं।

विवरण

1083-84 (31-1-84) के दौरान तमिलनाडु में लघु और सीमान्त किसानों को सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत तिलहनों और दलहनों के मिनीकिटों का जिला-वार विवरण ।

(मिनीकिटों की संख्या)

जिला	तिलहन	दलहन	कुल
1. चिंगलपेट	1937	1800	3737
2. नार्थ अर्काट	2650	2245	4895
3. साउथ अर्काट	6642	4529	11171
4. थंजावूर	5371	3172	8543
5. सलेम	6282	1815	8097
6. धर्मपुरी	2503	800	3303
7. तिरुचीरापाळी	6605	3237	9842
8. पुडूकोटाई	2144	650	2794
9. कोयम्बटूर	3269	1148	4417
10. परियार	2866	1105	3971
11. मदुराई	4991	1700	6691
12. रामानाथापुरम	5231	1925	7156
13. तिरुनेलवेली	4837	1681	6518
14. कन्यापुरी	93	472	565
कुल	55421	26279	81700

हाउसिंग सोसायटीज की सदस्यता का
संबंधियों के नाम में अंतरण

7696. **श्री रीति लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में किसी कोआपरेटिव लैंड एण्ड ग्रुप हाउसिंग सोसायटी का कोई सदस्य अपनी सदस्यता अपने नजदीकी रिश्तेदार के नाम अंतरित कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रक्रिया है और तत्सम्बंधी नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंजीयक, सहकारी समितियां पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली, को इस प्रकार के अन्तरणों को स्वीकार करने और न करने का अधिकार है अथवा उसे इस प्रकार के अन्तरण प्रभावी करने से पूर्व दिल्ली विकास प्राधिकरण से स्वीकृति लेनी होती है; और

(घ) यदि इस सम्बन्ध में अन्य कोई औपचारिकताएं हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जी, हां। इस बारे में यह प्रक्रिया दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 25 तथा 26 और दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 के नियम 34 में निर्धारित की गई है। सम्बन्धित धाराएं/नियम अनुलग्नक I तथा II में दिए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8185/84]**

(ग) दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 25 तथा 26 और दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 के नियम 34 के अन्तर्गत सदस्यता अन्तरण का अनुमोदन समिति द्वारा किया जाना होता है न कि सहकारी समिति के पंजीकार द्वारा।

(घ) प्लाट या फ्लैट के आबंटन से पूर्व सहकारी आवास समितियों की सभी सदस्यता जिसमें अन्तरण का मामला भी शामिल है, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहकारी समिति के पंजीकार द्वारा मंजूर की जानी होती है।

नई दिल्ली में वर्ल्ड बिलियर्ड चैम्पीयनशिप
आयोजित करने के लिए सहायता

7697. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार नई दिल्ली में 1985 में वर्ल्ड बिलियर्ड चैम्पियनशिप आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग उप मंत्री (श्री अशोक गहलौत) (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय सहायता स्वीकृत प्रणाली के अनुसार मंजूर की जाएगी, जिसमें, बातों के साथ-साथ, विश्व प्रतियोगिताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रतियोगिता से होने वाली आय तथा खर्च को ध्यान में रख कर निर्धारित करने की व्यवस्था है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित अन्य परियोजनाओं का खर्च

7698. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् संस्थानों तथा पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित अन्य परियोजनाओं ने 31 मार्च, 1983 तक वास्तविक रूप से इतनी धनराशि खर्च कर ली थी, जो प्रत्येक के लिए अनुमत अनुपालिक छठी योजना परिव्यय के 60 प्रतिशत भाग से अधिक थी तथा 31 मार्च, 1983 तक उनका अनुमान अपने योजना परिव्यय से अधिक धनराशि खर्च कर देने का है, यदि हां, तो संस्थान-वार और अन्य योजना कार्यक्रम-वार छठी योजना का स्वीकृत परिव्यय क्या है, 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1983 तक का वास्तविक खर्च क्या है, वर्ष 1983-84 का वास्तविक खर्च क्या है तथा वर्ष 1984-85 को प्रस्तावित खर्च क्या है और प्लान योजना-वार कुल प्रत्याशित परिव्यय कितना है तथा अनुमत परिव्यय से अधिक की प्रतिशतता क्या है;

(ख) वर्ष 1980-83 में परिव्यय के 60 प्रतिशत से बढ़ जाने के संस्थानवार, प्लान योजना-वार कारण क्या हैं तथा 31 मार्च, 1985 तक अनुमत प्लान परिव्यय के प्रस्तावित खर्च से बढ़ जाने के क्या कारण हैं तथा प्लान परिव्यय किस तारीख को मंजूर किया गया था और कब इसकी स्वीकृति जारी की गई थी; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा धनराशि को उचित प्रकार से खर्च न करने के मामले में जांच करने हेतु कोई समिति नियुक्त करने का है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी औचित्य क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्तमान में चल रही लगभग 150 योजना स्कीमों में से (विदेशी सहायता प्राप्त प्रायोजनाओं को छोड़कर) 8 संस्थान और 7 अन्य योजना स्कीमों (कुल-15) का व्यय अपने मूल अनुमोदित छठी योजना खर्च से मार्च, 1983 तक 60% अधिक हैं और संशोधित अनुमान 1983-84 तथा बजट आकलन

1984-85 के आधार पर मार्च, 1985 तक कुल योजना व्यय से अधिक हो जाएगा। इन स्कीमों की एक सूची तथा प्रतिशत अधिक व्यय को संलग्न विवरण में दिखाया गया।

(ख) संस्थानों के मामले में अधिक व्यय मुख्यतया निर्माण और साज-सामान की लागत में वृद्धि होने से संशोधित अनुमानों के कारण है, जबकि अन्य योजना स्कीमों में यह अधिकता आवर्ती आनुषंगिक व्यय और कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में वृद्धि के कारण है। प्रत्येक स्कीम की स्वीकृति की तिथि अनुबंध-I में दी गई है।

(ग) भा० कृ० अ० प० द्वारा धन के दुरुपयोग का कोई मामला नहीं है और इसलिए संसदीय समिति नियुक्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

क्र० सं०	स्कीम का नाम	स्वीकृति की तिथि	मूल अनुमोदित योजना व्यय 1980-85	मार्च, 1983 तक खर्च	मार्च, 83 तक प्रतिशत व्यय	संशोधित अनुमान 1983-84	बजट अनुमान 1984-85	छठी योजना के दौरान अनुमानित उपयोग 1980-85	9 की 4 पर प्रतिशत वृद्धि
			विवरण						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**संस्थान**								
1.	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	18-6-82	199.00	164.51	82.67	44.26	60.00	268.77	35.06
2.	केन्द्रीय कन्दवर्गीय फसल अनुसंधान संस्थान	24-3-83	75.25	59.14	78.59	16.39	29.00	104.53	38.91
3.	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान	14-4-82	110.65	83.98	76 35	24.75	38.00	146.73	32.61
4.	गन्ना प्रजनन संस्थान	7-4-82	125.00	91.69	73.35	34.10	50.00	175.79	40.63
5.	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान	12-5-82	310 00	193.24	62.34	83.70	100.00	376.94	21.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	27-8-82	250·00	176·64	70·65	54·00	100·00	330·64	32·26
7.	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान	मार्च, 1983	271·49	187·19	68·95	50·00	90·00	327·19	20·52
8.	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी संस्थान	26-8-82	592·00	370·04	62·49	196·08	175·00	711·12	20·12
II.	**राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र**								
1.	मूंगफली	30-4-82	96·17	62·30	64·78	19·20	22 00	103·50	7·62
III.	**अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना**								
1.	बारानी कृषि	25-10-82	403·35	272·30	67·51	70·00	115·00	457·30	13·57
2.	मक्का	3-3-82	167·87	121 42	72·33	25·00	30·00	176·42	5·09
3.	ज्वार	13-5-82	120 00	77·59	64·66	25·00	25·00	127·59	6·32
4.	चारा फसलें	25-5-82	65·00	42·57	65·49	15·00	15·00	72·57	11·65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	मृदा भौतिक दशाएं	18-9-81	47.39	33.13	69.90	10.00	10.00	53.13	1.2.11
IV.	**अन्य स्कीम**								
	कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और विकास	2-9-82	4900.00	3158.73	64.46	1050.00	950.00	5158.73	5.28

*व्यय के आंकड़े परिषद् के विभिन्न संस्थानों/प्रायोजनाओं से प्राप्त मासिक लेखा प्राप्तियों की मासिक आधार पर संग्रह से हैं। इसलिए, इस प्रकार, 1983-84 के व्यय के आंकड़े प्रस्तुत करना बहुत शीघ्रता है।

पटपड़गंज में ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटियों को आबंटित की गई भूमि

7669. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों ने जुलाई, 1981 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि के आबंटन हेतु आवेदन किया था और उनमें से कितनी सोसायटियों को भूमि आबंटित की गयी है;

(ख) जिन सोसायटियों को पटपड़गंज क्षेत्र में भूमि आबंटित की गयी है उनका नाम तथा पते क्या हैं;

(ग) उक्त भाग (ख) में उल्लिखित सोसायटियों में से कितनी सोसायटियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को अपने नक्शे दे दिए हैं;

(घ) क्या दिल्ली बिकास प्राधिकरण ने उनके नक्शों को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो उनका सोसायटी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जुलाई-अगस्त, 1981 में 453 सहकारी ग्रुप आवास समितियों ने भूमि के आबंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवेदन दिया । इनमें से 424 सहकारी ग्रुप आवास समितियों को भूमि आबंटित कर दी गई है ।

(ख) पटपड़गंज में भूमि आबंटित सहकारी ग्रुप आवास समितियों के ब्यौरे संलग्न हैं । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 8186/84]**

(ग) ऐसी 18 सहकारी ग्रुप आवास समितियों ने विन्यास नक्शे अनुमोदन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत किए ।

(ग) तथा (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रिन्स सहकारी ग्रुप आवास समिति तथा दिल्ली सहकारी ग्रुप आवास समिति के विन्यास नक्शों को स्वीकृत कर दिया है । शेष समितियों के मामलों की दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही है ।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले को आबंटित धनराशि

7700. **श्री राम लाल राही** : क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रशश के सीतापुर जिले के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) उन भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें सीतापुर जिले में रोजगार उपलब्ध कराया गया है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र की सरकारों को केन्द्रीय सहायता आबंटित की जाती है तथा राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र की सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आबंटित की गयी धनराशि में ही राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में क्रियान्वित किए जाने हेतु विशिष्ट परियोजनाएं तैयार करें। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जिलों को निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। सीतापुर जिले में ग्रामीण सड़कों तथा नयी नालियों के निर्माण की एक परियोजना प्राप्त हुई थी। तथापि, राज्य सरकार ने इस परियोजना को संशोधित करने की दृष्टि से इसे वापस ले लिया है। संशोधित परियोजना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

भारतीय खाद्य निगम की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन को सुविधाएं

7701. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को विशेष अवकाश, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता आदि जैसे वे सभी लाभ दिए जा रहे हैं जो अन्य कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को दिए जाते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसियेशन ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अधीन पंजीकृत एक ट्रेड यूनियन नहीं है। तथापि, उनकी

समस्याओं का पता लगाने के लिए भारतीय खाद्य निगम प्रबन्ध ने स्थानीय स्तरों पर उनके प्रतिनिधियों के साथ कभी कभी अनौपचारिक बैठकें की हैं। अतः यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता या विशेष छुट्टी देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

मछुआरों की बीमा योजना की उपलब्धियां

7702. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुआरों की बीमा योजना की उपलब्धियों का कोई मूल्यांकन किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) पश्चिम बंगाल में खासतौर पर सुन्दरवन में चालू वर्ष के दौरान मछुआरों को इस बीमा योजना के अंतर्गत लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1983-84 के दौरान सक्रिय मछुओं के लिए सामुहिक दुर्घटना बीमा योजना शुरू हुई । तमिलनाडु और केरल, जहां यह योजना अनुग्रह भुगतान के रूप में क्रियान्वित की जा रही है, को छोड़कर सभी तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी द्वारा यह योजना क्रियान्वित की गई है । 1983-83 के दौरान सभी तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी को 18.55 लाख रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई है । अभी तक लगभग 5 लाख मछुओं को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है ।

(ख) 1983-84 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय राज-सहायया के रूप में 3.30 लाख रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई है । इस योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में लगभग 50,000 मछुओं का बीमा किए जाने की सूचना मिली है जिसमें सुन्दरवन क्षेत्र के मछुये शामिल हैं ।

ई० ई० सी० के वित्तीय आबंटन से पेय जल आपूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन

7703. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** ई० ई० सी० के वित्तीय आबंटन से पेय जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में 12 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2447 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई० ई० सी० के वित्तीय आबंटन से बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना जिलों में, प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग कार्यान्वित की जा रही पेयजल योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत कितने गांवों और लोगों को लाया जाएगा; और

(ग) जिला-वार, प्रत्येक योजना का अलग अलग ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार द्वारा यथा उपलब्ध कराई गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) ये ब्यौरे केवल राज्य सरकार के पास ही उपलब्ध होंगे।

विवरण

हिमाचल प्रदेश के ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर तथा हमीरपुर जिलों में ई० ई० सी० सहायतित पेयजल पूर्ति योजनाओं के अन्तर्गत जलपूर्ति योजनाओं, का नाम, लाभान्वित होने वाले गांवों की संख्या तथा जनसंख्या।

क्र० सं०	योजना का नाम	गांवों की संख्या	जनसंख्या
1	2	3	4
जिला ऊना			
1.	जलपूर्ति योजना छतरपुर	1	621
2.	जलपूर्ति योजना मारवाड़ीगूना	3	957
3.	जलपूर्ति योजना अकरोट तथा इर्द-गिर्द के ग्राम	1	1000
4.	जलपूर्ति योजना पौंठा, कक्कड़ा	12	1337
5.	जलपूर्ति योजना मारवाह सिध्यान	1	782
6.	जलपूर्ति योजना डूडला जी० पी०	18	2285
7.	जलपूर्ति योजना खड तथा इर्द-गिर्द के गांव	2	733
8.	जलपूर्ति योजना चमियानी, सिंहाना आदि	5	1077
9.	जलपूर्ति योजना लोहरा तथा आस-पास के गांव	3	2883
10.	एल० डब्ल्यू० एस० एस० स्कीम कुनीहरन	2	2200

1	2	3	4
11.	एल० डब्ल्यू० एस० एस० समूर तथा आस-पास के गांव	3	1549
12.	जलपूर्ति योजना परु	2	2367
13.	एल० डब्ल्यू० एस० एस० सिद्ध चालक तथा आस-पास के गांव	3	655
14.	जलपूर्ति योजना अबदुराह	2	2084
15.	जलपूर्ति योजना सोहारी तकोली	4	2527
16.	जलपूर्ति योजना इशपुर, पाण्डोग	2	4431

जिला कांगड़ा

1.	नूरपुर तहसील में कोटपलारी समूह के गांव में जलपूर्ति की योजना मुहैया करने के लिए प्रारम्भिक आक्कलन	2	638 व्यक्ति 192 छात्र
2.	जी० पी० अरवानु में सौलिग, जुरथा, कस्बा जल्लो गांव के लिए जलपूर्ति योजना मुहैया कराने के लिए अनुमानित लागत प्राक्कलन	3	2549
3.	पालमपुर तहसील में बैज नाथ की जलपूर्ति योजना का सुधार	3	1967 व्यक्ति 1196 छात्र
4.	पालमपुर तहसील में पंचरुखी ब्लाक के आसनपेढ़ समूह के गांव में जलपूर्ति योजना मुहैया करने के लिए प्रारम्भिक प्राक्कलन	5	758
5.	नूरपुर तहसील में गांव बालाकोटला में जलपूर्ति मुहैया करने के लिए प्रारम्भिक प्राक्कलन	2	524 व्यक्ति 55 छात्र
6.	तहसील पालमपुर में हियोल पंचायत के बरहार गांव के लिए जलपूर्ति योजना	3	153

1	2	3	4
7.	पालमपुर तहसील में जी० पी० बिर के गांव के समूह के लिए जलपुर्ति योजना	3	117
8.	पालमपुर तहसील में चरनोट, चाकोल, भीरू, छतरपुर, फार इत्यादि के लिए जलपूर्ति योजना।	4	840
9.	नूरपुर तहसील में जी० पी० सेहर के घंडेरा के लिए जलपूर्ति योजना	25	1899 व्यक्ति 564 छात्र
10.	जी० पी० बिर, पालमपुर तहसील में सिलेथर जलपूर्ति योजना	1	308
11.	पालमपुर तहसील में तम्बू, डागौर आदि गांव के समूह जलपूर्ति योजना	14	1317
12.	पालमपुर तहसील में सागूर गांव के समूह की जलपूर्ति योजना	18	2729
13.	तहसील घेरा में बाड़ा गोपीपुर में जलपुर्ति योजना मुहैया करने के लिए अनुमानित प्राक्कलन	1	989
14.	पालमपुर तहसील में लच्छुन, बन्दपुरनी पालम गांव में जलपूर्ति योजना मुहैया करने के लिए तथा राकर मझेरना जलपूर्ति योजना के विस्तार के लिए प्रारम्भिक प्राक्कलन	5	1120
15.	नूरपुर तहसील में गुरेल डाब ड्यूक तथा हरनोटा आदि गांव के लिए जलपूर्ति योजना	13	2795
16.	घेरा तहसील के जी० पी० सूरनी के टीप थलाखेन जलपूर्ति योजना मुहैया करने के लिए अनुमानित प्राक्कलन	7	1385

1	2	3	4
17.	तहसील कांगड़ा के समीला सकोत समूह के गांव में जलपूर्ति योजना के लिए अनुमोदित प्राक्कलन	5	1417
	जिला बिलासपुर		
1.	जलपूर्ति योजना नसपाल, सिया तथा जान्धर आदि	5	1401
2.	जलपूर्ति योजना ढाबला	4	1443
3.	जलपूर्ति योजना सान्धेर	9	4085
4.	जलपूर्ति योजना मोहारा	1	203
5.	(i) जलपूर्ति योजना काग्लोटी (ii) जलपूर्ति योजना सन्होली	10	2347
6.	जलपूर्ति योजना ट्रेम्बरी खो	8	604
7.	(i) जलपूर्ति योजना जंगलसुंगल (ii) जलपूर्ति योजना सिरहा (iii) जलपूर्ति योजना सुंगल	4	1420
8.	जलपूर्ति योजना कलसाई	1	171
9.	जलपूर्ति योजना सैनारोन जलपूर्ति योजना धाटाकलां	9	1736
10.	जलपूर्ति योजना लिंगोड़ी	2	85
11.	(i) जलपूर्ति योजना रोरी (ii) जलपूर्ति योजना मन्झोट पाण्डू (iii) जलपूर्ति योजना दादोहा	9	2160
12.	(i) जलपूर्ति योजना सुनी सुधार (ii) जलपूर्ति योजना नारखार मालरा सुनी सुधारा मलूरन पंगवाना	6	1115

1	2	3	4
13.	(i) जलपूर्ति योजना नोवा (ii) नयालसारली (iii) जलपूर्ति योजना रात	6	1001
14.	जलपूर्ति योजना पट्टा प्लोग सानौर	4	312
15.	जलपूर्ति योजना अपर ग्लेसियन लोयर ग्लेसियन पानीयलाप्रोह	4	768
16.	जलपूर्ति योजना झारियान लखानू घारोट	3	862
17.	जलपूर्ति योजना कथारन चालवा मारोटा, घोह	4	1822
18.	जलपूर्ति योजना ससोटा धनोला धानी	3	441
19.	(i) जलपूर्ति योजना कमलोटा, बथुवा बोरगढ़ (ii) जलपूर्ति योजना स्वीयन सुरहर (iii) जलपूर्ति योजना डाबर (iv) जलपूर्ति योजना दावर (v) जलपूर्ति योजना चलोग	19	109953
20.	(i) जलपूर्ति योजना घोटो दवान मालोब (ii) जलपूर्ति योजना नेहरन उस्तरन (iii) जलपूर्ति योजना बचीरिन तथा मोरसिंह (iv) जलपूर्ति योजना अपर तथा लोयर जाना	28	5941

जिला हमीरपुर

1.	एल० डब्ल्यू० एस० एस० चौकी	16	1360
2.	गांव करोट में एल० डब्ल्यू० एस० एस०	10	1133
3.	एल० डब्ल्यू० एस० एस० सन्थाना	5	1982
4.	जलपूर्ति योजना नानल	6	716
5.	जलपूर्ति योजना बल्टा खुर्द	12	1550
6.	एल० डब्ल्यू० एस० एस० डिसाला	2	200

1	2	3	4
7.	एल० डब्ल्यू० एस० एस० मसियाना	8	944
8.	एल० डब्ल्यू० एस० एस० कासरी	7	1782
9.	एल० डब्ल्यू० एस० एस० पनियाली	14	3182
10.	जलपूर्ति योजना चम्बोन	22	6527
11.	जलपूर्ति योजना जखियाव	22	4051
12.	जलपूर्ति योजना लगमैनविन	5	2305
13.	जलपूर्ति योजना समताना कलांन	5	1982
14.	जलपूर्ति योजना उखलीमैन	15	2856
15	जलपूर्ति योजना नारा	13	1753
16.	जलपूर्ति योजना नोनीघी	58	4780

"एड्स-आल दैट इज सेड नाट मेन्ट" शीर्षक से समाचार

7704. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 मार्च, 1984 के इंडियन एक्सप्रैस में "एड्स-आल दैट इज सेड इज नाट मेन्ट" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि विज्ञापन केवल लुभाने वाले न होकर उत्पाद की गुणवत्ता और मूल्य के बारे में पूर्ण जानकारी दें, क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) संसद के विचाराधीन एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार विधेयक,

1983 में अन्य बातों के साथ-साथ कुछ अनैतिक व्यापार पद्धतियों को, जिनमें झूठे तथा भ्रामक विज्ञापन शामिल हैं, रोकने के लिए, मूल अधिनियम में, विशिष्ट उपबंध शामिल करने का प्रयास किया गया है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के अन्तर्गत 4770 फ्लैटों का विशेष आबंटन

7705. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मार्च, 1984 के 'इण्डियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा न्यू पैटर्न हाऊसिंग रजिस्ट्रेशन स्कीम 1979 के अन्तर्गत 4770 फ्लैटों का विशेष आबंटन करने के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1 फरवरी, 1983 को हुए ड्रा के परिणाम की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ग) क्या दोहरी पंजीकरण संख्या एक सामान्य श्रेणी हेतु तथा दूसरी आरक्षित श्रेणी हेतु आबंटित की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पंजीकृत व्यक्तियों के नामों के आगे दर्शाये गये 'एस' 'जी' 'सी' और 'एच' अक्षरों का क्या तात्पर्य है;

(ङ) उन पंजीकृत व्यक्तियों जिनके नाम के आगे 'सी' और 'एच' अक्षर लिखे गये हैं उनको कितनी धनराशि जमा करानी होगी तथा किराया खरीद की मासिक किस्त कितनी होगी और इसको किस प्रकार और कहां, जमा कराना होगा; और

(च) दिल्ली, विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित किये गये फ्लैटों के तल (फ्लोर) तथा स्थान को बदलने के क्या नियम हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) 1-2-1983 को निकाले गये ड्रा का परिणाम 16-2-1983 को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था ।

(ग) और (घ) कोई दोहरे पंजीकरण नम्बर नहीं हैं । सामान्य श्रेणी और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए पंजीकरण नम्बर एक ही क्रम संख्या से आरम्भ होते हैं जिसमें

'जी' तथा 'एस' से प्रभेद किया जाता है । 'जी' सामान्य श्रेणी के लिए है तथा 'एस' अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए है । नकद खरीद के लिए 'सी' तथा किराया खरीद के लिए 'एच' जोड़ा जाता है ।

(ङ) नकद खरीद आधार वाले फ्लैट के मामले में आबंटी की मांग व आबंटन पत्र के जारी होने के दो महीनों के अन्दर फ्लैट इत्यादि की सारी लागत को जमा कराना होता है । किराया खरीद आधार वाले फ्लैट के मामले में आबंटन के समय भूमि का प्रीमियम तथा फ्लैट की अनुमानित लागत का 12 प्रतिशत आरम्भिक जमा के रूप में वसूल किया जाता है और शेष राशि को मध्यम आय वर्ग के मामले में 7 वर्षों, निम्न आय वर्ग के मामले में 10 वर्षों तथा जनता फ्लैटों के मामले में 15 वर्षों की अवधि के लिए मासिक किस्तों में विभाजित किया जाता है । फ्लैट की लागत तथा मासिक किस्तों का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक तथा सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की विभिन्न प्राधिकृत शाखाओं में स्वीकार किया जाता है ।

(ख) नीति के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों को लाटरी निकाल कर आबंटित किया जाता है । तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में व्यक्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/अध्यक्ष के अनुमोदन से कालोनी तथा मंजिलों को बदलने की अनुमति दी जाती है ।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

7706. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संशोधित बीस सूत्री कार्यक्रम के एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कितने ब्लाकों को लिया गया है;

(ख) कार्यक्रम के अन्तर्गत उन ब्लाकों में आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं से संबंधित ब्यौरा क्या है; तथा उनके अन्तर्गत किस सीमा तक प्रगति हुई है; और

(ग) बाकी की छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य, विशेषकर गुजरात के कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने ब्लाक लिए जाने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों के सभी खण्डों को शामिल किया गया है ।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे लक्षित ग्रुप को प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र में कोई भी आर्थिक रूप से सक्षम तथा

बैंक ग्राह्य परियोजना शुरू करने हेतु पूंजी सहायता दी जाती है। योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में वर्ष 1980-84 के दौरान फरवरी, 1984 तक सहायिकत लाभभोगियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

छठी योजना के दौरान फरवरी, 1984 तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए लाभभोगी

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (फरवरी, 1984 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	166483	238845	284783	191634
2.	असम	20285	22171	39588	53714
3.	बिहार	252630	276169	362354	288038
4.	गुजरात	105477	116115	173790	135795
5.	हरियाणा	47548	79605	158678	81589
6.	हिमाचल प्रदेश	48090	34877	45755	47307
7.	जम्मू तथा कश्मीर	9357	27689	34435	34783
8.	कर्नाटक	63906	87460	178856	121025
9.	केरल	80088	96832	127798	97431
10.	मध्य प्रदेश	234000	231861	313870	235810
11.	महाराष्ट्र	113409	139092	219690	178390
12.	मणिपुर	2768	3627	8358	5438

1	2	3	4	5	6
13.	मेघालय	5267	6045	7457	689
14.	नागालैंड	16721	12565	—	5561
15.	उड़ीसा	100749	138367	252453	154497
16.	पंजाब	63361	86867	98435	67932
17.	राजस्थान	82683	121576	183402	133033
18.	सिक्किम	29	262	3158	1804
19.	तमिलनाडु	255323	358225	271563	200580
20.	त्रिपुरा	11006	10146	9122	6279
21.	उत्तर प्रदेश	998986	540160	554980	461517
22.	पश्चिम बंगाल	37415	67378	95607	115670
23.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	73	257
24.	अरुणाचल प्रदेश	2736	5921	13685	8865
25.	चंडीगढ़	अप्राप्य	—	405	512
26.	दादरा तथा नगर हवेली	अप्राप्य	—	249	415
27.	दिल्ली	2561	2040	5027	3194
28.	गोवा, दमन तथा दीव	5117	5259	6616	3703
29.	लक्षद्वीप	अप्राप्य	—	312	301
30.	मिजोरम	480	1712	1977	3516
31.	पांडीचेरी	272	2591	1971	1374
अखिल भारत		2726747	2713418	3455447	2630553

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के प्रबन्ध का अधिग्रहण

7707. **श्री० आर० एन० राकेश** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** 14 अक्तूबर, 1983 के फाइनेंशियल एक्सप्रैस में उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के अधिग्रहण के बारे में प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आनन्दनगर चीनी मिल, खलीलाबाद और स्वदेशी माईनिंग एंड मैनुफेक्चर कम्पनी लिमिटेड की गणेश शुगर मिल, बस्ती का लोकहित में अधिग्रहण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास किसी भी चीनी मिल को अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तीगीपुर गांव में अनुसूचित जातियों को पंचायती भूमि का वितरण

7708. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांव तिगीपुर अलीपुर ब्लाक दिल्ली में कुल कितनी पंचायती भूमि को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा भूमिहीन व्यक्तियों में वितरित किया जायेगा;

(ख) इसमें से भूमि के कितने क्षेत्रफल को (खसरा संख्या/क्षेत्रफल सहित) वास्तव में वितरित किया गया कितने व्यक्तियों को वितरित की गई तथा उस भूमि का क्षेत्रफल (खसरा संख्या/क्षेत्रफल सहित) क्या है जिसे अभी वितरित किया जाना है तथा सुपात्र अभ्यर्थियों की क्या संख्या है, जिन्हें भूमि देनी है;

(ग) क्या पांच संयुक्त परिवारों में से प्रत्येक को दो एकड़ भूमि दी गई है यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा उनसे किस अवधि तक फालतू भूमि को खाली करा लिया जायेगा; और

(घ) प्रत्येक व्यक्ति के कब्जे में फालतू भूमि का क्षेत्रफल (खसरा संख्या/क्षेत्रफल सहित) क्या है तथा यह किन किन तिथियों से उनके कब्जे में है तथा प्रत्येक मामले में भूमि को खाली कराने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अलीपुर ब्लाक के तिगड़ीपुर गांव में ग्राम सभा के पास निहित भूमि का कुल क्षेत्र 426 बीघा है।

(ख) अगस्त, 1983 में 44 अनुसूचित जाति तथा भूमिहीन व्यक्तियों को 156.6 विस्वा का क्षेत्र वितरित किया गया है। खसरा सं० तथा क्षेत्र के ब्यौरे संलग्न हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8187/84]** शेष क्षेत्र सीमांकनाधीन है तथा आदेदन जांचाधीन है।

(ग) संदर्भित क्षेत्र का आबंटन प्रधान ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर दिया था जो जांचाधीन है। जांच पूर्ण होने के उपरान्त ही भूमि को खाली करने की कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

(घ) जांच पूर्ण होने के बाद ही ठीक स्थिति स्पष्ट होगी।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में डबलरोटी कारखाने की स्थापना

7709. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के देवास-शाजापुर क्षेत्र में सरकार के माडर्न डबलरोटी के अपने कितने कारखाने हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में डबलरोटी का नया कारखाना स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इन्दौर में माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड-एक सरकारी कम्पनी-का ब्रेड बनाने का एक यूनिट है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कोई नया ब्रेड बनाने का यूनिट लगाने का फिलहाल, कोई प्रस्ताव नहीं है।

12.00 म० प०

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए आग्रह करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : बहुगुणा जी, एक का जवाब तो आप को भिजवा दिया है और दूसरे का प्रति उत्तर भेज रहे हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जवाब पर भी प्रिवलेज है । मिनिस्टर वे सरासर····**···· बोला है । ओसवाल वूलन मिल्ज के नाम लाइसेंस है, ओससाल वूलन मिल्स का एक डिपार्टमेन्ट बनाता है । इन्होंने जानबूझ कर फार-रीजन्ज-अदर-देन-स्ट्रेट—उसका लाइसेंस कन्टीन्यू किया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले का जवाब भिजवाया है । आज दूसरा आया है, इसको भी मैं निराकरण करूंगा । अगर तसल्ली नहीं होगी तो मैं अपना निर्णय दूंगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : निराकरण के लिये कमरे में बैठेंगे तो बेकार है, यहीं पर होने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम मुझे स्वयं को संतुष्ट करना होगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : ता० 17 को मिनिस्टर बाहर चला जाएगा और ता० 23 तक यहां नहीं रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई बात नहीं है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह इतना महत्वपूर्ण मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता लगाकर अपना निर्णय देना है ।

(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्या आप मेरी बात सुनेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हां, हर समय ।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई-दिल्ली) : पंजाब में 47 रेलवे स्टेशन्ज जला दिये गये हैं....

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए कर दिया है। हम एक बजे मिल रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप रेल मंत्री से बयान करवाइये और सदन को चर्चा करने का मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : हम एक बजे मिल रहे हैं, उसमें आप भी आजाइये, तब सलाह कर लेंगे और जैसा आप कहेंगे वह करेंगे।

डा० वसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : गत सप्ताह प्रस्तुत किए गए मेरे स्थगन प्रस्ताव के संबंध में आपने कहा था कि आप हनोवर में भारत की छवि बिगाड़े जाने के संबंध में जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी तक कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

डा० वसंत कुमार पंडित : वहां हमारे उच्चायुक्त.....

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसकी अनुमति नहीं है। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं श्रीलंका के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में वक्तव्य दे कि श्रीलंका के संबंध में वे क्या ठोस और निर्णयात्मक कार्यवाही करना चाहते हैं। वहां स्थिति बिगड़ रही है और अब श्री करुणानिधि ने कहा है कि वे पृथक्वादियों की मांग का फिर से पक्ष लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप भी आइये और हम इस बारे में बात करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीलंका के बारे में सदन में क्या करना है ?

** कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप आइये, हम श्रीलंका के साथ-साथ पंजाब पर भी चर्चा करेंगे।

पंजाब सिचुएशन के साथ लंका पर भी बात कर लेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी (वक्सर) : मैं जो कुछ कहने और प्रदर्शित करने जा रहा हूं सदन एकमत से उसका समर्थन करेगा। मैंने पंजाब के मामले में अमेरिका के हस्तक्षेप के बारे में नोटिस दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री ने हाऊस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिस की समिति की बैठक में एक लम्बी रिपोर्ट दी है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तथ्य प्राप्त करने दीजिए।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : जो सही बात आ रही है, उस को आने दो।

प्रो० के० के० तिवारी : यह गंभीर मामला है। हमने पहले ही इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है। रिपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति, जनरल जिया-उल-हक, के सलाहकार श्री सुलेरी, ने एक वक्तव्य दिया है। इसी बीच समाचारपत्रों में भी यह छप गया है। अतः इस बात की पुष्टि हो गई है कि विदेशी शक्तियां हस्तक्षेप कर रही हैं और यह एक गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : हम तथ्य प्राप्त करेंगे। आप भी एक बजे आइए और हम चर्चा करेंगे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाया है। मैं उनका समर्थन करता हूं। पहली बार तिवारी जी समझदारी की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह पहली बार नहीं कई दफा आ गया है। स्वामी जी भी पहली दफा कह रहे थे, आप भी पहली दफा कह रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : यह सीरियस बात है, आप को इसके ऊपर बोलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है।

श्री मनीराम बागड़ी : क्या कहा है ?

अध्यक्ष महोदय : पहले इसका निराकरण कर लें कि किस ढंग से इसको लेना है।

डा० वी० कुलनदईवेलु (चिदम्बरम) : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने श्रीलंका····के सम्बन्ध में बहुत गंभीर मामला उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी अभी कहा है कि हम सब इकट्ठे होकर इस पर चर्चा करेंगे।

डा० वी० कुलनदईवेलु : हम इस मामले पर काफी समय से चर्चा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर रहा हूं ? क्या उससे अधिक कुछ है ?

डा० कुलनदईवेलु : श्री जयवर्द्धने ने कहा है.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : समय आने पर हम आपको सब कुछ बोलने की अनुमति देंगे। अतः चिन्ता न करें।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : अध्यक्ष महोदय, इस देश में उद्योगों से उत्पादित वस्तुएं जैसे चाय, सीमेंट, लोहा और दूसरा जो भी सामान है, उनकी कीमत एक बार बढ़ जाने के बाद कभी कम नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय : आप मौशन दीजिए।

श्री राम लाल राही : लेकिन किसानों द्वारा जो पैदा हुई चीजें हैं, जब उनके घर से वे बिकने के लिए जाती हैं, तो बहुत सस्ती होती हैं।

अध्यक्ष महोदय : लेक्चर करने से कोई फायदा नहीं है। नाट एलाऊड।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। कार्यवाही वृत्तान्त में एक शब्द भी शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा केवल पंजाब में ही नहीं मणिपुर में भी स्थिति बिगड़ रही है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : मैं एक सैकेन्ड से अधिक समय नहीं लूंगा। मैं इस मुद्दे से सहमत हूं कि हम चर्चा करेंगे। हम इस संबंध में सदन के साथ-साथ आपके प्रकोष्ठ में भी चर्चा करते रहे हैं तथा मणिपुर क्षेत्र में प्रतिदिन स्थिति बिगड़ रही है ?

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं ?

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : मैं एक सुझाव दे रहा हूं। अतः जब पृथकवादी कार्यवाहियां होती हैं हमें उससे जो कुछ मिलता है, उसमें हमें प्रधान मंत्री का हस्तक्षेप.....नहीं मिलता....

अध्यक्ष महोदय : पिछली बार हमने इस पर चर्चा की थी। अतः मैं आपसे सहमत हूं। इसकी अनुमति नहीं है। वह नियम से बाहर की बात कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मनी राम बागड़ी : मेरा काम रोको प्रस्ताव है....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नाट एलाऊड।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : बिहार में कालाजार हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इलाज करा रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : इस पर कालिंग अटेंशन एलाउ कीजिए।.... **(व्यवधान)**

12.07 म० प्र०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8150/84]

निर्माण और आवास मंत्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं निर्माण और

आवास मंत्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 8151/84]

भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (88वां) संशोधन विनिमय, 1984

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (88वां संशोधन) विनिमय, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 24 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 28/एफ० संख्या 5-2/77-ई० पी० में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 8152/84]

टी बोर्ड इंडिया, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे आदि

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) टी बोर्ड इंडिया, कलकत्ता, के वर्ष, 1982-83 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) टी बोर्ड इण्डिया, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) टी बोर्ड इण्डिया, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8153/84]

आयल पाम इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : आयल पाम इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा-वर्ष की समाप्ति

के बाद 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8154/84]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, वित्त मंत्रालय संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालयों तथा संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें; निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी अधिनियम, बम्बई के 31-12-83 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वर्ष 1982-83 के प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल), संघ सरकार विनियोग लेखे (सिविल)

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 251 (अ), जो 31 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 1981 की अधिसूचना संख्या 95/81 के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि उसके अन्तर्गत 150 के० वी० ए० और उससे अधिक की रेटिंग के ट्रांसफार्मरों पर उत्पाद शुल्क की आंशिक छूट की अवधि को 30 जून, 1984 तक बढ़ाया जा सके।

(दो) सा० का० नि० 252 (अ), जो 31 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 1981 की अधिसूचना संख्या 96/81-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि उसके अन्तर्गत 5 किलोवाट और उससे अधिक की बिजली की मोटरों पर उत्पाद शुल्क की आंशशिक छूट की अवधि को 30 जून, 1984 तक बढ़ाया जा सके।

(तीन) सा० का० नि० 269 (अ), जो 3 अप्रैल, 1984 के भारत से राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 5 नवम्बर, 1981

की अधिसूचना संख्या 184/81-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8155/84]

(2) वित्त मंत्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8156/84]

(3) संसद, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालयों तथा संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8157/84]

(4) निक्षेप बीमा और ऋण गारन्टी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की धारा (2) के अन्तर्गत, निक्षेप बीमा और ऋण गारन्टी निगम, बम्बई, के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8158/84]

(5) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1982-83 के प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8159/84]

(6) वर्ष 1982-83 के संघ सरकार विनियोग लेखाओं (सिविल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8160/84]

12.08 म० प०

प्राक्कलन समिति

72वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश तथा की-गई-कार्यवाही के बारे में 64वां प्रतिवेदन

श्री बंसी लाल (भिवानी) : महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) पूर्ति विभाग—पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के बारे में 72वां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

(दो) रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग)—आयुद्ध कारखानों के सम्बन्ध में समिति के 54वे प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे के 64वां प्रतिवेदन ।

12.09 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

तथाकथित "कश्मीर मुक्ति मोर्चे" और अन्य उग्रवादियों द्वारा प्रधानमंत्री और अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को जान से मार देने की धमकी दिये जाने का समाचार

श्री पी० नामग्याल : मैं गृहमंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :—

"तथाकथित "कश्मीर मुक्ति मोर्चे" और अन्य उग्रवादियों द्वारा प्रधानमंत्री और अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को जान से मार-देने की धमकी दिए जाने का समाचार और स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।

12.10 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, सरकार को उग्रवादी तत्वों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन को दी गई धमकियों की जानकारी है। तथाकथित "काश्मीर मुक्ति मोर्चा" की कथित धमकी भी ध्यान में आयी है। इन धमकियों के परिणाम स्वरूप सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गई है और आवश्यकतानुसार मौजूदा सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत करने के लिए जरूरी कार्यवाही की गई है तथा संसद सदस्यों राजनीतिक दलों तथा धार्मिक संगठनों के नेताओं, पत्रकारों आदि जैसे कुछ सार्वजनिक व्यक्तियों के लिए सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है। राजनयिक मिशनों के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के संरक्षण के लिए विस्तृत अनुदेश पहले ही विद्यमान हैं। इनकी समय-2 पर समीक्षा की जाती है। सदन इस बात से सहमत होगा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत संगीन हालात आज हमारे देश के सामने है। इस बारे में हमको अपने देश के जो नेशनल प्रैस हैं, उसमें पढ़ने को मिल रहा है। जम्मू से छापा होने वाला काश्मीर टाइम्स, इंगलिश डेली के सात अप्रैल में यह कहा गया है कि काश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट की तरफ से एक धमकी वाला खत इस अखबार को मिला है। उसमें लिखा हुआ है कि मकबूल बट्ट ने दो कत्ल किए थे और उसके जुर्म में उसको फांसी पर चढ़ाया गया था। उसका बदला लेने के लिए प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी एम० पी० को एक्सीक्युशन करने के लिए काश्मीर लिबरेशन फ्रंट की ओर से धमकी दी गई है। इस अखबार वाले को भी धमकी दी गई है कि अगर इसे खत पब्लिश नहीं किया तो उसको भी कासीक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे। आगे यह भी कहा गया है कि आर० एच० म्हात्रे का रॉ वालों ने प्लान करके लंदन में मरवर करवाया है ताकि मकबूल बट्ट को फांसी पर चढ़ाया जा सके। यह सब कुछ उस पेपर में छापा गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि डा० फारूक अब्दुला, जिन्होंने 1974 में अमान उल्लाह खां और काश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो बाकी मैम्बर्स थे, तब शायद जम्मू काश्मीर प्लेबिसाइट फ्रंट के नाम पर यह आरगेनाइजेशन था, मकबूल बट्ट के साथ जद्दो जहद चलने के लिए, कसम उठाई थी, उनको भी धमकी में कहा गया है कि कासीस्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे। कल के हिन्दुस्तान टाइम्स में भी कुछ ऐसी ही खबर छपी है, जिसकी और हमारे आनरेबल मैम्बर्स ने तबज्जुह दी होगी। एक पाइन्ट मुझे खतरनाक लगता है, जो उन्होंने रिवील किया है। उसका जो कैप्शन है "एक्ट्रीमिस्ट्स फैन आडर टू अदर स्टेट्स "हिन्दुस्तान टाइम्स के 15-4-84 के अंक का उसमें से मैं कुछ सेन्टेन्सेज कोट करना चाहता हूं, आपकी इजाजत से :—

> "आसूचना रिपोर्ट यह दर्शाती हैं कि उग्रवादी पाकिस्तानी चिन्हों वाले ग्रेनेडों, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सप्लाई किए गए स्टर्लिंग एस० एल० जी० सोवियत रूस द्वारा सप्लाई किए गए प्रसिद्ध ए० के० 7 से सुसज्जित हैं।

सबसे अधिक चिंतादायक तथ्य 38 केलिबर सेवा रिवाल्वर और स्वचालित हथियारों की प्रायः प्रचुर सप्लाई है, जो कि भारतीय सेना दलों के केवल कार्यरत कार्मिकों को उपलब्ध होते हैं ।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सप्लाई किया गया स्टर्लिंग एस० एम० जी० प्रयोगात्मक प्रयत्नों के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है रूस और चीन के हथियारों का "तैयार स्टाक" प्रचुर मात्रा होने का समाचार है ।

आसूचना रिपोर्टों से यह भी पता चला है कि उग्रवादियों को पवित्र स्वर्ण मंदिर के "भीतर और बाहर" जाने के लिए सुरंगों के एक जाल के माध्यम से सुरक्षित रास्ते प्राप्त हैं जिसे निरंतर बढ़ाया जा रहा है ।

स्वर्ण मंदिर पर किसी संभावित आक्रमण का मुकाबला करने के लिए रक्षात्मक तैयारियां करने के साथ-साथ बड़ी संख्या में आक्रमणकारी, जिसमें से कुछ का पाकिस्तान की विशिष्ट वर्ग की विशेष सेवा समूह (स्पेशल सर्विसिज ग्रुप) से संबंधित होने का समाचार है, सारे देश भर के सुरक्षित आश्रय स्थलों में, मुख्यतः उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों और सुदूर पर्वतीय ग्रामों में फैल गये हैं ।"

मैंने यह इसलिए पढ़ा कि जो यह स्पेशल सर्विस ग्रुप है, सरकार को मालूम होगा जिसको एस० एस० जी० के नाम से कहा जाता है, यह पाकिस्तान के कमान्डो पैरा ट्रूपर्स हैं जो गोरिला जंग और दूसरे मुल्क में फसाद और सबोटाज की स्पेशल ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं । और इनके पास 3 बटालियनें हैं, यानी पाकिस्तान के पास/इसी कंटेक्स्ट में हाउस की नोटिस में एक खास बात लाना चाहता हूं, और वह यह कि एस० एस० जी० ग्रुप का एक बटालियन हाल ही में करदो के इलाके में डिप्लाय की गई है जो एक बहुत ही खतरनाक मूव है । और यह शक किया जाता है कि करदो और आजाद कश्मीर के इलाके से हमारी स्टेट में चोरी छिपे दाखिल हो रहे हैं, और वहां से होते हुए पंजाब में अकाली एक्स्ट्रीमिस्ट्स के साथ उनका कान्टेक्ट होना बताते हैं । इनका मेन मकसद देश में कम्युनल फसाद कराना, गड़बड़ी पैदा करना है । पंजाब के इस वक्त जो हालात हमारे सामने हैं, जैसे कल ही 37 रेलवे स्टेन्शन्स को आग लगा दी गई है और पेपर्स से पता लगता है इनका हाथ होने का प्रूफ होता है । और यह जो एस० एस० जी० है मेरे ख्याल से डिफेंस पौइंट आप व्यू से बहुत जबरदस्त खतरे का बायस है । इस पर गवर्नमेंट आफ इंडिया को बहुत संजीदगी के साथ सोचना चाहिये कि क्या सेक्शन लेना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि जो एस० एस० जी० है इनको रावलपिंडी के नजदीक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका मैंने पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया था.....जिसमें सिख एक्टमिस्ट्स का होना भी बताते हैं, उसी ट्रेनिंग कैम्प में इनके साथ ट्रेनिंग दी जा रही है । जनरल नियाजी के डायरेक्ट सुपरविजन में जो कमांड-कोर्स हैं, पैरा ड्रापर्स हैं, हवाई जहाज से पैराशूट के

जरिये लैंड करने की और हर तरह के वैपन इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है चाहे वह औटोमैटिक वैपन हों, या लैटेस्ट वैपन हों, एक्सप्लोसिव डिवाइस हों कि पुल को कैसे तबाह करना है, रेलवे ट्रेक को कैसे तबाह करना है, सब तरह की ट्रेनिंग दिए जाने की रिपोर्टें आ रही हैं। यह हमारे लिए बहुत ही जबर्दस्त खतरे का वायस बन रही हैं। आज का हिन्दुस्तान टाइम्स आपने देखा होगा, इसमें बायस न्यूज में दिया गया है : —

विदेशी "हिट स्क्वाड" ऐसा समाचार है कि कुछ "उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों" के जीवन को खतम करने के लिए कई लाख रुपये की संविदा का प्रस्ताव करते हुए खालिस्तानी उग्रवादियों ने एक अंतर्राष्ट्रीय "हिट स्क्वाड" से बातचीत की है।

खालिस्तान समर्थकों द्वारा "आतंक के लिए खरीदारी" का पहला आभास कुछ महीनों से है।

तथापि इसकी पुष्टि तब हुई जब भारतीय प्रति आसूचना एकक प्रारम्भ में चार राष्ट्रों के लिए तैयार किए गए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के दौरों में सुरक्षा संबंधी समस्त संभव दृष्टिकोणों की जांच करते समय "पुलिस के एक मुखबिर" (स्टूल पीजन) से अचानक टकरा गए (यह दौरा देश में एक संकट के कारण दो राष्ट्रों तक ही सीमित कर दिया गया था परन्तु इसका घटाना सुरक्षा चेतावनी 'जाओ नहीं' से भी प्रेरित था)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पर्याप्त पृष्ठभूमि दे दी है। इसी में ही इन्हें रहिये। अब आप प्रश्न करें।

श्री पी० नामग्याल : रिपोर्ट इस प्रकार जारी है : —

"संविदा की 'हिट' सूची में शामिल व्यक्तियों जिनके विषय में कम से कम तीन विभिन्न 'हिट' दलों से बातचीत की गई, में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, कांग्रेस (आई) महासचिव राजीव गांधी, विपक्ष के नेता चरणसिंह और अटल बिहारी वाजपेयी और देश के दो वरिष्ठतम आसूचना अधिकारी शामिल थे।"

इस कांटेक्स्ट में मैं इस एवान के सामने कहना चाहता हूं कि यह एक जबर्दस्त कांसीपिरेसी है और इसमें फारेन हैंड है। पंजाब का ट्रबल हो या जम्मू-काश्मीर में हो, खसूसी हालत में जम्मू-काश्मीर में थ्रैटनिंग दे रहे हैं।

2, 3 दिन पहले की बात है;

(व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : महोदय मैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवधान न डालें। कृपया बैठ जाइये। यह कोई सामान्य विचार-विमर्श नहीं है। जो कुछ कहते हैं उसको रिकार्ड न करें।

(व्यवधान) XX

उपाध्यक्ष महोदय : आप जब चाहें व्यवधान नहीं डाल सकते। कृपया नियम पुस्तिका के अनुसार चलिये। कृपया जो कुछ भी यह कहते हैं रिकार्ड न करें

(व्यवधान) **

उपाध्यक्ष महोदय : उनको उत्तर देना मंत्री का काम है वे कुछ भी कहें रिकार्ड न करें।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वे कुछ कहें रिकार्ड न करें ध्यानाकर्षण का उत्तर मंत्री देंगे। मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)**

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री पी० नामग्याल : उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग खामाखाह शोर कर रहे हैं। काश्मीर यूनिवर्सिटी में हाल ही में दो बम एक्सप्लोजन हुए थे।

(व्यवधान)

श्री पी० नामग्याल : काश्मीर में पी० टी० आई० और यू० एन० आई० की जितनी भी एजेन्सीज हैं, उनको धमकी दी गई है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी श्री नामग्याल कहें उसे रिकार्ड करें। श्री नामग्याल कृपया प्रश्न पूछिये और समाप्त कीजिए।

श्री पी० नामग्याल : पहले मुझे पृष्ठभूमि बताने दीजिए। केवल उसके पश्चात् ही मैं प्रश्न करूंगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : रिकार्ड न करें। मैं किसी बात की अनुमति नहीं दे रहा। यह कोई चर्चा नहीं है। यह तो ध्यानाकर्षण चल रहा है। यदि चर्चा में भाग लेते समय कोई अपमानजनक वक्तव्य देता है या कोई गैर संसदीय शब्द का प्रयोग करता है तो पीठासीन अधिकारी इस पर कार्यवाही करेंगे। लेकिन जो कुछ भी वह कहें उसका उत्तर देना सरकार का कार्य है। मेरे माननीय मित्र नियम पुस्तिका को पढ़ें। वे व्यवधान नहीं कर सकते और वे इस प्रकार भाग नहीं ले सकते।

यदि वह कोई अपमानजनक वक्तव्य देते हैं तो पीठासीन अधिकारी ऐसी किसी बात की अनुमति नहीं देगा।

(व्यवधान)**

यदि किसी माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त विचार ग्रहणीय नहीं है और कोई आदरणीय सदस्य व्यवधान करने के लिए इस प्रकार की पद्धति चलाता है तो पीठासीन अधिकारी को इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।

(व्यवधान)**

कृपया बैठ जाइये। मैं अनुमति नहीं दे रहा। किसी बात को रिकार्ड न करें। पीठासीन अधिकारी इस पर गंभीरता से विचार करेंगे।

मुझे अफसोस है कि आप कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। कार्यवाही रोकने के अतिरिक्त मैं किसी बात की भी अनुमति दे दूंगा। आप प्रत्येक को अपने विचार अवश्य प्रकट करने दें। आप उससे सहमत हों या नहीं। यह मंच उसे अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति अवश्य दें। मैं इसे अवश्य ही स्पष्ट कर देना चाहूंगा।

श्री पी० नामग्याल : ये जो थ्रेटनिंग लैटर डिफरेंट एजेन्सीज और लोगों को लिखे जा रहे हैं, उन सब पर श्रीनगर, काश्मीर का पोस्टल मार्क लगा हुआ है। इससे पता चलता है कि

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

ये सारे लैटर श्रीनगर से ओरिजिनेट होते हैं। मैं आपकी तबज्जुह दिलाना चाहता हूं कि ये जो धमकियों भरे लैटर लिखे जा रहे हैं, उनका डायरेक्ट कनैक्शन, म्हात्रे के किडनैपिंग, रावलपिंडी की आर्गनाइजेशन और काश्मीर वैली के सिसेशनिस्ट ग्रुप के साथ है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें। आपने पहले ही बीस मिनट से अधिक ले लिए हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नामग्याल आप उनको संबोधित न करें। आप पीठासीन अधिकारी को संबोधित करें। उनका उत्तर भी न दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपने प्रश्न करें।

श्री पी० नामग्याल : क्या सरकार को इस बात का इल्म है कि एस० एस० जी०—स्पैशल सर्विस ग्रुप—का जम्मू-काश्मीर में इनफिल्ट्रेशन हो रहा है; अगर हां, तो उसको चैक करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? पेपर्ज की रिपोर्ट से पता चलता है कि गोल्डन टेम्पल के साथ उनका डायरेक्ट लिंक है। क्या सरकार के नोटिस में यह बात आई है? क्या सरकार को इस बात का भी इल्म है कि जम्मू-काश्मीर में, खासकर स्कार्डू रिजन में एस० एस० जी० का बैटालियन मूव हुआ है; अगर है, तो जो एलिमेंट मुल्क में डिस्टर्बैन्स पैदा करना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए सरकार क्या स्टैप उठा रही है ?

जो सिसेशनिस्ट ग्रुप जम्मू-काश्मीर में मौजूद हैं, अगर पिछले रिकार्ड्ज से टैली किया जाए, तो पता चलेगा कि मौजूदा सरकार के साथ उनका लिंक है और वह उनको एनकरेज कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रही है।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : महोदय, यह सही है कि जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा नामक एक संगठन ने श्री वेद भसीन जी को लिखा था कि यह समाचार दो दिन के अंदर प्रकाशित हो जाना चाहिए, कि जम्मू और काश्मीर राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा ने श्री मकबूल भट्ट जिसे तिहाड़ जेल में कश्मीर विरोधी शक्ति के भूखे राजनीतिज्ञों द्वारा मार दिया गया था की मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा की है और शपथ खाई है। अपने महान नेता के सम्मान में हमने भारत की प्रधानमंत्री और उनके पुत्र को मारने का निश्चय किया है। काश्मीर इन दो व्यक्तियों की समाधि नहीं रहेगा बल्कि हम कश्मीर से बाहर और विश्व के किसी भी भाग में बदला लेंगे। विश्व के लोगों, विशेषकर भारत के लोगों को अभी भी इस बात की जानकारी नहीं है कि श्री म्हात्रे की हत्या की योजना 'रा' के परामर्श से प्रधानमंत्री ने बनाई थी।

जहां तक श्री म्हात्रे को मारने का प्रश्न है, यह आरोप कि इसकी योजना 'रा' के परामर्श से प्रधानमंत्री ने बनाई थी, बिल्कुल झूठा है।

एस० एस० जी० बटालियन द्वारा कश्मीर सीमा पार करने के समाचार के बारे में हमें कश्मीर सरकार से सूचना मिली है कि थल सेना तथा सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमाएं सील कर दी गई हैं और उस ओर से इस ओर कोई घुसपैठ नहीं है। आगे यदि इस तरह की कोई बात होती है तो हम इसका ध्यान रखेंगे।

जहां तक अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों और संसद् सदस्यों की सुरक्षा का सवाल है, उसके लिए हम पर्याप्त सावधानी बरत रहे हैं और उसका समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री सतीश अग्रवाल।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उसे भी रिकार्ड न किया जाए। श्री नामग्याल, कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है। आप शोर क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड न किया जाए। कृपया बैठ जाएं हां, श्री सतीश अग्रवाल, आप शुरू करें।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उग्रवादियों द्वारा दी गई धमकी, चाहे वह तथाकथित कश्मीर मुक्ति मोर्चा द्वारा दी गई हो अथवा दशमेश रेजीमेंट द्वारा दी गई हो अथवा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को किसी भी उग्रवादी संगठन द्वारा दी गई हो, इस देश की राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए गम्भीर धमकी है। मैंने पिछले 37 वर्षों से आज तक इस तरह की स्थिति कभी नहीं देखी जबकि सम्पूर्ण देश में आतंकवादी तत्वों द्वारा देश के भीतर ही हमारी एकता और सुरक्षा को इस तरह का खतरा पैदा किया गया हो।

महोदय, यह दुःख की बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को कड़ा बनाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर शक्तियां ग्रहण किए जाने के बावजूद जिसका कि मैंने और मेरी पार्टी ने इन शक्तियों पर आपत्ति नहीं की है, हम देखते हैं कि पंजाब के उग्रवादी अपनी

** कार्यवाही वृतांत मे सम्मिलित नहीं किया गया।

गतिविधियां न केवल पंजाब में ही फैला रहे हैं अपितु बड़े सुनियोजित ढंग से वे अपनी गतिविधियां देश की राजधानी दिल्ली तक बढ़ा रहे हैं। उन्होंने आज राजस्थान में 3 बैंक लूटे हैं, 2 बैंक उत्तर प्रदेश में लूटे हैं और महोदय, देश भक्ति की भावना से मैं यह कहता हूं कि मुझे यह आशंका है कि यदि इन तमाम अभियुक्तों को गिरफ्तार करने और सम्पूर्ण स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो स्थिति कुछ और बिगड़ जाएगी।

मैं बहुत सीमित बात भी नहीं कह रहा हूं। माननीय मंत्री जी का वक्तव्य, जो इस सभा में पढ़ा गया है, उग्रवादियों और कश्मीर मुक्ति मोर्चा द्वारा दी जाने वाली धमकियों के बारे में है। अब स्थिति इतनी गम्भीर हो गई है कि पंजाब अथवा देश के किसी हिस्से में रहने वाला न केवल आम व्यक्ति बल्कि हमारे परिवार के बड़े-बड़े बच्चे भी इन धमकियों से आशंकित हो रहे हैं और समूची स्थिति के बारे में इतने भयभीत हो रहे हैं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्रों से कोई सदस्य अथवा व्यक्ति भी जब हमारे घर में हमारी अनुपस्थित में मिलने आते हैं तो घर वाले कहते हैं कि जब तक हम आदमी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते होंगे तो हम दरवाजे तथा किवाड़ नहीं खोलेंगे क्योंकि उन्होंने चण्डीगढ़ में अभी हाल ही में श्री तिवारी जी का काण्ड देखा है। स्थिति यह हो गई है। अब सम्पूर्ण देश में इस प्रकार का आतंक पैदा हो जाने से कोई भी यह नहीं जानता कि संसद से अथवा कार्यालय से आने के बाद घर कौन सुरक्षित पहुंचेगा। और जहां तक इस स्थिति का सम्बन्ध है, उग्रवादियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए पूरी सभा ने सरकार का समर्थन किया है। जहां तक इस सभा का प्रश्न है, इसमें सभी का मत एक सा है। इस बात पर बिल्कुल भी मतभेद नहीं है। सभा ने बार-बार यह मांग की है और सरकार को बताया है कि इस देश में निर्दोष व्यक्तियों की सम्पत्ति और जीवन की रक्षा के लिए किन्तु ईश्वर के वास्ते स्थिति से निपटने के लिए जो कार्रवाई आप ठीक समझें करें। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उग्रवादी अपनी गतिविधियां बड़े सुनियोजित ढंग से जारी किए हुए हैं। एक विशेष निर्धारित समय मे 37 रेलवे स्टेशन जला दिए गए। एक ही तरह की कार्यप्रणाली है। समय भी वही है। व्यावहारिक रूप से सम्पूर्ण घटना एक जैसी है। अब इस प्रकार की गतिविधियां जारी हैं। मुझे आश्चर्य है कि हमारी आसूचना एजेन्सियां क्या कर रही हैं। क्या सरकार के पास आसूचना तंत्र नहीं है? वहां 'रा' है, इण्टेलीजेंस ब्यूरो है। अन्य विशेष सुरक्षा-सतर्कता विभागों का भी सृजन किया गया है। इन सब कार्यों के बारे में वे सब क्या कर रहे हैं? इस तरह से समस्या हल नहीं हो सकती कि यदि चौधरी चरण सिंह का जीवन खतरे में है अथवा अटल बिहारी बाजपेयी का जीवन खतरे में है तो आप आधा दर्जन व्यक्तियों को उनके निवास पर लगा देते हैं। यह समस्या का समाधान नहीं है। इन सबके बावजूद, संसद सदस्यों और विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सरकार कितने स्थानों पर सुरक्षा-व्यवस्था करने जा रही है? अमृतसर में हरबंश लाल खन्ना के बारे में क्या हुआ था? वहां सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की गई थी। उग्रवादी आए। उन्होंने सुरक्षा गार्ड से उसकी स्टेनगन छीनकर उसी स्टेनगन से हमारी भाजपा के भूतपूर्व विधायक श्री खन्ना को मार दिया। इसलिए इस प्रकार के सुरक्षा गार्डों को रखने का क्या लाभ है? आप कहां-कहां सुरक्षा

गार्ड तैनात करेंगे ? आखिरकार, 800 से अधिक संसद सदस्य हैं और कम से कम 50 से 100 संसद सदस्य पंजाब पर हो रहे वाद-विवाद में बड़ी सक्रियता से भाग ले रहे हैं। श्री भिण्डरवाले के विरुद्ध जो भी बोलेगा उसका नाम 'हिट' लिस्ट में रख दिया जाएगा। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि उनका नाम 'हिट' लिस्ट में हैं। महोदय आप 'हिट' लिस्ट में नहीं हैं। किन्तु अध्यक्ष 'हिट' लिस्ट में हैं। आप काफी भाग्यशाली हैं क्योंकि आप तमिलनाडु से आते हैं और पंजाब के मामले के सम्बन्ध में कुछ नहीं बोलते हैं। आपका सम्बन्ध तमिलों के लाभ से अधिक है। अब दूसरों के बारे में आपके क्या विचार हैं ? विपक्ष के नेता श्री चरणसिंह का उसमें नाम है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम उसमें है और तत्पश्चात प्रधानमंत्री का नाम उसमें है। श्री राजीव गांधी का नाम उसमें है। मदन लाल खुराना का नाम उसमें है। केदारनाथ साहनी का नाम उसमें हैं। विजय कुमार मल्होत्रा का नाम उसमें है। वे लोग किसी प्रकार का विरोध प्रकट करते हैं सरकार से यह कहने आते हैं कि यहां हमें आपके हाथ मजबूत करने हैं आप उग्रवादियों के विरुद्ध अपनी कठोर कार्रवाई कीजिए। हम आपके साथ हैं। और यदि वे शान्तिपूर्वक अहिंसात्मक रूप से विरोध करते हैं और इन आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए सरकार से प्रार्थना करते हुए कुछ आयोजित बंद करते हैं और कुछ विरोध प्रकट करते हैं तो मैं नहीं समझता कि वे कोई अपराध कर रहे हैं। अब इस पूरी सभा में 45 मिनट के लिए, प्रो० रंगा याद करें, सम्पूर्ण सभा, सभा के सभी वर्ग सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अब, हमसे इससेऔर अधिक सरकार क्या चाहती है ? आखिरकार, कार्रवाई सरकार को ही करनी है।

अब, आज के समाचार पत्र में प्रधान मंत्री ने कहा है, उनके जीवन की धमकी की उन्हें परवाह नहीं है। वह बहुत साहसी हैं। और वह कहती हैं, कि वह ऐसी धमकियां अपने बचपन से प्राप्त कर रही हैं। अब अपने सत्तारूढ़ दल के संसद सदस्य श्री राजीव गांधी के बारे में समाचार पत्र में मैंने कल पढ़ा था। उनके 30 अप्रैल तक के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। अब प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिए सभी उपायों के लिए आवश्यक रूप से सभी सम्भव प्रबंध किए जाने चाहिएं। किसी भी तरह व्यक्ति के पार्टी से मतभेद हो सकते हैं, किन्तु प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ही है। वह सभा की नेता हैं। तब अवश्य ही यह उनका सही कदम है। अब महोदय, समाचार पत्र में यह विशेष समाचार छपा है कि श्री राजीव गांधी के 30 अप्रैल तक के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। उन्हें घर में रहने की सलाह दी गई है। लेकिन वह कब तक घर में रहेंगे ? इन सबके बाद चुनाव होने वाले हैं और सभी संसद सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाना है। अब, देश के वरिष्ठ अनुभवी नेता पं० कमला पति त्रिपाठी इस समस्या के प्रति अपने दृष्टिकोण में बहुत ही सही हैं। अब, आप उनके लिए सुरक्षा गार्ड तैनात करने जा रहे हैं। उसके बाद, प्रो० रंगा, फिर मेरे लिए, फिर डा० करण सिंह के लिए, फिर श्री यशवंत राव चव्हाण के लिए। यह समस्या का कोई हल नहीं है। आप उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था कब तक करेंगे ? यदि स्वयं खून में ही कोई बीमारी है तो इधर उधर मरहम लगाने से समस्या हल नहीं होगी। और इसलिए मैं साफ कह रहा हूं। यह समस्या खड़ी हो गई है। अब उग्रवादी

गतिविधियों के बारे में मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था। आपको पढ़ना होगा; वे लोग आए, किसी को मारा और चलते बने। समाचार पत्रों में यह खबर भी छपी कि उग्रवादियों ने लोगों को मार दिया और मारकर प्रातःकाल की सैर की भांति चलते बने। पुलिस क्या करती है ? सीमा सुरक्षा बल क्या करता है ? केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल क्या करता है ? लेकिन मुझसे कहा गया है कि गृह मंत्री ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल केवल स्थानीय पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस उपअधीक्षक के निर्देश में ही कार्य करेंगे। इसलिए कि इस पर उनकी कोई क्रिया अथवा प्रतिक्रिया नहीं हैं। वे पंजाब तथा अन्य जगह मूक दर्शन हैं क्योंकि स्थानीय पुलिस उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को दिर्देश देने होते हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि पंजाब पुलिस अपना कर्तव्य करने में विफल हो गई है। उन्होंने लोगों का विश्वास खो दिया है। यह सबसे बड़ी समस्या है। इसे किस प्रकार सुलझाया जा सकता है ? इसे सुलझाना आपका कार्य है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गूंटूर) : श्री वाजपेयी नहीं चाहते कि सी० आर० पी० लगाई जाए।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं इस विषय के सभी पहलुओं पर टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मामले हैं। मैं इस विषय की अधिक गहराई में नहीं जाना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, हम इस पर चर्चा करवे जा रहे हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : यह आवश्यक नहीं है कि मैं इस वाद-विवाद में भाग लूं। विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न वाद-विवाद में भाग लेते हैं। हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है।

पंजाब की स्थानीय पुलिस ने लोगों का विश्वास खो दिया है। आपने अपनी तरफ से सी० आर० पी० को हटा लिया, श्री लोंगोवाल ने सी० आर० पी० एफ० को हटाने की मांग की और आपने उसे हटा दिया। जब उन्होंने कहा 'आप अनुच्छेद 25 में संशोधन करिये' आपने कहा, ठीक है। अगर वे पृथक विधि कानून चाहते हैं तो आप कहेंगे ठीक है। जिस वक्त उन्होंने सी० आर० पी० एफ० को हटाने की मांग की, आपने कहा, ठीक है। सम्पूर्ण स्थिति पर मजबूती से काबू करने का यह कोई तरीका नहीं है। यह देश में उत्पन्न एक बहुत ही गम्भीर समस्या है।

मैं उनमें से एक हूं जो इस बात से सहमत होंगे कि सीमा पर सुरक्षा वातावरण तनावपूर्ण है परन्तु देश के अन्दर यह अधिक खतरनाक है। मुझे भारतीय सीमाओं के बाहर की सुरक्षा वातावरण तनावपूर्ण होने से चिन्ता नहीं है। हम किसी भी बाहरी धमकी का सामना कर सकते हैं, चाहे यह पाकिस्तान अथवा किसी और की हो। परन्तु जब तक देश मजबूत नहीं

है । हम संयुक्त नहीं हैं, जब तक देश में कुछ कानून एवं व्यवस्था नहीं हैं और देश में शान्ति नहीं है और जब तक देश की अखंडता में प्रत्येक नागरिक का विश्वास नहीं है, और सरकार में उग्रवादियों से सख्ती से निपटने की हिम्मत नहीं होती तब तक देश बाहरी हमले का मिल कर सामना करने की स्थिति में नहीं होगा । हम बाहर से किसी भी प्रकार की धमकी का सामना कर सकते हैं; कोई भी सातवां बेड़ा हमें कार्यवाही करने से नहीं रोक सकता, पाकिस्तान भी हमें हमारी कार्यवाही करने से नहीं रोक सकता । कोई भी व्यक्ति हमें हमारी कार्यवाही से नहीं रोक सकता । हम बाहरी आक्रमण का सामना करने के लिए कोई भी कार्यवाही कर सकते हैं ।

जहां तक इस विशेष बात का संबंध है, जो स्थिति 'कश्मीर मुक्ति मोर्चे' द्वारा उत्पन्न की गई है, विशेष रूप में श्री मकबूल बट्ट को तिहाड़ जेल में फांसी दिए जाने के बाद, मैं जानना चाहूंगा, सरकार ने इस बारे में क्या किया है । श्री मकबूल बट्ट की फांसी से एक प्रकार की प्रतिक्रिया हुई । मैं उसके इतिहास में नहीं जाना चाहता । क्या मैं माननीय मंत्रीजी से जान सकता हूं कि श्री मकबूल बट्ट को 6 अथवा 7 वर्ष पहले क्यों नहीं फांसी दी गई जब कानून के अन्तर्गत उसे फांसी की सजा दे दी गई थी ? क्यों उसकी दया याचिका को 6 अथवा 7 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के पास लम्बित रखा गया ? क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है कि दया याचिका 6 अथवा 7 वर्षों तक लम्बित रखी जाती है ? इस विषय को क्यों इतने वर्षों तक लटकाया रखा गया ? क्यों नहीं इसके तुरन्त बाद ही उसे फांसी दी गई ? क्या सरकार ने नियमों में संशोधन किया है कि मृत्यु दण्ड के प्रति राष्ट्रपति को की गई दया याचिका एक वर्ष के भीतर निपटाई जाएगी ? क्या सरकार ने देश के अन्दर उग्रवादियों के संगठनों का पता लगा लिया है, क्या यह पंजाब है अथवा जम्मू और कश्मीर या पूर्वोत्तर क्षेत्र ? हमने आज भी अखबार में पढ़ा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी कुछ उग्रवादी गतिविधियां हो रही हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने देश के अन्दर उग्रवादी संगठनों का पता लगा लिया है और क्या सरकार उनकी गतिविधियों के संबंध में आज तक की जानकारी एकत्र कर रही है ? विभिन्न संगठनों के कितने उग्रवादियों को पिछले दो वर्षों के दौरान गिरफ्तार करने अथवा मुकदमा चलाने में सरकार समर्थ हुई है, चाहे वह 'कश्मीर मुक्ति मोर्चे' अथवा पंजाब में दशमेश रेजीमेंट या पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई भी अन्य संगठन के उग्रवादी हों ? उनमें से कितनों को आपने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत रखा है ? उनमें से कितने व्यक्तियों को अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है ? क्या आप पूरे देश में 5 उदाहरण भी दे सकते हैं जहां पर आपने उग्रवादियों को गिरफ्तार किया हो, उन पर मुकदमा चलाया गया हो और आपके द्वारा दोषी ठहराए गए हों, इस तथ्य के बावजूद कि पिछले $2\frac{1}{2}$ वर्षों के दौरान सैकड़ों निर्दोष पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे इन उग्रवादियों द्वारा मारे गए ?

क्या भारत सरकार स्काटलैंड यार्ड की भांति जासूसी एवं खुफिया जानकारी एकत्र करने के क्षेत्र में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ लेना चाहती है । क्या

आप जासूसी अथवा खुफिया जानकारी या इसी तरह के विषयों को एकत्र करने के क्षेत्र में इस प्रकार के विशेषज्ञ संगठनों की सेवाएं प्राप्त करने जा रहे हैं ?

इस विशेष विषय के संबंध में, क्या सरकार देश के लोगों तथा संसद सदस्यों को जानकार देने हेतु एक श्वेत पत्र प्रकाशित करने जा रही है, जिसमें जानकारी दी गई है 'देखिये' ये उग्रवादी संगठन हैं, ये लोग इन संगठनों के मुखिया हैं, ये वे संगठन हैं जिन पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबन्ध लगाया गया है, यह कार्य-प्रणाली है, उन्होंने इतने लोगों को मार दिया है" इसलिए देश के लोगों को जानकारी देने हेतु, लोगों को विश्वास में लेने के लिए, अगर इस प्रकार के उग्रवादियों द्वारा अपनी गतिविधियां पूरे देश में फैलाए हैं जीने विषयक रोकथाम के उपायों के बारे में लोगों को चेतावनी देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है। उन्होंने दो अथवा तीन बैंक राजस्थान में लूटे हैं, दो बैंक उत्तर प्रदेश में लूटे हैं और बहुत से दिल्ली अथवा देश के अन्य भागों में लूटे। मुझे आशंका है और मैं कह देना चाहता हूं कि उग्रवादी फैलते जा रहे हैं और वे पड़ौसी राज्यों में फैलते जा रहे हैं, विशेष रूप में पड़ौसी राज्यों में वे समस्या खड़ी करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान इसमें काफी हद तक अंतर्ग्रस्त है। पाकिस्तान हमारे देश से 1971 का बदला लेना चाहता है, किन्तु यह सच है कि वे लोग ये सभी कार्य कर रहे हैं। अन्त में मैं सदन तथा माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं "आप कृपया अपनी तरफ से जांच करवाइये।" वायुसेना क्षेत्र जामनगर में क्या हुआ है ? उस वायुसेना क्षेत्र में 12 व्यक्ति दुर्घटना में मारे गए तथा नागरिकों के वाहन जला दिए गये। यह वर्जित स्थान है। आप इस बात की जांच करवाइये कि किस प्रकार सिविलियन तथा उनकी गाड़ियों ने इस वर्जित क्षेत्र में प्रवेश किया, जहां की दुर्घटना हुई और 12 व्यक्ति मारे गए। इस संबंध में मेरे पास जामनगर के वकील का पत्र है। अगर आप इस संबंध में मूल्यवान जानकारी चाहते हैं कि किस प्रकार गुजरात को जासूसी गतिविधियों का केन्द्र बनाया जा रहा है, और किस प्रकार से पाकिस्तानी जासूस तस्करी के वेश में गुजरात के विभिन्न सामरिक महत्व के स्थानों में संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो आप इसे ले सकते हैं।

स्थिति को देखते हुए, पंजाब हमारे पश्चिमी दिशा में है।

राजस्थान में आप जामनगर, गंगा नगर, बीकानेर तथा जैसलमेर और राजस्थान नहर के विस्तार तक चले जाइए। राजस्थान नहर के बारे में मुझे बताया गया है, इस विशेष मामले पर बोलने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत से लोग जो पाकिस्तान में बस गए थे, वे राजस्थान नहर के समीप बसने के लिए पुनः वापस आ रहे हैं और राजस्थान नहर के निकास के लाभों से स्थानीय आबादी को वंचित कर रहे हैं। वे बहुत बड़ी संख्या में वापस आ रहे हैं। राजस्थान सरकार के पास रिकार्ड है कितने पाकिस्तानी इस क्षेत्र में आ गए हैं, और राजस्थान नहर क्षेत्र में बस गए हैं ताकि इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का फायदा उठा सकें।

गुजरात में जो गतिविधियां हो रही हैं वे भी हम सभी के लिए कष्टदायक एवं चिंताजनक हैं।

इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इन मामलों के संबंध में, जो कि मैंने उठाए हैं तथा हशीम कुरेशी जी के मामले में जो कि कश्मीर मुक्ति मोर्चे के नेता हैं स्थिति स्पष्ट करें। उनके मुख्यालय बर्मिंघम में हैं। आपकी गुप्तचर विभाग के बारे में क्या राय है ? क्या उनके कोई खुफिया सूचना प्राप्त नहीं हो रही थी।

मैं नहीं मानता राजनयिक म्हात्रे को मारने की घटना में प्रधान मंत्री अंतर्ग्रस्त हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। यह किसी सिरफिरे व्यक्ति का काम है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहेगा। किन्तु ऐसा हुआ है।

यह विशेष व्यक्ति हशीम कुरेशी, जम्मू कश्मीर मुक्ति मोर्चे का नेता लंदन में था और वह पहले सीमा सुरक्षा बल में था। इसके पश्चात् वह कश्मीर को हथियाने गया। वह श्रीनगर से लाहौर के हवाई जहाज के अपहरण की घटना में अंतर्ग्रस्त था। पाकिस्तान अदालत ने उसे दोषी ठहराया था। वह 7 वर्ष तक जेल में रहा। वह किस प्रकार वापस आया ? और सभी प्रकार के काम उसने किए। वह किस प्रकार पाक अधिकृत कश्मीर चला गया और कैसे भारत लौट आया ? प्रारम्भ में वह हमारी सीमा सुरक्षा बल में था। इस प्रकार के लोग अगर सीमा सुरक्षा बल में हैं और आप उनकी सेवाओं को प्राप्त कर रहे हैं स्वाभाविक है, अगर ऐसे व्यक्तियों की कीमत है तो उन्हें खरीदने में अन्य पक्ष भी समर्थ हो सकते हैं।

इन बातों के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए। स्थिति बहुत ही विस्फोटक है, और मैं इस सदन तथा देश की जानकारी हेतु देश में उग्रवादी गतिविधियों, सरकार द्वारा की गई कार्यवाही, गिरफ्तारियां, मुकदमों एवं दोषी पाए गए व्यक्तियों के संबंध में सरकार से एक पूर्ण श्वेत-पत्र प्रकाशित करने की मांग करता हूं। मैं सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में कोई भी जानकारी नहीं चाहता जो कि आपने अपने वक्तव्य में बताई; मैं उन सभी ब्यौरों को बताने की मांग नहीं करता हूं, प्रधान मंत्री अथवा राजीव गांधी या संसद के किसी भी अन्य सदस्य अथवा किसी अन्य नेताओं के लिए किए गए विशेष सुरक्षा व्यवस्था का ब्यौरा चाहता हूं। किन्तु यह बहुत ही विस्फोटक स्थिति है और उग्रवादियों से निपटने के लिए आपको कुछ कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश यह सरकार पूर्ण रूप से विफल हो गई और इसीलिए विरोधी दल के सदस्यों ने सरकार से इस्तीफा देने की मांग की है। मैं इस विषय को उपरोक्त बातों से सम्बद्ध नहीं कर रहा हूं, अपितु मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में वह सदन को जानकारी दें।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक श्री मकबूल बट्ट का प्रश्न है उसकी दया-याचिका 6 फरवरी, 1984 को अन्तिम रूप से अस्वीकृत कर दी गई थी। दया-याचिका अस्वीकृत करने

में देरी उच्चतम न्यायालय द्वारा देश में मई, 1979 और मई, 1980 के दौरान और फिर नवम्बर, 1981 और फरवरी, 1982 के दौरान मृत्यु दण्ड पर आम रोक लगाने के कारण हुई। उच्चतम न्यायालय ने अप्रैल, 1983 में श्री बट्ट को मृत्यु दण्ड देने पर विशेष रूप से रोक लगा दी थी जिसे अगस्त, 1983 में हटवाया गया। दया-याचिका की अस्वीकृति का भारतीय राजनयिक श्री आर० के० म्हात्रे की हत्या से कोई संबंध नहीं है।

जहां तक उग्रवादियों की 7 अक्तूबर, 1983 से 9 मार्च, 1983 के बीच की गई गिरफ्तारी का संबंध है, लगभग 101 उग्रवादी और लगभग 130 आल इंडिया सिख स्टूडेन्टस फैडरेशन से संबंधित व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। मामलों की जांच की जा रही है और जांच पूरी होते ही उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। माननीय सदस्य द्वारा जामनगर और अन्य जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है, हम निश्चय ही उनकी जांच-पड़ताल करेंगे। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि उनके पास जो पत्र है, वह मुझे सौंप दें।

श्री सतीश अग्रवाल : अवश्य।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं निश्चय ही जांच-पड़ताल करूंगा।

श्री हाशिम कुरेशी का जहां तक संबंध है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट नामक इस संगठन का कार्यालय बरमिंघम, इंगलैण्ड में है और इसकी शाखा पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : देश भर में उग्रवादियों की गतिविधियों संगठनों के नामों और उनके अध्यक्षों के संबंध में एक श्वेत-पत्र प्रकाशित करने के संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। देश को उन संगठनों का पता होना चाहिए। कभी हमें दशमेश रेजीमेन्ट, कभी कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट, कभी पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी संगठन का नाम पढ़ने को मिलता है। सरकार को यह जानकारी देनी चाहिए कि अमुक संगठन उग्रवादी हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं सभा को इन सभी संगठनों की सूची, चाहे वे पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं चाहे पंजाब के चाहे कश्मीर के दे चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह करते हैं कि वह सभी को पहले ही एक सूची दे चुके हैं। श्री जैनुल बशर।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य से यह हाजिर होता है कि दिल्ली में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री जी से ले कर संसद सदस्यों तक और दूसरे राजनीतिक दलों के नेतागण, सब के उग्रवादियों की हिट लिस्ट में होने की संभावना है और यह स्वाभाविक भी है कि उग्रवादी गतिविधियां चाहे वे पंजाब में हों, चाहे

काश्मीर में हों और चाहे नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हों, उन सबका निशाना राजधानी में रहने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर होता है। यह दुनिया के दूसरे देशों में भी होता रहा है और हमारे देश में भी ऐसा हो रहा है और यह बात देखने को मिल रही है। किसी भी उग्रवादी गतिविधि का खास मकसद पूरे देश में आतंक या पैनिक पैदा करना होता है। इसको पैदा करके वे शांति-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर देते हैं। ऐसी स्थिति उनके लिए अनुकूल होती है। यह उग्रवादी गतिविधियां काफी दिनों से चल रही हैं। नार्थ-इस्टर्न स्टेट में और पंजाब में तो पिछले एक साल से बहुत ही अधिक हो गई हैं। काश्मीर में भी कभी-कभी इन गतिविधियों की सूचना मिलती रहती हैं। लेकिन, एक बात की तारीफ करना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली को बहुत हद तक इन गतिविधियों के निशाने से बचाए रखा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की तारीफ की जानी चाहिए। हम यह देखते हैं कि क्या हो गया ? लेकिन यह नहीं देखते कि क्या हो सकता था और वह नहीं हुआ ? दिल्ली, हर उग्रवादियों का निशाना रहा है। उनकी हमेशा यही कोशिश रही है कि दिल्ली में आतंक मचाएं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हत्या करें, बैंकों को लूटें या किसी प्रकार से यहां की शांति-व्यवस्था को खतरा पहुंचाएं। उसको रोकने में दिल्ली पुलिस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। श्री मनचन्दा की हत्या को छोड़कर दिल्ली में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे दिल्ली पुलिस की शिकायत कर सकें। वास्तविकता यह है कि दिल्ली पुलिस ने उग्रवादी गतिविधियों को रोकने में बहुत ही कमाल किया है, जिसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। इसके विपरीत पंजाब पुलिस की जितनी शिकायत की जाए, वह कम है। आज सबसे अधिक उग्रवादी पंजाब से दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच रहे हैं। इस बात की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पंजाब की देखा-देखी काश्मीर में भी उग्रवादी सक्रिय हुए हैं। यह भी हो सकता है कि पंजाब और काश्मीर के उग्रवादी तत्वों की सांठ-गांठ हो। लेकिन, पंजाब की पुलिस उग्रवादियों को रोकने में पूरी तरह से असफल रही है। अगर, पंजाब की पुलिस उग्रवादियों को रोकने में कामयाब होती है तो दिल्ली या दूसरे प्रदेशों में उनके फैलने की संभावना कम हो सकती है। पंजाब पुलिस से वहां के उग्रवादी नहीं बल्कि वहां के शांति-प्रिय नागरिक डर रहे हैं। मुझे यह समाचार पढ़कर बहुत ही दुख हुआ कि अमृतसर से सी० आर० पी० एफ० हटा ली गई। आज वह एक ऐसी फोर्स है जिस पर कमजोर लोगों को काफी भरोसा है। इसको हटाने से अमृतसर में बेचैनी की लहर फैल गई है और पंजाब पुलिस पर से पंजाब के शांति-प्रिय नागरिक, चाहे वह हिन्दू या सिख हों, सभी विश्वास उठ गया है। मैं चाहता हूं कि पंजाब पुलिस को दिल्ली की पुलिस से नसीहत लेनी चाहिए। पंजाब पुलिस में व्यापक रूप से परिवर्तन करना चाहिए तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस या बी० एस० एफ० को अधिक जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।

1.00 म० प०

क्यों कि आज पंजाब में केन्द्रीय शासन है। आज पंजाब की पुलिस में जो कुछ अच्छे लोग हैं, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए क्यों कि आज हमें यह शिकायत आम सुनने को मिलती

है कि पंजाब पुलिस को उग्रवादियों के साथ सांठ-गांठ है और उग्रवादी वहां सरे-आम घूमते रहते हैं ।

दूसरी बात, जिसके बारे में मैं इस सदन में बार-बार कहता रहा हूं, वह यह है कि आप देश के किसी भी भाग में जाकर उग्रवादियों को पकड़ सकते हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे कश्मीर हो या देश का कोई भी दूसरा हिस्सा हो, । लेकिन उग्रवादियों ने पंजाब में कुछ स्थान ऐसे सुरक्षित कर लिए हैं जहां वे खुले-आम रहते हैं, अपनी साजिशें करते हैं, षडयंत्र करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और डंके की चोट पर सब की जानकारी में रहते हैं, लेकिन हमारी पुलिस वहां नहीं जा सकती और उनको पकड़ नहीं सकती । मैं समझता हूं कि दुनिया का यह भी एक आश्चर्य है । क्यों कि दुनिया में कोई दूसरा हिस्सा ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा जहां किसी को पकड़ने के लिए पुलिस न जा सकती हो । लेकिन हमारा स्वर्ण मन्दिर और कुछ गुरुद्वारों में पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ने नहीं जा सकती । वहां पर सीधे पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती । जब हमारी पुलिस वहां नहीं जा सकती, तो आप कैसे उग्रवादियों को पकड़ेंगे । उग्रवादियों का स्त्रोत गोल्डन टैम्पल है, जहां उनकी साजिशें होती हैं, वहीं पर उनके नेता बैठे होते हैं, वहीं उनकी सारी योजनाएं बनती हैं और वहीं पर प्रधान मंत्री से लेकर किसी भी आदमी को मारे जाने के षडयंत्र रचे जाते हैं । लेकिन आपकी पुलिस वहां जा सकती । वैसे हमारे गृह मंत्री जी उठ कर कह देंगे कि सिद्धांत: तो हम राजी हैं लेकिन कुछ लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए, हम वहां नहीं जाएंगे । यदि आप वहां नहीं जाएंगे तो उग्रवादियों की गतिविधियां रुक नहीं सकेंगी । यह आसान नहीं है या नोर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं है, जहां आप किसी भी गिरजाघर में, किसी भी मन्दिर में या किसी भी मस्जिद में जाकर, या किसी दूसरी जगह जाकर एक्स्ट्रीमिस्टस को पकड़ सकते हैं । यह पंजाब है और पंजाब का स्वर्ण मन्दिर है । जब तक आप वहां नहीं जाओगे, आप उग्रवादियों का गतिविधियों को नहीं रोक सकते और ये गतिविधियां तब तक लगातार बढ़ती रहेंगी । यदि ये गतिविधियां ऐसे ही बढ़ती रहीं, देश में आतंक ऐसे ही फैलता रहा तो उसका परिणाम बहुत गम्भीर होगा । हमें तो इस देश के लोगों के सब्र की तारीफ करनी चाहिए, उनकी बर्दाश्त की तारीफ करनी चाहिए कि इन उग्रवादियों की गतिविधियों का असर देश के किसी दूसरे भाग में नहीं फैलने पाया है, कहीं भी उत्तेजना नहीं फैली है । लेकिन आप उसको कब तक रोक सकते हैं । आज तो पंजाब में रेलवे स्टेशन ही जले हैं, कल को यदि पंजाब में आबादियां जला दी जाएं तो क्या उसका असर देश के किसी दूसरे हिस्से में नहीं पड़ेगा ? तब क्या पूरे देश में आग की लहर नहीं दौड़ पड़ेगी ? जंगल में जिस तरीके से आग फैलती है, क्या उसी तरह की आग सारे देश में नहीं फैल जाएगी और सारे देश को अपनी चपेट में नहीं ले लेगी । उस समय आप क्या करेंगे । इसलिए, उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि गृह मंत्री जी या सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। कार्यवाही करने में एक मिनिट की देरी भी इस देश के लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है । इसलिए उनको अविलम्ब कार्यवाही करनी चाहिए ।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष जी, में गृह मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि जैसा

अभी हमारे नामग्याल जी ने हिन्दुस्तान टाइम्स की किसी खबर का उल्लेख किया और बताया कि उग्रवादियों ने किसी इंटरनेशनल हिट स्क्वैड से सम्बन्ध कायम किए हैं और करोड़ों रुपये उनको मिले हैं और उसमें प्रधान मंत्री से लेकर दूसरे कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हत्या करने का षडयंत्र बनाया गया है, क्या इस प्रकार की कोई सूचना गृह मंत्री जी को पहुंची है। क्योंकि यह बड़ा गम्भीर मामला है और इस प्रकार की वारदात दुनिया भर में होती रहती हैं। इस दुनिया में बहुत से इंटरनेशनल हिट स्क्वायड की तरह के माफिया गैंग्स हैं, जिनका काम ही यह है कि राजनैतिक नेताओं से या किसी भी व्यक्ति से पैसा लेकर मार दिया जाए। उनके बड़े आततायी तरीके हैं और वे बड़े आततायी तरीके से अपना काम करते हैं। यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है और इस तरफ गृह मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि क्या गृह मंत्री जी को इस प्रकार की कोई सूचना, समाचार पत्रों केअलावा उनके किसी स्रोत से पहुंची है या नहीं। यदि पहुंची है तो इस मामले में वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

आज के समाचार पत्र में यह भी निकला है कि एक सी० अ ई० ए० के भूतपूर्व निदेशक ने अपनी किताब में लिखा है कि देश की जो बौर्डर स्टेट्स हैं पंजाब, असम, गुजरात, राजस्थान या नौर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दंगा फैलाने वाली कार्यवाहियों को सी० आई० ए० प्रोत्साहन दे रहा है और देश के जो भीतरी भाग हैं जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वहां मिशनरीज के जरिये कुछ आतंकवादी कार्यवाहियां शुरू किये जाने की योजना बना रहा है। यह रहस्योद्घाटन उन्होंने एक किताब में किया है बहुत ही सनसनीखेज तरीके से। तो कहींऐसा तो नहीं है कि सरकार को इस तरह की गतिविधियों का पता ही नहो ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री जी को सी० आई० ए० की ऐसी गतिविधियों का पता है कि नहीं ? और उस से निपटने के लिए क्या कार्यवाही आप कर रहे हैं ?

पाकिस्तान की तरफ एक इशारा किया गया है। एक बात समझना गलती होगी, पाकिस्तान 1971 की हार को अभी भूला नहीं है और स्थिति बिल्कुल वैसी ही सामने आ रही है जैसी तब पैदा हो गयी थी। पाकिस्तान इस स्थिति का फायदा उठा सकता है, और पंजाब पाकिस्तान की सरहद पर है, उनकी सभ्यता, भाषा, शक्लें, खाने पीने का तरीका मिलता जुलता है। पंजाब पहले एक ही था, वहां से ट्रेन्ड लोगों का इनफिलट्रेशन हो सकता है, किसी भी तरीके से। ठीक है बौर्डर सील कर दिये गये हैं कश्मीर से ले कर गुजरात तक। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं लूपहोल्स रह जाते हैं और वहीं से ऐसे लोग आते हैं। तो मंत्री जी बतायेंगे कि क्या कोई पाकिस्तानी हाथ होने का भी उनको पता चला है ? क्योंकि पाकिस्तान के प्रैस तो आजकल पंजाब की खतरों से भरे पड़े हैं। वह उग्रवादियों की तारीफ में लेख लिख रहे हैं और एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि हिन्दुस्तान टुकड़े-टुकड़े हो रहा है। और पाकिस्तान इस मौके से फायदा उठाना चाहता है। और जैसे जैसे जियाउलहक की गद्दी डोल रही है वैसे-वैसे पंजाब के मामले पर हवा दी जा रही है। उनके राजनीतिक मन्सूबे हैं नजदीक के और दूर के भी। तो गृह मंत्री जी को इस बारे में चौकन्ना रहना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक अंग्रेजी समाचार-पत्र में जो खबर निकली है उसका आर० ए० डबलू० द्वारा बैरीफिकेशन दिया जा रहा है और उसकी सच्चाई का पता लगाया जा रहा है।

जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि सी० आर० पी० एफ० को अमृतसर से हटा दिया गया है, यह बिल्कुल गलत है। उसका गोल्डन टैम्पिल के इलाके में कुछ रीशफलिंग किया गया है और बी० एस० एफ० को आगे की पंक्ति में किया गया है। सी० आर० पी० एफ० और बी० एस० एफ० की और बटालियनें पंजाब में भेजी गई हैं, और आतंकवादियों तथा उग्रवादियों का पीछा हर जगह तेजी से किया जा रहा है।

यह बात सही है कि फिलहाल सरकार का गोल्डन टैम्पिल में जाने का किसी प्रकार का कोई इरादा नहीं है, हालांकि हमको इस बात के लिए उकसाया जा रहा है। लेकिन उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए वहां पुलिस भेजना हम मुनासिब नहीं समझते हैं। इसके अलावा और जो कार्यवाही करनी चाहिए वह कर रहे हैं। पंजाब पुलिस में कुछ डिपारेलाइजेशन जरूर है। उसको ठीक करने के लिए कुछ बदली भी की जा रही हैं, पुलिस की नई भर्ती भी की जा रही है। और इसके साथ ही साथ पंजाब पुलिस के कुछ आफिसर्स के दबादले भी किए गए हैं, बाहर से भी कुछ आफिसर्स और आदमी पंजाब पुलिस के साथ भेजे गए हैं **(व्यवधान)**

1.10 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[एक] केन्द्रीय क्षेत्र में लद्दाख में कम से कम एक पनबिजली परियोजना का निर्माण करने की आवश्यकता।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र में दो बृहत् पनबिजली परियोजनाएं-सलाल परियोजना और दूल हस्ति परियोजना स्वीकृत की थीं और उन पर कार्य आरम्भ कराया था। परन्तु देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र लद्दाख में इस प्रकार की कोई परियोजना केन्द्रीय क्षेत्र में आरम्भ नहीं की गई है।

लद्दाख के लेह और कारगिल दोनों जिलों में बृहत पनबिजली परियोजनाएं स्थापित किए जाने की काफी सम्भावनाएं मौजूद हैं और अगर वहां कोई परियोजना स्थापित

की जाती है तो वह न केवल लेह और कारगिल जिलों के निवासियों के लिए अपितु सम्पूर्ण राज्य के सभी निवासियों के लिए जिनमें इस क्षेत्र में स्थित सशस्त्र सेनाओं के केन्द्र भी हैं, लाभप्रद सिद्ध होगी ।

दो ऐसी परियोजनाओं की कारगिल में पार्काचिक पनबिजली परियोजना और लेह में दामखार पनबिजली परियोजना की विस्तार से जांच की जा रही है ।

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह या तो कारगिल की पार्काचिक-सुरू पनबिजली परियोजना को अथवा लेह की दामखार पनबिजली परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित करने का काम आरम्भ करे ताकि लद्दाख के ठंडे और रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हो सकें ।

[दो] उत्तर-प्रदेश के गाजीपुर जिले में पेयजल की कमी

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर-प्रदेश के गाजीपुर जिले में पेय जल का गंम्भीर संकट पैदा हो गया है । गाजीपुर और मुहम्दाबाद तहसीलों में तो स्थिति भयावह हो गई है । पीने के पानी के लिए लोगों को मीलों चक्कर लगाना पड़ता है, फिर भी पानी मुश्किल से मिलता है । अधिकतर अभावग्रस्त गांव में पेय जल की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि ये गांव सन् 1972 की अभावग्रस्त सूची में शामिल नहीं थे । वास्तविकता यह है कि पिछले कई वर्षों से ये गांव पेय जल से संकट-ग्रस्त हैं । उत्तर प्रदेश जल निगम के गांवों में पेय जल व्यवस्था करने में अपने को असमर्थ बताता है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार के निर्देशन के अनुसार केवल उन्हीं गांवों में पेय जल की व्यवस्था की जाती है जो 1972 की अभावग्रस्त सूची में शामिल हैं ।

जहां पेय-जल योजनाएं हैं भी, वहां भी बिजली न मिलने के कारण पेय जल उपलब्ध नहीं हो रहा हैं । जहां पेय-जल हेतु बड़े हैंड-पम्प लगाये गये हैं, वहां गांव की पूरी आबादी की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा गया है । अक्सर कई गांव ऐसे हैं जो कई भागों में दूर-दूर आवाद हैं, उनमें केवल एक भाग में हैंड-पाइप लगा दिया गया है, बहुत से हैंड-पाइप भी पानी देने में असमर्थ हो रहे हैं ।

अभी में गाजीपुर से लौटा हूं । पेय जल के लिए वहां त्राहि-त्राहि मची हुई है । मेरा सरकार से आग्रह है कि शीघ्रातिशीघ्र गाजीपुर के अभाव ग्रस्त गांवों में पेय जल की योजना लागू की जाये । जो योजना लागू है, उनमें जैनरेटरों की व्यवस्था की जाये । गाजीपुर में पेय जल की व्यवस्था हैंड पाइपों से उपयोगी नहीं होगी, वहां तत्काल नलकूपों की योजनाएं चालू की जाये ।

[तीन] देश में वनस्पति की कमी

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, 15 मार्च, 1984 से 15 अप्रैल, 1984 की एक महीने की अवधि के दौरान वनस्पिति के मूल्यों में लगातार वृद्धि हुई, जो इस प्रकार है :—

15 मार्च, 1984	प्रति-टिन 16½ किलोग्राम	रु० 238-250
15 अप्रैल, 1984	प्रति-टिन 16½ किलोग्राम	रु० 255-260

सरकार द्वारा वनस्पिति उद्योग को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 12,000 रु० प्रति-टन की व्यापारिक कीमत पर आयातित तेलों की 20 प्रतिशत अतिरिक्त मात्रा दिए जाने की व्यवस्था के बावजूद यह वृद्धि हुई है। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहरों में कृत्रिम अभाव दिखा कर वनस्पति की कीमतें बहुत अधिक वसूल की जा रही हैं।

दूसरी ओर वाणिज्य मंत्रालय के एक दावे के अनुसार इस समय वनस्पति तेलों के दाम गिरने चाहिए, क्योंकि आयातित तेलों को भी बाजार में सप्लाई कर दिया गया है। इसके बावजूद भी दाम बढ़ते जा रहे हैं।

हिसाब लगाया जाए, तो 12·36 रुपए प्रति-किलो के हिसाब से 16½ किलो वनस्पति की दर 203 रुपए होनी चाहिए, जब कि सरकार ने इससे कहीं अधिक कीमत प्रति क्विंटल तय की है। एक किलो का भाव 12·26 रुपए इस तरह निकलता है :55 प्रतिशत आयातित वनस्पति तेल जोड़ने के बाद एक किलो की कीमत 9·71 रुपए होती है और उत्पादन-कर सहित कुल उत्पादद-व्यय आता है 2·65 रुपए प्रति-किलो।

पिछले दिनों त्यौहारों का मौसम लगभग एक मास आगे बढ़ जाने के कारण वनस्पति की मांग में कुछ कमी आई थी। अत: वनस्पति मिल-मालिकों द्वारा इसके उत्पादन में लगभग 4,000 टन प्रति-मास की कटौती कर दी गई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि वनस्पति द्वारा उत्पादन में कटौती न की जाती, तो न केवल यह इस समय लोगों को निर्धारित दर से कम पर उपलब्ध होता, बल्कि आने वाले दिनों में भी इसकी कमी न रहती। कुछ मिलों का बंद हो जाना भी इस अभाव कारण है।

सरकार को वनस्पति के इस कृत्रिम अभाव की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

[चार] केरल के पथनाम्थिट्टा जिले के त्वरित औद्योगीकरण हेतु उसे औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित करने की आवश्यकता

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : केरल का पथनाम्थिट्टा जिला, औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा जिला है। यह जिला केरल में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है और यह उन जिलों में से एक है जिनमें रबड़, इलायची जैसी नकदी फसलें सर्वाधिक होती हैं। इस प्रकार इस जिले का सरकार की विदेशी मुद्रा आय में काफी योगदान रहता है। इनके अतिरिक्त, इस जिले के बहुत से व्यक्ति खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं और वे सैकड़ों करोड़ रुपये वहां से भेजते हैं।

फिर भी इस जिले में नाम मात्र को भी उद्योग नहीं है। यहां शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या है। इस समय केरल सरकार खाड़ी देशों में काम करने वाले गैर निवासी भारतियों की सहायता से उद्योग स्थापित करने के लिए कुछ योजनाएं करने के लिए कुछ योजनाएं बना रही है। परन्तु इस संबंध में केन्द्र की सहायता और मदद की अत्यधिक आवश्यकता है। यदि इस जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किया जाता है तो औद्योगिकीकरण की गति तेज की जा सकती है।

अत मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पथनाम्थिट्टा जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित करे और जिले के द्रुत औद्योगिकीकरण के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराये।

[पांच] स्कूटर तथा टैक्सी ड्राइवरों द्वारा जनता को तंग किया जाना

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, में सरकार का ध्यान दिल्ली के टैक्सी चालकों एवं स्कूटर चालकों द्वारा मनमानी के फलस्वरूप यात्रियों की असुविधा की ओर खींचना चाहता हूं।

दिल्ली भारत की राजधानी है लेकिन राजधानी में यात्री जितने परेशान हो रहे हैं उतने शायद ही कहीं दूसरी जगह होते हों। दिल्ली में टैक्सी एवं स्कूटर पर कोई नियन्त्रण नहीं है। यात्री से मनमाना पैसा वसूल किया जाता है। एक तो अधिकांश टैक्सी एवं स्कूटर का मीटर खराब है, दूसरे आधे से अधिक टैक्सियों की स्थिति खराब है।

नयी दिल्ली एवं जंक्शन से उतरने वाले यात्रियों को कितनी परेशानी होती है, उसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है। सभी टैक्सी एवं स्कूटर सिर्फ होटल जाना चाहते हैं जहां पहले से ही उनकी साठ-गांठ रहती है। उसके अलावा दूसरी जगह जाते ही नहीं हैं। यदि जाते

है तो मनमाना पैसा मांगते हैं। मनमाना पैसा नहीं देने पर यात्रियों से झगड़ा करते हैं। ट्रैफिक पुलिस के आदमी असहाय होकर देखते रहते हैं। इस तरह की वारदातें संसद सदस्यों के साथ भी होती रहती है। बहुत सारे टैक्सी स्टैंड में गाड़ियां खड़ी रहती हैं लेकिन वे जाने से साफ इन्कार कर देते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में कई बार लिखित एवं टेलीफोन द्वारा यातायात एस० पी० तथा अन्य अधिकारियों को शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। यात्रियों को दिखाने के लिए भले ही शिकायत-पत्र दे दिया जाता है लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं होती है। नजदीक से नजदीक जगह पर भी अनजान यात्रियों को चक्कर लगाकर पहुंचाया जाता है और अधिक पैसे वसूले जाते हैं।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि सरकार सभी टैक्सी एवं स्कूटर के मीटर की जांच कराए। जिन गाड़ियों की कन्डीशन खराब है उनका लाइसेंस खत्म करे। मीटर के पुराने अंकित रेट को संशोधित करे। जिससे जितना मीटर उठे उतना ही पैसा लिया जाए। यातायात पुलिस को चुस्त-दुरुस्त किया जाए जिससे यात्रियों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके।

[छः] कलकत्ता क्षेत्र के देना बैंक में भर्ती के मामले में की गई अनियमितताएं

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : राष्ट्रीयकृत देना बैंक का कलकत्ता क्षेत्र अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्त्ती के मामले में किसी भी स्वीकृत नीति का अनुसरण नहीं कर रहा है। उपर्युक्त बैंक में अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्त्ती के लिए कोई नियमित पद्धति नहीं अपनाई जाती। प्रबन्धकों ने रिक्तियों की अधिसूचना औद्योगिक ट्राइब्यूनल के 2 अप्रैल, 1976 के निर्णय के बाद जारी करनी आरम्भ की। तत्पश्चात्, प्रबन्धकों ने दैनिक वेतन के आधार पर व्यक्ति रखने आरम्भ कर दिए। देना बैंक के मुख्य कार्यालय ने अपने 18 मई, 1979 के पत्र द्वारा यह स्पष्ट अनुदेश दिया कि अधीनस्थ कर्मचारियों की सम्पूर्ण भर्त्ती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाए। मुख्य कार्यालय के इस स्पष्ट अनुदेश के बावजूद देना बैंक के कलकत्ता क्षेत्र ने दैनिक वेतन के आधार पर अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्त्ती जारी रखी। मुख्य कार्यालय ने 6 जवनरी, 1982 को एक और परिपत्र जारी किया जिसमें इस संबंध में केन्द्र सरकार के निदेश और अनुदेश निहित थे।

देना बैंक की पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर और बेरहामपुर, शाखाओं के अतिरिक्त, कलकत्ता क्षेत्र केन्द्र सरकार के इस निदेश और अनुदेश की उपेक्षा करता रहा कि अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्त्ती केवल रोजगार कार्यालयों से की जाए।

मैं केन्द्र सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्त्ती निर्धारित नियमों के अनुसार की जाए।

[सात] देश के सभी चावल मिलों के आधुनिकीकरण संबंधी केन्द्रीय सरकार के आदेश को केरल के छोटे चावल मिलों पर लागू न करने की आवश्यकता

**श्री वी० एस० विजय राघवन (पालघाट) : मैं सरकार का ध्यान केरल में छोटे चावल मिल मालिकों की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

केरल में 13,500 छोटी चावल मिलें हैं। ये मिलें पैसा लेकर धान की भूसी निकालती हैं और इन मिल मालिकों की जीविका का एकमात्र साधन यही है। इन मिलों में प्रतिदिन औसतन 250 किलोग्राम धान की भूसी निकाली जाती है और दैनिक आय 25 रुपये से अधिक नहीं होती।

देश के सभी चावल मिलों के आधुनिकीकरण के केन्द्रीय सरकार के आदेश से इन छोटी मिलों को एक भारी धक्का लगा है। सर्वप्रथम, आधुनिकीकरण के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होगी जो छोटे मालिक नहीं जुटा पाएंगे। यहां तक कि मिलों के फालतू पुर्जे इतने मंहगे हैं कि इन्हें खरीदने की क्षमता इन मिल मालिकों में नहीं है। दूसरे, इन छोटे मिलों के आधुनिकीकरण से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अन्य राज्यों के विपरीत केरल के उपभोक्ता चावलों का उबाल कर प्रयोग करते हैं। उबले हुए चावलों की भूसी निकालने से कुछ भी बरबाद नहीं होता। आधुनिकीकरण का आदेश देते समय सरकार के पक्ष में केवल यह बात थी कि भूसी निकालते समय काफी मात्रा में चावल बरबाद जाता है। केरल में यह समस्या नहीं है।

अतः सरकार को इन छोटे मिल-मालिकों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। आधुनिकीकरण पर जोर देने से वे बेरोजगार हो जाएं। और भूखों मरने की स्थिति आ जाएगी, जिससे बचना चाहिए। इन परिस्थितियों में छोटे मिलों का आधुनिकीकरण से पूरी छूट दी जानी चाहिए। इनके अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र विशेष में नई मिलों की स्थापना करने की स्वीकृति तभी दी जानी चाहिए जब मौजूदा मिल मांग पूरी न कर पाते हों। इसी प्रकार देश में गैर-कानूनी रूप से चलने वाले सभी मिलों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं सरकार से इन बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं।

**मलयालम में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[आठ] उत्तर प्रदेश के सीतापुर और हरदोई जिलों में सिंचाई की और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर हरदोई के उन अनेक पिछड़े क्षेत्रों की ओर दिलाना चाहता हूं, जहां कि मिट्टी तो उपजाऊ है, पर सिंचाई साधनों के अभाव के कारण किसान अपने खेतों में परिवार को जिलाने भर के लिए भी अनाज पैदा कर नहीं पाता। परिणाम स्वरूप अल्प जोतकार, गरीबी, बेकारी और भुखमरी का शिकार बना रहता है। आज के युग में उत्तम खाद, उत्तम बीज आदि सब में कृषि उपज बढ़ाने के लिए पानी सर्वोत्तम आवश्यकता है। हमारे देश में सिंचाई के लिए नहरें तो बनी पर दुर्भाग्य से नहरों का भरपूर पानी अभी सिंचाई के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कहीं-कहीं जल रसाव के कारण हजारों हैक्टेयर भूमि बर्बाद कर चुका है।

प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश सरकार विश्व बैंक द्वारा प्राप्त सहायता को सिंचाई साधनों को बढ़ाने और जुटाने में व्यय कर रही है। राजकीय नलकूप लगाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। परन्तु उ० प्र० के जनपद हरदोई और सीतापुर यहां राजकीय नलकूपों के लगाने की चप्पे-चप्पे भूमि पर आवश्यकता है। सरकार इन जनपदों को अधिक धन आबंटित करने में कोताही कर रही है। सीतापुर में तो विश्व बैंक द्वारा गत वर्ष में ही मात्र 25 नलकूपों के लिए सहायता दी गई। हरदोई जनपद यहां के बेनीगंज क्षेत्र में विश्व बैंक के माध्यम से कम से कम सौ नलकूप लगाये जाने की आवश्यकता थी। मुझे पता चला है विश्व बैंक की योजना इस जनपद से समाप्त कर दी गई है। मेरी सरकार से मांग है कि जनपद सीतापुर के लिए केन्द्र सरकार विशेष रूप से कम से कम एक हजार नलकूप लगाने के लिए उत्तर प्रदेश को धन उपलब्ध करायें तथा हरदोई जनपद के बेनीगंज क्षेत्र के लिए विश्व बैंक द्वारा नलकूप बनाए जाने के लिए अधिक से अधिक धन आबंटित करायें।

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1984-85

वाणिज्य मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा करेगी तथा उन पर मतदान होगा। 2 घंटे 40 मिनट का समय शेष है। अब श्री राजदा

बोलेंगे और माननीय मंत्री महोदय वादविवाद का उत्तर 4 बजे देंगे। हम मंत्रालय पर आज चर्चा पूरी कर लेंगे।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के आर्थिक मामलों की निगरानी करने में वाणिज्य मंत्रालय का महत्वपूर्ण स्थान है। तीन आर्थिक मंत्रालयों वित्त, उद्योग और वाणिज्य—में वाणिज्य सबसे महत्वपूर्ण है और हमारे देश के आर्थिक मामलों में इसका प्रमुख स्थान है। यह उत्पादन और संपत्ति पैदा कर सकता है और इस देश में संपत्ति के उत्पादन और वितरण में भागीदारी भी कर सकता है। इस दृष्टिकोण से, यदि माननीय मंत्री और उनके मंत्रालय का राजनीतिक संकल्प हो तो यह एक चमत्कार पैदा कर सकता है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति का जीर्णोद्धार भी यह चमत्कारिक रूप से कर सकता है।

पिछली बैठक में, मैंने अपने लोकप्रिय वाणिज्य मंत्री से कहा था कि वह विस्तृत क्षेत्र का संचालन कर रहे हैं।

इस वाणिज्य मंत्रालय का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यह देश के कोने-कोने तक, सर्वत्र फैला हुआ है और बहुत सारी बातों से इसका सम्बन्ध है। वाणिज्य मंत्रालय बहुत सारी बातों सम्बद्ध है। यह विदेश व्यापार पर निगरानी रख रहा है। समस्त आर्थिक गतिविधियों और आयात-निर्यात नीति की कुंजी इसके ही हाथ में है। हाल ही में यह नीति मंत्री महोदय द्वारा घोषित की गयी थी।

उसके बाद राज्य व्यापार निगम, खनिज और धातु व्यापार निगम, राष्ट्रीय कपड़ा निगम, आदि जैसे सरकारी क्षेत्र के बड़े उपक्रम हैं। वे कपड़ा, पटसन की वस्तुओं, हस्तशिल्प और अन्य वस्तुओं का निर्माण और विपणन कर रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि इस मंत्रालय का बहुत बड़ा क्षेत्र है। एकमात्र महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस क्षेत्र का प्रबंध कैसे किया जा रहा है और विभिन्न बातों की निगरानी कैसे की जा रही है। संगीत के अच्छे वाद्यों में भी यदि किसी बेसुरे स्वर का प्रयोग हो जाता है तो सारा संगीत ही खराब हो जायेगा। मंत्री महोदय के अच्छे इरादे होते हुए भी यदि तन्त्र में कोई कमी है, यदि हमारी नीति का उचित कार्मान्वियन नहीं होता है तो उसमें कोई सुधार नहीं होगा। इससे केवल हमारी अर्थव्यवस्था का अहित ही होगा। मैं आज इस बारे में ही बात करने जा रहा हूं कि उनके मंत्रालय में क्या हो रहा है।

थोड़े दुःख के साथ, मैं एक प्रश्न उठा रहा हूं। इस मंत्रालय की कार्यकरण में मैं काफी रुचि लेता रहा हूं। बहुत से ऐसे मामलों के बारे में जहां कदाचार होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं, मैं माननीय मंत्री को कुछ पत्र लिख चुका हूं। पहली बार, मैं अपने मंत्री जो कि बहुत ही सुशील व्यक्ति हैं के विरुद्ध दोषारोपण कर रहा हूं या मामूली शिकायत करता हूं। किन्तु मैं

इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि मेरे द्वारा लिखे गए पत्रों का अब तक मुझे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने सभी आंकड़े दिए और बहुत कड़ा परिश्रम करके मैंने जानकारी एकत्र की और मैं बहुत दुःख के साथ इस बात का उल्लेख कर रहा हूं। यदि सचिवालय की कार्यप्रणाली में भ्रष्टाचार है तो उसका पूर्णतः उन्मूलन किया जाना चाहिए। किन्तु दुर्भाग्य से मंत्री महोदय ने मेरे एक भी पत्र का उत्तर देने का कष्ट नहीं उठाया इसीलिए, दुःख के साथ में यह प्रश्न उठा रहा हूं।

अब मैं मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर आता हूं। मैंने सावधानीपूर्वक प्रतिवेदन का अध्ययन किया है। मैं वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिवेदन पढ़ चुका हूं। मेरे विचार से यह बहुत असंतोषजनक है। यह हो सकता हैं कि मंत्रालय ने बहुत आशावादी दृष्टिकोण से संसद को यह बताया हो कि प्रत्येक विभाग में सुधार हो रहा है, वे पुरानी स्थिति से निकल आए हैं और सर्वत्र उत्पादन में वृद्धि हो रही है। हमारा निर्यात बढ़ चुका है और बहुत सी बातों में बहुत सुधार हुआ है। किन्तु यदि हम मामले की गहराई में जाते हैं केवल तभी इसकी वास्तविक सफलता और सुधारों का पता चलेगा जैसे खीर का स्वाद उसको खाने पर ही पता चलता है। सरकारी क्षेत्र के हमारे उपक्रम क्या कर रहे हैं, वे किस प्रकार कार्य कर रहे हैं ? और उस पर ही इस मंत्रालय की कार्यप्रणाली की सफलता अथवा विफलता निर्भर होगी। बहुत सी वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत सारे राजस्व की प्राप्ति हो रही है और आशा की जाती है कि अब इसमें अत्यधिक वृद्धि हो जायेगी। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से हम आशा करते हैं कि वे कार्य करें और यदि सरकारी क्षेत्र का कोई भी उपक्रम कार्य नहीं करता है तो जनता का सारा रोष इस मंत्रालय पर ही होगा और इससे प्रतिक्रियावादी शक्तियों को इस देश की अर्थव्यवस्था को तहसनहस करने का अवसर मिलेगा। मैं मंत्री महोदय को फिर एक बार सतर्क कर देना चाहता हूं कि खीर का स्वाद उसको खाने पर ही मालूम होता है और सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए यदि वे कुशलता से कार्य नहीं कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने कहा प्रतिक्रियावादी शक्तियां उनको अपने अधिकार में कर लेगी।

हमने शपथ ली हुई है कि हम निर्धनता दूर करेंगे यदि हम निर्धनता दूर करना चाहते हैं तो उसकी मूल भूत बात यह होगी कि क्या हमारी नीति से निम्नतम वर्ग की दशा में कोई सुधार हुआ है। हस्तशिल्प बोर्ड की सफलता और विफलता की कसौटी यह होगी कि उसमें काम करने वाले कारीगरों की बिगड़ी हुई दशा में कितना सुधार हुआ है। इस देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हम 42,000 करोड़ रु० का निवेश कर चुके हैं और कोई भी अर्थव्यवस्था प्रत्येक वर्ष नुकसान सहन नहीं कर सकती है। प्रत्येक वर्ष भारी नुकसान हो रहा है। और यह कहानी हर वर्ष दोहराई जा रही है। निस्संदेह, हमारे माननीय मंत्री ने अपना पद संभालने के बाद, स्थिति को सुधारने का हर संभव प्रयास किया है। उनके विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है। किन्तु इसके बावजूद भी, यदि राजनीतिक संकल्प के साथ मूलतः क्रांतिकारी जीर्णोद्धार नहीं

किया गया तो मुझे पूरा सन्देह है कि यह मंत्रालय कोई प्रगति नहीं कर पायेगा। मैं खनिज और धातु व्यापार निगम का उदाहरण देता हूं। इस निगम के बारे में मैं ऐसी विशिष्ट बातें बता चुका हूं, जहां बहुत अधिक भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां हमारे निर्यात के स्वीकृत लक्ष्यों और निर्यात को प्रोत्साहन देने के बजाए खनिज और धातु व्यापार निगम के अधिकारियों की कार्य प्रणाली उसमें बाधा उत्पन्न कर रही है और वे आपको उन लक्ष्यों तक नहीं पहुंचने देंगे जो आपने लौह अयस्व, मैंगनीज अयस्क आदि के लिए निर्धारित किए हैं। यह कैसे हो रहा है ? अपने पत्रों में मैंने ये सब आरोप लगाए हैं। मैं नहीं जानता हूं कि क्या उन आरोपों की जांच की गयी है और यदि उनकी जांच की गयी है तो मैं मांग करता हूं कि एक बार फिर इन सब बातों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराई जाए। मैं पूरे उत्तरदायित्व के साथ यह बात कह रहा हूं। कुछ अधिकारी मूल्य से कम और मूल्य से अधिक के बीजक बनाने के कदाचार में लिप्त हैं। वे बहुत अच्छी किस्म का लौह अयस्क बेचते हैं और हमें जो मूल्य प्राप्त होता है वह बहुत कम होता है। इसका भाव कैसे बताया जाता है। यह सब विशिष्ट उदाहरण मैं दे चुका हूं। यदि माननीय मंत्री नए सिरे से इस पर विचार करें तो मैं खनिज और धातु व्यापार निगम में हो रहे कदाचार के बारे मे फिर से सारे तथ्य बताने के लिए तैयार हूं। यही स्थिति राष्ट्रीय कपड़ा निगम और हस्तशिल्प बोर्ड की है। हमारी सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं और उन सुझावों की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क आदि का निर्यात और सारणीबद्ध करने के लिए हमने ख० धा० व्या० नि० को एकाधिकारी शक्तियां दे दी हैं। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 82वें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गयी है :—

> "यह विचार करने का लौह अयस्क आदि के निर्यात और आयात निगरानी रखने का अधिकार क्या केवल खनिज और धातु व्यापार निगम के पास रहने दिया जाए, अब उपयुक्त समय है और सरकार को इस पर नए सिरे से विचार करना चाहिए।"

उत्तर में सरकार कहती है कि यह उसके विचाराधीन है। अब तक यह नहीं किया गया है। क्योंकि यह निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए बहुत सी बातें इस बीच हो चुकी हैं। मैं एक प्रश्न पूछूंगा, जिसके बारे में मैं पहले भी माननीय मंत्री को लिख चुका हूं। यह आश्चर्यजनक बात है और सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा कितना अधिक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जब तक इसे नहीं रोका जाएगा तब तक खनिज और धातु व्यापार निगम के समूचा कार्यकरण कभी भी सफल नहीं होगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि खनिज और धातु व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम के कुछ अध्यक्ष अपना कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद देश से बाहर चले जाते हैं। माननीय मंत्री को मैंने उनके नाम दिए थे। 1975-76 के बाद खनिज और धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष कनाडा चले गए और वहीं बस गए। खनिज और धातु व्यापार निगम के एक और अध्यक्ष हैं। वह अपना

कार्यकाल समाप्त होने के बाद लंदन चले गए और वहीं बस गए। 1983 में भी खनिज और धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष लंदन चले गए और वहीं पर बस गए। हाल ही में राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष भी लंदन चले गए हैं। इस बात की जांच किए जाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या लंदन उनका जन्म स्थान है ?

श्री रतन सिंह राजदा : यही मैं कह रहा हूं। ऐसी दशा में वे यहां अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। वे शत प्रतिशत भारतीय हैं और हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष थे।' इसका क्या परिणाम हुआ। यदि ये बातें सत्य हैं, तो बहुत आश्चर्यजनक हैं। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता हूं। मुझे किसी से द्वेष नहीं है। मुझे बहुत गर्व है कि विभागों में कुछ वित्तीय अधिकारी हमारे साथ भी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप उनमें से किसी को जानते तो आप उनके नामों का उल्लेख नहीं करते।

श्री रतन सिंह राजदा : श्रीमन्, स्वाभाविक है, कभी नहीं करता। किन्तु अब तक मैंने किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया है। मुझे कुछ नाम पता चले किन्तु जैसा कि आप जानते हैं मैंने सदैव अपने जीवन में एक स्तर बनाए रखा है। अत: मैं मर्यादा के साथ ही बोल रहा हूं। मैं कुछ नाम जानता हूं और यदि माननीय मंत्री चाहते हैं, तो मैं देश छोड़कर बाहर जाने वाले सभी अध्यक्षों के नाम उन्हें बता दूंगा। किन्तु जब एक अध्यक्ष 1983 में भारत से जा रहे थे और लंदन में बसने की योजना बनाई थी और अपने सारे व्यक्तिगत सामान, पूरे परिवार के साथ चला गया था तो उस समय मैंने मंत्री महोदय को लिखा था। मैं स्वयं उनके पास गया था और उनसे उसे रोकने का अनुरोध किया, ताकि उसके विरुद्ध जांच की जा सके। लेकिन, दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया गया और वे सज्जन अब लन्दन में बैठे हैं। मैं नहीं जानता क्यों। जांच इस बात की होनी चाहिए कि वे लोग अपने परिवारों के साथ इतना ऐश्वर्यपूर्ण जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। यदि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान, जब वे अध्यक्ष थे, कुछ कदाचार या कुछ भ्रष्ट तरीके न अपनाएं होते तो वे अपने परिवारों के साथ वहां जाने तथा रहने का खर्च नहीं उठा सकते थे। जो कुछ मैंने कहा है वह एक टिप्पणी के रूप में कहा है लेकिन इससे पता चलता है कि जहां तक खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम० एम० टी० सी०) के काम काज का संबंध है, इसमें काफी सुधार लाने की आवश्यकता है। मेरे पास देने को ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां यह कम मूल्य के बीजक बनाने तथा अन्य सभी बातों का सहारा लिया गया है। मैं एक पार्टी को एम० एम० टी० सी० में भी ले गया था। वह पार्टी पिछले बीस सालों से इस कारोबार में है। वह पार्टी एम० एम० टी० सी० के अधिकारियों को काफी समय से यह बता रही हैं कि उन्होंने एक ठेका प्राप्त किया है जिसका मूल्य अपेक्षाकृत अधिक है और

वे उन्हें निर्यात करने की अनुमति देने का अनुरोध करते आ रहे हैं। ठेका लगभग 30,000 टन जिन्सों के निर्यात का है और इससे हमारे निर्यातों में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद अधिकारीगण इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि ऐसा क्यों है ? उस पार्टी ने कौन सा अपराध किया है ? अकेली एक पार्टी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? किसी भी प्राइवेट पार्टी को एम० एम० टी० सी० के साथ अपना ठेका पूरा क्यों नहीं करने दिया जा रहा है ? यह इन अधिकारियों के कारण है जो पूर्ण एकाधिकार चाहते हैं क्योंकि वे कम मूल्य तथा अधिक मूल्य के बीजक बनाने की चालाकियां कर रहे हैं। यही कारण है कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं चाहते जिसे इन ठेकों को मानीटर करने, सर्वोत्तम शर्तें प्राप्त करने तथा विदेशी खरीददारों से सर्वोत्तम मूल्य के प्रस्ताव प्राप्त करने का पूर्ण ज्ञान हो। इन लोगों ने हमारे निर्यात अभियान को क्षति पहुंचाई है और जहां तक मैंगनीज अयस्क तथा लौह अयस्क का संबंध है, इसका हमारे निर्यात अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इन कुछ मुद्दों के साथ मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस ओर गौर करें तथा यह देखें कि यदि कदाचार के ये आरोप सच्चे हैं और वास्तव में ये कदाचार अपनाए जा रहे हैं तो उन्हें इनके साथ निर्ममता से पेश आना चाहिए तथा उन्हें पूरी तरह दूर कर देना चाहिए।

हमारे जिन्स बोर्डों के काम-काज में बहुत से सुधार करने की आवश्यकता है। मैं उन सभी में नहीं जा रहा हूं, लेकिन इस बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की अनेक सिफारिशें बहुत स्पष्ट हैं। ऐसी ही एक सिफारिश में कहा गया है :

> "समिति ने इस बात पर चिन्ता प्रकट की है कि विश्व के कुल लौह अयस्क निर्यात में भारत का हिस्सा 1967 से लगभग छह प्रतिशत पर रुका हुआ है। समिति अनुभव करती है कि लम्बी-अवधि के आधार पर परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयासों की कमी रही है।"

उनकी भाषा बहुत सौम्य है। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रयासों में कमी है, लेकिन शायद उन्हें एम० एम० टी० सी० में व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी नहीं है। इतना कहने के बाद मैं माननीय मंत्री का ध्यान अपने हस्तशिल्प बोर्ड के कामकाज की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस बोर्ड में भी वही परेशानी है। क्रम संख्या 23, पैरा 6.12 में दी गई समिति की सिफारिश में कहा गया है :

> "एक अधिकारी ने धोखाधड़ी तथा जालसाजी करके 11 लाख रुपये से अधिक का गबन किया। इस मामले की ओर कई वर्षों तक किसी का ध्यान नहीं गया..... तथा इसका पता हमें अचानक चला। इससे पर्यवेक्षी कर्मचारियों पर गम्भीर आक्षेप आता है। इससे सी० सी० आई० सी० में प्रचलित प्रणाली में कमी की ओर भी संकेत

होता है। समिति चाहेगी कि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त उपचारी कदम उठाए जाने चाहिएं। इस अवसर पर समिति इस समय न्यायालय में विचाराधीन मामलों के परिणाम के बारे में भी जानकारी चाहेगी।"

यह इन सभी चीजों का केवल नमूना सर्वेक्षण है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वह अपने मंत्रालय के अधीन किसी उपक्रम का नाम ले सकते हैं जहां भ्रष्टाचार न हो। चाहे यह कोई जिन्स बोर्ड हो, चाहे कोई सरकारी उपक्रम या कर से सम्बन्धित कोई संगठन हो, सभी जगह बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। यदि आप देश की अर्थ-व्यवस्था में किसी महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं और यदि इस हद तक चोरी होती है तो वाणिज्य मंत्रालय के अधीन इन सभी उपक्रमों में कुल भ्रष्टाचार कितना होगा ? महोदय, मैं समझता हूं कि यदि हम इस भ्रष्टाचार को रोक सकें तो इससे हम अपनी पंच-वर्षीय योजनाओं को चला पाने में समर्थ हो जाएंगे। लेकिन, महोदय, हम यह नहीं कह रहे हैं। यह अतिश्योक्ति नहीं है—चाहे मंत्री महोदय इससे सहमत हों या नहीं। वह अपने मंत्रालय के बारे में सफाई देना चाहेंगे और वह चाहेंगे कि इस संबंध में एक बहुत अच्छी तस्वीर पेश की जाए। लेकिन उनके प्रति उचित सम्मान सहित मैं उनसे मतभेद रखता हूं और मैं कहूंगा कि जहां तक हमारे काम-काज पर हमारी निगरानी का सम्बन्ध है, वाणिज्य मंत्रालय में बहुत सुधार की गुंजाइश है। उनके मंत्रालय में बहुत त्रुटियां हैं और यह उचित समय है कि वे समय की आवश्यकता के अनुरूपप कार्य करें। संस्कृत में एक मुहावरा है :

"अपि पथ्यस्य वक्तृणि मित्रे अलम् क्रोधेन"

'यदि हमारा मित्र हमें कोई ऐसी घरेलू सच्चाइयां बताता है जो सच्ची तो हैं लेकिन जो हमें अच्छी नहीं लगतीं, तो हमें उस मित्र पर क्रोध नहीं करना चाहिए।'

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि चूंकि मैंने कुछ अधिकारियों के काम-काज के विरुद्ध अभियान छेड़ा है, मैं इन अधिकारियों में से किसी को नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा है, मुझे उनके नाम भी मालूम नहीं हैं, लेकिन जब जन-प्रतिनिधियों के रूप में लोग हमारे पास आते हैं और वे कुछ तथ्य हमारे सामने रखते हैं तथा जांच-पड़ताल के बाद जब हम संतुष्ट हो जाते हैं कि आरोपों में कुछ सच्चाई है और उसके बाद यदि हम अपनी आवाज उठाते हैं तो मंत्री जी का यह कर्त्तव्य बन जाता है कि उन सभी की पूरी तरह जांच कराएं तथा उचित निष्कर्ष पर पहुंच कर आवश्यक परिवर्तन किए जाएं। दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि मंत्री पर बहुत प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा दबाव डाला जा रहा है। मेरी धारणा यह है कि वह किसी भी ओर से इस प्रकार के अनावश्यक दवाब में आने वाले नहीं हैं तथा उन्होंने अपना जीवन एक निष्कलंक व्यक्ति के रूप में आरम्भ किया था तथा विगत में मैं उनकी प्रशंसा में काफी कुछ कह चुका हूं, और मैं अब भी कहता हूं तथा आशा करता हूं कि

उनका अन्तःकरण बहुत साफ है। यदि ऐसा है तो हमारे रास्ते में बाधाएं खड़ी करने वाले इन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने से उन्हें कौन रोकता है। वह प्रणाली में सुधार क्यों नहीं करते तथा अपने मंत्रालय के अधीन विभागों के तंत्र को पूरी तरह बदल कर नया रूप क्यों नहीं दे देते ? यदि ऐसा कर दिया जाए तो यह परिवर्तन हमारे देश के लिए बेहतर साबित होगा।

श्रीमन्, आपने घंटी बजा दी है। वास्तव में मैं आयात-निर्यात नीति पर कुछ बोलना चाहता था तथा हाल ही में घोषित कुछ नीतियों पर अपने विचार रखना चाहता था। लेकिन, चूंकि मेरे पास समय बहुत कम है, मैं संक्षेप में केवल इतना ही कहूंगा कि हमारी नीतियों तथा काम-काज में पूर्णतया परिवर्तन करने की आवश्यकता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आयात नीति की अनुष्ठानिक घोषणा मात्र का अर्थ कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारे निर्यातों में लगभग गतिहीनता तथा व्यापार में बहुत अधिक अंतराल के कारण वाणिज्य मंत्री के पास युक्तिचालन की बहुत कम गुंजाइश रह जाती है। यद्यपि हमने इस गतिहीनता को थोड़ा बहुत तोड़ा है, हमें अंतराल में कमी करने के लिए खुश नहीं होना चाहिए। अब भी व्यापार संतुलन प्रतिकूल है। हमें इस स्थिति से निकलने के लिए बहुत प्रयास करना होगा।

इतना कहने के उपरांत मैं यह कहूंगा कि नई नीति कई बाधाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है। इसका उल्लेख 'आर्थिक सर्वेक्षण' में किया गया है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा।

जब तक वाणिज्य मंत्रालय के अधीन सभी विभागों, सभी सरकारी उपक्रमों, जिन्स बोर्डों आदि को कारगर नहीं बनाया जाता और जब तक सतर्कता समितियां, आपकी विभागीय समितियां नहीं, बल्कि जनता की सतर्कता समितियां, जो चीजों की जानकारी रखती हैं, नियुक्त नहीं की जातीं और तीन या छह मास के समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर मंत्रालय तथा सभी विभागों के काम-काज के बारे में आपको रिपोर्ट नहीं देतीं, तब तक यह पता लगाने के लिए कि इन विभागों में क्या परिवर्तन आवश्यक है तथा वाणिज्य मंत्रालय के काम-काज में दक्षता कैसे लाई जाए, आपके लिए रास्ता एकदम साफ नहीं होगा।

1.51 म० प०

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

संरचनात्मक कठिनाइयों तथा बुनियादी ढांचे संबंधी बाधाओं को दूर करना होगा। यदि राजनीतिक संकल्प हो तो हम ये सभी चीजें कर सकते हैं।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं माननीय मंत्री से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि वह तुरन्त कार्यवाही करें। मैंने कुछ विशिष्ट तथ्य रखे हैं। मैं दस्तावेज रखने के

लिए भी तैयार हूं जैसा कि मैं विगत में करता आया हूं। मैंने जो कहना था कह चुका, धन्यवाद।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाक्कल (मुवत्तुपुजा) : मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन केरल राज्य के साथ किए गए कुछ भेद-भाव का मैं उल्लेख करूंगा। केरल राज्य सर्वाधिक विदेशी मुद्रा दे रहा है।

हम अपने मछली-उत्पाद, काजू, चाय आदि बेच रहे हैं। इलायची का हम निर्यात कर रहे हैं हम अपने देश के लिए काफी विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। दुर्भाग्यवश, इस धन का उपयोग रबड़ नारियल, जायफल, लौंग तथा अन्य कृषि उत्पादों का आयात करने के लिए किया जा रहा है। दरअसल, इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

हमें सदैव तीसरे दर्जे के नागरिक माना जाता है। बम्बई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश को प्रथम दर्जे के नागरिक माना जाता है। तामिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक को द्वितीय श्रेणी में समझा जाता है। असम तथा केरल को तृतीय दर्जे के नागरिक माना जाता है।

जायफल तथा लौंग का आयात करने की क्या आवश्यकता है? यह विलासिता की वस्तुएं हैं। अरब, सामन्त तथा अमरीकी लोगों को इनका उपभोग करने दें। इन वस्तुओं का आयात करने तथा अपनी विदेशी मुद्रा की फिजूलखर्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इस वर्ष रबड़ की फसल अधिक हुई है। वास्तव में, हमारे यहां जनवरी, फरवरी तथा मार्च में वर्षा हो गई थी। फसल अधिक है।

दुर्भाग्यवश, हमारे निर्माता अधिक रबड़ का आयात करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आयात-शुल्क घटा दिया गया है। इसलिए, केरल के गरीब किसान नुकसान उठा रहे हैं। रबड़ की 90% भूमि जोतें पांच एकड़ से कम हैं। सभी किसान सीमान्त किसान हैं। कृपया देखिए कि वे कैसे संघर्ष कर रहे हैं?

हाल ही में केरल सरकार ने बागानों में मजदूरी की दरों में वृद्धि कर दी है। हमें न्यूनतम मजदूरी, बोनस आदि देने पड़ते हैं। केरल राज्य में श्रमिक अच्छी तरह संगठित हैं। लेकिन किसान असंगठित हैं। भारत सरकार को केरल के गरीब किसानों के हितों की रक्षा करनी होगी।

इस वर्ष लम्बे सूखे के कारण इलायची की फसल को नुकसान पहुंचा है। पिछले मौसम में मूल्य बढ़ गए हैं। दुर्भाग्यवश, फसल भी कम है। इलायची के आयात की भी आवश्यकता नहीं है। जो भी हो, सरकार को केरल के गरीब इलायची उत्पादकों के हितों की रक्षा करनी होगी।

मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि रबड़ के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दें, खड़ पर आयात-शुल्क बढ़ा दें तथा निर्धन रबड़ कृषकों को बचाएं। इसका कारण यह है कि छिड़काव के लिए दी जाने वाली सहायता पहले ही बंद कर दी गई है। इससे पहले, चूंकि मानसून के दौरान रोग फैलता है और रबड़ के पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं कटिनाशकों को छिड़काव के लिए सहायता दी गई थी। अतः हम नीला थोथा और चूने का छिड़काव कर रहे हैं।

दुर्भाग्य से पिछले वर्ष छिड़काव के लिए दी जाने वाली राज सहायता में न केवल कमी की गई है बल्कि इसे बंद ही कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि निर्धन किसानों के लिए छिड़काव के लिए सहायता योजना आरंभ करें। 90% रबड़ उत्पादक कृषक सीमांत कृषक हैं। अतः मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि छिड़काव योजना के लिए सहायता आरंभ करें और आयात शुल्क में वृद्धि करें ताकि हमें उचित मूल्य मिल सकें।

मैं मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगा कि जायफल और लौंग का आयात रोका जाये और केरल के निर्धन कृषकों की सहायता की जाए। धन्यवाद।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं आन्ध्र प्रदेश से विजयवाड़ा कांस्टीटुएन्सी से आई हूं और कामर्स मिनिस्ट्री के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

लास्ट ईअर हमारे मंत्री महोदय ने हमारे प्रदेश के लिए 22 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की थी, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं लेकिन इस साल आज तक भी हमारी हालत ऐसी है, कि सैंट्रल एवर्नमेंट तो हमारी स्टेट को पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पैसा लेने के लिए तैयार नहीं है।

हमारा टबैको ग्रोअर्स का एरिया है। हमारे किसान टबैको ग्रो तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसके खरीदने का समय आ जाता है तो उन्हें गवर्नमैंट के ऊपर डिपैंड करना पड़ता है। यह

हमारे लिए प्रावलम बन गई है । रीरोंटली आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रल गवर्नमैंट हमारे आन्ध्र प्रदेश को 10 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी आन्ध्र प्रदेश सरकार किसानों की बात तो करती है, लेकिन उनके काम करने लिए आगे नहीं आती है, वह किसान को मदद देने के लिए तैयार नहीं है । यह 10 करोड़ की राशि लेकर किसान से टबैको खरीदने के लिए तैयार नहीं है । टबैको के एक्सपोर्ट की कुछ व्यवस्था नहीं है इसलिए हमारे देश की कंपनियों द्वारा हो उसकी खरीद होती है । इसके लिए क्यों ध्यान नहीं दिया गया है, यह मालूम नहीं हो रहा है । मैं मंत्री महोदन से निवेदन करूंगी कि वह आन्ध्र के चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखें कि वह 10 करोड़ रुपए सेंटर से लेकर किसानों को मदद क्यों नहीं देना चाहते हैं ।

एग्जैम्पल के तौर पर में कहना चाहती हूं कि जब नैचुरल क्लैमिटीज होती हैं, फ्लडज आते हैं तो करोड़ों रुपए सेंटर से वह ले लेती है, लेकिन इस काम के लिए वह तैयार नहीं है ।

सेंट्रल गवर्नमैंट की तरफ से और अपने मिनिस्टर साहब की तरफ से मैं कहना चाहती हूं कि हमारी स्टेट गवर्नमैंट टबैको ग्रोअर्स के लिए हमेशा ऐसे ही रही है । आपको मालूम होगा कि विदेशों से एक डैलीगेशन आया था, उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमैंट कुछ मदद करे तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं ।

2 00 म० प०

लेकिन जब सैंट्रल गवर्नमैंट ने पैसा दिया, तब भी वह खरीदने के लिए तैयार नहीं थी । अगर हम लोग चीफ मिनिस्टर को खत लिखेंगे, तो उसका जबाव नहीं आएगा । इस लिए मंत्री महोदय से हमारा निवेदन है कि वह चीफ मिनिस्टर को खत लिखें कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप क्यों नहीं खरीदते हैं, अगर आपके पास गोडाउन नहीं हैं, तो प्राईवेट गोडाउन ले लें, बीड़ी सिग्रेट के मैनुफैक्चर्ज को वह टाबैको वेचा जा सकता है ।

हाई ग्रेड टाबैको तो एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन लॉ ग्रेड टाबैको के लिए प्राइस फिक्सेशन नहीं है । किसानों को उसे प्राईवेट लोगों को बहुत कम दाम पर बेचना पड़ता है । इसलिए उसका प्राइस फिक्सेशन करना चाहिए ।

कहा जाता है कि एग्रीकल्चर कोई इंडस्ट्री नहीं है मैं समझती हूं कि टी, काफी, टाबैको, काटन, मिर्च बगैरह केश क्राप्स के कल्टीवेशन को इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए । जब कोई

इंडस्ट्री लिक होती, तो उसका पैसा माफ कर दिया जाता है। लेकिन जब नैचुरल कैलेमिटी की बजह से किसान की क्राप का नुकसान होता है या कोई और समस्या सामने आती है, तो उसका पैसा माफ नहीं किया जाता और उसे इंडस्ट्री की तरह सुविधाएं नहीं दी जातीं।

नैक्स्ट मन्थ टाबैको की क्राप आ रही है। अगर स्टेट गवर्नमैंट उसको खरीदने के लिए आगे नहीं आती, तो सैंट्रल गवर्नमैंट को आगे बढ़ कर एस० टी० सी० के जरिए, या कोई स्पेशल आर्गनाइजेशन बना कर उसके जरिए टाबैको खरीदना चाहिए औ किसानों की मदद करनी चाहिए।

जिस तरह छोटे-छोटे किसानों की मदद करने के लिए टी० बोर्ड और काफी बोर्ड बनाए गए हैं, उसी तरह टाबैको बोर्ड भी बनाया जाना चाहिए। प्राइस फिक्सेशन करने से ही लॉ ग्रेड टाबैको के ग्रोअर्ज को मदद मिल सकेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा है, एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करना चाहिए। कामर्स और इंडस्ट्री में बहुत नजदीक का रिश्ता है।

मैं आपसे आंध्र प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं कि मेरे इलाके में टाबैको ग्रोअर्स हैं और दूसरे इलाकों में भी हैं, उनकी आज जो हालत है वह बड़ी शोचनीय है। अगर स्टेट गवर्नमेन्ट टाबैको खरीदने के लिए आगे नहीं आती है तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट तो सारे देश के लिए है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता है कि मैं किसानों से क्या कहूं और कैसे उनकी मदद करूं। मैं तो उनकी तरफ से ही इस सदन में भेजी गई हूं। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करती हूं कि उनकी टाबैको की खरीद जरूर होनी चाहिए चाहे वह कोई भी एजेन्सी खरीदे। अगर स्टेट गवर्नमेन्ट आगे नहीं आ रही है तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को ही आगे आकर उन किसानों की मदद करनी चाहिए। किस तरह से उन किसानों की मदद हो सकती है यह तो मन्त्री जी हो ज्यादा अच्छा जानते होंगे। चाहे आप यहां से कोई स्पेशल टीम भेजिए, चाहे एस० टी० सी० से कहिए, चाहे टाबैको बोर्ड से कहिए लेकिन किसी न किसी तरह से उन किसानों की मदद होनी ही चाहिए। आपने पिछले समय में भी उनकी मदद की है जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं लेकिन इस बार भी टोबैको ग्रोअर्स की मदद जरूर होनी चाहिए। आप चाहे कोई भी रास्ता निकालिए लेकिन उनकी मदद जरूर कीजिए। हमें यह तो मालूम हो गया है कि स्टेट गवर्नमेन्ट इसके लिए आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि वह बातें तो करती है लेकिन काम नहीं करती है। आज किसान बहुत अधिक परेशान हैं। मैं उन किसानों की तरफ से ही यहां पर आपसे निवेदन कर रही हूं कि कोई न कोई रास्ता निकाल कर आप उनकी टाबैको की खरीद करें ताकि उनकी कुछ मदद हो सके।

आपको जो मुझे समय बोलने के लिए दिया उसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देती हूं।

*डा० वी० कुलनदई वेलु (चिदम्बरम) : सभापति महोदय, मैं अपने दल, द्रविड मुनेत्र कषगम, की ओर से वर्ष 1984-85 के लिए वाणिज्य मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

वाणिज्य मन्त्रालय की देश के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। मुझे खुशी है कि हमारे माननीय वाणिज्य मंत्री द्वारा वर्ष 1984-85 के लिए आयात निर्यात नीति की जो घोषणा की गई है, उनकी एफ० आई० सी० सी० आई० (फिक्की), भारतीय वाणिज्य मंडल, एसोशम (Assocham) तथा देश में अन्य व्यापार तथा उद्योग संगठनों द्वारा सराहना की गई है। उन्होंने आयात लाइसेंस की वैध अवधि 12 महीने से बढ़ाकर 18 महीने किए जाने का स्वागत किया है। ओ० जी० एल० में 162 मदें जोड़े जाने का सबने स्वागत किया है। यद्यपि उन्होंने ओ० जी० एल० से 53 मदें निकाल दिये जाने का स्वागत नहीं किया है, मैं अवांछनीय आयात को समाप्त किए जाने की प्रशंसा करता हूं। मैं राज्य व्यापार निगम के माध्यम से लोहा और इस्पात के आयात को सरणीबद्ध किए जाने का भी स्वागत करता हूं। अप्रैल सितम्बर, 1983 के दौरान 417 करोड़ रुपये मूल्य का लोहा और इस्पात आयात किया गया था। हाल ही में हमारे इस्पात मंत्री ने बताया कि लोहा तथा इस्पात के आयात पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। इसका इंजीनियरिंग वस्तुओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा इसके निर्यात में भारी कमी आयेगी। अभियांत्रिकी निर्यात संवर्धन परिषद के सदस्य मात्र अभियांत्रिक वस्तुओं के निर्यात में संवर्धन के लिए जनता के पैसे से समूचे विश्व का दौरा कर रहे हैं, लेकिन अभियांत्रिकी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है।

वास्तव में उनके निर्यात में कमी ही आई है। अतः यह अच्छी बात है कि लोहा तथा इस्पात के आयात को सरणीबद्ध कर दिया गया है।

जब सरकार जोर-शोर से यह दावा करती है कि निर्यात में वृद्धि हुई है तो मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वास्तव में निर्यात में बिलकुल वृद्धि नहीं हुई है। वाणिज्य मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार 1982-83 में हमारे निर्यात में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वास्तविक स्थिति इससे भिन्न है। हमारे देश में तेल शोधन की क्षमता अपर्याप्त होने के कारण हमने कच्चे तेल का निर्यात सीधे बम्बई हाई से किया। यदि आप कच्चे तेल के निर्यात का मूल्य कम कर दें, तो इसके निर्यात में केवल 2.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। निर्यात में हुई यह 2.6 प्रतिशत वृद्धि भी नकद मुआवजा योजना के कार्यान्वयन के कारण हुई है। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि इस नकद मुआवजा योजना में कई समाचार आ गए हैं। मुझे यही कहना है कि यदि आप हमारे निर्यात की आधारशिला दलदल में रखना चाहते हैं तो इसका अर्थ होगा कि हम स्वयं को कीचड़ में फंसा रहे हैं। हमें आवश्यक रूप से अपनी वस्तुओं की किस्म में सुधार लाना है और केवल ऐसा करने से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय माल की मांग बढ़ेगी। निर्यात संवर्धन परिषद ने अपने

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं की है, जिसके लिए उसका गठन किया गया था। मेरा सुझाव है कि उन्हें शीघ्र परिसमाप्त किया जाना चाहिए। ऐसी संस्थाओं की संख्या बढ़ाने का कोई लाभ नहीं है।

हमारी परंपरागत रूप से निर्यात की जा रही मद, चाय, के निर्यात में भी कमी हुई है। इसका मुख्य कारण चाय के स्तर में गिरावट होना है। चाय-बागान के मालिक चाय के वर्षों पुराने पौधों पर निर्भर हैं। वे पुनःरोपण योजना में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें लाभार्जन में विलंब होगा। दक्षिण भारत के चाय बागान के मालिक भी इससे बचे नहीं हैं। पुनःरोपण के मामले में चाय बोर्ड लाभप्रद काम नहीं कर रहा है। चाय बागान के मालिकों को तुरंत पुनःरोपण प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। अन्यथा एक समय ऐसा आयेगा जब कोई भी व्यक्ति भारतीय चाय पीना पसंद नहीं करेगा। हमारे यहां अनेक वस्तुओं के बोर्ड हैं—इलायची बोर्ड, कॉफी बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड, सिल्क बोर्ड, आदि, जो कि इन निर्यात वस्तुओं की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन वे सभी बोर्ड इस मामले में विफल रहे हैं। चाय, कॉफी, इलायची, तम्बाकू आदि के निर्यात में कमी आना उनकी अकर्मण्यता का सबसे बढ़िया उदाहरण है। व्यापार विकास प्राधिकरण के रूप में सरकार दूसरे सफेद हाथी का रख-रखाव कर रही है। हमारे यहां व्यापार मेला प्राधिकरण है। विदेश स्थित हमारे राजदूतावासों में व्यापार परामर्शदाता हैं। तथापि निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। हमारा विदेश व्यापार संस्थान भी है। दुर्भाग्य से, निर्यात की गति ऐसे संस्थागत प्रबंधों में हुई वृद्धि के बराबर नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 36 वर्षों के बाद भी, विश्व व्यापार में हमारे देश का हिस्सा 2 प्रतिशत से भी कम है। जापान जैसे छोटे से देश का विश्व व्यापार में 20 प्रतिशत हिस्सा है। यही उचित समय है जबकि सरकार को विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा बहुत कम होने के कारणों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को हमारे निर्यात में सुधार करने के लिए एक योजना भी बनानी चाहिए।

मैं जापान और ताइवान के उदाहरण दूंगा जो कि भारत की तुलना में बहुत छोटे राष्ट्र हैं। जापान में मछलियां पकड़ने के 3000 से अधिक मशीनीकृत जलपोत हैं और ताइवान में ऐसे जलपोतों की संख्या करीब 3500 है। उनका समुद्रीय वस्तुओं का निर्यात भारत से, जिसकी तट-रेखा सबसे लम्बी है, कई गुना अधिक है। हमारे यहां मछली मारने के यंत्रचालित जलपोतों की संख्या मात्र 100 है। आप इसके कारण का अन्दाज लगा सकते हैं कि हम अपने 200 किलोमीटर आर्थिक क्षेत्र में उपलब्ध समुद्रीय वस्तुओं को काम में लाने में असमर्थ क्यों नहीं हैं। मैं पुनः स्मरण दिलाना चाहता हूं कि भूतपूर्व जनता सरकार ने देश में मछली पकड़ने के छोटे बंदरगाहों पर रोक लगा दी थी। हमारी तट रेखा में स्वादिष्ट खाद्य उपलब्ध हैं जिन्हें महाद्वीप और अमेरिका में बहुत चाव से खाया जाता है। तथापि समुद्रीय संपत्ति का निर्यात नहीं के बराबर है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में परांगी पेटाई जैसे कई छोटे मछली पकड़ने के बन्दरगाह हैं, जिनकी उपेक्षा की जा रही है। मद्रास से कन्याकुमारी तक ऐसे कई मछली पकड़ने के बंदरगाह, हैं, जो बहुत पुराने हैं। यदि उनका शीघ्र विकास किया जाए, तो हम समुद्रीय वस्तुओं के निर्यात में

वृद्धि कर पायेंगे । उदाहरण के लिए मछली निर्यात के हित में नागापट्टीनम, कुडालोर, पांडिचेरी, चिन्नामट्टम आदि बन्दरगाहों पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है । वाणिज्य मन्त्री को मछली पकड़ने की छोटी बन्दरगाहों के विकास तथा यंत्रचालित जलपोतों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए । यह बहुत आवश्यक है कि वह इन मामलों में निजी तौर पर दिलचस्पी लें ताकि मछली निर्यात की हमारी अत्याधिक क्षमता का पर्याप्त लाभ उठाया जा सके । कई विशेषज्ञों ने कहा है कि हम 500 करोड़ रुपए मूल्य की मछली का निर्यात कर पायेंगे । में कहूंगा कि यदि हम मछली पकड़ने की छोटी बंदरगाहों का विकास करें तथा यन्त्रचालित मछली पकड़ने के जलपोतों की संख्या बढ़ाएं तो हम 1000 करोड़ रुपए मूल्य की मछली का निर्यात कर पायेंगे । मुझे आशा है कि माननीय वाणिज्य मन्त्री इस पर तुरन्त ध्यान देंगे ।

महोदय, मेरा सुझाव यह है कि राज्य व्यापार निगम का केवल निर्यात का ही जिम्मा होना चाहिए । आयात के लिए भी ऐसा ही एक संगठन बनाया जाना चाहिए । हमारे आयात घटकों में दिन-प्रतिदिन जटिलता आ रही है । अत: इसके लिए पृथक संगठन होना चाहिए ।

मुझे यहां यह बताने की अनुमति दी जाए कि निर्यात से सम्बन्धित वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंसों का खुले आम दुरुपयोग किया जा रहा है । ए० यू० लाइसेंस के अन्तर्गत अन्धाधुन्ध आयात किए जा रहे हैं । कई बार पर्याप्त लाभ कमा कर ए० यू० लाइसेंस बेच दिए जाते हैं । ए० यू० लाइसेंस बेईमान निर्यात गृहों के हाथों में पड़ जाते हैं । मैं नहीं समझता कि हमें अपना निर्यात बढ़ाने के लिए नकद मुआवजा योजना, ए० यू० लाइसेंस आदि का सहारा लेने की आवश्यकता है । यदि नकद मुआवजा योजना का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जाए तो वही पर्याप्त है । मैं मांग करता हूं कि यह आश्वासन देने के लिए कि अनावश्यक आयात को कम करने हेतु ए० यू० लाइसेंस प्रणाली को तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए ।

अब मैं अपने देश से निर्यात की जाने वाली हथकरघा वस्तुओं के बारे में कहूंगा । हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद ने समयानुकूल काम नहीं किया है । तमिलनाडु में हथकरघा वस्त्रों की भरमार है । यह अनुमान लगाया गया है कि बेकार पड़े हथकरघा कपड़ों की कीमत कई सौ करोड़ रुपये है । डा० कलाईगनर करुणानिधि के सक्रिय नेतृत्व में द्रमुक सरकार ने तमिलनाडु में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए हर तरह से आवश्यक प्रोत्साहन दिया क्योंकि इसने उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करने का आश्वासन दिया था । लेकिन आज हथकरघा वस्त्रों का भंडार इकठ्टा हो जाने के कारण हथकरघा बुनकर खत्म हो रहे हैं । मैं मांग करता हूं कि मन्त्री महोदय को इस मामले में निजी तौर से ध्य,न देना चाहिए तथा तमिलनाडु के हथकरघा बुनकरों की रक्षा की जा सके ।

मुझे अपने देश में सूती कपड़ा उद्योग के विकास में राष्ट्रीय कपडा निगम की भूमिका का जिक्र करना है । राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने कई रुग्ण मिलों को लाभप्रद कार्य करने योग्य बनाया है । हाल ही में पिछले वर्ष सरकार ने बम्बई में 13 मिलों का अधिग्रहण किया और उन्हें राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम को सौंप दिया । मुझे यह कहने में बिलकुल संकोच नहीं होता कि सूती कपड़ा उद्योग की खराब स्थिति को देखते हुए समूचे सूती कपड़ा उद्योग का तुरन्त राष्ट्रीयकरण करने की

आवश्यकता है। लेकिन इतनी छोटी अवधि में यह प्रशंसनीय कार्य करना संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम को न केवल हमारे देश की आम जनता के हित में अपितु समूचे सूती कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। दक्षिणी राज्यों में राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम द्वारा चलाई जा रही सभी सूती कपड़ा मिलें लाभ अर्जित कर रही हैं। लेकिन उत्तर में राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग मिलों को घाटा हो रहा है। इसके कई कारण हैं। मेरे विचार से इसका एक मुख्य कारण यह है कि सरकार ने स्टैंडर्ड कपड़ा बनाने का आदेश केवल एन० टी० सी० मिलों को ही दिया है। पहले निजी कपड़ा मिलों को भी स्टैंडर्ड कपड़े की कुछ मात्रा बनाने के मजबूर किया जाता था। सरकार ने उसे बन्द कर दिया। संभवतः सरकार कपड़ा मिल मालिकों को खुश करना चाहती थी। सारा अच्छा कपड़ा, जिसमें अधिकतम लाभ होने की संभावना है, निजी कपड़ा मिलों द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन स्टैंडर्ड कपड़ा, जिसमें कुछ लाभ नहीं है, राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिलों द्वारा बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम की मिलों को ही आम जनता को स्टैंडर्ड कपड़ा उपलब्ध कराने का सामाजिक उद्देश्य पूरा करना है। निजी मिलें भी राष्ट्र की ऋणी हैं। अतः मैं मांग करता हूं कि उन्हें भी स्टैंडर्ड कपड़े की कुछ मात्रा बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि राष्ट्रीय कपड़ा निगम को होने वाले घाटों में कमी जा सके।

सभापति महोदय : मैंने आपको दुगुना समय दिया है। आपके पास बोलने के लिए 10 पृष्ठ और हो सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही जो समय आपके लिए निर्धारित था उससे दुगुना समय बोलने के लिए दिया है। यह बहुत ही विस्तृत विषय है और इसे काफी लम्बा किया जा सकता है। आपके 7 मिनट के स्थान पर 17 मिनट हो चुके हैं। दूसरे लोगों को भी बोलने के लिए समय देना है। आप इन मुद्दों को मंत्री महोदय को भेज सकते हैं; अब आप अपना भाषण खराब न करें। आप इन मुद्दों को मंत्री महोदय को भेज सकते हैं।

डा० बी० कुलनदई वेलु : क्या मैं 5 मिनट और बोल सकता हूं ?

सभापति महोदय : आप सहयोग नहीं दे रहे हैं। आपको सहयोग देना चाहिए; कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

डा० बी० कुलनदई वेलु : श्रीमन्, मैं आपके निदेश के अनुसार चलूंगा। रोडियर मिल, पांडेचेरी, जिसे एंगलों-फ्रेन्च टेक्सटाइल मिल कहा जाता है, पिछले 10 माह से बन्द है। इस मिल के 7500 मजदूर जीवन और मौत के बीच अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। भूख के कारण पहले ही 30 मजदूरों ने आत्महत्या कर ली है। वाणिज्य मंत्री महोदय को शीघ्र ही इस रोडियर मिल पांडिचेरी को अधिग्रहण कर इसे राष्ट्रीय कपड़ा निगम को सौदा देना चाहिए। इस मिल के 7500 मजदूरों के हितों में ऐसा शीघ्र किया जाना चाहिए। इसी प्रकार बकिंघम और कर्नाटक मिल, मद्रास भी बन्द पडी हुई है। हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वाणिज्य मंत्री को इन हजारों मजदूरों को भूख से मरने से रोकना

चाहिए । राष्ट्रीय कपड़ा निगम को निदेश दिया जाना चाहिए कि वह शीघ्र बी० एण्ड सी० मिल को अपने हाथों में ले ।

इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं अनावश्यक आयात को समाप्त करने के बारे में कहना चाहता हूं । मैंने हाल ही में एक समाचार पढ़ा था कि एक फेरा कम्पनी ने चोरी से कई करोड़ रु० मूल्य की स्टील-बाल-बियरिंग का आयात किया है । इससे देशी उत्पादन पर असर पड़ा है । इसी प्रकार एक अन्य फेरा कम्पनी ने इटली में निर्मित माल का आयात किया है और उन्हें देश में बिक्री के लिए पुनः आवरणित किया गया है । इसी कम्पनी ने स्वीडन से आलू-पाउडर का आयात किया है और जिन बोरों में यह पाउडर पैक था उन्हें बदल कर इसे सोवियत संघ को पुनः निर्यात किया है। प्रत्यक्ष इस फर्म ने इटली से निर्यात किये गये निर्मित माल के लिए एक इकाई उत्तर प्रदेश में स्थापित की है, लेकिन इस फर्म ने यह उचित नहीं समझा कि देश में प्रचुर मात्रा में विद्यमान आलू से निर्यात के लिए वस्तुएं बनाने हेतु भी कोई इकाई स्थापित की जाये । इस प्रकार से इन वस्तुओं के आयात पर फिजूल विदेशी-मुद्रा खर्च हो रही है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि फेरा कम्पनियों द्वारा इस फिजूल आयात पर रोक लगाने के लिए प्रभावी उपाय उठाये ।

इन थोड़े से शब्दों को बोलने का अवसर देने के लिए, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं । मुझे आशा है कि माननीय वाणिज्य मंत्री मेरे इन सुझावों पर गम्भीरता से विचार करेंगे ।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति जी, माननीय वाणिज्य मंत्री जी ने सदन में जो बजट की मांगें पेश की हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं । आयात और निर्यात व्यापार के संतुलन का सिद्धांत किसी भी राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक होता है । माननीय मंत्री जी ने इस सिद्धांत के प्रतिपादन में जिस योग्यता का परिचय दिया है और जो नीति निर्धारित की है, वह अपने आप में स्तुत्य है । मान्यवर, हमारे आयात और निर्यात में काफी समय से बहुत बड़ा अंतर चला आ रहा था, वर्ष 1982-83 में ट्रेड डैफिसिट चार हजार सात करोड़ रुपये था, जिसको माननीय मंत्री जी ने अपने प्रयत्नों से घटाकर इस वर्ष 3558 करोड़ के स्तर तक ला दिया है । वह अपने आपमें एक सफल प्रयास है। मुझे आशा है कि यदि इसी प्रकार से ट्रेड डैफिसिट को कम किया गया तो भारत की आर्थिक स्थिति और भी सुदृढ़ हो सकेगी ।

मान्यवर, मैं मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आप पहले मंत्री हैं जिन्होंने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पौलिसी को नियमबद्ध रूप से सदन के सामने प्रस्तुत किया है और उसमें कुछ निश्चित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं जिनके बारे में राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को जो आयात और निर्यात व्यापार में दिलचस्पी रखता है, अथवा उसमें सक्रिय रूप से शामिल है, वह व्यक्ति किसी भी प्रकार के अंधेरे में नहीं रह सकता । आपने जिस आयात-निर्यात सम्बन्धी नीति

का दस्तावेज इस सदन में प्रस्तुत किया है, और आपने उसमें जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, उन सिद्धांतों के सम्बन्ध में आगे की चर्चा करने से पहले, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब भी हमारे पास आयात और निर्यात संबंधी कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जिनमें यदि आप चाहें तो कमी कर सकते हैं। आप यह भी जानते हैं कि जब तक आप आयात पर कन्ट्रोल नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो सकती। यह कन्ट्रोल केवल उन्हीं वस्तुओं पर करना आवश्यक है जिनके बिना राष्ट्र की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती और जो वस्तुएं राष्ट्र की आवश्यकता के लिए अनिवार्य हैं। मान्यवर, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम जो प्रैश्यस स्टोन्स का आयात करते हैं और आपने एनूअल रिपोर्ट के पेज नम्बर 15, आइटम नम्बर 20 में प्रेश्यस स्टोन नकली प्रैश्यिस और अर्ध प्रैश्यस स्टोन जिसके अनुसार वर्ष 1981-82 में 397.38 करोड़ का आयात वर्ष 1982-83 में बढ़कर 6777.43 करोड़ का हो गया। यह बात सही है कि इसमें निर्यात में भी काफी वृद्धि हुई है, क्योंकि जैम्स एण्ड जूलरी का निर्यात पहले 811.49 करोड़ का था जो वर्ष 1982-83 में बढ़कर 894.03 करोड़ का हो गया। लेकिन यह ऐसा आइटम है, जो कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए आवश्यक नहीं है। चूंकि जितना पैसा हमारा फोरेन एक्सचेंज में इन्वैस्ट होता है, यदि उस अनुपात से देखा जाए कि हमको कितना लाभ होना चाहिए, वह होता है या नहीं, वह तो वैसे आंकड़ों में जाकर बारीकी से देखने का विषय है, लेकिन इस मद में हमारा जितना फौरेन एक्सचेंज लगता है, मैं समझता हूं कि हम उसको कम कर सकते हैं और हमें इस मद में अधिक से अधिक कमी लानी चाहिए। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस देश की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर आश्रित है, कृषि-उत्पादन में लगी है, जो देश कृषि प्रधान देश है और जिस देश के विषय में कहा जाता है कि वह कृषि के संबंध में, फूड ग्रेंस के संबंध में, सीरियल्स के संबंध में, शुगर के संबंध में आत्मनिर्भर हैं, वहीं हम व्हीट का आयात भी करते हैं और वर्ष 1982-83 में 292.27 करोड़ रुपये का व्हीट हमने आयात किया, वैसे तो कहा जाता है कि बफर स्टाक रखने के लिए हमने आयात किया और जिस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे कामर्स मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर में होनी चाहिए, उनको ऐसे मुद्दों पर रिस्क लेने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए, लेकिन जहां हमारे किसान को उसकी व्हीट के लिए 135 या 140 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अदायगी की जाती है और हम उसी व्हीट को 150 या 152 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर बेचते है और विदेशों से उसी व्हीट को लगभग 200 रुपया या उससे कुछ अधिक की दर से खरीदते हैं, वहीं आपको इस बात को भी सोचना चाहिए कि यदि हम यहां के किसानों को दो रुपये अधिक पर-क्विंटल दाम देते हैं तो उनको तो लाभ होगा ही, आपको भी लाभ होगा। आपका फौरेन एक्सचेन्ज का खर्च होगा, और 300 करोड़ रुपया जो आप बाहर के किसानों को दे रहे हैं वह बचेगा। हमें अपने किसान की मदद करनी चाहिए और इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। गत वर्ष सदन में स्पष्ट कहा गया कि भारत जैसा देश विदेश से गेहूं मंगाये, जिसकी कि आवश्यकता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। यदि कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसके

तहत आपको मंगाना ही है, तो उस एग्रीमेंट की रेसिन्ड करना चाहिये और दूसरी चीजों का आयात करना चाहिए।

इसके साथ-साथ मिल्क और क्रीम के लिए 59.87 करोड़ रु० का आयात किया गया। जबकि औपरेशन फ्लड दो स्टेज की अच्छी उपलब्धियां हैं। मेरा क्षेत्र अलवर पूरे देश में दूध के मामले में नम्बर दो पर है। वहां मिल्क प्रोक्योरमेंट बहुत अधिक होता है। यदि आप वहां की सहकारी दूध सम्पत्तियों को और किसानों को इंसेन्टिव देंगे तो आपको बाहर से मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका लक्ष्य है कि 1990 तक इस मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे और उसके बाद किसी प्रकार का आयात नहीं करेंगे। यदि आप इस काम में और अधिक सबसिडी दें, लोन दें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स के माध्यम से मिल्क प्रोड्यूसर्स को और उनकी सहकारी समितियों को तो अभी जो आयात पर 60 करोड़ रु० खर्च कर रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। इस बारे में आपको सोचना चाहिये।

वूल रा आप बाहर से मंगाते हैं जिस पर 38.54 करोड़ रु० खर्च होता है। हमारे राजस्थान में इस तरह की ऊन पैदा होती है जो अपने आपमें बेमिसाल है, और बाहर से जो भेड़ मंगायी हैं उनकी अच्छी ऊन पैदा हो रही है। यहां का जो कारपोरेशन ऊन खरीदता है अगर उसका सही तरीके से प्रोसेसिंग हो और सरकार खरीद करे तो बहुत उपयोगी चीज है। इसलिए हमें इंडिजिनस प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये। केवल इसलिए कि हमें बाहर से अच्छी ऊन मिलती है इसलिए आयात करें, इससे हमारे पशु पालकों की कोई इंसेन्टिव नहीं मिलता है। राजस्थान के डैजर्ट में रहने वाले किसान विषम परिस्थितियों में अपनी भेड़ें पालते हैं और ऊन पैदा करते हैं, तो उनको हमें स्वीकार करना चाहिये आर भेड़ पालने वाले किसानों को हायर रेट्स देने चाहिये। अभी जो आपका वूल मंगा रहे हैं, उस पर जो इंवेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको बन्द करना चाहिये।

कपास के संबंध में भी यहां काफी चर्चा हुई। गत वर्ष किसानों को बहुत नुकसान हुआ और उससे पहले कपास का भाव बहुत कम था। आप बाहर से कपास मंगा रहे हैं, यार्न और फैबिक्स मंगा रहे हैं कपड़ा यार्न धागे और मानव निर्मित वस्तुएं 112.59 करोड़ का 1982-83 में मंगाया, और 1981-82 में 96.73 करोड़ था। 113 करोड़ जो आप फौरेन एक्सचेन्ज इस हर खर्च कर रहे हैं, उस धनराशि से अगर यहां के किसानों को इंसेंटिव दें तो देश के हित में रहेगा। कपास पैदा करने वाले किसानों को पिछले दो साल से लगातार नुकसान हो रहा है। उस नुकसान का बहुत बड़ा कारण यह था कि काटन कार्पोरेशन उस कपास को खरीदने में बिल्कुल फेल नहीं है, उसने समय पर किसान से कपास नही खरीदा। किसान को अच्छी काटन पैदा करने के लिए जितना परिश्रम करना पड़ता है, जितना पैसा लगाता है, पानी देता है, उसके अनुपात में कीमत उसको क्या मिलती है? इसके अलावा बाहर से इजिपशियन काटन और लौंग-स्टेपल काटन के वाम से जो काटन हम आयात करते हैं, उसमें खरीदने वालों का भी कई तरह का इन्वाल्वमेंट होता, जिसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। किस प्रकार से

दोनों तरफ से वह पैसा कमाते हैं ? जो अच्छी काटन हम यहां देश में पैदा कर रहे हैं, उसमें पिछले 2,3 बरस से किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए इस आयात को आप कुछ कम कर सकें तो यह काम जरूर करें।

कुछ हमारे ऐसे ट्रेडीशनल आइटम्स हैं जिनका निर्यात हजारों साल से हिन्दुस्तान करता आ रहा है, खासतौर से मसाले, चाय, काफी और रेडीमेड गार्मिट्न्स, लेकिन आज इंटरनेशनल मार्किट में चाय के मामले में हम करीब-करीब अपनी मार्किट खो चुके हैं। मुझे खुशी है कि इस वर्ष की एनुअल रिपोर्ट में आपने जाहिर किया कि मौजूदा वर्ष में 500 करोड़ रुपये की चाय हमने विदेशों को भेजी है, उसका सारा कारण यह है कि आज इंटरनेशनल मार्केट में चाय की कीमतें बहुत आगे हो गई हैं।

इसके साथ-साथ हम काफी पैदा करने वाले रहे हैं, लेकिन इसमें भी हम पीछे रह गये हैं। इतने बड़े इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हम लगा रहे हैं, हमारी बहुत बड़ी कमर्शियल एजेन्सीज भी दूसरे मुल्कों में हैं, यू० एस० ए० हमसे बहुत काफी खरीदने वाले मुल्कों में था, लेकिन वह क्यों नहीं खरीद रहा है ? क्या कारण इसके हैं ? क्या हमारे स्टैंडर्ड में गिरावट आई है या हमारे प्रोडक्ट में या जो एजेन्सीज व्यापार का काम कर रही हैं, उनमें शिथिलता आई है ? काफी के मामले में हमारी इंटरनेशनल मार्केट में होल्ड था, इसके बारे में हमें देखना चाहिए।

रेडीमेड गार्मेन्ट्स में हमने लगातार काफी फारेन एक्सचेंज कमाया, हमारा एक्सपोर्ट बहुत ऊंचा था, लेकिन पिछले दो वर्षों से वह गिरता जा रहा है। आपने कारण दिया है कि इंटरनेशनल मार्किट में ट्रेड में बहुत बड़ा रिसेशन आया है। दूसरे डैवलप्ड कंट्रीज में हाई लेबल का रिसेशन आया है। यहां अनएम्पलायमैंट है। इसके साथ-साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे मुकाबले में हमारे पड़ोसी देश, चाइना या सीलोन वह मार्किट कैप्चर करते रहे हैं। इसलिये इस मामले में हमें मनन करना पड़ेगा और उसी तरीके से हमको सुधार करना होगा ताकि हमारा जो कैप्चर्ड मार्किट था उसे हम फिर से पकड़ सकें।

तम्बाकू के मामले में भी हम बहुत पीछे हैं। जैसे मुझसे पहले हमारी माननीया सदस्या ने कहा कि तम्बाकू का आयात हमारा 1982-83 में 31.23 करोड़ का रहा है। इसमें आपने देखा है कि 57.-7 करोड़, जहां पर कि तम्बाकू से बने हुए प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन हिन्दुस्तान में बढ़ता जा रहा है, वहां हम अपने तम्बाकू और अच्छे तम्बाकू जो हम गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में पैदा कर रहे हैं उसको बाहर नहीं बेच सकें। इसके कारणों में हमें गंभीरतापूर्वक जाना होगा।

सबसे बड़ी आवश्यकता इस मुल्क में यह है कि हमारे जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में जिस तरह से एस० टी० सी० आपने ट्रेडिंग कारपोरेशन बना रखी है, उसी तरह एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए भी आपको एक अलग ट्रेडिंग कारपोरेशन बनानी होगी।

उसका कारण यह है कि हमारे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में प्याज की फसल बहुत अच्छी होती है। दिसम्बर, जनवरी में यह बढ़ जाती है। इस साल हमारे किसान को कम-से-कम पर एकड़ 3 हजार का नुकसान हुआ है। उसका कारण यह है कि निश्चित समय पर उसका एक्सपोर्ट नहीं किया जा सका। अकसर देखा गया है कि जब किसान की फसल मार्केट में आ जाती है, तो उसकी प्राइस क्रैश हो जाती है और उसको डिस्ट्रेस सेल के लिए मजबूर होना पड़ता है। फ्रूट, वैजीटेबल और दूसरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का समय पर एक्सपोर्ट न होने से किसानों का बहुत नुकसान होता है इसी कारण इस वर्ष सेब के उत्पादकों का बहुत नुकसान हुआ है। पाकिस्तान सरकार द्वारा प्याज की बहुत मांग किए जाने पर भी उसकी समय पर कैनालाइज नहीं किया जा सका और वहां नहीं भेजा जा सका। शायद यह भी सोचा गया कि डामेस्टिक मार्केट में उसकी प्राइसिज ज्यादा न बढ़ जाएं। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि सरकार ने नाफेड का सहारा लिया और नाफेड ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, जिससे किसानों का बहुत नुकसान हुआ। नाफेड भी सस्ते दाम पर प्याज खरीद कर उसे ऊंची कीमत पर दूसरे मुल्कों में भेज कर पैसा कमाने के तरीके से सोचने लगा है। मैं समझता हूं कि यदि इस संस्था को मुनाफा कमाने के लिए ही बनाया गया है, तो उसको बनाने की आवश्यकता नहीं थी। यदि कोई संस्था निर्यात के काम को ठीक ढंग से नहीं कर सकती, तो उसको कैनालाइज करना चाहिए। मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट कारपोरेशन को बनाने से ही किसानों को अपने उत्पादन की सही कीमत मिल सकती है और एक्सपोर्ट सही तरीके से हो सकता है।

अखबारों में आया है कि रशिया को बासमती के नाम से सब-स्टैंडर्ड क्वालिटी का चावल भेजा गया है और कई लोगों ने इसमें करोड़ों रुपये कमाये हैं। रशिया में जिन लोगों ने उस चावल को पास किया था, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, यहां तक कहा गया है कि उनका एक्सीक्यूशन हुआ है, उन्हें फांसी की सजा दी गई है। लेकिन यहां पर यह बगलिंग और धोखा-धड़ी करने वालों के खिलाफ कौन-सा एक्शन लिया गया है? किन संस्थाओं से मिल कर उन्होंने फ्रेंक लाइसेंस लिए और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का चावल भेज दिया? रूस को घटिया किस्म का चावल भेजने से इस देश की शान को बट्टा लगा है, व्यापार को धक्का लगा है और उसकी साख गिरी है। हमारे बहुत मजबूत और योग्य वाणिज्य मंत्री को उन लोगों को आइडेंटीफाई करना चाहिए, जिन्होंने यह गलत काम किया है, इस मामले की छानबीन करनी चाहिए और यदि आवश्यकयता हो, तो उनके खिलाफ फौजदारी केस बना कर उन्हें सख्त सजा दिलानी चाहिए।

अखबारों में छपी क्या यह खबर सही है कि शूगर के एक्सपोर्ट में 100 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है? इस शूगर की खरीद और बिक्री के रेट में क्या अन्तर रखा गया था? अगर इसको ओपन मार्केट में बेचा जाता है, तो हमें कितना रुपया मिलता? अगर शूगर की बाहर भेजने से हमें नुकसान हुआ है, तो हमें इसके निर्यात के बारे में दोबारा सोचना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने निर्यात और आयात को कैनालाइज और नियत्रित किया है। उन्होंने 13 टैक्सटाइल मिलों का नेशनलाइजेशन किया, जिससे मजदूरों

को राहत मिली और देश में कपड़े की आपूर्ति में भी सुधार हुआ। उनका यह कार्य भी प्रशंसनीय है। आशा है कि वह इस महकमे के कार्य को और भी सुधारेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं वाणिज्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : सभापति महोदय, इस मंत्रालय की कार्य प्रणाली और कार्य निष्पादन का हमारे देश के समग्र विकास और देश की अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है।

इस मंत्रालय की कई वस्तुओं के प्रति उदार आयात नीति, जिसके अन्तर्गत कई वस्तुएं आयात की गई हैं, संगत नहीं है। मुझे शक है कि आयात की अनुमति देने से पहले क्या देशी उत्पादन का ध्यान रखा गया है या नहीं। उदाहरण के तौर पर फौलिक एसिड निर्माण कुछ एकक मेरे राज्य में हैं। वे फैक्ट्रियां लाभ में चल रही हैं। दुर्भाग्यवश ये दो एकक, जिनमें 2000 से अधिक मजदूर कार्यरत हैं, पिछले छः माह से बन्द पड़ी हैं। फौलिक एसिड के आयात से इन एककों के कार्यकरण पर बुरा असर हुआ है। ये केवल कार्यकरण में सुधार का ही प्रश्न नहीं है। जो कुछ भी आंकड़े उपलब्ध हैं यह पाया गया है कि फौलिक एसिड का आयात उदारतापूर्वक किया गया है।

रबड़ और प्राकृतिक रबड़ के मामले में भी यही मामला है। हम इस उद्योग के बारे में कहते रहे हैं और कई दफा देशी उत्पादन में सुधार के बारे में कहा गया है। लेकिन पिछले दो वर्षों के आंकड़े उत्साहवर्धक नहीं हैं। हम खुद वास्तव में नहीं जानते हैं कि क्या कार्यवाही की गई है। दुर्भाग्यवश, मंत्रालय इस बड़े उद्योग को छूट नहीं दे रहा है। प्राकृतिक रबड़ निर्माता जिनकी संख्या हजारों में है, रबड़ उद्योग में सुधार की मांग करते रहे हैं। मंत्रालय की आयात नीति के कारण केरल पर बुरा असर पड़ा है। देश में रबड़ की मांग को पूरा करने के लिए इसका आयात किया जा रहा है। इसके क्या कारण हैं ? कई अभ्यावेदन दिये गये हैं और रबड़ निर्माताओं और विभिन्न संगठन, जो कि रबड़ उद्योग के कार्यकरण से संबंधित हैं, यह बात केरल राज्य सरकार की ध्यान में लाये हैं।

नारियल के तेल का भी यही हाल है। नारियल तेल के आयात के विरोध में काफी कुछ कहा गया है। देश की अर्थव्यवस्था में नारियल का प्रमुख स्थान है, लेकिन अब इसमें भी घाटे की बात हो गई है, क्योंकि इसकी फसल को सूखे का सामना करना पड़ रहा है और इसकी कमी भी है। यहां तक कि साबुन निर्माताओं और बड़े निर्माताओं के सम्बन्ध में भी, नारियल तेल के आयात की नीति, देश में वास्तविक नारियल उत्पादकों के हितों के विरुद्ध जाती है।

मैं निर्यात के संबंध में मंत्रालय के कार्यकरण के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, जिसे

अप्रासंगिक रूप से प्रासंगिक मान लिया गया है और मैं रिपोर्ट में निर्यात के बारे में पृष्ठ 4 पर कही गई बात को उद्धृत कर रहा हूं। जिसमें कहा गया है कि :—

> "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण हमारी बहुत-सी वस्तुओं तथा निर्मित माल के निर्यातों के लिए कठिन रहा। औद्योगिक देशों में लगातार मंदी तथा उसके साथ-साथ अत्यधिक बेरोजगारी होने से विश्व अर्थव्यवस्था में संरक्षावाद बढ़ा है जिससे समान्यतः विकासशील देशों तथा विशेष रूप में भारत की निर्यात संभाव्यताओं पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में विश्व व्यापार की वृद्धि में कमी आई। 1950 से 1975 तक के पच्चीस वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हुए साधारण विस्तार की तुलना में 1975 से 1979 तक की विश्व व्यापार में लगभग 5 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है। 1980 में यह 1.5 प्रतिशत रह गई, 1981 में यह स्थिर हो गई और 1982 में इसमें गिरावट आई।"

हालांकि यह कहा गया है कि हमारी नीति निर्यातोन्मुख है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के विकास से बंधे हुए हैं। पूंजीवादी देशों स्वयं मन्दी तथा अन्य समस्याओं के शिकार हैं और उनका असर हम पर भी पड़ रहा है। पूंजीवादी देश के विकास के बारे में यह स्थिति है। यह कहना बिल्कुल बेकार है कि हमें कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसमें स्वार्थ निहित हैं और यह बिलकुल स्पष्ट है कि अगर हम सारी आर्थिक स्थिति को देखें या विकास का विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि इसकी हमारी अर्थ-व्यवस्था पर भी कुछ असर पड़ा है। अगर हम केवल इसी बाजार पर निर्भर करेंगे तो, दुर्भाग्यवश, हम कठिन स्थिति में होंगे। लेकिन फिर भी हमारा निर्यात अन्य समाजवादी देशों पर निर्भर है जो कि एक अच्छी बात नहीं है। वहां कोई मन्दी नहीं है, रोजगार का कोई प्रश्न नहीं है और इन देशों को हम अधिक निर्यात कर सकते हैं।

मेरा निवेदन है कि हम इन पूंजीवादी देशों पर निर्भर नहीं कर सकते। और ये विकसित देश संरक्षणवाद में सभी किस्म की बाधाएं डाल रहे हैं। अगर आपको नई आर्थिक व्यवस्था बनानी है तो आपको देखना होगा कि हमारा व्यापार समाजवादी देशों के साथ अधिक हो। वहां बेरोजगार और मन्दी का कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर यही स्थिति है तो, हमें अपने व्यापार से संबंधित नीति इस ओर बदलनी होगी। कुछ हद तक ऐसा किया गया है। लेकिन फिर भी अधिक करने की गुंजाइश है।

कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में काफी कुछ कहा गया है। कई सदस्यों ने, जो कुछ मिल क्षेत्र में हो रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा की है। हांलाकि हमने 1980-81 में एक वस्त्र नीति घोषित की थी। दुर्भाग्यवश, मैं पाता हूं कि उसमें काफी समन्वय नहीं है और मिल क्षेत्र विद्युत चालित करघा क्षेत्र और हम करघा क्षेत्र में एकीकृत नीति की कमी है। मुझे हथकरघा क्षेत्र के भविष्य के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। लाखों बुनकर भूखों मर रहे हैं। इसका काफी बड़ा

हिस्सा सहकारी क्षेत्र में है। फिर भी वे अपने उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध नहीं रख पाते और उन्हें राज्य सरकारों से राज सहायता की भीख मांगनी पड़ती है। धागे की अनुपलब्धता एक मुख्य कारण है।

कपड़ा मिल क्षेत्र के बारे में, यह सर्वविहित है कि अब भी 46 मिलें बन्द पड़ी हैं। उदाहरण के लिए पांडेचेरी की एंग्लो-फ्रेंच मिल, दिल्ली की बिरला मिल और मध्य प्रदेश की होप टेक्सटाइल मिलें कई महीनों से बंद पड़ी हैं। हम उस समस्या का समाधान न कर पाये और सही ढंग से इन मिलों को नहीं चला पाये हैं। बताया जाता है कि अहमदाबाद में एक दो मिलें रुग्ण होने वाली हैं और कपड़ा उद्योग में उत्पन्न इस परिस्थिति से मजदूर चिंतत हैं। बम्बई में सरकार ने मिलों का अधिग्रहण किया है। इस आंशिक अधिग्रहण के पीछे क्या तर्क है यह कोई नहीं जानता है। निजी क्षेत्र में कई मिलें हैं और वह इसे ठीक तरह से नहीं चला पा रहे हैं। जो पैसा उन्हें दिया गया है वह कहीं और लगा दिया जाता है जिससे कि इस क्षेत्र की हालत बदतर हो रही है। जो लोग मजदूरों के हित की दृष्टि से इस क्षेत्र के सही संचालन से जुड़े हुए हैं चाहे उनका सम्बन्ध किसी भी राजनैतिक दल के कार्मिक संघ से है। समय-समय पर राष्ट्र के हित में इन मिलों के राष्ट्रीयकरण की मांग करते है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वह मिल क्षेत्र के कामकाज की समीक्षा करें और सभी रुग्ण मिलों का अधिग्रहण करें। इन बन्द पड़ी 46 मिलों के हजारों मजदूर काम के लिए तरस रहे हैं। इसलिए इन मिलों के प्रबंध का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि देश और जनहित में वह इस महत्वपूर्ण निर्यातोन्मुख उद्योग का अधिग्रहण करें और उसका राष्ट्रीयकरण करें।

पटसन उद्योग के बारे में मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं इस उद्योग में काफी समय तक हड़ताल रही थी। सौभाग्य से अब वह समाप्त हो गयी है। लेकिन अभी भी उन मजदूरों की मांग है कि आधुनिकीकरण किया जाय। इस पर बहुत लागत आयेगी। यदि आप विश्व बाजार में भाग लेना चाहते हों जहां कि मिलें ऊंची तकनीकी का प्रयोग करती हैं, तो आपको पूरे उद्योग का अधिग्रहण करना पड़ेगा और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। मैं मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि इस उद्योग को, देश और मजदूरों के हित में गैर सरकारी एकाधिकारियों के पन्जे से मुक्त करवा के इसका अधिग्रहण करें।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

3.00 म० प०

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : सभापति महोदय, कामर्स का मौजूं इतना वसी मौजूं है, फिर भी न अपने को उस विषय पर महदूद रखने की कोशिश करूंगा जिस पर इस सदन में

बहुत कम चर्चा हुई है और जिसमें हमारे इस सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री एन० जी० रंगा विशेष दिलचस्पी रखते हैं। मेरे कहने का मतलब हैण्ड लूम सैक्टर से है। हैण्डलूम की तरफ आने से पहले मैं सिर्फ एक बात इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के बारे में कहना चाहूंगा हमारी इम्पोर्ट-इक्सपोर्ट पालिसी कामर्स मिनिस्ट्री तैयार करती है, लेकिन जहां निर्यात-आयात शुल्क लगाने का प्रश्न है, वह फाइनान्स मिनिस्ट्री की तरफ से लगाया जाता है। शायद इस मजबूरी को हमारे कामर्स मिनिस्टर भी महसूस करते हों। इस बात को कहने के बाद में हैण्डलूम की तरफ, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कामर्स मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

हैण्डलूम का जब जिक्र होता है, तो उसी के साथ-साथ फौरन सबसे पहले सूत का जिक्र आ जाता है, क्योंकि सूत एक तरह से पूरे हैण्डलूम उद्योग या यूं कहिये पूरे टैक्सटाइल उद्योग की लगाम है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है सन 1947 के बाद से अब तक हमारी हुकूमत ने उस लगाम को अपने हाथ में रखने की कोशिश नहीं की और वह लगाम टैक्सटाइल-लाबी के हाथ में रही है, चाहे वह सूत टैक्सटाइल इण्डस्ट्री के लिए हो, चाहे पावरलूम के लिए हो, चाहे वह हैण्डलूम के डीसेण्ट्रलाइण्ड सैक्टर के लिए हो, जिससे वाबस्ता कमजोर तबका है और जिसका जिक्र हम बार-बार करते हैं और जिसकी मदद की बात बार-बार करते आ रहे हैं।

हमने टैक्सटाइल मिल्ज नेशनलाइज किए लेकिन उनकी बीमारी के कारण, अपनी पालिसी के कारण नहीं। टैक्सटाइज मिलों को हमने इसलिए नेशनलाइज नहीं किया कि उनके कौमयाने की वजह से पूरी टैक्सटाइल इण्डस्ट्री की नकेल हमारे हाथ में जाएगी, बल्कि इसलिए नेशनलाइज किया, क्योंकि वे बीमार थीं। इससे मदद किसको मिली ? उसी टैक्सटाइल लाबी को मिली जो सूत के मामले में शुरू से हावी हैं। मैं फिर इस बार भी आपसे जोर देकर कहना चाहूंगा कोई ऐसी बुनियादी तबदीली लाइए, जिसकी वजह से कम से कम अगर पूरे टैक्सटाइल सैक्टर की लगाम आप अपने हाथ में नहीं रखना चाहते हैं तो न रखें, लेकिन जो लोग इससे बाबस्ता हैं जो कमजोर तबके लोग हैं, जो हैण्डलूम में काम करते हैं, जो हथकर्घे से वाबस्ता हैं उनको साल भर तक एक कीमत पर, मुनासिब कीमत पर, सूत मिल सके। ऐसी कोई व्यवस्था आपने अभी तक नहीं की है। आप चर्चा करेंगे कि आप ने नेशनल हैण्डलूम कारपोरेशन बनाया है। आप कहेंगे कि आपने स्पिनिंग मिल्स की संगे बुनियाद रखी है और कुछ स्पिनिंग मिलें काम भी कर रही हैं। लेकिन आप इस बात को मानेंगे कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई दूसरा प्रदेश हो अभी तक हैंकयार्न की रिक्वायरमेंन्ट पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आपने जो लक्ष्य रखा है, अगर ऐसे ही चलता रहा, तो 50 साल में भी उसको पूरा कर पाना मुश्किल है। आप हैंन यार्न मुहय्या कराने के लिए कोई बुनियादी तबदीली नहीं लाएंगे, तो इससे हैंडलूम को फायदा नहीं होगा और इस से बावस्ता लोगों को फायदा नहीं होगा, जिनके लिए आप इतना ढिंढोरा पीटते रहते हैं।

इसके साथ ही साथ मैं एक चीज का और जिक्र कर देना चाहता हूं जो हैंडलूम का पावरलूम के सम्बन्धों के बारे में है। आपने जो अपनी टैक्सटाइल पालिसी बनाई हैं, उसमें बहुत

साफ साफ कहा है कि हैन्डलूम को बढ़ावा देना है और हैंडलूम के बारे में आप कहते हैं कि इसको प्लेस आफ प्राइड देना चाहते हैं लेकिन आपकी पालिसी के बावजूद आपके द्वारा चलाई गई स्टेट की सरकारें पावरलूम को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले भी मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया है और अब भी दिलाना चाहता हूं। ···(**व्यवधान**)···मैं उत्तर प्रदेश की बात इसलिए कर रहा हूं कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री महोदय, सरकारें भी मैनीपुलेशन करती हूं, यह मैंने नहीं सुना था, पावरलूम की जगह पर टेपलूम के नाम से लाइसैंस दे रहे हैं और एक लाख इस तरह के लूम्स वहां पर लगाए जाएंगे और उनको उत्तर प्रदेश की फाइनेन्शियल कारपोरेशन्स से मदद मिलेगी। पावरलूम्स की बजाए टेपलूम्स के नाम से उनको लोन्स दिये जाएंगे। यह मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। इससे पहले भी मैंने जानकारी दी थी और पता नहीं आपने उस पर क्या एक्शन लिया, यह मैं नहीं जानता। आप इस बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह आप बताएं।

अब मैं हैंडलूम्स के लिए फाइनेन्स की बात पर आता हूं। हैंडलूम वालों को फाइनेन्स की बहुत दिक्कत होती है। इस सिलसिले से मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जब नेवार्ड बनाया गया था और जब उस पर चर्चा चल रही थी, तो उसकी बहस में हिस्सा लेते हुए मैंने यह सवाल रखा था कि नेवार्ड के अलावा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए अलग से एक बैंक खोला जाना चाहिए लेकिन उस समय के फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने कहा था कि नेवार्ड भी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स को अपने परव्यू में रखेगा और उसकी फाइनेन्शिमल जरूरत को पूरा करेगा। अब तक की जो मेरी जानकारी है, उसके अनुसार नेवार्ड ने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने में कोई तवज्जह नहीं दिखाई है। इसलिए मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूं कि अगर आपकी दिलचस्पी, आपकी तवज्जह, आपकी सरकार की तवज्जह वाकई हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स पर है, तो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स की फाइनेन्शियल जरूरतों को पूरा करने के लिए आप इनके लिए एक अलग से बैंक की स्थापना करें।

हैंडलूम वर्ष की चर्चा आपकी रिपोर्ट में भी है और मेरे एक सवाल के जवाब में आपने कहा है कि 1984-85 को आप हैंडलूम वर्ष मना रहे हैं लेकिन अगर उसी तरह से हैंडलूम वर्ष मनाना है, जिस तरह से विकलांग वर्ष में भागलपुर में लोगों की आंखें फोड़ दी थी और उसको मनाया था या महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार करके महिला वर्ष मनाया गया था, अगर उसी तरह से हैंडलूम वर्ष मनाना है, तो यह हैंडलूम के साथ खिलवाड़ करना होगा और हैंडलूम से बावस्ता बुनकरों के साथ खिलवाड़ करना होगा। उनकी कुछ बात पूछने की बजाए, उनकी मदद करने की बजाए, उनको सूत मुहय्या करने की बजाए, उनके नाम पर चन्द लोगों का बाहर फेस्टीवल आफ इण्डिया में शामिल होने के लिए अगर आप बाहर भेजते हैं, तो इससे उन्हीं चन्द लोगों को फायदा पहुंचेगा और जो लोग हैंडलूम से बावस्ता हैं, उनको कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। मैं चाहता हूं कि अगर आप वाकई हैंडलूम वर्ष मनाना चाहते हैं तो कम से कम एक बुनियादी बात कीजिए कि कामर्स मिनिस्ट्री के अन्दर ही, अलग से मिनिस्ट्री की मांग नहीं करता,

एक इन्डीपेन्डेन्ट हैन्डलूम का डिपार्टमेण्ट खोला जाए ताकि विशेष तवज्जह आपके महकमे की उसके ऊपर हो। मैं उम्मीद करता हूं कि हैण्डलूम वर्ष के नाम पर एक ऐसा काम जरूर करेंगे जिससे लोग याद रखेंगे कि कामर्स मिनिस्ट्री के अन्दर एक इन्डीपेन्डेन्ट हैंडलूम का डिपार्टमेंट खोला गया था।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह कपड़ा आयुक्त से अलग किया जाना चाहिए।

श्री अशफाक हुसैन : हां, मैं टैक्सटाइल कमीश्नर की तरफ भी आ रहा हूं। कामर्स मिनिस्ट्री के अन्दर टैक्सटाइल कमीश्नर को सारे टैक्सटाइल के मामलात में फैसला करने और लाइसेंस देने का पूरा अख्तियार दिया हुआ है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अगर आप टैक्सटाइल के अन्दर ही टैक्सटाइल कमीशन बनाएं और उसके हैंडलूम और पावरलूम तथा दूसरे इंटरेस्ट को भी कायम रखें, भले ही टैक्सटाइल कमीश्नर उसका सेक्रेटरी या चेयरमैन हो।

प्रो० एन० जी० रंगा : सिर्फ हथकरघे के लिए, बिजली करघे को इससे मत जोड़िए। बिजली करघे ने हथकरघा उद्योग को निगल लिया है।

श्री अशफाक हुसैन : मुझे खुशी है कि इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य रंगा साहब हैंडलूम के मामले में सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि हमारे मंत्री महोदय भी हैंडलूम के बारे में जो बातें मैं कह रहा हूं, उन पर अपनी सहमति व्यक्त करेंगे और उन पर अमल करेंगे। लेकिन, मंत्री जी की मजबूरियां होती हैं, उनके तहत हो सकता है कि वे हमदर्दी रखते हुए भी जो बुनियादी पालिसी है, उसकी सपोर्ट न कर पाएं।...(**व्यवधान**)...अगर वाकई इस सरकार को हैंडलूम से कोई दिलचस्पी है या, जो कमजोर तबके या दूसरे वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, उनके भले के लिए कुछ करना चाहती है तो सबसे पहली जरूरत है कि उनके लिए हैन्क यार्न व्यवस्था हो। आपने हैन्क यार्न पर पचास परसेंट की पाबन्दी लगा दी है। दो फरवरी, को आल इण्डिया हैण्डलूम एण्डीक्राफ्ट्स बोर्ड की थर्ड मीटिंग हुई थी। उसमें ऐसी चर्चा हुई थी और इससे पहले भी एक कमेटी बनायी गई थी जिसमें यह कहा गया है था कि हैन्क यार्न का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है। आपको ताज्जुब होगा कि हैन्क यार्न का रिक्वायरमेंट स्पीनिंग मिल्स भी पूरा नहीं कर रही हैं। लेकिन सरकार द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। एन० टी० सी० की नकल सरकार के हाथ में है। एन० टी० सी० की पचास परसेंट में मोटे काउन्ट पर जो रिक्वायरमेंट पूरा करना चाहिए था, वह नहीं कर पा रही है। एन० टी० सी० को आपने नेशनलाइज किया। इसी प्रकार 103 या 104 मिलों को पहले और 13 मिलों को बाद में नेशनलाइज किया। वह बीमार मिलें थीं इसलिए किया। आप, जो कम्पोजीट मिलें हैं उनके स्पीनिंग सैक्टर को नेशनलाइज कीजिए। जो स्पिनिंग मिलें हैंक यार्न तैयार कर रही हैं और जो मिलें आपके परव्यू से बाहर हैं, अगर आप मुनासिब समझें तो एक कार्पोरेशन ऐसी बनाइये जो हैंक यार्न बनाये और उन सारी की सारी कम्पोजिट मिलों को स्पिनिंग मिलों को आप नेशनेलाइज कीजिए। जो मिलें हैंडलूम के लिए सूत तैयार करें, जैसे हैंडलूम नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन की चर्चा

सन् 1980 से सुनने में आ रही है, सन् 1980 से उसके लिए पैसा रखा जाता रहा है. लेकिन आप कहेंगे कि साहब उसकी दो मीटिंग हो चुकी हैं, तीन मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन आप बतायें कि इसने काम क्या किया है। कृपा करके आप यह स्पष्ट करें कि नेशनल हैंडलूम टैक्सटाइल कार्पोरेशन ने कोई काम भी शुरू किया या नहीं। क्योंकि मीटिंग करना ही इसका काम नहीं है। इस कार्पोरेशन के लिए आपने चीफ एक्जीक्यूटिव को अप्वाइंट कर दिया या नहीं ? अब भी, मेरी जानकारी के अनुसार, यह अप्वाइंटमैंट नहीं हुई। यदि आपने यह नियुक्ति कर दी है तो इसने काम क्या किया। आपने इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन पर अमल करते करते तो पांच साल का समय निकल गया, हमें कितने साल और इंतजार करना पड़ेगा जबकि नेशनल हैंडलूम टैक्सटाइल कार्पोरेशन काम करना शुरू कर देगा और इसका असर बुनकरों पर पड़ेगा। इन्सैन्टिव हैंडलूम डैवलपमैंट कार्पोरेशन के नाम से पूरे देश भर में यूनिट्स खोली गई, लेकिन उनको बाद में स्टेट्स को ट्रांसफर कर दिया गया, उनकी मौनीटरिंग आपके द्वारा होनी चाहिए थी, अब वह काम भी नहीं हो रहा है और उसका नतीजा यह है कि हैंडलूम बुनकर तबाह हैं और उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी, वे सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही हैं। उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, आज उनके पास कोई मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है। मैं यहां पर इस बात की चर्चा भी करना चाहूंगा कि हैंडलूम बुनकरों को सन् 1970 में जब बैंकों का नेशनेलाइजेशन हुआ था, उस समय किसी को 200 रुपये किसी को 400 रुपये और हद से हद 1200 या 1800 रुपये कर्ज के तौर पर दिलाये गए थे। आपने उस वक्त कहा था कि अब हमारे बैंक गरीबों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वह कर्जे चूंकि अपर्याप्त थे और उनको कोई दूसरी प्रकार का सहयोग नहीं मिल सका, जो मिलना चाहिए था, जिसके कारण वह कर्जा वसूल होने मे रह गया। उस कर्जे को माफ करने के लिए हर तरफ से आवाजें उठीं लेकिन अभी तक उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया, मैं चाहूंगा कि आप उस पर अवश्य ध्यान दें।

अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पहले मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि यदि आप हैंडलूम की तरक्की चाहते हैं तो उसके लिए सूत का इंतजाम किया जाए और वह सूत सबको एक समान दाम पर मिले। कोई मिल अपनी खरीदारी करती है या सट्टा करती है या जो कुछ भी करती है, आपकी एन० टी० सी० मिल भी करती है और कई दूसरी मिलें भी करती हैं और वे सब छः-छः महीने सट्टे पर अपनी जरूरत का सूत खरीदती हैं और अच्छा सूत उनको मिलता है लेकिन मंत्री जी आपको जानकारी होगी कि हैंडलूम का भाव हर तीसरे दिन बदलता रहता है। यदि आज कुछ भाव है तो तीसरे या चौथे दिन कुछ और भाव हो जाता है। मैं चाहता हूं कि कम से कम एक भाव पर, पूरे सीजन भर उनको सूत मिलता रहे।

सभापति महोदय, एक जरूरी बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि एन० टी० सी सरकार की है, लेकिन हैंडलूम का बुनकर किसका है ? वह भी इसी देश का है। एन० टी० सी० धोती तैयार करती है, कंट्रोल का कपड़ा तैयार करती है उसको आप 2 रु० की सबसिडी देते हैं। वही कपड़ा जब बुनकर तैयार करता है, हैंडलूम पर तो उसको आप डेढ़ रु० सबसिडी देते हैं।

आखिर यह क्यों ? हैंडलूम की कौस्ट ज्यादा आती है, हैंडलूम की आप मदद भी ज्यादा करना चाहते हैं, लेकिन 8 आना कम दे करके एन० टी० सी० को आप 8 आना ज्यादा देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एन० टी० सी० के मुकाबले में हैंडलूम की कम से कम ड्यौढ़ी सबसिडी मिलनी चाहिये न कि आठ आने कम।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : आनरेबिल चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से उस नई पोलिसी की सराहना करूंगा जो सरकार ने शुरू की है और जितनी मदद है सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्नोलाजी शुल्क में दरामद हो और पैदावार बढ़े और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट मुमकिन हो जाय। और मैं समझता हूं यह पोलिसी बहुत ही उम्दा है। लेकिन इसके साथ मैं सरकार से चाहूंगा कि वह इस बात की अहतियात करते कि लाइसेंस के मामले में जिसका वक्त आपने 12 महीने से बढ़ाकर 18 महीने कर दिया है और बाकी जो मराआत आप दे रहे हैं तमाम सैक्टर्स में ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ें, तो यह भी देखना चाहिए कि कहीं इस किस्म की ज्यादा मराआत ऐसे बिजनेस हाउसेज के हाथ में तो नहीं जा रहे हैं जिनको ज्यादा मुनाफा हो, और जिस मकसद के लिए यह तमाम कंशेसन दिए जा रहे हैं उनका फायदा मुल्क को मिले और बिजनेस हाउसेज की ज्यादा बिलों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

मैं समझता हूं मौजूदा हालत में आपने स्माल और कोटेज सैक्टर की कुछ इंसेंटिव्ज के बारे में भी कहा है और आप चाहते हैं कि सर्वेन्ट एक्सपोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा इस किस्म की रियायतें मिलें, और इस बारे में चूंकि मुझे अपनी स्टेट का कुछ तजुर्बा है जहां पर हमारा हैंडीक्राफ्ट्स बहुत अहमियत रखता है हमारे लिए और उनमें लगे काम करने वाले लोगों के लिए जो उससे रोजी कमा रहे हैं, इस बिना पर हमारे कुछ तजुर्बे हैं और मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं कि हमारे यहां के हैंडीक्राफ्ट्स जो बैशनी मुल्कों को जा रहे हैं, चाहे कालीन हों, शाल हों या ऐमब्राइडरी वर्क हो, पेपरमाशी या बुड कार्विंग का सामान, यह जो सारे एक्सपोर्ट होते हैं, इसमें जो हमारे लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वह हद से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। जिन बिजनेस हाउसेज ने यह काम अपने जिम्मे लिया है वह जितना मुनाफा कमा रहे हैं उसके मुकाबले में उन दस्तकारों को बहुत कम फायदा जा रहा है। और यह बहुत बड़ी खाई है दोनों के बीच में बैरूनी मुल्कों के लिए माल तैयार करने वाले दस्तकारों को फायदा कम मिलता है और जो बिजनेस हाउस बीच में पड़कर उनका माल बाहर भेजते हैं उनको बेहद फायदा होता है। इन दोनों की कमाई में बहुत बड़ा अंतर है जिसकी तरफ मैंने आपका ध्यान दिलाया है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि न सिर्फ जम्मू-काश्मीर की रियासत को हैंडीक्राफ्ट्स से, दस्तकारी की सनत से मेहनत और मशक्कत के नतीजे में फायदा हो रहा है बल्कि वहां की इक्मादियात यानी इकनामी को इस पर बहुत बड़ा इन्हसार है। इससे हमारे मुल्क और हमारी सरकार को बहुत बड़ा फायदा पहुंचता है। करोड़ों-

अरबों रुपए की शक्ल में हम अपना सामान बाहर के मुल्कों को भेज रहे हैं और जरे मबादला कमा कर फायदा उठा रहे हैं ।

कौन नहीं जानता कि आज हमारा कालीन दुनिया के मुकाबले में परखा जा सकता है ? चीन और पाकिस्तान इस सैक्टर में बहुत आगे गए हैं लेकिन अभी भी हम उनका मुकाबला कर रहे हैं और किसी हद तक मारकेटिंग में हम कामयाबी के साथ तरक्की कर रहे हैं बहरूनी मंडियों में ।

इसी तरीके से पेपरमैशी, वुड कार्विंग, स्टैपल एम्ब्रायडरी और इस शोदे में जो हम बहुत सारी चीजें तैयार कर रहे हैं, आज भी सारी दुनिया में उनको फक्र और खुशी से खरीदा जा रहा है, उनकी फरोख्त कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ रही है, बशर्ते कि उस किस्म के साधन पैदा किए जाएं, वसायल पैदा किए जाएं, और ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए फरोख्त करने के लिए मंडियों की तलाश की जाए, यह हम पर मुनहसर है कि किस तरीके से हम इसको तरक्की दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं ?

हमारे यहां प्रोडक्शन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हैंडीक्राफ्ट्स में 1974-75 में हम 20 करोड़ की मालियत की चीजें तैयार कर रहे थे लेकिन 1981-82 में ६8.54 करोड़ की हैन्डीक्राफ्ट हमने पैदा की और 1974-75 में हमारा एक्सपोर्ट 7.50 करोड़ का था लेकिन अब 1981-82 में 36 करोड़ रुपए के हैंडीक्राफ्ट्स हमने बहरूनी मण्डियों मे भेजे। यह सिलसिला बढ़ रहा है । मैं इस वक्त आपको फिगर्स नहीं दे रहा हूं, ये बहुत ज्यादा हैं, कई गुना ज्यादा बढ़ गई है । इसमें सरकार भी और प्राइवेट सैक्टर भी, दोनों इन चीजों को फरोख्त करने की कोशिश में हैं । हमारे पास अपने एम्पोरियम भी हैं और बहुत बड़े इदारे भी हैं जो इन चीजों को बहरूनी मण्डियों में फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन यह चीजें ज्यादातर प्राइवेट सैक्टर के जरिए बहरूनी मंडियों में जा रही हैं ।

जहां एक तरफ मैं खुश हो रहा हूं कि इस तरह के इदारे बिजनेस हाउसेज डेवलप हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैंने आज शिकायत की है इफतदा में कि जो हमारे अपने दस्तकार हैं, जो हमारे अपने लोग हैं जो यह चीजें बना रहे हैं उनकी खुद की हालत बहुत बिगड़ी हुई है, खराब है। उनकी इक्तसादी हालत बहुत गिरी हुई है ।

मैं इस जेमन में यह भी अर्ज करूंगा कि सिल्क, एक जमाने में काश्मीर में बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी और सारी दुनिया में बेची जाती थी, लेकिन अब हम सिल्क के मामले में बहुत पिछड़ गए हैं और हम तरक्की नहीं कर पाये हैं ।

मैं समझता हूं कि जहां सरकार मैसूर की स्टेट में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जम्मू-काश्मीर में खास तवज्जह सरकार ने नहीं दी है । सरकार का फर्ज है कि

जम्मू-काश्मीर का जो अपना ज्योग्राफिया है, जो मौसम और एन्वार्यन्मेंट है, वह सिल्क के मुआफिक है और इसकी बढ़ोत्तरी के लिए बड़ा मददगार साबित हो सकता है बशर्ते कि सरकार इस सैक्टर में हमारी मदद करे क्योंकि यहां इस किस्म की चीजें हैं जो कि ना सिर्फ मुल्क में ही फायदेमन्द हैं बल्कि बैरूनी मण्डियों में भी फरोख्त करिए हम फारेन एक्सचेंज कमाने का जरिया बना सकते हैं।

हमारे यहां की शाल, जो कि जामावार या शाहतोश के नाम से मशहूर है, वह बहुत जमाने से पसन्द की जाती रही है, उसे नैपोलियन ने भी पसन्द किया इसकी शोहरत आलमगीर बहुत बड़ी थी और यह शालें न सिर्फ मुल्क के अन्दर ही बिकती थीं बल्कि 18वीं और 19वीं सदी तक ये शालें यूरोप में जाती थीं और वहां इनकी बहुत बड़ी बिक्री होती थी। अंग्रेजों ने इस मामले में कई बड़ी फर्में कायम की थीं और काश्मीर में इसका कारोबार किया था। यूरोप में इसकी खरीदो-फरोख्त के लिए साधन पैदा किए थे लेकिन 1947 के बाद हमने हैंडीक्राफ्ट्स में नए सिरे से आगाज किया है, कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक्सपोर्ट कार्पोरेशन और स्पैक्स को-आपरेटिव सोसाइटीज को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और कोशिश की जाए कि हैन्डीक्राफ्ट्स की फरोख्त बैरूनी मण्डियों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए। मैं समझता हूं कि कालीन के नए डिजाइन, माडलिंग और वलरिंग में चीन और पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेकिन मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि कारीगरी, नक्शो-निगारी और फन की सलाहियत में कोई भी हमारे काश्मीरी कारीगरों का मुकाबला नहीं कर सकता। कालीनों के मामले में हमने बहुत सारे मुल्कों को पछाड़ा है। हमने ईरान को पछाड़ा है और माजी में ताशकंद और उजबेकिस्तान को भी इस मैदान में पीछे धकेल दिया है। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि हम पाकिस्तान और चीन को भी इसमें मात दें।

मेरी इत्तिला है कि जब हमारा एक डेलीगेशन जर्मनी गया था, तो वहां लोगों ने कहा कि अगर जम्मू-काश्मीर की सारी की सारी आबादी कालीन बुनना शुरू कर दे, तो सिर्फ जर्मनी के चंद शहरों में उनकी खरीदारी हो सकती है, क्योंकि ये कालीन निहायत उम्दा हैं, ये नफासत और कारीगरी के तमाम नजाकतों के साथ बुने जाते हैं और उनमें फन की तमाम बारीकियां शामिल हैं। इस बिना पर मैं कहना चाहता हूं कि मार्केट की कोई कमी नहीं है। शर्त यही है कि हम अपने इन फनों में आगे बढ़ें।

इस जिम्न में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि खादी और हाथ से बुने हुए कपड़े पर हमारी इस इंडस्ट्री का भी बड़ा इनहिसार है। अभी यू० पी० और दूसरे प्रदेशों के आनरेबल मेम्बर ने इस बात पर जोर दिया है कि जिस सैक्टर में लोग अपने हाथ से कपड़े बुन रहे हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमारा अपना तजुर्बा है कि हम क्रिवेल एम्बायडरी के जो हैन्डीक्राफ्ट्स फारेन कंट्रीज को भेज रहे हैं, उनमें मोटे सूती कपड़े पर एम्ब्रायडरी नक्शो-निगारी होती है। लेकिन सूत के मामले में हम बहुत परेशान हैं। सिल्क के मामले में भी मशीनों ने हाथ के बुनकरों को पछाड़ दिया है, उनकी रोजी मारी जा रही है और उनका आर्ट खत्म हो रहा है।

हमारा ऐनेलेसिस तजुरबा है कि बाहर के मुल्कों में, खासकर अमरीका और यूरोप में, हाथ से बुने हुए कपड़े और दूसरी चीजों का शौक और जौक पैदा हो रहा है और मशीनों के बने हुए कपड़े वगैरह के मुकाबले में उनको प्रिफरेंस मिलता है। इन चीजों की मार्केट बढ़ रही है। हमें इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। हैन्डीक्राफ्ट्स, दस्तकारी की अशिया, का एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, जिसकी बहुत बड़ी गुंजाइश है, बहुत बड़ा पोटेंशल है। इस मैदान में हम जितना भी आगे बढ़ना चाहें, हम बढ़ सकते हैं।

कामर्स मिनिस्ट्री का टूरिज्म के साथ वराहे-रास्त ताल्लुक है। मैं चाहूंगा कि हम सैयाहत को ज्यादा से ज्यादा फरोग दें, बाहर के लोगों को यहां बुलाने के लिए नई-नई मुमाआत दें। अगर्चे इसमें एक तरफ हमें कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, उनको कुछ कनसेशन देना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ सैयाहत हमारी मुल्क की फारिगुलवाली, तरक्की और कीमती अशिया की खरीदारी का वाइस बन सकती है। खास तौर पर यूरोप से और अब सोशलिस्ट कन्ट्रीज से भी—जो सैयाह काश्मीर आते हैं, वे वहां पर न सिर्फ सैर और तफरीह के लिए आते हैं, बल्कि वहां की मुकामी मस्नुआत हैंडक्राफ्ट्स, की खरीदते भी हैं। इस वजह से वहां पर करोड़ों रुपयों की अशिया बिक रही हैं। जब मैं इस मुल्क में टूरिस्ट्स के आने की बात कहता हूं, तो मेरा मतलब सिर्फ काश्मीर से ही नहीं है, बल्कि राजस्थान से भी है, मुरादाबाद के बर्तनों और मिर्जापुर के कालीनों से भी है। जो जनूबी हिस्सा है, केरल, मद्रास, कर्नाटक वगैरह जो स्टेट्स हैं वहां भी हाथ की बनी हुई चीजों की, हैंडक्राफ्ट्स की तरक्की तभी मुमकिन हो सकती है जबकि आप ज्यादा से ज्यादा विदेशी लोगों को हिंदुस्तान आने के लिए एनकरेज करेंगे और उनको यहां पर ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज मोहैया करेंगे। टूरिज्म और हैन्डीक्राफ्ट्स कामर्शियल डैवलपमेंट का चोली दामन का साथ है।

चेयनमैन साहब, हमारी मर्कज की हुकूमत स्टेट्स से कुछ खरीद करती है या जो आपकी कारपोरेशन्स हैं, अपेक्स बाडीज हैं वह खरीदते हैं। लेकिन मैं आपकी नालेज में लाना चाहता हूं कि कोई चार साल पहले हमारे यहां कालीन की मार्किट गिर गई थी। अफगानिस्तान, लेबनान के हालात और इराक-ईरान की जंग का बराहरास्त उस पर असर पड़ा था और हमारे कालीन बिकने बन्द हो गये थे। इसका सबसे ज्यादा फायदा मुकामी बिजनेस कम्युनिटी ने उठाया। उन्होंने बहुत सस्ते दामों पर बल्कि जिस कीमत पर कालीन बने थे उससे भी कम कीमत पर उन्होंने कालीन खरीद लिए क्योंकि कालीन बापून के पास और कोई जरिया नहीं रह गया था अपनी मेहनत बचाने का और मजबूरन उन्होंने बिग बिजनेस हाउसेज को कालीन कम कीमत पर फरोख्त कर दिए। जो कालीन 30 रुपये फीट की दर से तैयार हुए थे उनको 25 और 20 रुपये स्कवायर फीट की कीमत पर फरोख्त कर देना पड़ा। इसकी वजह से उन बिग विजनेस हाउसेज को करोड़ों रुपये का फायदा पहुंचा क्योंकि उन्होंने बाद में मुनासिव वक्त पर उन कालीनों को बैरूनी मार्केट में या मुल्क की मंडियों में ही काफी मुनाफा कमाकर बेचा। लेकिन इसकी वजह से कारीगरों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उस वक्त मर्कज से मांग की गई थी कि वह कारीगरों से ज्यादा से ज्यादा कालीनों की खरीददारी करे। मैंने इस सिलसिले में एक सवाल भी पूछा था, बाद में सरकार से, कि उसने

मुकामी कारीगरों से कुल कितनी मालियत के कालीन खरीदे तो यह मालूम हुआ कि एक करोड़ से कुछ ज्यादा रकम के आपने कालीन खरीदे। लेकिन आप अंदाजा करें कि 50 करोड़ से भी ज्यादा मालियत के कालीन बने हुए मौजूद थे जिनको खरीदने के लिए आपने कोई पेशकदगी नहीं की। इसीलिए उन कारीगरों को मजबूर होकर लागत से भी कम कीमत पर अपने कालीन बिग बिजनेस हाउसेज को बेच देने पड़े। यह वहां के कारीगरों के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि उनकी मदद के लिए मर्कज की सरकार सामने नहीं आई। आगे के लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि मन्त्री जी जाती तौर पर दिलचस्पी लेकर, अगर इस तरह की कोई उलझन पैदा होती है, दस्तकारों के साथ तो उसको दूर करने की कोशिश करें। यही वे हालात हैं जिन्होंने कश्मीरी आर्टिजन्स को पछाड़ दिया है और मिडिलमैन नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वे लोग कारीगरों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि कश्मीर की मस्नूआत बैरूनी मंडियों में ज्यादा से ज्यादा तादाद में बेची जायें तो उसके लिए यह भी जरूरी है कि नेशनलाइज्ड बैंक्स उन आर्टिजन्स को आसान शर्तों पर ज्यादा से ज्यादा लोन मोहैया करें और बरवक्त लोन दें। मुझे इस बात की खास शिकायत है कि नेशनलाइज्ड बैंक्स दस्तकारों की मदद नहीं करती हैं। वह नेशनलाइज्ड बैंक उन व्यापारियों की ही ज्यादा से ज्यादा मदद करती है। मैं इस बात की जाती तौर पर जानता हूं और मैंने बार-बार शिकायत भी की है लेकिन फिर भी कोई पुरसां-हाल नहीं है। इसलिए मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं कि अगर आप दस्तकारों की तरक्की चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि वे जेन्युइन किस्म की कोआपरेटिव्ज को फरोग दें तो आपका फर्ज है कि आप नेशनलाइज्ड बैंकों से कहिए कि वह कर्जा देने में दस्तकारों को प्रेफ्रेंस दें क्योंकि अभी कारोबारी इरादे ही उनसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं।

मुझे आज दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे दस्तकारों की हालत बांडेड लेबर जैसी है। बिजनेस हाउसेज वाले उन कारीगरों को पहले से ही शादी-ब्याह के लिए चार, छः या दस-दस हजार रुपया दे देते हैं, बतौर कर्जे के, जिसको कि वे पूरी जिन्दगी अदा नहीं कर पाते हैं। इस तरह के हालात मैं समझता हूं आपको हिन्दुस्तान की हर रियासत में मिलेंगी। मैंने एक सवाल पूछा था कि पाकिस्तान, बंगलादेश, सीलोन या दूसरे जो हमारे हमसाया मुल्क हैं उनके साथ हमारा कारोबार क्यों रुका पड़ा है? मैंने पूछा था :

"क्या भारत-पाकिस्तान के बीच 1971 में कोई व्यापार समझौता हुआ था?"

आपने जवाब दिया :

"अभी भारत-पाकिस्तान के बीच कोई व्यापार समझौता नहीं है, अंतिम समझौते पर जनवरी, 1975 में हस्ताक्षर किए गए थे और वह 22 जनवरी, 1978 को अवसित हुआ।

आपने जो तफसीलात दी हैं उसमें बताया है कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हो रहा है लेकिन बहुत

कम। 1982-83 में 6 करोड़ 60 लाख की चीजें यहां से भेजी गईं और पाकिस्तान से 32 करोड़ 28 लाख की इम्पोर्ट हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें हमारे मुल्क में बन रही हैं जिनके लिए पाकिस्तान एक मण्डी बन सकता है। इस सिलसिले में आप कुछ कन्सेशन भी दे सकते हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आता इन मुल्कों के साथ आप कारोबार बढ़ाने की तरफ क्यों नहीं तवज्जह देते हैं ?

मैंने एक सवाल और भी पूछा था। हमारे मुल्क में जो पब्लिकेशन होते हैं, जो हमारे लेखक हैं, अदीब और शायर, जिसकी तरफ से किताबें लिखी जा रही हैं उनके बारे में हमसाया मुल्कों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है, जिसका नतीजा यह होता है कि अदीबों को बिना कोई मुआवजा दिए उनका पब्लिकेशन दूसरे मुल्कों में होता है। उसी तरह से जो अदब उन मुल्कों में शाया हो रहा है वह इस मुल्क में भी छप रहा है क्योंकि आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है। इसके बारे में भी मैंने एक सवाल किया था और उसका आपने जो जवाब दिया वह तसल्लीबख्श नहीं है। मैं समझता हूं हमारे जो अदीब हैं, जो हमारे लेखक हैं, उनके पब्लिकेशन की हिफाजय करना हमारी सरकार का फर्ज बनता है और इस बारे में भी सरकार को गौर करना चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति जी, अभी खबर आई है कि एम० जी० पी० के काम्पलैक्स में अकाली दल के नेता श्री मलिक सिंह भाटिया को गोली मार कत्ल कर दिया गया है। इसी तरीके से दो रेलवे स्टेशनों पर आगजनी की वारदातें हुई हैं कि पंजाब को किसी के तरीके से इस आगजनी से बचाने के लिए जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाया जाना चाहिए। होम मिनिस्टर साहब से कहा जाए कि वे इसके बारे में बयान दें। जब एस० जी० पी० कम्पलैक्स में आदमी मारे जा रहे हैं, तो पता नहीं कितना कुछ और गड़बड़ हो सकती है।

सभापति महोदय : मुझे विश्वास है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

अब, मन्त्री महोदय।

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : ऐसा कहा गया है कि दोनों पक्ष आपस में कभी सहमत नहीं हो सकते। इसलिए कई मुद्दों पर हम आपकी राय न मानें। मुझे राजदा साहब के उत्तेजनापूर्ण भाषण का लाभ प्राप्त हुआ है। इस लम्बी तीव्र फटकार में आपकी नजर व्यापार पर थी, और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो प्रकाश इस पर डाला है और जो टिप्पणी की है उससे मैं इस विषय पर सही ढंग से सोच विचार कर सकता हूं। यदि हम अपनी सीमाओं के परे विहंगम दृष्टि डालें तो पायेंगे कि विश्व को आर्थिक ढांचा में जो तीव्र हलचल हो रही है, वह विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को भी अपनी लपेट में ले रही है। जहां तक विकसित अर्थव्यवस्थाओं का सम्बन्ध हैं उन्हें मुद्रास्फीति, मंदी, ब्याज की ऊंची दर और बेरोजगारी ने क्षत-विक्षत कर दिया है। जहां तक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का सम्बन्ध है उनकी ऋणता, अत्यधिक उधार और व्यापार में बहुत अधिक अन्तर आ जाने के कारण बढ़ती जा रही है।

महोदय, इस विषय में श्रीमती सुशीला गोपालन, जिन्होंने चर्चा आरम्भ की थी, और एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि व्यापार में निष्क्रियता आ गई है। विश्व व्यापार में गतिहीनता ही नहीं किन्तु गिरावट भी आ रही है। विश्व व्यापार के इस नकारात्मक वातावरण में भी हमें काम करना पड़ रहा है। हाल ही में कुछ देशों में व्यापार में वृद्धि हुई है। बहुत लोगों ने बार-बार इस बारे में कहा है किन्तु आशा की इस नन्हीं किरण को अभी पूरी तरह चमकना है और जब यह चमकेगी तो यह हमें सुखा देगी क्योंकि हम जिन वस्तुओं का आयात करते हैं, उनकी ऊंची उत्पादन कीमतों के कारण हमारे साधन लुप्त हो जायेंगे।

तो अब यह स्थिति है। श्री ए० के० राय और श्री के० ए० राजन ने विकासशील देशों की जो संरक्षणवाद की बात अभी की उससे मैं सहमत हूं। यह संरक्षणवाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी तथा विकासशील देशों द्वारा उत्पादित ऐसी वस्तुओं के निर्यात को सीमित करता है जिनमें हमने प्रतियोगी क्षमता प्राप्त कर ली थी, कई देश हमारी प्रगति और सफलता पर खुश नहीं हैं। वह उसमें गड़बड़ी करना चाहते हैं। ऐसे वातावरण में हमें उन लोगों का सामना करना पड़ रहा है, जो किसी समय उन्मुक्त व्यापार के समर्थक थे, लेकिन आज नव संरक्षणवाद के नकाब में राजनीतिक बल के प्रयोग से उन्मुक्त व्यापार और उचित व्यापार में मिलन करवा रहे हैं। उचित व्यापार से उनका तात्पर्य यह है, वह व्यापार जो शक्तिशाली और समर्थ पक्ष के लिए लाभकारी हो। जो उन्मुक्त व्यापार की हिमायत करते थे उन्होंने ही इसके विपरीत वातावरण तैयार किया है। यह किसी प्रणाली को टूटने अथवा किसी प्रणाली में गतिरोध का मामला नहीं है, अपितु एक ऐसा मामला है जिसमें कि प्रणाली पूर्ण रूप से सफल होने के पश्चात भी विकासशील देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है।

कई लोग वर्तमान प्रणाली की प्रशंसा करते हैं और विश्व व्यापार के विशाल तराजू को सही बताते हैं। उनका कहना है कि सब कुछ ठीक है। मैं इस बात से सहमत हूं। बीच का तुलादण्ड मजबूत है। दोनों पलड़े बराबर हैं किन्तु जो धुरी है वह सही जगह नहीं है। विकासशील देश अपने आपको तुलादण्ड में सशक्त नहीं पाते हैं। इसलिए आप जैसे भी मापें—चाहे वह तेजी हो अथवा मंदी विकासशील देशों को सदा ज्यादा ही सहना पड़ता है। इसलिए ऐसी स्थिति आज उत्पन्न हो गई है जहां विश्व जनसंख्या की 20 प्रतिशत आबादी जो विकसित देशों में है वह विश्व आय का 2/3 भाग का आनन्द ले रही है जबकि विकासशील देशों में 50 प्रतिशत जनसंख्या में चीन को छोड़कर, विश्व आय का 1/4 भाग आबंटित है। और इस ग्रुप में भी जहां 30 प्रतिशत लोग हैं वे विश्व आय के केवल 3 प्रतिशत भाग का ही लाभ उठा पाते है। हमारा देश और अन्य विकासशील देश विश्व व्यापार के इस अन्यायपूर्ण ढांचे में फंसे हुए हैं। इसी सन्दर्भ में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गुट निरपेक्ष देशों की बैठक अध्यक्ष की हैसियत से धन और वित्त सम्बन्धी सम्मेलन बुलाने का आह्वान किया था जिससे कि स्थिति को सुधारा जा सके और विकासशील देशों के साथ हो रही ज्यादतियों को दूर किया जा सके।

जब हम व्यापार की बात करते हैं तो केवल आयात-निर्यात के आंकड़े एकत्र करने से कुछ नहीं बनता। यह उस देश के लोगों की परिस्थिति का वास्तविक चित्रण करता है। व्यापार अंतर का अर्थ कुछ करोड़ रुपयों का अंतर नहीं है अपितु यह उन कोटि-कोटि व्यक्तियों की आशाओं और आकांक्षाओं का अंतर है। प्रतिदिन युवा लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है तथा जब वह अपने आपको समाज के इस ताने-बाने में फंसा पाते हैं, तो हर दिन वह अधिक बेचैन हो जाते हैं। नीति-निर्माता के रूप में हम चाहे वह वाणिज्य सम्बन्धी हो या अन्य कोई विभाग के बारे में हो। हम लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को भूल नहीं सकते हैं। किसी भी देश की व्यापार नीति में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अधिक उत्पादन, रोजगार और आय और वितरण के पहलुओं पर जोर देना होता है।

इस परिप्रेक्ष्य में हम वर्तमान नीति में कुछ प्रयास कर रहे हैं क्योंकि व्यापार नीति में व्यापार और उद्योग ही अन्तिम बात नहीं है। उसे लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना होता है। इस सम्बन्ध में हमें इस नीति के उन पहलुओं की ओर देखना है जो हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है। एक तो शुद्ध विदेशी मुद्रा के अर्जन की संकल्पना और उसके मूल्य का पता लगाने तथा लघु उद्योग क्षेत्र को विशेष दरजा देने की आवश्यकता है। विदेशी मुद्रा अर्जन किस प्रकार से उस संकल्पना से जुड़ा है जिसका उल्लेख मैंने किया था ? अभी तक नीति यह थी कि कुल निर्यात से ही लाभ आंका जाता है। यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी वस्तु निर्यात करता है जिसमें 80% आयातित माल लगा हो तो उस को वही लाभ प्राप्त होते हैं जो कि उस व्यक्ति को, जो कि ऐसी वस्तुएं निर्यात करता है जिसमें कोई भी आयातित सामग्री न लगी हो। यदि आप कृषि क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे तो आप पायेंगे कि अधिकतर उद्योग इस पर निर्भर हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनका योगदान कहीं अधिक है। उन्हें इसका उचित लाभ नहीं मिला है। हमने इस ओर ध्यान दिया है कि उसे बढ़ावा मिले। इस प्रकार कृषि क्षेत्र और निर्माण कार्य में लगे ऐसे उद्योगों को, जो बहुत हद तक देशी माल का उपयोग करते हैं, वर्तमान नीति से लाभ होगा। और इन क्षेत्रों में रोजगार का स्तर सबसे ऊंचा है। मैं कहता हूं कि निर्माण/उद्योगों में, रोजगार की दर उच्चतम क्यों है ? इसका कारण है वह मात्रा जिसका हम आयात करते हैं और उसके लिए हम और कहीं श्रम का निर्यात करते है। अतः रोजगार और आय के वितरण की मुख्य संकल्पना से यह एक भारी नीति परिवर्तन है जिसका आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। निस्संदेह, लघु उद्योग क्षेत्र में, जहां पर आय वितरण प्रक्रिया सक्रिय है, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि इस क्षेत्र में लोग बहुत धन बटोरते हैं और वह नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। अतः, जोर उन निर्यात की मदों पर दिया जाता है, जिसके लिए लघु उद्योग क्षेत्र को विशेष लाभ मिलता है। उत्पादन की प्रक्रिया से लोगों को भी लाभ मिलेगा। हमारे पास स्वदेशी कच्चा माल है और वही इन लोगों को उपलब्ध कराया जाता है और हम स्वदेशी दृष्टिकोण से हमने यह ध्यान रखा है कि जहां कहीं पर स्वदेशी क्षमता उपलब्ध है, उस को आयात नीति से आघात नहीं पहुंचना चाहिए। इसी के साथ-साथ हमने उन लोगों को प्रोत्साहन दिया है जो अपने उत्पादन का अधिकतर प्रतिशत निर्यात के लिए बनाते हैं। अतः यहां पर जहां तक उत्पादन और निर्यात की बात है, हमने उन्हें एक साथ जोड़ने का प्रयास किया है।

जहां तक लाभों के नीचे की ओर प्रभावित होने की बात है, यह कामगार तक नहीं पहुंचे हैं। यही वास्तविक समस्या है और यह संरचनात्मक समस्या है जो कि सामाजिक-आर्थिक ढांचे की है और हमें इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में हल करना पड़ेगा। जब तक उत्पादन सम्बन्धों में परिवर्तन के साथ-साथ ढांचेगत समस्या को नहीं बदला जाता है तब तक मेरे विचार से केवल नीति बनाकर ही पर्याप्त उपलब्धि नहीं हो सकती है। परन्तु निश्चय ही जैसे कि वाणिज्य मन्त्रालय ने स्वीकार किया है, स्वदेशी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, हम जो कुछ भी प्रशासनिक उपाय हमारे पास हैं, उनके साथ यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि अधिकाधिक भाग निरन्तर कामगारों, दस्तकारों और श्रमिकों तक पहुंचे।

एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा। हमें जनसंख्या का भी ध्यान रखना होगा। हमारे पास भारी मात्रा में मानव-श्रम होते हुए भी, मैं समझता हूं कि उत्पादन की प्रक्रिया में, मानव-तत्व की सौदेबाजी की क्षमता कम होती जाती है। अतः, जबकि वाणिज्य विचारधारा में जनसंख्या नियन्त्रण का दृष्टिकोण है ही नहीं, मैं मान लेता हूं कि न केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, परन्तु उससे पहले वितरण तन्त्र को भी सक्रिय करना होगा, जिससे कि आय-वितरण भी इसी दृष्टिकोण से हो।

आयात नीति के ढांचे को लेकर श्रीमती सुशीला गोपालन और श्री ए० के० राय ने उदारता की निन्दा की है। अन्य माननीय सदस्यों से मुझे समर्थन मिला है और नीति के विभिन्न पहलुओं पर श्री रामसिंह यादव ने हमारी नीति का समर्थन किया है। परन्तु जहां तक उदारता पर वाद-विवाद की बात है, मैं आयात नीति के ढांचे की ओर माननीय सदस्यों का निर्दिष्ट ध्यान खींचना चाहूंगा। मैं आयात के सामान्य तथ्यों और आंकड़ों की बात करने से पहले कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं 1982-83 में अपने आयात के ढांचे के बारे में विश्लेषण कर रहा था और यह आम पद्धति रही है, जिसमें यहां-वहां विभिन्नता हो सकती है। 14,355 करोड़ रुपये के हमारे आयात में से, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम पदार्थ जिनमे उर्वरक, लौह और गैर-लौह धातुएं, मशीनें तथा परिवहन और खाने का तेल भी सम्मिलित है, हमारे आयात का 67.5%बैठते हैं। अब इस क्षेत्र में आयात लगभग अनिवार्य है जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। हम बड़ी कठिनाई से ही इसमें कटौती कर सकते हैं क्योंकि वे हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए परम आवश्यक है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उस हिसाब से तो कुल राशि का मुश्किल से 33% बच रहता है। इस 33% में से भी, निर्यात के लिए आवश्यक उत्पादन हेतु 50% की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद हमारे हाथ में लगभग 17 परसेन्ट या 20 परसेन्ट बच रहेगा तो हाथ खींचकर भी आप अधिक नहीं बचा पायेंगे या केवल विदेशी मुद्रा बचाकर भी तथा जीवन दयनीय हो सकता है, लाल-फीताशाही बढ़ सकती है और उसके साथ ही साथ अन्य बातें भी उत्पन्न होंगी।

4.00 म० प०

ठीक है हमें इस पर दृष्टि रखनी चाहिए, जिससे कि यह क्षेत्र केन्सरग्रस्त न हो जाए और बिना किसी रोक-टोक के प्रगति कर सके। यह बात सभी उपभोक्ता वस्तुओं के लिए सही है। हमें इस

पर दृष्टि रखनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं वे और जो मानदण्ड हमने अपनाये हैं एकदम वे सही हैं।

यदि आप हमारे आयातों में हुई वृद्धि को देखें तो उदार नीति का प्रभाव यह है कि 1981 82 में आयातों की वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत थी, 1982-83 में यह घटकर 5.5 प्रतिशत हो गई और 1983-84 में यह और घटकर 2.3 प्रतिशत हो गई, यह अप्रैल से दिसम्बर तक के आंकड़ों पर आधारित हैं। इसी प्रकार तेल आयातों को छोड़ते हुए, गैर-तेल आयातों की वृद्धि दर घट गई है। 1980-81 में यह 21.3 प्रतिशत थी, 1981-82 में यह 15.1 प्रतिशत थी और 1982-83 में यह घटकर 4 प्रतिशत ही रह गई थी। अपने आपमें उदारता का यह अर्थ नहीं है क आयातों में अकथ वृद्धि होगी।

व्यापार अन्तराल कम हो गया है। मैं उन आंकड़ों को उद्धृत करने में सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं, जिन्हें माननीय सदस्य उद्धृत कर चुके हैं। पांच वर्षों के बाद, निरन्तर दूसरी बार हम अन्तराल की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने में उसका व्यापार के रवैये को पकड़ सके हैं। रुख पीछे की ओर करने में समर्थ हुए हैं तथा इस वर्ष हमने इसे बनाये रखा है। यह एक ऐसी बात है जिसका हमें घमण्ड नहीं करना चाहिए, परन्तु इस पर हमें उन प्रयासों पर निराश भी नहीं होना चाहिए जोकि देश ने इस दिशा में किए हैं। वास्तव में, हमारे व्यापार अन्तर में कमी के लिए जिम्मेदार हैं खाने के तेल। हमारे आयातों में यह एक भारी-भरकम मद है। जब हमने उर्वरकों, धातु परिवहन, मशीनों, वनस्पति, खाने के तेल आदि के उत्पादन में वृद्धि की तो आशा की एक किरण दिखाई दी है। और मैं ऊर्जा मन्त्री महोदय को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने कच्चे तल का उत्पादन बढ़ाकर विदेशी मुद्रा को बचत की है और इस रूप में देश में अपना योगदान देने में सफल रहे हैं। बहुत थोड़े समय में, सम्भवतया एक वर्ष में, उन्होंने दो गुना उत्पादन करने में सफलता पाई है। अतः हमारे आयात की बड़ी मदों के उत्पादन को बढ़ाने से व्यापार अन्तर को कम करने की दिशा में कहीं अच्छे परिणाम निकलेंगे। और यह समय है, जब हम न केवल निर्मित वस्तुओं के आयात प्रतिस्थापक की बात करें—जो कि हमारे दिमाग में है—परन्तु कृषि में आयात प्रतिस्थापक की बात करें जो कि आज की आवश्यकता बन गई है। यदि हमें सही ढंग से काम करना है तो वह हमें करना होगा। अतः, चाहे वह खाने का तेल हो या कृषि का कोई क्षेत्र, हमें इसके बारे में बहुत ही सशक्त ढंग से सोचना होगा और उसी रंग-ढंग से सोचना होगा, जैसा कि हमने स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद कृषि और विभिन्न क्षेत्रों में आयात प्रतिस्थापन के बारे में सोचा था।

उदारता का यह अर्थ नहीं कि मानो यदि आपको बाजार में जाने की अनुमति दी जाती है तो आप सारा बाजार ही थाम लेंगे, यह सब तो जेब पर निर्भर करता है। मैं नहीं जानता कि क्या हमारे पास इतना अधिक पैसा है जिसे हम यूं ही लुटा सकें। हमारे पास इतना पैसा नहीं है।

एक मुद्दा हमारी सी० सी० एस० और आपूरण लाइसेन्स नीति के बारे में उठाया गया

था । सी० सी० एस० कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जिसे उपहार के रूप में दिया जाता है, यह तो कर के निराकरण हेतु दिया जाता है । यदि हमारी कर-प्रणाली के कारण, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी वस्तुएं अधिक महंगी हो जाती हैं तो सी० सी० एस० को कर के निराकरण के लिए रखा गया है जिससे कि आधारिक पंक्ति शेष के समान बनी रहे ।

जहां तक आपूरण लाइसेन्स के वास्तविक उपयोगकर्ता को ही देने की बात है, माइक्रो चित्र में हो सकता है । ऐसा लगे कि वही व्यक्ति जिसके पास आपूरण लाइसेन्स है, इसका उपयोग करे । यदि आप देश के मैकरो चित्र पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि किसी ने विदे ी मुद्रा कमाई है तो उसके बदले उसे आपूरण लाइसेन्स दे दिया गया है । हो सकता है उसे इसकी आवश्यकता न हो । परन्तु एक दूसरा व्यक्ति है जिसे उस कच्चे माल की निर्यात हेतु उत्पादन के लिए आवश्यकता है और यदि वह उसे दे दिया जाय तो मैकरो अर्थव्यवस्था लोच प्राप्त कर लेती है, जबकि हम इसे नीचे व्यक्ति तक नहीं पहुंचने देते हैं। लोच रखने के पीछे यही मुख्य विचार काम कर रहा है। प्रणाली जटिल नहीं होनी चाहिए । सम्पूर्णतया इसे प्रतिक्रियाजन्य होना चाहिए। सम्पूर्णतः में, हमें कोई हानि नहीं होगी क्योंकि हमने इस पर पहले ही विचार कर लिया है । उतनी विदेशी मुद्रा तो कमा ली गई है ।

मैं एक और मुद्दे पर भी बोलूंगा कि जब हम नीतियों की प्रशंसा करते हैं तो हमें व्यापार नीति की उत्पत्ति पर भी विचार करना चाहिए । स्वतन्त्रता के बाद, सभी विकासशील देशों की तरह, हमें भी हमारी आयात आवश्यकताओं और निर्यात से कमाई के बीच के अन्तर को भरने की चुनौती का सामना करना पड़ा था । हमारी अड़चनें यह थीं कि थोड़े समय में, हम निर्मित वस्तुओं का निर्यात न कर सके । हम परम्परागत वस्तुओं के निर्यात को भी बढ़ावा नहीं दे सके । विदेशी पूंजी का प्रवाह पर्याप्त नहीं था । इसी के साथ-साथ, स्वतन्त्रता के तुरंत बाद हमारे लिए नई मण्डियां प्राप्त करना सरल नहीं था ।

इस प्रकार के विकल्पों के अभाव में, जिनसे हम इस अन्तर को मिटा सकते थे, एकमात्र विकल्प यह रह गया कि आयात का प्रतिस्थापन और आयातों में कमी । आयात प्रतिस्थापन हमारे औद्योगीकरण और विकास का प्रतीक बन गया । आयातों में कमी ने केवल हमें विदेशी मुद्रा के अनावश्यक व्यय उफान से बचाया, अपितु मांग के अनुरूप औद्योगिक विकास हेतु एक सुरक्षा दीवार भी प्रदान की । इसने हमें अपने उद्योग यहां खड़े करने के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा भी प्रदान किया । वह तो कतई आवश्यक था । हम किसी अन्य विकल्प को स्वीकार नहीं कर सके और चूंकि और कोई विकल्प था ही नहीं तो इस मार्ग के अवगुणों पर बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी ।

परन्तु इसकी अपनी खामियां हैं, जैसे, इसके कुछ ऐसे क्षेत्रों में जान पड़ा, जहां पर मांग अधिक नहीं थी और उत्पादन लागत भी अधिकता के कारण बचत की गुंजाइश कम थी । दूसरे,

इसने हमारे उद्योगपतियों के लिए इतना सुखद वातावरण पैदा कर दिया, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की आवश्यकता से पृथक हो गये। इसी कारण से हमें वित्तीय नियन्त्रण भी लागू करने पड़े, क्योंकि जब कभी हमने अनावश्यक आयातों में कटौती की तो वे स्वदेशी उद्योग के लिए ऊंची-लागत, ऊंचे दाम वाले क्षेत्र बन गए। अतः, निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए हमें वित्तीय नियन्त्रणों और लाइसेन्सों को लागू करना पड़ा। परन्तु उस अवधि से हम अब बहुत आगे आ गए हैं। भारत विकासशील विश्व में एक अग्रणी औद्योगिक देश है। इसके पास यहां तक कि विकसित देशों की तुलना में भी इसके पास विशालतम कुशल श्रम शक्ति संसाधन हैं। अतः, अब समय है कि हम उस सन्दर्भ से हटकर यह देखें कि थोड़ी-सी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी होनी चाहिए।

किसी उद्योगपति की हड्डी तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उसे खरोंच सहने के लिए तो तैयार रहना चाहिए और बाह्य विश्व का सामना करना चाहिए। हम इसी प्रकार आगे बढ़ रहे हैं।

मैं चार प्रकार के उत्पादों के बारे में बताना चाहूंगा यथा उपभोक्ता वस्तुएं, अनिवार्य कच्चा माल मध्यवर्ती और पूंजीजन्य वस्तुएं। खाने के तेलों या कुछ ऐसी ही वस्तुओं जैसी आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर, हम उपभोक्ता वस्तुओं को एक ओर रख सकते हैं। अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में हमें अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में जो आवश्यक कच्चा माल नहीं है, उसका हमें आयात करना पड़ता है। वास्तव में सारा वाद-विवाद मध्यवर्ती वस्तुओं को लेकर है। यहीं पर स्वार्थों में टकराव होता है और यही वाद-विवाद का कारण है। पूंजीगत वस्तुएं अर्थात् सिवाय स्वदेशी क्षमता को छोड़कर, जहां कहीं हमें अपने आधार उत्पादन, जिनको हमें बाजार में लाने की आवश्यकता है, वे मेरे क्षेत्र में नहीं हैं। वे भध्यमवर्तियों के क्षेत्र में हैं। अब जहां तक मध्यवर्ती कच्चे माल का प्रश्न है उसमें कुछ स्वदेशी क्षमता लगाई जाती हैं। वे नहीं चाहते कि मध्यवर्ती कच्चे मालों में से कुछ भी आए।

लेकिन अन्य छोटे उद्योग अधिक कच्चा माल प्राप्त करना चाहते हैं, वे रिकार्ड पर हैं। उसके लिए उद्योग में वृद्धि हुई है और यहां तक कि यदि स्वदेशी उद्योग अल्प मात्रा में भी हैं तो उन पर बोझ नहीं डाला जा सकता क्योंकि ये उद्योग उनकी मांग पूरी नहीं कर सकते इसलिए नीति निर्धारक होने के नाते हमें यह देखना पड़ता है कि स्वदेशी उद्योग को हमें किस हद तक संरक्षण देना चाहिए। हमें सन्तुलन बनाए रखना है, लेकिन हमें इसके बारे में सम्वेत रहना चाहिए। केवल एक उद्योग की मदद एक निश्चित हद तक की जा सकती है वरना पूरी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी जो अदूरदर्शितापूर्ण दृष्टिकोण होगा क्योंकि पिछले कुछ दशकों में हमने जो पूंजी-निवेश किया है उसे आने वाली सदियों तक गिरवी नहीं रखना चाहिए। जहां पर जरूरी हो आवश्यक उपलब्ध कराने के लिए और आगे बढ़ने हेतु हमें अधिक साहसी होना चाहिए क्योंकि हमारा क्षेत्र फैक्टरी का क्षेत्र नहीं है, पूरा देश हमारा कार्य क्षेत्र है। रोजगार कुछेक स्थानों तक

सीमित नहीं किन्तु पूर्ण देश से संबद्ध है । यदि रोजगार से पूरे देश को फायदा होने वाला है, मैं समझता हूं कि हमें इससे एक साहसी दिशा लेनी चाहिए ।

कल श्री राजन और श्री राय ने रुपये के मुद्रा व्यापार का उल्लेख किया । मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं कि समाजवादी देशों के साथ हमारा व्यापार काफी लाभदायक रहा है और हमें जागरूकता के साथ समाजवादी देशों के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने चाहिए । यह ठीक ही कहा गया है कि जब खुले बाजार की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता रही तब इन देशों ने स्थिरता दिखाई । आजकल खुले आर्थिक बाजार में समस्या चल रही है। हमारा व्यापार बढ़ गया है, हमारी टैक्नोलोजी का स्तर केवल उनके उपभोक्ता बाजार के अनुरूप है जिसका समाजवादी देशों में एक बड़ा बाजार बनता जा रहा है । जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए और हमें इसका उपयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए । इसके साथ ही हम जिन वस्तुओं का आयात करते हैं हमें उनका पता लगाने में तनिक भी भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से बहुत से व्यापार में संतुलन होता है । यदि हम उनसे आयात नहीं करते तो मेरे विचार से हम इस दिशा में बहुत आगे नहीं जा सकते । निश्चित रूप से इसमें बड़ी गुन्जाइश है क्योंकि उसका एक और लाभ यह है कि हम समाजवादी देशों से जितना आयात करते हैं उतनी ही सीमा में हमारा निर्यात होता है क्योंकि व्यापार सन्तुलन के लिए ऐसा करना पड़ता है । इसके लिए वाणिज्य मन्त्रालय में सचिव स्तर की दो समितियां गठित की गई हैं जो इस बात का पता लगाएंगी कि समाजवादी देशों से हम क्या-क्या चीजें खरीद सकते हैं ।

इस दिशा में दिए गए सभी सुझावों से मैं सहमत हूं ।

मुझे किसी समस्या के सिलसिले में मास्को जाने का अवसर मिला तब मैं सोवियत संघ सरकार का जोरदार स्वागत और उनके मित्रतापूर्ण रवैये को देख सका । मुझे याद है जब श्री आरकीपोव भारत में आए तो निर्यात का मामला भी उठा । 1700 करोड़ रुपये पर रुक गया, व्यक्तिगत अनुरोध पर इसे 2000 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है । हमारे पक्ष का जहां तक संबंध है, उनसे हम क्या खरीद सकते हैं हमें इस पर नजर रखनी चाहिए । इस वर्ष हमने अपने वादे के अनुसार 97 प्रतिशत अनुबन्ध पूरे कर लिए हैं ।

व्यापार में हमारा कोई दुश्मन नहीं सभी दोस्त हैं । अमरीका के सामान्य मुद्रा क्षेत्र में हमें व्यापार में वृद्धि के अच्छे समाचार मिले हैं जो 1983 में 4 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है और शायद वहां एक प्रतियोगिता हो गई है कि कौन सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हो सकते हैं । 1983 में अमरीका के साथ हमारा 317 मिलियन डालर का व्यापार सन्तुलन रहा । पाकिस्तान के साथ समझौते के बारे में बताया गया था कि किस तरह व्यापार बढ़ रहा है। समझौते के बिना भी व्यापार चलता रहेगा लेकिन समझौता एक ऐसा दस्तावेज है जिससे और अधिक मदद की जा सकती है । इस संबंध में मेरा सुझाव है कि व्यापार में वृद्धि की जाए, उसका प्रसार किया

जाए। वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमण्डल पाकिस्तान गया था। मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से वहां के व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमण्डल का स्वागत किया। निश्चित रूप से उसका फायदा हमारे पड़ौसी देशों से हम तक पहुंच सकता है और उनके साथ हमारे व्यापार में वृद्धि हो सकती है। मैं माननीय सदस्य महोदय से पूरी तरह सहमत हूं। निजी व्यापार को हमने इजाजत दे दी है कि वे पाकिस्तान से वस्तुओं का सीधा आयात कर सकते हैं, इसके बावजूद भी उन्हें कुछ आशंका है। वह चाहते हैं कि यदि हम सभी चीजें निर्यात करनी हैं तो वह राज्य एजेन्सियों के माध्यम से की जाएं। जो व्यापारी लोग यहां आए थे मैंने उनसे बात की कि यदि पाकिस्तान में भारतीय वस्तुओं की भरमार हो जाएगी तो वहां समस्या हो जाएगी लेकिन उसका ध्यान रखा जा सकता है, यदि जरूरी होगा तो हम उस पर कुछ नियन्त्रण कर सकते हैं निश्चित रूप से उनका कहना ठीक है, मैं सहमत हूं।

मैं यह बात सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि राजनैतिक परिवर्तनों के कारण अफ्रीका में, विशेषकर नाइजेरिया में कुछ समस्याएं हैं, हमारे व्यापार के लिए पर्याप्त सम्भावना होने के बावजूद इन देशों की ऋण सुविधा की जरूरत हमारे व्यापार में बाधा डाल रही है। हम इसे गंवा नहीं सकते। हम अपने प्रयास जारी रखेंगे।

वाणिज्य और वित्त के बीच, वाणिज्य और पर्यटन के बीच जो संबंध सुझाए गए हैं वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता मे उद्योग और रक्षा के लिए एक अन्तर-मन्त्रालयीय समिति गठित है। जिसे निर्यात व्यापार में आने वाले उतार-चढ़ावों के जांच का कार्य सौंपा गया है। इसलिए इस सुझाव को न केवल अच्छी तरह देख लिया गया है अपितु पहले ही इस पर अमल भी कर लिया गया है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : लैटिन अमरीका के देशों के बारे में क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : लैटिन अमरीका के लिए नौपरिवहन की समस्या हो गई है, यही एक अड़चन है। हमें उसकी जानकारी है। सिंगापुर में यानांतरण की व्यवस्था करके समस्या का कुछ हल ढूंढा जा रहा है। लेकिन वह इस समस्या का सीमित हल है। हम सम्भावनाओं का पता लगाने का प्रयास जारी रखेंगे।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : हांगकांग की क्या स्थिति है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस रफ्तार से तो प्रश्नों का उत्तर ही देता रहूंगा। लेकिन यहां पर मैं केवल एक टिप्पणी करूंगा। हांगकांग, कोरिया, ताइवान बहुत से लोगों के साथ, यह एक मंत्र हो गया है। वास्तव में यह हांगकांग, कोरिया हांगकांग नहीं है लेकिन यह है··· (**व्यवधान**)

प्रो० एन० जी० रंगा : अमेरिका भी शामिल है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : प्रोफेसर रंगा ने यह कहा है। इन देशों की वास्तविक जरूरत भिन्न-भिन्न है। हम उन्हें पूरा नहीं कर सकते।

अब मैं कृषि निर्यातों पर आता हूं। मैं माननीय सदस्यों श्री उमाकान्त मिश्र, श्रीमती विद्या, श्री राम सिंह यादव का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कृषि क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता का जिक्र किया। यह हमारी सामाजिक-आर्थिक नीति के अनुकूल है और विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। यह एक आय वितरण का भी साधन है। नीति साधन के इस माध्यम द्वारा हमने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रोत्साहन देने की कोशिश की है। कृषि उत्पादों के लिए हमारे पास कृषि उद्योग हैं जो राज्यों के विभिन्न निगमों द्वारा चलाए जा रहे हैं और उन्हें कृषि वस्तुओं के लिए उपकरण तथा कृषि योग्य सामान आयात करने की अनुमति दी गई है। लेकिन अन्ततः जब कृषि उत्पादों में वृद्धि की बात आती है यह राज्य सरकारों का काम है। हमने उनके साथ बातचीत की है और इस पर और आगे अनुसरण कर रहे हैं। जब तक हम उनके साथ बात नहीं करते हम कृषि निर्यातों की जरूरतें निपटा नहीं कर सकते। हम निर्यातों में वृद्धि कर रहे हैं। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक दुग्ध उत्पादों का संबंध है मेरे विचार में आवश्यकता अनुदान और सहायता की नहीं, ऐसा बाजार की कमी और विपणन की कमी के कारण है। इसके लिए विभिन्न योजनाएं हैं।

श्री राम सिंह यादव ने कपास के आयात का जिक्र किया। कपास के आयात का प्रश्न ही नहीं उठता।

चावल निर्यात के बारे में, कुछ एजेन्सियों ने चावल निर्यात किए। गत वर्ष मैंने इसका उत्तर दिया था उन पर रोक लगा दी गई है। हमने कुछ गलत बातें देखीं जिन पर कड़ी कार्यवाही की गई। डा० वी० कुलांदैवेलू ने जिक्र किया कि चाय के निर्यात में गिरावट आई है। पिछले वर्ष हम 355 करोड़ रुपये का निर्यात कर सके। इसकी तुलना में वर्ष 1983 में हमने 523 करोड़ रुपये की चाय निर्यात की। इसमें और वृद्धि के लिए हम अनुदान दे रहे हैं। इस काम के लिए पांच करोड़ रुपये की चल निधि उपलब्ध कराई गई है। भन्डारण आदि के बारे में मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अन्य बहुत-सी वस्तुओं का जिक्र किया जाना है। मूल्य वृद्धि के बारे में हम चाय को विशेष सहायता दे रहे हैं।

श्री राम सिंह यादव ने जिक्र किया था कि हमारे काफी निर्यात में एक ठहराव आ गया है। काफी के कम उत्पादन के बावजूद वर्ष 1983-84 में 80,000 टन का निर्यात किया गया जबकि कोटा केवल 40,000 टन या कुछ का था। इस प्रकार इस क्षेत्र में एक विशेष अभियान के अंतर्गत गैर कोटा वाले देशों को भी निर्यात किया गया, जिसके फलस्वरूप हमें ये आंकड़े मिल सके।

आगामी वर्ष में अच्छी फसल का अनुमान है और उस क्षेत्र में यह आशाजनक है।

श्री जार्ज जोसेफ मुन्डाक्कल ने बाजरा, रबर आदि का जिक्र किया । वे स्वस्थ नहीं थे इसके बावजूद उन्होंने टिप्पणी की, मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं । वे जानना चाहते थे कि रबर का आयात क्यों किया जा रहा है । रबर का आयात केवल भोग की कमी के बराबर किया जाता है । रबर का उत्पादन 1978-80 के बीच 1.48 लाख टन से वर्ष 1983-84 में बढ़कर 1.68 लाख टन हो गया है । इन पांच वर्षों में खपत भी काफी बढ़ी है जो 1.65 लाख टन से 2.08 टन तक पहुंच गई है । इसलिए उत्पादन न बढ़ने के कारण अन्तराल नहीं है बल्कि मांग काफी बढ़ जाने के कारण हुआ है । कोई आयात हानिकारक है या नहीं यह स्वदेशी उत्पादकों को नुकसान पहुंचाता है या नहीं इसका परीक्षण कीमत है । वर्ष 1983-84 में रबर की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ीं । रबर को मुक्त करते समय हमने इसे टाल दिया । जितनी रबर बोर्ड ने सिफारिश की है हम केवल उतना ही आयात कर रहे हैं । यहां तक कि आयातित रबर में हमें चिन्ता थी कि कोटा कीमतों से अधिक है । कोटा और कीमतें 1635 रुपये प्रति क्विन्टल चल रही थी । हमने उसे 18297 रुपये और 17281 रुपये की भन्डारण मूल्यों पर जारी करने के लिए उचित सावधानी रखी । उद्योग पक्ष की ओर भी कुछ सन्तुलन होना चाहिए । उस उद्योग में भी श्रमिक हैं । जब उत्पादक ऊंचे मूल्य प्राप्त कर रहे थे तो वहां कीमतों में भी सन्तुलन की आवश्यकता थी । इसके अयात के लिए जितना आयात किया गया उस पर शुल्क घटा दिया गया, लेकिन राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित रबर जारी मूल्य कोटा मूल्यों से कम नहीं है ।

बाजरा आदि को नेफेड के माध्यम से व्यवस्था की गई है । हमने उसकी व्यवस्था कर ली है । फालतू जल फैलाते हुए नल को हम कभी भी बन्द कर सकते हैं ।

तम्बाकू की तो एकाधिकार खरीद होती है और यह राज्य सरकार के निर्णय से किया जाता है । मुख्य रूप से उत्पादकों को समर्थन मूल्य देने के लिए ही यह कार्यवाही की गई । यह मुख्य समस्या है । परन्तु मैं इस अवसर पर सदन को बता देना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय वातादरण भी हमारे लिए समस्याएं पैदा कर रहा था । यूरोपीय आर्थिक समुदाय और ब्रिटेन से हमारा बाजार 75 प्रतिशत है । ब्रिटेन भी अब यूरोपीय आर्थिक समुदाय में हैं । उन्होंने तम्बाकू पर अधिकतम ड्यूटी कम कर दी है । इस प्रक्रिया से अमेरिकी तम्बाकू उत्पादकों को सहायता मिली है । वे इसके अधीन थे । जिम्बाब्वे के लिये उन्होंने इसे ड्यूटी-मुक्त कर दिया है । अतः एक अन्य प्रतियोगी आ गया है जो ड्यूटी-मुक्त है और हमारे तम्बाकू का नुकसान हुआ है । हमारे यहां लगाई जा रही अल्पतम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है । कमजोर मुद्रा क्षेत्रों जैसे ब्रिटेन, इटली और आयरलैंड में तम्बाकू के लिए मुद्रा को यूरोपीय यूनिटों में बदलने के कारण हमारी तम्बाकू को क्षति पहुंची है । इसमें कोई शक नहीं कि ब्राजील, दक्षिण कोरिया और फिलिपाइन्स आदि से भी नयी-नयी प्रतियोगिता शुरू हुई है । इसलिए हम सामान्य वातावरण के कारण प्रभावित हो रहे हैं ।

जहां तक उत्पादकों के हितों का सम्बन्ध है पिछले वर्ष राज्य व्यापार निगम ने साहसपूर्ण कदम उठाया और 22,000 टन की खरीद की । इस वर्ष जब हमने देखा कि रूसी दल के आने

और खरीद करने के बावजूद मूल्य और आगे नहीं बढ़े तो हमने आन्ध्र प्रदेश सरकार को तत्काल 10 करोड़ रुपये देने की पेशकश की । मुझे अभी तक औपचारिक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन मैं प्रतिक्रिया पर हैरान हूं परन्तु यदि समाचार रिपोर्ट सही है तो मुझे इसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए । परन्तु इतना मैं निश्चित रूप से आशा कर रहा था कि 10 करोड़ रुपये की राशि आन्ध्र प्रदेश सरकार उपयोग करेगी क्योंकि उत्पादकों को इसकी तत्काल आवश्यकता है । यह बात नहीं है कि राज्य सरकार के पास बुनियादी ढांचा नहीं है । पिछले वर्ष इसके अपने निगम ने तम्बाकू की खरीद की और यह तम्बाकू अभी भी उत्पादकों के पास है न कि व्यापारियों के पास । इसमें से 95 प्रतिशत निम्न ग्रेड का तम्बाकू है । इसका निर्यात नहीं किया जा सकता । प्रश्न राज्य व्यापार निगम के निर्यातों के बढ़ने का नहीं बल्कि निम्न ग्रेड के तम्बाकू का है । इसमें निर्यात करने का विचार ही नहीं उठता । राज्य सरकार बहुत अच्छी तरह से कार्यवाही कर सकती है और मुझे यकीन है कि समाचार की रिपोर्टें गलत हैं और मुझे अभी भी विश्वास है कि राज्य सरकार ...(व्यवधान)

प्रो० एन० सी० रंगा : इसका काफी बड़ा अंश रूस को निर्यात किया जा सकता है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ऐसा भी नहीं किया जा सकता । यह निम्न ग्रेड का तम्बाकू है । इसकी खपत यहीं पर करनी होगी । इसलिए राज्य सरकार अपनी भूमिका अदा कर सकती है ।

जहां तक इलायची का सम्बन्ध है सूखे की स्थिति चल रही है और उत्पाद की उपलब्धि में भी कमी है । एक प्रश्न उठाया गया था राज्य व्यापार निगम इस विषय में क्या कर रहा है ? केरल विपणन महासंघ ने 125 टन इलायची खरीदी और राज्य व्यापार निगम ने अपने बोर्ड भी बैठक ने यह निर्णय लिया कि इस इलायची को वहां से लेकर इसका दक्षिणी अरब बाजारों में निर्यात किया जाये । निस्संदेह इस पर 26 प्रतिशत हानि होती है लेकिन सरकार ऐसा पूरी तरह से उत्पादकों के हित के लिए कर रही है ।

चीनी इस वर्ष हमारी एक उपलब्धि रही है और यदि आप आंकड़ें देखें तो 1983 में निर्यात किये गए 7.25 लाख टन की तुलना में 1980 में 0.64 लाख टन का निर्यात किया गया और 1981 में 0.98 लाख टन का निर्यात किया, 1982 में 4.53 लाख टन का निर्यात किया गया और जिस मूल्य की प्राप्ति हुई वह गत वर्ष के मूल्य से 12 प्रतिशत अधिक थी । यह मुद्दा उठाया गया था कि इसे हानि पर क्यों निर्यात किया गया । यहां हमारी उत्पादकता और उत्पादन की निवल उत्पादन लागत हमारे प्रतियोगी अन्य देशों की लागत से अधिक है । वे चीनी का उत्पादन इससे बहुत कम लागत पर कर सकते हैं । इसलिए उत्पादकों और उद्योग के लिये सरकार ने समझ-बूझ कर निर्णय लिया कि हम बाजार में प्रवेश करें और इस चीनी को उठाये ताकि चीनी उद्योग का स्वास्थ्य बना रहे और उत्पादकों के पास गन्ना रहे और हम विदेशी मुद्रा अर्जित करें । फिर भी यदि वह यहीं पड़ी रहती तो भी एक समस्या होती । यदि हम उस पर ब्याज आदि आंकें तो अन्तिम रूप में यह एक सही निर्णय था और देश के लिए भी यह एक लाभकारी

निर्णय था। निस्संदेह लेखा परीक्षा खाता एक भिन्न चीज है लेकिन कई बार हमें उन पर समर्थनात्मक निर्णय लेने पड़ते हैं। यह क्षति किसी कुप्रबंध या किसी और ऐसे ही कारण से नहीं हुई।

एक माननीय सदस्य ने समुद्री उत्पादों तथा समुद्री उत्पादों के और अधिक दोहन की आवश्यकता के विषय में कहा। मैं उनके साथ सहमत हूं कि समुद्री संसाधनों और समुद्री-सम्पत्ति का अभी दोहन किया जाना है। उन्होंने कहा कि समुद्री उत्पादों के निर्यात में राज्य व्यापार निगम को और अधिक सक्रियता से भाग लेना चाहिए। ट्यूना के निर्यात की परियोजना राज्य व्यापार निगम के पास है और वह इसमें आगे बढ़ रही है। जहां तक समुद्री उत्पादों का संबंध है इस वर्ष में हम 360 करोड़ रुपये का अपना लक्ष्य प्राप्त करने की आशा करते हैं। ट्रालरों की कमी एक मुख्य समस्या रही है। जब तक हमारे पास अपने ट्रालर नहीं हो जाते हम मछली पकड़ने के विदेशी जलयान किराए पर लेने की सोच रहे हैं। अब हमारे पास 87 हैं। इसलिए वह कदम उठाए गए हैं।

जहां तक इंजीनियरी निर्यात का सम्बन्ध है, यह एक समस्या है कि इसमें वृद्धि नहीं हुई। इसका एक कारण कच्चे माल की ऊंची लागत होना और दूसरा कारण अन्य देशों से प्रतियोगिता है। इराक और अन्य देशों के तेल से आय में कमी ने भी हमारे इंजीनियरी निर्यात को प्रभावित किया है। नाइजीरिया के साथ ऋण समस्या पहले ही बता दी गई है। अतः ये कुछ समस्याएं हैं। सदन को सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इस्पात के देश में मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के बीच के अन्तर, क्योंकि यही इंजीनियरी निर्यात में रुकावट डाल रहा है, को समाप्त करने के लिए एक योजना हमारे पास है। हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि यह समता बनी रहे। कुछ समस्याएं हैं। इस्पात मन्त्रालय ने हमें सूचित किया हैं कि वे इस सम्बन्ध में वित्त व्यवस्था जारी रखेंगे। अतः हमारे इंजीनियरी निर्यात में वृद्धि होगी और इस विषय में कोई समस्या नहीं होगी। इस निर्णय पर पहुंचने के लिए मैं इस्पात मन्त्रालय का अभिनन्दन करता हूं।

श्री राजदा ने लौह अयस्क के निर्यात में कमी का उल्लेख किया। निस्संदेह जो कुछ भी उन्होंने कहा मुझे अप्रिय या विरोधी नहीं लगा। मैं सोचता हूं कि मुझे मित्रतावश परामर्श देते हैं। चाहे वे इस बात को न मानें लेकिन वह जानते हैं कि वे उनके प्रत्येक पत्र पर कार्यवाही की गई है। वे इससे अवगत हैं। औपचारिक रूप वह इसे नहीं मानेंगे और औपचारिक रूप से मैं भी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। परन्तु हम यह जानते हैं (व्यवधान)। हब एक दूसरे की बात समझते हैं। मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सुस्ती या भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे।

इस्पात की विश्व खपत गिर गई है। परन्तु विश्व में लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ गया है। यह एक विचित्र स्थिति है। इसके साथ-साथ ही जापान ने, जो हमारा सबसे बड़ा खरीदार है, लौह अयस्क की अपनी आवश्यकताओं को कम कर दिया है। ऐसे वातावरण में खनिज व धातु

व्यापार निगम चीन को 30,000 टन की बिक्री कर रहा है। इराक का बाजार जो कि बन्द था एक बार फिर खुल सकता है। ऐसी स्थिति में जापान अपने आयात को कम कर रहा है। वह कम करने की बजाए यह हमारे देश से आयात की मात्रा को बढ़ा सकता था। यहां से उठाने के लिए यह एक निम्नतम मात्रा सुनिश्चित कर सकता था। हम कोरिया को भी मना सकते हैं कि वह पहले सोची गई मात्रा से अधिक उठाए। मैं सिर्फ दोनों पक्षों के संतुलन का उल्लेख कर रहा हूं।

रत्नों और जवाहरात के विषय में श्री राम सिंह यादव ने कहा कि हमारे जैसे देश के लिए इनका आयात आवश्यक नहीं है। रत्न और जवाहरात हमारे सबसे अधिक वृद्धि वाले क्षेत्रों में से रहे हैं। हालांकि 1972-73 में इस क्षेत्र में हमारा 76 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था। इस वर्ष यह 1,095 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पूरे वर्ष के नियत लक्ष्य को हमने 11 महीनों में प्राप्त कर लिया है जो कि प्रशसंनीय कार्य निष्पादन रहा है। इन निर्यातों में आयात का भी एक भाग है। चूंकि हमारे यहां हीरे नहीं है इसलिए हम उन्हें आयात करते है। लेकिन निबल विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साथ-साथ हमारे यहां एक हजार करोड़ की रोजगार सम्बन्धी गतिविधि है। यह काफी अधिक श्रम गहन क्षेत्र है और इस रोजगार के अवसर हैं अतः यह आवश्यक नहीं है, इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है।

श्री राय ने कल एक मुद्दा उठाया था कि बिहार सरकार अवरक व्यापार निगम और अवरक पर प्रश्न तैयार कर रही है। महोदय, प्रश्न नहीं बल्कि हमारे द्वारा दिए गए उत्तर महत्वपूर्ण हैं और यदि कोई प्रश्न करना चाहता है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

कमजोर वर्गों के विषय में श्री जी० एल० व्यास ने यह मुद्दा उठाया कि अबरक व्यापार निगम कमजोर वर्गों की देखभाल करे। और सदन को यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि अवरक और खनिज निगम की कमजोर वर्गों से मात्रावार खरीद 95 प्रतिशत है और मूल्यवार यह 87 से 93 प्रतिशत है।

अब सर्वाधिक विवादग्रस्त क्षेत्र वस्त्र की ओर आता हूं। यह सबसे बड़ी समस्या का क्षेत्र है और मैं सोचता हूं वस्त्रों से निपटने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय है। परन्तु वस्त्रों की आंतरिक समस्याओं पर आने से पहले मैं वस्त्र निर्यात पर रिपोर्ट देना चाहता हूं। हमारे सिले-सिलाए कपड़ों के मेरे पास अप्रैल से जनवरी तक के आंकड़े हैं, 11.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई है जो पहले ही 551 करोड़ रुपए हो चुका है। इस अवधि के दौरान रेशम सामग्री के निर्यात जो 86 करोड़ रुपए हो चुका है, ने 26 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई है। हाथकरघे प्रगामी रूप से निर्यात से आय में वृद्धि दर्शाई है। 1970-71 में यह 75 करोड़ रुपए थी और 1982-83 में यह 330 करोड़ करोड़ रुपए थी। वृद्धि 10 गुणा से अधिक हो रही है। प्रोफेसर रंगा को इससे विशेष रूप में प्रसन्नता होगी।

मैं उपायों के विषय में नहीं कहूंगा, उसमें समय लगेगा, लेकिन मैं स्वयं को उठाए गए प्रस्तावों तक ही सीमित रखूंगा ।

श्री दीनबन्धु वर्मा (उदयपुर) : क्या आप हथकरघा श्रमिकों के बारे में कुछ और प्रकाश डालेंगे ? क्या आप उन्हें और प्रोत्साहित करने वाले हैं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह अत्यन्त उपयुक्त प्रश्न है और इसके बारे में श्री अशफाक हुसैन ने भी उल्लेख किया है । मैंने उनके विचारों का हमेशा आदर किया है क्योंकि उन्होंने हमेशा अत्यन्त गंभीर मत प्रकट किया है और यह एक बहुत ही संतुलित विचार है और विशेष रूप से हथकरघा के बारे में तो उन्होंने बहुत ही ध्यान दिया है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : श्री वर्मा भी इसके बारे में बात कर रहे थे ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां । इसके बारे में मैं पहले बात करूंगा । यह एक समस्या है और यह बिचौलिए से सम्बन्धित है । उधार देना बिचौलिए का सबसे बड़ा हथियार है । यदि हम सूत दे भी दें, क्योंकि आज तक सरकारी स्रोत नकद भुगतान पर ही सूत दे सकते हैं, और चाहे आप इसे मिल रेट की कीमत कहें जबकि बुनकर को अपनी रोजी कमाने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है और वह है उधार की सुविधा जो बिचौलिए देते हैं । यह उसकी जरूरत है । जहां तक सारे देश की बात है, हमारे पूंजी निवेश में कमी आती जा रही है यह निर्धारण करना कि पूंजी निवेश और व्यापार क्षेत्रों के विकास के लिए क्या चाहिए, बहुत कठिन बात है और इसकी अपनी समस्याएं हैं । परन्तु राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास निगम के चीफ एग्जीक्यूटिव का कार्यकाल अभी भी पांच वर्ष है किन्तु पांच वर्ष बाद श्री अशफाक हुसैन इस बात की सराहना करेंगे कि कम से कम पी० एस० बी० द्वारा चीफ एग्जीक्यूटिव का चयन करना एक न्यायासन चिन्ह (बेंच मार्क) है और मुझे आशा है कि कोई न कोई न कोई मुख्य रूप से कार्य भार संभाल लेगा । मेरे विचार से जैसा कि आपने बताया है, पांच वर्ष की तुलना में कुछ सप्ताह की प्रतीक्षा कोई बहुत लम्बी प्रतीक्षा नहीं है ।

प्रो० एन० जी० रंगा : वे अलग से वित्त निगम चाहते हैं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उनको इसकी जानकारी है । इससे सामग्री आदि और शायद बिचौलिया इस समस्या को ध्यान में रख सकता है ।

एन० टी० सी० के सूत के बारे में मैंने यह निदेश दे दिए है कि राज्यों के बुनकर हथकरघा निगम यदि मिलरेट कीमत पर एन० टी० सी० का सूत खरीदना चाहते हैं तो हम इसे किसी भी राज्य की हथकरघा निगम को देंगे । हमने यह निर्णय एन० टी० सी० की ओर से लिया है ।

मैं बताना चाहता हूं कि हथकरघा सूत के बारे में, कुछ नहीं तो, यह शोर बहुत देर से मचाया जा रहा था कि इसके आरक्षण के लिए कोई कानून जैसी ताकत नहीं है । हर आरक्षण करने के लिए एक अधिनियम बनाने जा रहे हैं ।

श्री अशफाक हुसैन : मेरे विचार से यह आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन किया जाएगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस समय यह आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन है। परन्तु वे न्यायालय में चले गए हैं। अतः एक स्वतन्त्र अधिनियम की आवश्यकता है और इसकी जांच की जा रही है।

अब मैं बन्द मिलों की बात करता हूं।

श्री अशफाक हुसैन : 1.50 और 21 एन० टी० सी० और हथकरघा उद्योग को मिलने वाली राज सहायता में अन्तर है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : पिछले वर्ष एन० टी० सी० में कन्ट्रोल का कपड़ा बहुत एकत्र हो गया था और इसे किसी ने नहीं उठाया। हमारे लिए समस्याएं हो गईं। इस कपड़े का निपटान किया जाना था। निश्चित रूप से मैंने आपकी बात नोट कर ली है।

जिन बंद मिलों के बारे में बताया गया है, वे गुजरात, बिन्नी, एंगलो फ्रेंच, बिरला और बेवार की कृष्णा मिल (माननीय सदस्य बेवार के रहने वाले हैं) और होप टैक्सटाईल मिल्स हैं। यह एक लम्बी सूची है। जहां तक गुजरात का संबंध है, एक सरकारी दल का संगठन किया है जो यहां जाकर इसकी व्यवहार्य इकाइयों का पता लगाएगा केवल व्यवहार्यता के मापदण्ड के अधीन ही कुछ किया जा सकता है। यदि कोई व्यवहार्यता नहीं है तो आप उसे चला नहीं सकते। वह मितव्ययी नहीं है। इसलिए प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि जो भी हल निकाला जाएगा, उसके प्रति हमारा रवैया बहुत सकारात्मक होगा।

बिन्नीज के बारे में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और ट्रेड यूनियन ने हड़ताल के मामलों का हल निकालने के लिए दिनांक 19 अप्रैल को बैठक बुलाई है।

एंगलो फ्रेंच के बारे में वित्त संस्था बैंक, राज्य सरकार और इसके मालिक, सचिव (टैक्सटाइल) से मिलने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं, मैं तत्काल, यह नहीं कह सकता—कि इसे खोलने के लिए यह एक प्रयास है, जो किया जा रहा है।

बिरला मिल्स के बारे में दिल्ली के श्रम आयुक्त ने इसको बन्द करने के लिए मना कर दिया था परन्तु इसके प्रबंधक न्यायालय में चले गए और उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। फिर भी श्रम आयुक्त को तत्कालस मझौता करने के लिए कहा गया है।

बेवार की कृष्णा मिल के बारे में राज्य सरकार, वित्त संस्थाओं की सहायता से, इसे फिर से शुरू करने के लिए सोच रही है। यह वहां की स्थिति है।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : एक साल हो गवा, 16 हजार मजदूरों के परिवारों का सवाल है। आप इसमें स्वयं रुचि लीजिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आपकी चिन्ता में मैं भी शामिल हूं और मैं आपका पक्ष लेता हूं।

4.43 म० प०

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

टैक्सटाइल के बारे में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने एक समझौता (पैक्ट) दिया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दिए गए पैक्ट को कार्यान्वित करने के लिए हम राज्य सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं और उनके साथ पत्राचार भी कर रहे हैं।

एन० टी० सी० की मिलों के नुकसान के बारे में बात की गई है। जब हम एन० टी० सी० की बात करेंगे तो यह नहीं कहेंगे वहां कुछ नया पूंजी निवेश किया गया है और वे मिलें नुकसान उठा रही हैं। हम उन मिलों की बात करेंगे जो रुग्ण हैं। प्रत्येक एन० टी० सी० मिल निजी क्षेत्र की असफलता का स्मारक है। यह वे मिलें हैं जिनका परित्याग कर दिया गया था और जिन्हें कूड़े-करकट की तरह फैंक दिया गया था और हमने उसे उठा लिया है। और यह तो मैं कहता हूं कि इनमें घाटे तो हुए हैं, किन्तु जब से एन० टी० सी० को हाथ में लिया गया है तब से अब तक कुल घाटा 425 करोड़ रुपये हुआ है जो एक बहुत बड़ी राशि है। परन्तु यह कुल घाटा कई वर्षों में हुआ है। इस 425 करोड़ रुपये के घाटे के दौरान भी 222 करोड़ रुपये तो उत्पाद शुल्क के रूप में अदा किए गए है। इसने 1378 करोड़ रुपये वेतन के रूप में वितरित किए हैं। इसको श्रमिकों की सहायता लेनी पड़ी और 2 लाख व्यक्तियों को फिर से रोजगार दिया। ब्याज के रूप में इसने 130 करोड़ रुपये अदा किए हैं। एन० टी० सी० 90 करोड़ मीटर की क्षमता में से 30 करोड़ मीटर कंट्रोल का कपड़ा तैयार करता है। यह समाज के कमजोर वर्गों के लिए है। यदि आप तुलन पत्र को लें, जिसे मैं एन० टी० सी० का सामाजिक तुलनपत्र कहूंगा, तो यह आपको सकारात्मक लगेगा न कि नकारात्मक। आप इसे देखें। निश्चित रूप से हमने प्रबन्धकों पर सख्ती बरतने के लिए कदम उठाए हैं और मुख्य कदमों में एक कदम है श्रमिकों की भागीदारी। 10 से 12 मिलों को पहले ही से श्रमिक भागीदारी योजना के अन्तर्गत ले लिया गया है। यह केवल निम्नतम स्तर, बिक्री स्तर आदि तक दिखावा नहीं है। वे क्रय, विक्रय आदि समितियों में भी शामिल किए गए हैं। श्रमिक प्रतिनिधि एन० टी० सी० प्रबन्ध समितियों में बैठते हैं और उन्हें क्रय, विक्रय और वाणिज्यिक कार्यों में सम्बद्ध किया जायेगा। और एक वर्ष में.....

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार (दुर्गापुर) : क्या आपने श्रमिक प्रतिनिधियों को मिलों के निर्देशक बोर्ड में भी शामिल किया है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : निर्देशक तो सहायक स्तर पर हैं क्योंकि मिल स्तर पर निर्देशकों का कोई बोर्ड नहीं है । इसलिए सहायक स्तरों पर उन्हें शामिल किया गया है

एन० टी० सी० की एक तिहाई मिलों को श्रमिक भागीदारिता के अन्तर्गत लाने का हमारा विचार है क्योंकि मैंने श्रमिकों पर बहुत जोर दिया है । वे हमारे नेत्र और हाथ हैं क्योंकि उस मालिक को तो हटा दिया गया है जो यूनिट को चलाने के लिए लाभ-अर्जन पद्धति तंत्र था । उस मालिक के हट जाने के बाद इस लाभ-अर्जन पर आधारित प्रणाली की तरफदारी कौन करता है ? कौन अब मिल में रुचि लेता है ? वे हैं श्रमिक, मजदूर । यह इसलिए कि मजदूर वेतन चाहते हैं, बोनस चाहते हैं, छुट्टी चाहते हैं, किन्तु वे मिल को बन्द नहीं होने देना चाहते । यह हमारी मानवीय अभिप्रेरणा है जिसे हम प्रबन्धनीय तथा प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए देना चाहते हैं ।

श्री कालीचरण शर्मा और श्री के० ए० राजन ने जूट हड़ताल के बारे में उल्लेख किया है । यह हम सबके लिए बहुत राहत की बात है । हम सभी इसकी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे । यह बात नहीं है कि केन्द्रीय सरकार की इसमें रुचि नहीं है । किन्तु स्थिति में जो परिर्तवन हो रहे थे, हमने उनके बारे में संपर्क बनाया हुआ था और आशा थी कि जब पहल की जा रही थी तो कोई न कोई हल निकल आयेगा । और आज हल निकल आया है तथा मुझे आशा है कि उत्पादन में, निर्यात में तथा बिक्री में जो कुछ भी घाटा हुआ है, इसे आने वाले वर्षों में पूरा कर लिया जायेगा ।

रेशम के बारे में भी जिक्र हुआ था और श्री अब्दुल रशीद काबुली ने जम्मू और काश्मीर में कुछ परियोजनाओं की सम्भावना के बारे में उल्लेख किया । मैं इसे रिपोर्ट से ढूंढने का प्रयास कर रहा था और वास्तव में मैं इस सुझाव की जांच करवाऊंगा कि वहां रेशम उद्योग को सुदृढ़ बनाने की क्या सम्भावनाएं हैं । किन्तु निश्चित रूप से कर्नाटक में हमारे पास विश्व बैंक की योजनाएं हैं । तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा अन्य गैर परम्परागत क्षेत्रों में मालबरी लगाने की हमारी इच्छा है । मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में स्विटजरलैंड की सहायता से एक अन्तर्राज्य टसर परियोजना चल रही है ।

हल्त-शिल्प उद्योग के बारे में श्री उमाकान्त मिश्र ने कल जिक्र किया था और वे प्रसन्न थे कि गलीचे बहुत बिक रहे हैं । श्री काबुली भी प्रसन्न हैं । हमारे गलीचों के निर्यात की यह एक अच्छी प्रवृद्धि है । गलीचा प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में एक परियोजना मंजूर की गई है और इसके बनाने वालों को नामजद कर दिया गया है । उत्तर प्रदेश निर्माण निगम निर्माण कार्य आरम्भ करेगा और मुझे आशा है कि थोड़े समय में यह मामला प्रगति पर होगा ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली ने यह कहते हुए कि कश्मीर हस्त-शिल्प उद्योग का एक मुख्य क्षेत्र है और हमारे हस्तशिल्प उद्योग का यह गौरव था, इसके बारे में एक मुद्दा उठाया था ।

उन्होंने जो भी कहा वह वहां के हस्त शिल्पियों के बारे में सत्य है। हम भी इसको बहुत महत्व देते हैं और हम इस दिशा में पूरा संभव सहयोग देंगे।

कल, श्री गुलाम मोहम्मद खान ने मुरादाबाद और पीतल निर्यात तथा कारीगरों और अन्य व्यक्तियों, जो अच्छी स्वास्थ्य दशा में नहीं हैं, के बारे में बताया था। अब एक पीतल नगरी बनने जा रही है जिसके लिए उत्तर प्रदेश ने 80 स्थान पहले से ही आवंटित कर दिये हैं। पीतल के लिए अलौह रौलिंग मिल स्थापित की गई है। जब हम मुरादाबाद की बात करते हैं तो यह सकते हैं कि सारे देश भर में पीतल का 80 प्रतिशत निर्यात एक ही स्थान से होता है। वहां सुविधाएं जुटाने के लिए लैक्वेरिंग और इलैक्ट्रो-प्लेटिंग की शुरुआत कर दी गई है। खनिज और धातु व्यापार निगम पीतल के निर्माताओं के लिए कच्चे माल का एक डिपो खोलेगा। यह निर्णय लिया गया है कि मुरादाबाद को कानपुर की बजाए दिल्ली के मुख्य आयात एवं निर्यात नियंत्रक के कार्यालय के अधीन ले लिया जाए। फिर उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा।

महोदय, मैंने अधिक से अधिक मुद्दों को शामिल करने के लिए भरसक प्रयास किया है। मैं माननीय सदस्यों को सभी महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए धन्यवाद देता हूं। जिन शेष मुद्दों को मैं शामिल नहीं कर पाया हूं, उनके बारे में मैं पूरा-पूरा ध्यान दूंगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : महोदय, मन्त्री जी ने हमारी आयात और निर्यात नीति का एक बहुत ही स्पष्ट, कुशल और प्रगतिशील जो वर्णन किया है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए, मुझे विश्वास है, सभा के सभी वर्ग मेरा साथ देंगे। मुझे यह भी प्रसन्नता है कि वाणिज्यिक पक्ष से सम्बन्धित व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय सम्मेलन में मिले हैं और उन्होंने इस सभा में घोषित नई आयात और निर्यात नीति का स्वागत किया है।

मै केवल दो या तीन बातें कहना चाहता हूं। मुझे खेद है कि मैं स्वयं वाद-विवाद में भाग नहीं ले सका।

तम्बाकू के बारे में मुझे विश्वास है कि सभी तम्बाकू उत्पादक सरकार के आभारी हैं और साथ में मन्त्री जी के भी आभारी हैं जिन्होंने पिछले वर्ष पहले करके, योग्यतापूर्वक उन लोगों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जिसके फलस्वरूप सरकार को एक बहुत बड़ी राशि को गंवाना पड़ा। फिर भी सरकार ने इस पर खेद नहीं प्रकट किया है। किन्तु दया की बात तो यह है कि सरकार ने अनुभव प्राप्त किया है, उसने उसे इस वर्ष तम्बाकू व्यापार को बढ़ावा देने तथा तम्बाकू उत्पादकों की उचित सुरक्षा के लिए सहायता हेतु प्रयोग में लाने की कोशिश नहीं की है।

मैं चाहूंगा कि दो काम किए जाएं। मैंने, आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा, खरीद तथा निर्यात के साथ-साथ हमारे अपने देश में बिक्री के लिए, उनके अपने स्तर पर ही अपना

राज्य व्यापार निगम बनाने की सम्भावनाओं के बारे में पूछताछ की। वस्तु तब उन्होंने एक सवाल उठाया कि राज्य स्तर पर राज्य व्यापार निगमों को निर्यात करने की अनुमति नहीं है। वे चाहते हैं कि उन्हें लाइलेंस दिए जाएं···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उन्हें पूरी अनुमति दी जाएगी। यह मैं सभा के मंच पर कह सकता हूं कि आन्ध्र राज्य विपणन महासंघ अथवा जो कोई भी हों, यदि वे निर्यात करना चाहते हैं, तो उन्हें पूरी अनुमति दी जाएगी। उसमें कोई बाधा नहीं होगी।

प्रो० एन० जी० रंगा : न केवल इस वस्तु के सम्बन्ध में कमी है, बल्कि अन्य वस्तुओं के बारे में भी है। राज्य व्यापार निगम केन्द्रीय स्तर पर उनसे प्रतिशतता प्राप्त करना चाहता है—मैं नहीं जानता, किस उद्देश्य के लिए—और मेरे विचार से यह एक अनुचित मांग है···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं प्रतिशतता के इस प्रश्न पर भी विचार करूंगा। उन्हें निर्यात तो करने दीजिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : एक अन्य विषय यह है कि भारत सरकार को कपास उत्पादकों के साथ-साथ उन तम्बाकू उत्पादकों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए जो अपने आपको सहकारी समितियों के रूप में गठित करके अपना तम्बाकू अथवा कपास निर्यात करने के इच्छुक हैं। पहले भी एक प्रयास किया गया था जब जनता सरकार का शासन था पर यह कोई विशेष सफलतापूर्वक नहीं किया गया। मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र इस मामले पर गंभीरता से कार्यवाही करें।

हथकरघा बुनकरों के विषय पर आते हुए, मेरे माननीय मित्र ने अभी-अभी कहा कि पूंजी और ऋण उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तर पर वित्तीय निगम होंगे, जिनके दो उद्देश्य होंगे; पहला, अन्तर्निविष्ट साधनों की खरीद और दूसरा, उपभोक्ता ऋण प्रदान करना। मैं चाहता हूं कि इन प्रयासों में और तेजी लाई जाए और केन्द्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा, सीधे अथवा भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए समुचित उपाय किए जाएं।

हमारी सभी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में, मैं सरकार द्वारा यह अनुभव किए जाने की प्रशंसा करूंगा कि पूर्व-यूरोपीय देशों में उस प्रकार के उपभोक्ता माल अथवा अर्ध उपभोक्ता माल के लिए बढ़ता हुआ बाजार है जिसे हम तैयार करने और निर्यात करने में सक्षम हैं।

अतः मुझे विश्वास है कि सभा मेरे इस कथन को बल प्रदान करेगी कि हमारी यह इच्छा

है कि सरकार, इस बाजार के यथासंभव और शीघ्रातिशीघ्र विकास के लिए अपने प्रयासों को और मजबूत करे।

धन्यवाद।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): सभापति महोदय, मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं। एक मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित है।

पटना के बगल में फुलवारी शरीफ है जो कि 6 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां बीसियों वर्ष से बिहार काटन मिल्स के नाम से एक कारखाना चल रहा था, उससे हजारों लोगों की जीविका चलती थी। वह कारखाना, बिहार काटन मिल्स लि० अब जुलाई, 1982 से बन्द है। मजदूरों को मजदूरी भी नहीं दी गई है और उनके दूसरे ड्यूज भी उन्हें नहीं दिए गए हैं। मालूम हुआ है कि बिहार सरकार ने यहां की सरकार से और मंत्री जी से निवेदन किया है कि इस कारखाने को सरकार अपने अधीन लेकर चालू को ताकि वहां जो 500 से ज्यादा मजदूर काम करते थे, उनको फिर से काम मिल जाए और उनके परिवार का भरण-पोषण हो सके। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

दूसरा प्रश्न एन० टी० सी० से सम्बन्धित है। मेरी जानकारी में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के दो कारखाने हमारे यहां चल रहे हैं। एक गया में है जिसकी हालत खराब है और एक मोकामा में है जहां बहुत दिनों से हड़ताल चल रही है। उस हड़ताल को तो कम-से-कम समाप्त कराना चाहिए। इससे मजदूरों का भी नुकसान हो रहा है और उत्पादन का भी नुकसान हो रहा है, इस बारे में आपने कोई पेशकश की है या नहीं ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय पटसन मशीनरी निगम में कुप्रबंध के विभिन्न कार्य हो रहे हैं। हाल ही में इसके अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। इसकी यूनियन के अध्यक्ष, श्री सोमनाथ चटर्जी ने माननीय मन्त्री जी को कई पत्र लिखे हैं। परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि चाय की रिकार्ड मात्रा का निर्यात किया गया है और यह कि चाय के निर्यात के द्वारा हम विदेशी मुद्रा की भारी राशि अर्जित कर रहे हैं। परन्तु, माननीय मन्त्री महोदय को शायद मालूम है कि सरकारी उपक्रम भारतीय चाय निगम ने, घरेलू बाजार में, नटराज ब्रांड की दार्जिलिंग चाय के 500 ग्राम के एक पैकेट का मूल्य 11.75 रुपए से बढ़ाकर 26 रुपए कर दिया है; 130 प्रतिशत की वृद्धि ! यदि सरकारी उपक्रम एक ही बार में अपना मूल्य 130 प्रतिशत तक बढ़ा देती हैं तो निजी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के बारे में स्थिति क्या होगी ?

माननीय मंत्री महोदय को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और नटराज ब्रांड चाय की कीमत को कम करने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको यह एक विशिष्ट उदाहरण दिया है।

मैं इन दो विषयों पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा उड़ीसा से लौह अयस्क के निर्यात के लिये किए गए प्रयासों के बारे में स्थिति क्या है ? वहां यह एक बड़ी समस्या है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : प्रो० एम० जी० रंगा द्वारा पूछे गए दो सवालों के बारे में मुझे यही कहना है कि यदि आन्ध्र प्रदेश का राज्य निगम निर्यात करना चाहता है, तो वह निश्चित तौर पर ऐसा कर सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं होगी।

प्रो० एन० जी० रंगा ने कुछ प्रतिशतता प्रभारों के संबंध में उल्लेख किया है। उस पर विचार किया जा सकता है।

परन्तु आंध्र प्रदेश निगम द्वारा निर्यात करने के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होगी।

5.00 म० प०

फुलवारी शरीफ के बारे में एक मुद्दा उठाया गया है। हमने कपड़ा आयुक्त से कहा है कि वित्तीय संस्थानों सहित इसकी सक्षमता के बारे में विस्तारपूर्वक ध्यान दें और कुछ ऐसे उपाय सुझाएं जिनके द्वारा इसे पुनः चालू किया जा सके।

गया तथा मोकामेह में हड़ताल के बारे में···

श्री रामावतार शास्त्री : हड़ताल गया में नहीं, बल्कि मोकामेह में है। वास्तव में गया में भी स्थिति खराब है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : गया के बारे में आप जानते ही हैं कि उस एकक के आरम्भ होने के दिन से ही उसकी क्या स्थिति है; आपको इसके बारे में पता है।

इस हड़ताल के बारे में, मैं राष्ट्रीय कपड़ा निगम को, इस पर ध्यान देने और इसकी स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने का काम सौंपूगा।

चाय के बारे में भी उल्लेख किया गया है। घरेलू बाजार में कीमत में वृद्धि के कारण ही हमने सी० टी० सी० चाय के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया, हालांकि निर्यात करने पर हमें इसके 125 करोड़ रुपए मिलते; यह केवल घरेलू बाजार के लिए किया गया। यह खुली चाय है; सी० टी० सी० वह चाय है जिसे आम आदमी खुली चाय के रूप में खरीदता है, दार्जिलिंग चाय अथवा

पैकेट चाय नहीं, जो हम खरीद सकते हैं। सी० टी० सी० चाय की कीमतों पर प्रभाव पड़ा और इस बात को स्वीकार किया गया है कि इस बारे में प्रभावी कदम उठाया गया।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैंने चाय निगम का एक विशिष्ट उदाहरण दिया है; नटराज चाय की कीमतों में 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय सदस्य, इस समस्या से पूर्ण रूप से अवगत हैं। स्वयं दार्जिलिंग चाय की कीमत, इसकी कम होती हुई उत्पादिकता के कारण बढ़ती जा रही है; विभिन्न कारणों की वजह से, इसकी उत्पादन लागत बढ़ रही है।

मुझे सभापति महोदय द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर देना है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि खनिज एवं धातु व्यापार निगम, पारादीप बन्दरगाह से निर्यात का कम से कम उतना स्तर बनाए रख सकेगा, जितना कि पिछले वर्ष था। जहां तक इस्पात की समस्या का प्रश्न है, उनकी स्वयं की रक्षित तवान (कैप्टिव माइन) है और उन्हें इसे चालू रखना होता है। हम अपनी ओर से भरसक प्रयास करेंगे। मुझे यही कुछ कहना है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : और राष्ट्रीय पटसन मशीनरी निगम के बारे में ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसके अध्यक्ष ने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्हें किसी दूसरे संगठन में ले लिया गया है। पूछताछ के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है।

सभापति महोदय : यदि कोई भी माननीय सदस्य किसी भी कटौती प्रस्ताव को अलग से रखे जाने के लिए इच्छुक नहीं है, तो अब मैं वाणिज्य मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए एक साथ रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं वाणिज्य मन्त्रालय के सम्बन्धित अनुदानों की मांगों को मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई वाणिज्य मन्त्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 10 से 12 के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक राशियां कार्य सूची के स्तंभ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत

वाणिज्य मन्त्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगें, 1984-85

मांग संख्या	मांग का नाम	14 मार्च, 1984 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
	वाणिज्य मन्त्र	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
वाणिज्य मन्त्रालय					
10	वाणिज्य मन्त्रालय	44,45,000	...	2,22,25,000	...
11	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	110,45,05,000	86,77,50,000	552,25,25,000	433,87,50,000
12	सूती वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प	58,52,02,000	31,84,22,000	292,60,12,000	159,21,11,000

5.04 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1984-85

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

सभापति महोदय : अब सभा सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 64 से 66 के सम्बन्ध में, जिसके लिए 4 घण्टे का समय रखा गया है, चर्चा और मतदान आरम्भ करती है ।

सभा में उपस्थित वे माननीय सदस्य, अनुदानों की मांगों के बारे में जिनके कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि अपने कटौती प्रस्तावों को रखना चाहते हैं, तो वे 15 मिनट के भीतर पटल पर अपनी पर्चियां पहुंचा दें जिन पर उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या अंकित हो जिन्हें वे रखना चाहते हैं । केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को रखा गया माना जाएगा ।

उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या को दर्शाने वाली सूची, जिन्हें रखा गया माना जाएगा, शीघ्र ही सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी । यदि किसी सदस्य को सूची में कोई असंगति दिखाई दे तो वे कृपया इसे अविलम्ब पटल अधिकारी की जानकारी में लाएं ।

प्रस्ताव किया गया :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय संबंधी मांग 64 से 66 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक राशियां कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं ।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगें, 1984-85

मांग संख्या	मांग का नाम	14 मार्च, 1984 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय					
64	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय	23,52,000	...	1,17,60,000	...
65	सूचना और प्रचार	5,89,54,000	21,83,000	29,47,68,000	1,09,17,000
66	प्रसारण	23,20,07,000	19,88,70,000	116,00,36,000	99,43,51,000

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : किसी देश की जानकारी उसके जन संचार के माध्यम से होती है। यद्यपि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र होने का दावा करता है तथापि हमारे दो इलैक्ट्रॉनिक जन संचार के माध्यम से चल रहे हैं, और अभी भी बन्धुआ मजदूरों की भांति चले आ रहे हैं। यह जन संचार के माध्यम बिल्कुल बंधुआ मजदूरों की तरह हैं। अपनी स्थापना के 55 वर्ष बाद भी आकाशवाणी और स्थापना के 25 वर्ष बाद दूरदर्शन···

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : हमारे जन संचार के माध्यम मास्को रेडियो की तरह स्वतन्त्र हैं।

प्रो० रूप चन्द पाल : ···वह हमेशा की भांति बंधुआ हैं। वह बंधुआ मजदूरों की तरह हैं और वह कई वर्षों से इन दोनों संस्थाओं की स्वतंत्रता के लिए निरन्तर अपनी मांगें उठा रहे हैं। एक सभ्य देश के लिए कुछ लोकतन्त्रात्मक मानदण्ड होने चाहिए।

यद्यपि महत्वपूर्ण समितियों और कार्यकारी दलों को नियुक्त किया गया, और जब श्रीमती गांधी सूचना और प्रसारण मन्त्री थीं—उस समय एक चन्दा समिति को नियुक्त किया गया, परन्तु समिति की सिफारिशों पर कभी विचार नहीं किया गया और इन इलैक्ट्रानिक माध्यमों को स्वायत्तता प्रदान करने की जनता की अत्यन्त उचित मांग को स्वीकार नहीं किया गया। इस क्षेत्र में जनता सरकार द्वारा किया गया कार्य भी अधिक प्रशंसनीय नहीं है। यद्यपि जनता सरकार ने जन संचार को और इसकी परतन्त्रता को केन्द्रीय सरकार तथा सत्तारूढ़ दल के बंधन से मुक्त कराने के लिए चुनाव के समय यह प्रतिज्ञा की थी परन्तु वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सके। वर्गीज समिति की स्थापना और उसकी सिफारिशों के बावजूद भी वह अपना वायदा पूरा नहीं कर सके और वह भी असफल रहे।

कांग्रेस (आई) दल जो कि इस समय केन्द्र में सत्तारूढ़ है, इन दोनों जन संचार साधनों का उपयोग अपने हित के लिए कर रहे हैं और उनके लिए दल और सरकार में कोई अंतर नहीं है और इस विभाजन को काफी हद तक मिटा दिया गया है। वे यह भूल गए हैं कि सरकार की हद कहां समाप्त होती है और दल का कार्य कहां शुरू होता है और उन्होंने दोनों को एक साथ मिला दिया है···(**व्यवधान**) इन जन संचार साधनों का एकमात्र उद्देश्य अब देश एकमात्र नेता और एकमात्र उत्तराधिकारी, अर्थात् वर्तमान नेता एवं भविष्य की एकमात्र आशा की छवि बनाना रह गया है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन दोनों जन संचार के साधनों का उपयोग किया जा रहा है।

हमने इस सदन में अनेक बार यह विचार-विमर्श किया है कि किस प्रकार आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूर्णतया दुरुपयोग किया जा रहा है जो पूरी तरह से संकीर्ण पक्षपात हेतु है। अन्यथा हम यह कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि किसी राज्य का मुख्य मन्त्री लोगों को सम्बोधित करने के लिए जाए और जन प्रचार माध्यमों का एक छोटा-सा अधिकारी उन्हें भाषण देने की अनुमति न

दे···आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री के साथ ऐसा हुआ है ? यहां इसी विषय पर विचार-विमर्श हुआ था । कई बार हमने यह प्रश्न उठाया है । एक दिन पहले भी हमने इस प्रश्न पर विचार-विमर्श किया था ।

15 जनवरी को कलकत्ता में एक बड़ी अप्रिय घटना घटित हुई, जब जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मन्त्री डा० फारुख अब्दुल्ला दम-दम हवाई अड्डे पर आ रहे थे । उन पर विख्यात कांग्रेस (आई०) नेताओं के कहने पर कांग्रेस (आई०) के गुण्डों द्वारा हमला किया गया···(**व्यवधान**))

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : दिल्ली में जम्मू तथा काश्मीर सरकार के सूचना अधिकारी ने इस बात से पूरी तरह से इन्कार किया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उन पर हमला किया गया···

(**व्यवधान**)

प्रो० रूप चन्द पाल : मैं अपनी बात पर टिका हुआ हूं ।

(**व्यवधान**)

देश के कानून के अंतर्गत अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और विरोध में उन्होंने एक तथाकथित बंद का आयोजन किया था और हिंसात्मक कार्यवाहियां कीं । 17 जनवरी को सायंकाल पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने दिन में घटित घटनाओं सम्बन्धी एक वक्तव्य दिया और आकाशवाणी दिल्ली ने उसे प्रसारित नहीं किया । उन्होंने केवल अपराधियों सम्बन्धी वक्तव्य प्रसारित किया । जब हमने यह प्रश्न उठाया तो सूचना और प्रसारण मन्त्री ने इसे यह कहकर टालने का प्रयास किया कि मुख्य मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को क्षेत्रीय समाचारों में प्रसारित कर दिया गया था । हमने क्षेत्रीय समाचारों के बारे में नहीं पूछा था । वह एक अलग मामला है । अनेक अवसरों पर ऐसा देखा जाता है कि राष्ट्रीय महत्व के अनेक महत्वपूर्ण राजनैतिक नेताओं के वक्तव्यों को बिल्कुल प्रसारित नहीं किया जाता और कांग्रेस (आई०) दल के ग्रामीण स्तर के किसी छोटे से नेता के वक्तव्य का व्यापक प्रसारण किया जाता है । (**व्यवधान**)

पश्चिम बंगाल के पिछले पंचायत चुनावों के दौरान पंचायत मंत्री के वक्तव्य को खबरों में प्रसारित नहीं किया गया । पंचायत मंत्री के वक्तव्य में नया कुछ नहीं था । लेकिन सरकारी जनसंचार के निर्णय के अनुसार यदि कांग्रेस (आई०) के नेता छींकते हैं तो खबरों में प्रसारित होता है । यदि कांग्रेस (आई०) के नेता जंभाई लेते हैं तो खबरों में प्रसारित होता है । आप सबसे बड़ा लोकतन्त्र होने का दावा करते हैं, यह दोनों जन प्रचार के माध्यमों में प्रचलित यह स्थिति बड़ी विकट है—प्रसारण में एकाधिकार और कार्यक्रम बनाने में एकाधिकार और पूर्ण नियन्त्रण । आप इस रास्ते

पर चल रहे हैं। अतः यह बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है जब हमारी प्रधान मन्त्री अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर यह कहती हैं कि अमरीका और अन्य विकसित देश एक बात में एकमत हैं अर्थात् विकासशील देशों को प्रसारण फ्रीक्यून्सीज में उनका उचित भाग दिए जाने की अनुमति नहीं देना चाहते। और प्रधान मन्त्री ने कहा है कि हमारे पास एक नई अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था होनी चाहिए। विकासशील देशों की फ्रीक्यून्सीज में उचित भाग संबंधी अनेक बैठकें हुई है जिनमें उनकी मांगों को उठाया गया। यह बिकासशील देशों की दया पर निर्भर नहीं होना चाहिए, परन्तु यह आश्चर्यजनक लगता है कि देश में दोनों जन प्रचार के साधनों पर सरकार का एकाधिकार और पूर्ण नियन्त्रण है। जन संचार के साधनों का उपयोग संकीर्ण पक्षपात के लिए किया जाता है। लोकतंत्र में विरोधी पक्ष के अपने विचार होते हैं। उनके विचारों को अनुमति दी गई और जन संचार के साधनों द्वारा उनके महत्वपूर्ण विचारों, टिप्पणियों, रचनात्मक आलोचनाओं और सुझाव को अपनाए जाने की आशा व्यक्त की गई। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इसके संबंध में मानदण्ड, संहिता और दिशा-निर्देश हैं। 1980 के संशोधित दिशा-निर्देशों में यह कहा गया कि दोनों इलैक्ट्रानिक जन संचार के साधन उद्देश्यपूर्ण और सन्तुलित समाचार प्रकाशित करेंगे···

हम देखते हैं कि मार्गदर्शी सिद्धान्त संख्या 6 इस प्रकार है :—

"आकाशवाणी और दूरदर्शन तथा फिल्म डिवीजन में सूचना, समाचार और टिप्पणियों का प्रसार निष्पक्ष, उद्देश्यपूर्ण और सन्तुलित ढंग से किया जाना चाहिए जिसमें घटनाओं और गतिविधियों सहित विरोधी दृष्टिकोण पर बल दिया जाना चाहिए।"

महोदय, अब यह कहीं भी व्यवहार में दिखाई नहीं देता। केवल सरकार के विचारों का ही प्रचार किया जाता है। सत्तारूढ़ दल और सरकार के विचारों में बहुत कम अन्तर है।

मार्गदर्शी सिद्धांत में यह कहा गया है :—

"व्यक्तियों का उल्लेख मुख्यतः मानव रुचि के लिए किया जाना चाहिए।"

क्या यह ऐसा है ? यदि इस प्रकार नहीं है। महत्वहीन कथनों, हित का व्यापक प्रसारण किया जाता है, परन्तु विरोधी दल के विचारों का प्रसारण नहीं किया जाता। आपके द्वारा प्रसारित समाचारों में अनेक अवसरों पर विरोधी दल के सदस्य के विचारों का बिल्कुल प्रसारण नहीं किया जाता। यह वर्तमान स्थिति है। वास्तविकता यह है कि आकाशवाणी रेडियो की स्थापना के 55 वर्ष बाद और दूरदर्शन की स्थापना के 25 वर्ष बाद भी सरकार ने प्रसारण की कोई सुसंगत राष्ट्रीय नीति नहीं अपनाई है।

औद्योगिक नीति और इसी प्रकार की कुछ नीतियों से हम सहमत नहीं हुए और नहीं हो सकते। हाल ही में आपने प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की थी, उनकी अन्तरिक्ष नीति है, यह उद्-

घोषित नीतियां हैं। परन्तु आज तक प्रसारण की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। आपके पास इस प्रकार की नीति क्यों नहीं है ? ऐसा कहा गया है कि हम संचार क्रान्ति प्रारम्भ कर चुके हैं जो नवीनतम प्रौद्योगिकी के रूप में हमारे पास आ रही है। मैं इस विषय में नहीं जा रहा हूं। इस प्रकार आप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और एकाधिकारियों के नियंत्रण के लिए द्वार खोलेंगे। परन्तु मैं अभी उस ओर नहीं जा रहा क्योंकि इस विषय पर विचार-विमर्श का यह उचित अवसर नहीं है। प्रसारण सम्बन्धी आपकी कोई नीति नहीं है। आकाशवाणी की भूमिका क्या है ? दूरदर्शन की भूमिका क्या है ? आकाशवाणी और दूरदर्शन एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर सकते हैं ? किस पर कितना बल दिया जाना चाहिए ? ग्रामीण क्षेत्रों, जहां 80 प्रतिशत आबादी रहती है उनके पास कितना प्रसारण पहुंचता है ? शहरी क्षेत्रों के लिए कितना प्रसारण किया जाता है ? श्रम-जीवी वर्ग के लिए कितना प्रसारण किया जाता है ? किसानों के लिए कितना प्रसारण किया जाता है ? शिक्षा और मनोरंजन के लिए कितना प्रसारण किया जाता है ? इनसैट I-बी और अन्य वस्तुओं को आप कितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं ? इस प्रकार का अध्ययन कभी नहीं किया गया। आपके द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की समीक्षा और मूल्यांकन के लिए क्या कोई संस्थागत तंत्र विद्यमान है ? नहीं, इनके द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं है। इन मामलों पर बड़े अधिकारी मिलकर विचार-विमर्श करते हैं। राज्यों के सूचना मंत्रियों और अन्य मंत्रियों की वार्षिक बैठकें होती हैं। वह कुछ धार्मिक संकल्प पारित करते हैं, बस यही होता है। कुछ सुझाव दिए जाते हैं। परन्तु महोदय, यदि आप प्रसारण के सारांश देखें, सारांश क्या है, आपको मालूम हो जाएगा। यदि आप उसका विश्लेषण करें तो आपको वास्तव में पता चलेगा। आप कहेंगे कि प्रसारण जानकारी है, आप कहेंगे कि प्रसारण शिक्षा और मनोरंजन के लिए भी है। यदि आप प्रसारण के पूरे समय का विश्लेषण करें तो आपको मालूम होगा कि प्रसारण का 38 प्रतिशत समय संगीत के लिए होता है इसमें शास्त्रीय और लोक संगीत सभी प्रकार के संगीत आदि भी शामिल हैं। आप 80% जनसंख्या को कितना समय देते हैं जो कि किसान हैं, जिन्हें कृषि के सम्बन्ध में बहुत से मुद्दों पर शिक्षित किया जाना है, जिन्हें अपने अन्धविश्वासों और सामाजिक बाधाओं पर काबू पाने के लिए शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है, इस सम्बन्ध में, कैसी स्थिति चल रही है। अधिकांश किसानों और कमजोर वर्गों के लोगों की 6 प्रतिशत से अधिक प्रसारण का समय नहीं मिल पाता। 38 प्रतिशत समय संगीत के कार्यक्रमों के लिए दिया जाता है। जन-जातीय लोगों के संगीत और लोक संगीत, ग्रामीण लोगों के संगीत—हमारी जनसंख्या का 70 प्रतिशत आबादी के लिए संगीत के लिए संगीत का केवल 3.84 प्रतिशत समय दिया गया है। लोक संगीत, जन-जातीय संस्कृति आदि के लिए बहुत ही कम समय प्रदान किया गया है। अब, क्या आप अपने देश की समस्याओं के बारे में लोगो को शिक्षित करते हैं ? हमारे देश में क्या-क्या समस्याएं हैं ? आपको मेरा दर्शन अथवा मेरी विचारधारा स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु आपके 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अनुसार हमारे देश की गम्भीर समस्याओं में से एक समस्या भूमि सुधार की है। भूमि सुधार के मार्ग में कौन-कौन-सी रुकावटें और कौन-कौन सी कठिनाइयां आती हैं ? जब आप जनसंचार माध्यम से 20-सूत्रीय कार्यक्रम लागू कर रहे हैं तो क्या आपने अपनी जनता को इसके बारे में समझाने की कोशिश की ? लोगों को भूमि सुधार के बारे में

शिक्षित करने में आपको क्या कठिनाई है ? क्या इसके बारे में कभी आपने प्रयत्न किया है ? आपने अभी प्रयत्न नहीं किया है ।

हमारे संविधान में साफ-साफ बताया गया है कि उसका उद्देश्य अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करके एक समतावादी समाज की स्थापना करना है । किन्तु जब लोगों को पता चलता है कि एकाधिकारियों की कुल परिसम्पत्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है और दूसरी ओर हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा—जनसंख्या का 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक—आपके सांख्यिकीय आंकड़ों की कुशलता के बावजूद अब भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही है । आपने कभी इस असमानता के कारण को समझा है ? भूमिका में कहा गया है कि हमें समाजवाद लाना है । अब, समाजवाद से आपका क्या तात्पर्य है ? आपने कभी समाजवाद के बारे में लोगों को समझाया है ? आप बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में बहुत बात करते हैं । आपने कभी समाजवाद का प्रचार किया है ? कभी नहीं किया । आप ऐसा करना ही नहीं चाहते क्योंकि आपने वर्ग-हित के अनुसार आप इसे कर ही नहीं सकते । इसी उद्देश्य के लिए दो संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें आप नियन्त्रित करते हैं । आप वर्ग शासन, एकाधिकार, गृह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और साम्राज्यवादी एजेंसियों, जो कि उन्हीं के सहयोग से पनप रही हैं, बनाए रखना चाहते हैं ।

शिक्षा से आपका कुछ भी तात्पर्य हो, आपका अब एक शिक्षा कार्यक्रम है । किन्तु स्कूलों में कितने रिसीविंग सेट दिए गए हैं । आपने 15,000 के लगभग विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम बनाए हैं । 5 लाख स्कूल हैं और आपके पास कुल मिलाकर मात्र 73,000 रिसीवर हैं । आप कहते हैं कि यह आपका उत्तरदायित्व नहीं है । आपने कहा है कि रिसीविंग सेटों की व्यवस्था करना राज्यों का उत्तरदायित्व है । अब आपने नवीन इलेक्ट्रानिक मीडिया अर्थात् दूरदर्शन के विस्तार-कार्य का विनिश्चय किया है । आपने उसके विस्तार के लिए 68 करोड़ अथवा 70 करोड़ रुपये की लागत से 139 नए प्रसारण केन्द्रों की स्थापना करने का विनिश्चय किया है ।

आपको पता है कि इस देश ने कितने टेलीविजन सेट उपलब्ध हैं ? इनकी संख्या केवल 20 लाख है और वे अधिकतर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास जैसे महानगरों में संकेन्द्रित हैं ।

अब, सामुदायिक सेटों की संख्या देश में केवल 7,000 है । आप दावा करते हैं कि इनका विस्तार किया जा रहा है लेकिन सही मायने में इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है । यह भी एकाधिकार के नियन्त्रण को बनाए रखने का एक उपाय है । क्योंकि वास्तविक विस्तार का अर्थ छविग्रहों (स्टूडियोज) और कार्यक्रम प्रस्तुत करने की सुविधाओं का गठन करना है ताकि हम अपने जैसे देश में सांस्कृतिक विभिन्नता के साथ, विभिन्न भाषा-भाषी समूहों के साथ अपने-अपने निजी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकें । इस प्रकार के विस्तार कार्य पर लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत आयेगी । लेकिन इन 700 करोड़ रुपयों से आप क्या करने वाले हैं । एक केन्द्र से आप एकमात्र नेता और उसके उत्ताधिकारी के व्यापक स्तर पर प्रचार के उद्देश्य से मुग्ध श्रोताओं के सामने कुछ

प्रायोजित कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपने अब राष्ट्रीय कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है। एकता के सम्बन्ध में हमारा देश अनेकों सयस्याओं का सामना कर रहा है। प्रतीत होता है कि हमारी अपनी एकता खतरे में है। उस दिशा में अनेक विघटनकारी तत्व और कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं। बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे समय में, हमें राष्ट्रीय समन्वय और राष्ट्रीत एकता पर जोर देने की आवश्यकता है और जनसंचार माध्यमों का प्रयोग विभिन्न नीति-परक, भाषाई तथा सास्कृतिक समूहों के व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए किया जाए। बिना समुचित परिकल्पना और भावी योजना दूरदर्शन पर एकराष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ करके आप इसका एकदम उल्टा कर रहे हैं। आप क्षेत्रीय कार्यक्रमों का समय ले रहे हैं और मुग्ध श्रोता-गणों पर अपना कार्यक्रम थोप रहे हैं। दूरदर्शन में कार्यक्रम की विशेषता है ? यह निम्न स्तर का है प्रसारण कार्यक्रमों के बारे में समुचित राष्ट्रीय नीति बनाने के स्थान पर आप दूरदर्शन को फिल्म उद्योग को दूसरी किस्म के रूप में ले रहे हैं। मैंने पढ़ा है कि इस महीने की 14 तारीख से हिन्दी फिल्मों की सख्या में वृद्धि कर दी गई है और क्षेत्रीय फिल्मों के लिए बहुत ही असुविधाजनक समय निर्धारित किया गया है। स्थिति यह है।

अब हम सिनेमा पर भी नजर डालें। इसकी भी वही स्थिति है। यह सरकार देश की एकता को नष्ट करने पर तुली हुई है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 37 वर्षों के बाद भी मैं यह आरोप लगाता हूं। यदि आप फिल्म-निर्माण पर दृष्टि डालते हैं तो स्थिति कोई उत्साहवर्धक नहीं है। वर्ष 1983 में 741 फिल्मों का निर्माण हुआ है। इनमें से 134 तेलगू में, 132 हिन्दी में, 128 तमिल में, 112 मलयालम में बनाई गई हैं और उसके पश्चात् उनकी संख्या घट रही है। और सभापति महोदय, आपके राज्य की संस्कृति बड़ी समृद्ध है लेकिन उड़िया भाषा में निर्मित फिल्मों की संख्या सिर्फ 12 है। क्यों ? यह विषम प्रगति क्यों है ? इन फिल्मों में से अधिकांश का स्तर कैसा है। सिनेमा राज्य का विषय है, किन्तु सेंसरशिप केन्द्र सरकार के नियन्त्रण में है। क्या सेंसरशिप का कोई समान सिद्धान्त अथवा स्तर है ? मैंने बार-बार यह प्रश्न उठाया है। दक्षिण की फिल्में पास हो रही हैं। यह फिल्में न केवल अश्लील हैं, न केवल सेक्स से परिपूर्ण हैं बल्कि अशिष्टता से भरी हुई हैं। निर्माता इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सेक्स के कारण बिक्री अच्छी होती है, हिंसा के कारण बिक्री अच्छी होती है, और किसी न किसी पत्रकार से ऐसी ही फिल्में बनाएंगे। कभी-कभी तो फिल्म का नाम बदलकर यौन और अश्लीलता से भरी हुई फिल्में दिखाते हैं। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं।

अब हम प्रेस की स्वतंत्रता देखें। हम दूसरे देशों को सलाह देते रहते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भाषण देते रहते हैं। मैं बिहार प्रेस विधेयक आदि पर विस्तार से चर्चा करना नहीं चाहता जो कि पहले ही वापस लिया जा चुका है। द्वितीय प्रेस आयोग कुछ आवश्यक और महत्वपूर्ण सुझाव लेकर आया। क्या सरकार ने उनमें से किसी को माना ? क्या सरकार विचार कर रही है कि समाचार पत्रों को बड़े-बड़े व्यापारियों के चंगुल से कैसे निकाला जाए ? क्या छोटे समाचार पत्रों के हितों की रक्षा के लिए कोई प्रयास किया गया है ? क्या प्रेस को नियंत्रण में

रखने के हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल करने के बजाय आपकी कोई विज्ञापन नीति है ? यदि आप प्रेस तथा अन्य संचार-क्षेत्रों पर बारीकी से दृष्टि डालें तो आपको पता लगेगा कि सरकार इनके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहती है। इस प्रकार की स्थिति जारी नहीं रह सकती। संघीय ढांचे में राज्य सरकारों की भी भूमिका होनी चाहिये और विपक्ष की एक सही मांग आयी है कि दो इलेक्ट्रोनिक संचार माध्यमों के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हों। यह बहुत उपयुक्त है। मुझे नहीं मालूम कि प्रसारण सामग्री सम्बन्धी नीति पर डा० पी० सी० जोशी समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन कब होगा। जन संचार माध्यमों के लिये स्वायदत्ता प्रदान करने की सिफारिश की है ताकि समाचार स्वतंत्र रूप से दिए जा सकें। ताकि उनकी विश्वसनीयता पूर्ण रूप से समाप्त न हो जाए। महोदय, विश्वसनीयता बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपने बहुत अधिक समय ले लिया है।

प्रो० रूप चन्द्र पाल : महोदय, समय की अपेक्षा विश्वसनीयता का अधिक महत्व है।

मैं केवल यह कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि यह उचित समय है कि सरकार ने इस पर गम्भीरता से विचार किया है, उदाहरण के लिए यदि वे इन दो इलेक्ट्रोनिक संचार माध्यमों के सही दिशा में विकास नहीं होने देंगे तो वह दिन दूर नहीं होगा जब कि ये इलेक्ट्रानिक संचार माध्यम, उनकी गलत नीति के कारण देश की एकता के सूत्र में बांधने के बजाय हमारे देश के लिए महान क्षति का कारण होंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को और शक्तिशाली बनाने और देश की मांग के अनुसार फिल्मों के निर्माण को सुनिश्चित करने में असफलता।] (67)

[राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पूर्णतः क्रियान्वित करने में असफलता।] (68)

[इजारेदारों द्वारा नियंत्रित समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन देने में सही नीति अपनाने में असफलता।] (69)

[छोटे समाचार पत्रों को अधिक सरकारी विज्ञापन तथा दूसरे प्रकार की सहायता देने में असफलता।] (70)

[समाचार पत्रों पर कायम इजारेदारी को तोड़ने में असफलता।] (71)

[समाचार पत्रों पर इजारेदारी द्वारा बढ़ते हुए शिकंजे को रोकने में असफलता ।] (72)

[पीत-पत्रकारिता की समाप्त करने में विफलता ।] (73)

[देश में फूट की भावना, साम्प्रदायकिता, जातिवाद, भाषावाद की भावना फैलाने वाले अखबारों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता ।] (74)

[आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा दुश्मन राष्ट्रों के गलत प्रचारों को काटने के लिये अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने में असफलता ।] (75)

[आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के विकास के लिए समाजवादी देशों से मदद लेने में असफलता ।] (76)

[आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा निष्पक्ष नीति अपनाने में असफलता ।] (77)

[आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा देश के विरुद्ध चलाये जाने वाले दुष्प्रचारों को कारगर ढंग से काटने में असफलता ।] (78)

[आकाशवाणी और दूरदर्शन से देश को तोड़ने वाली शक्तियों के विरुद्ध सशक्त प्रचार चलाने में असफलता ।] (79)

[आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा जनता में देश की एकता, अखण्डता, जनतन्त्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की नीति का प्रचार करने के लिये विशेष प्रयास करने में असफलता ।] (80)

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[आकाशवाणी और दूरदर्शन से विरोधी दलों के नेताओं की तुलना में शासक दल के नेताओं को अधिक प्रसारण की अनुमति देने के मामले में आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा पक्षपातपूर्ण नीति अपनाने की नीति को त्यागने में असफलता ।] (81)

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[हिन्दी एवं प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को विशेष सहायता प्रदान करने में असफलता ।] (82)

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये लाभ किये जायें ।"

[क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय को अधिक कारगर बनाने की आवश्यकता ।] (83)

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये लाभ किये जायें ।"

[अखबारी कागजों के आबंटन में छोटे और हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के अखबारों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता ।] (84)

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये लाभ किये जायें ।"

['हिन्दुस्तान समाचार' समाचार एजेंसी में हो रहे घोटाले को समाप्त करने के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता ।] (85)

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये लाभ किये जायें ।"

['हिन्दुस्तान समाचार' के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता ।] (86)

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये लाभ किये जायें ।"

['समाचार भारती' नामक हिन्दी समाचार एजेंसी की तालाबन्दी को समाप्त करने के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता ।] (87)

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये लाभ किये जायें ।"

['समाचार भारती' के कर्मचारियों के बकाया वेतन और बोनस तथा अन्य अदायगियों के शीघ्र भुगतान को सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।] (88)

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये लाभ किये जायें ।"

[पटना के आकाशवाणी केन्द्र को और शक्तिशाली यंत्र देने की आवश्यकता ।] (89)

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये लाभ किये जायें।"

[पटना में दूरदर्शन के रिले स्टेशन के निर्माण में होने वाले अनावश्यक विलम्ब को समाप्त करने की आवश्यकता।] (90)

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये लाभ किये जायें।"

[कुछ खास दलों और सांसदों के प्रति समाचार पत्रों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की आवश्यकता।] (91)

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये लाभ किये जायें।"

[समाचार पत्रों द्वारा संसद की कार्यवाही की रिपोर्टिंग में समान निष्पक्ष नीति अपनाना, सुनिश्चित करने की आवश्यकता।] (92)

"कि सूचना और प्रचारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये लाभ किये जायें।"

['संसद समीक्षा' और टुडे 'इन पार्लियामेंट' में पक्षपातपूर्ण प्रसारण की नीति को त्यागने की आवश्यकता।] (93)

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये लाभ किये जायें।"

['संसद् समीक्षा' और 'टुडे इन पार्लियामेंट' के प्रसारण में कुछ खास दलों और सांसदों को विशेष महत्व देने तथा अन्यों के योगदान को नजरअन्दाज करने को रोकने की आवश्यकता।] (94)

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये लाभ किये जायें।"

[नौजवानों में देशभक्ति, अच्छे आचरण, देश का नवनिर्माण करने, साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ने की भावना भरने के लिए देश के क्रांतिकारियों के जीवन एवं संघर्ष पर फिल्में बनाने की आवश्यकता।] (95)

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये लाभ किये जायें।"

[शहीदे आजम भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, मास्टर दवे, राजगुरू, सुखदेव तथा अन्य क्रांतिकारियों के जीवन कार्यों पर फिल्मों का निर्माण करने की आवश्यकता।] (96)

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये लाभ किये जायें।"

[गंदे, वीभत्स महिला विरोधी, हिंसा और चोरी डकैती को बढ़ावा देने वाली फिल्मों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता।] (97)

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये लाभ किये जायें।"

[स्वतंत्रता संग्राम के उज्ज्वल इतिहास के आधार पर फिल्म का निर्माण करने की आवश्यकता।] (98)

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये लाभ किये जायें।"

[साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन से वार्ताओं के प्रसारण को रोकने की आवश्यकता।] (99)

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये लाभ किये जायें।"

[जन समस्याओं के समाधान में मदद करने वाली फिल्मों का निर्माण करने की आवश्यकता।] (100)

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये लाभ किये जायें।"

[आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा विरोधी दलों के विरुद्ध गलत एवं भ्रामक प्रचार करने को रोकने की आवश्यकता।] (101)

"कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये लाभ किये जायें।"

[आकाशवाणी और दूरदर्शन से विरोधी दलों की वार्ताओं को और अधिक प्रसारित करने की आवश्यकता।] (102)

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर (हमीरपुर) : महोदय, माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री द्वारा इस सदन में मांगें प्रस्तुत किये जाने का मैं समर्थन करता हूं।

मेरे विरोधी पक्ष के मित्र ने जो कुछ कहा उससे मेरा मन मुदित हुआ। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से जो कुछ भी प्रसारित होता है उसमें उन्हें बन्दी नियन्त्रण के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है। क्योंकि यह शब्द 'बन्दी नियन्त्रण' उनका तरीका है, और उनके दल का तरीका है, उन्हें कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। दूसरी ओर, मैं मन्त्रालय, बल्कि दोनों मन्त्रालयों को प्रसारण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार तथा परिमाणात्मक विस्तार करने के लिये बधाई देना चाहता हूं। मैं सिर्फ छठी पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों का ही उल्लेख करूंगा। छठी योजना के आरम्भ में आकाशवाणी द्वारा इस देश की 90 प्रतिशत जनसंख्या और 78 प्रतिशत क्षेत्र को कवर किया गया था। और अब इस योजना के अन्त में 95 प्रतिशत जनसंख्या तथा 86 प्रतिपत क्षेत्र कवर किये जाने की आशा है। यह आकाशवाणी के लिये है। दूरदर्शन के संबंध में, योजना के प्रारम्भ में सिर्फ 6 प्रतिशत क्षेत्र व 16 प्रतिशत जनसंख्या कवर की गई थी। योजना के अन्त में हम आशा करते हैं कि 17 प्रतिशत क्षेत्र एवं 33 प्रतिशत जनसंख्या कवर कर ली जायेगी। हमारे पास एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसे विशेष दूरदर्शन विस्तार योजना कहा जाता है। इसके अंतर्गत 68 करोड़ रुपये की लागत से 78 प्रतिशत जनसंख्या को कवर किये जाने की आशा है। मेरे विरोधी पक्ष के मित्र ने इस बड़ी उपलब्धि को अनदेखा कर दिया है। किन्तु उनके लिए यह भूल जाना आसान है कि देश के लिये क्या अच्छा है और जनसाधारण के लिए क्या अच्छा है। उनको सिर्फ यह याद रखना ही सुविधाजनक होगा कि उनके दल के लिए क्या अच्छा है।

हमारे दल की शिकायत भिन्न है। शासक दल को निर्वाचन में प्राप्त मतों अथवा इस सदन में प्राप्त स्थानों के आधार पर आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर उसे जो समय मिलना चाहिये वह नहीं दिया जाता है जबकि विरोधी पक्ष को अधिक समय दिया जाता है। मैं मंत्री जी से इस असंतुलन को हमारे पक्ष में ठीक कर देने का अनुरोध करूंगा क्योंकि इससे हमारे सदस्यों, हमारे ही लोगों को हानि होती है।

मुझे खेद है कि दूसरी ओर बैठे मित्र द्वारा उद्धृत की गई अधिकतर सभी बातें असंगत हैं। उन्होंने संचार अथवा प्रसारण नीति के अभाव का उल्लेख किया है। पिछले वर्ष ही हमने अंतर्राष्ट्रीय संचार वर्ष मनाया था, अर्थात सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय ने संयुक्त रूप से कुछ सम्मेलनों का आयोजन किया था। यह बताया गया है कि एक राष्ट्रीय संचार नीति बनाई जा रही है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उस नीति के बनने तक कोई नीति न हो। एक ठोस कार्यक्रम है। एक ठोस आधार है जो कि हमारे विपक्षी नेता भूल रहे हैं। वे पेड़ों को तो गिनते हैं परन्तु जंगलों को भूल जाते हैं। यही उनकी आधारभूत गलती है।

अत्यधिक ऊंचे स्तर वाली सांस्कृतिक विविधता वाले विशाल देश में, हम सिर्फ एक बात का उल्लेख कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि उसमें क्या है। मैं रेडियो द्वारा प्रसारित दो समाचारों को उद्धृत करना चाहता हूं। वह इसे सुनने के लिये यहां उपस्थित नहीं हैं, परन्तु उन्हें यह जानना चाहिए। मैं इस समाचार सेवा के पृष्ठ 18 में से पढ़ूंगा और हम इस बात का अनुमान लगा सकेंगे कि आकाशवाणी क्या कर रही है। लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा विभिन्न भाषाओं में समाचार देने के माध्यम से आकाशवाणी तथा दूरदर्शन जो योगदान दे रहे हैं वह कोई विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा स्कूल या कालेज नहीं दे रहे हैं। आकाशवाणी का समाचार प्रभाग देशी, विदेशी तथा प्रादेशिक सेवाओं के अंतर्गत प्रतिदिन 254 बुलेटिन 35 घंटो से भी अधिक अवधि के दौरान प्रसारित करता है। देशीय सेवाओं में दिल्ली से राष्ट्रीय बुलेटिन 19 भाषाओं में प्रसारित किये जाते हैं। संविधान में सिर्फ 15 भाषाएं हैं और रेडियो प्रतिदिन 10 घंटे 8 मिनट की अवधि में 19 भाषाओं का प्रयोग करता है। प्रादेशिक सेवाओं में 123 प्रादेशिक बुलेटिन, जिसमें 3 दिल्ली से भी सम्मिलित हैं, प्रतिदिन लगभग 16 भाषाओं एवं बोलियों में प्रसारित किये जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन-सा विश्वविद्यालय है जो इन 16 भाषाओं को पढ़ा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कौन-सा कार्यक्रम है, या भारत सरकार का कौन-सा मंत्रालय है जो 68 प्रादेशिक भाषाओं को आश्रय दे रहा है जो कि साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। वे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं, किन्तु वे आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा अपनायी जा रही हैं क्योंकि ये जीवन्त भाषायें हैं, ये देश में सभी जगह बोली जाती हैं ये समझ आने तथा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। यह वैध मुद्दा है।

विदेशी भाषाओं को भी देखें। विदेशी सेवाओं में, 63 बुलेटिन 24 भाषाओं में प्रतिदिन दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास से 48 घंटे पर मिनट की अवधि के लिये प्रसारित किये जाते हैं। क्या देश में कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर 24 विदेशी भाषाओं का अध्ययन होता हो। जोकि विदेशी सेवाओं द्वारा नियोजित प्रयुक्त तथा उपयोग की जा रही हैं। क्या देश में ही कोई ऐसा शिक्षा संस्थान है जिसमें इस देश की 16 भाषाओं तथा बोलियों पर शोध कार्य किया जा रहा हो। एक भी नहीं है। अतः हमें आकाशवाणी, मंत्रालय तथा दूरदर्शन का आभार प्रकट करना चाहिये जोकि इन आम-बोली जाने वाली भाषाओं की प्रयुक्त कर रहे हैं जोकि वैसे भी क्षीण हो रही हैं और जिनको कई स्थानों पर स्कूलों में उपयोग नहीं किया जा रहा है।

अन्य पहलू यह है कि इस देश में जहां दूरदराज के क्षेत्रों में आसानी से सड़कें भी उपलब्ध नहीं हैं, जहां हो सकता है लोग भी न हों परन्तु छुटपुट एकाध मकान हो सकता है, तब रेडियो की भाषा ही जानकारी देती है जो जनसाधारण को शिक्षा तथा मनोरंजन भी प्रदान करती है। शिक्षा मनोरंजन तथा सूचनाओं को इतनी बड़ी मात्रा में और कोई नहीं बल्कि यही मंत्रालय ही पहुंचाता है। मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा कि दूर-दराज, पर्वत श्रेणियों, की लाहोल, स्पीती तथा अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में जहां पर साल के छः महीनों में पहुंचना नामुमकिन है, उस स्थिति में रेडियो ही उन व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और उन्हें राष्ट्र से जोड़ता है।

प्रो० पाल ने कांग्रेस दल तथा केन्द्रीय सरकार पर देश की एकता को नष्ट करने का आरोप लगाया है। अगर देश में कोई दल है, अगर कोई सरकार है जिसने देश की एकता को बनाये रखा है, तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, केन्द्रीय सरकार ही है जिसका प्रतिनिधित्व यह दल करता है। आकाशवाणी और अन्य समाचार माध्यम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि देश की एकता और अखण्डता बनी रही हालांकि इस सम्बन्ध में धर्म, जाति, भाषा, उप-दल, संस्कृति, क्षेत्र के नाम पर विपक्षी समय-समय पर आंदोलन चलाते रहते हैं और जो भी साधन उन्हें मिलता है उससे वे राष्ट्र की एकता पर प्रहार करने का प्रयास करते हैं।

दूसरी ओर हमारा एक स्पष्ट दृष्टिकोण है, ठोस कार्यक्रम है तथा निश्चित विचारधारा है जिसे हम लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान इस देश के स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा की गई कुर्बानियों से लोगों को अवगत कराएं।

मेरे आदरणीय मित्र श्री वी० एन० गाडगिल ने स्वतन्त्रता संग्राम पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से स्मृति डाक टिकटों की एक श्रृंखला जारी की है। इस श्रृंखला में पहली डाक टिकट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पारित किए गए 'भारत छोड़ो' संकल्प के संबंध में प्रधान मंत्री द्वारा 9 अगस्त को दिल्ली में जारी की गई जिसमें गुलामी के जुए को उतार फैंकने के लिए भारत की जनता में आई एक जनजागृति की लहर का चित्रण किया गया है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह निकट भविष्य में आकाशवाणी के लिए ऐसे प्रसारण तैयार करवाएं और दूरदर्शन पर ऐसे कार्यक्रम दिखाएं और इस प्रकार के चलचित्रों का निर्माण करवाएं जिससे भारत द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति से कुछ दशक पूर्व देश में जो आई व्यापक लहर और मातृभूमि की मुक्ति हेतु लोगों द्वारा की गई बड़ी-बड़ी कुर्बानियां युवकों को स्मरण करायी जा सकें और उनके हृदय में भली-भांति अंकित की जा सकें और उनके हृदय में भली-भांति बिठायी जा सकें। इसी प्रकार मैं यह अनुरोध करता हूं कि प्रकाशन विभाग की जीवनियां प्रकाशित करन की श्रृंखला 'आधुनिक भारत के निर्माता' के अन्तर्गत राज्यों के विभिन्न क्षेत्रीय वीरों की जीवनियां भी प्रकाशित की जाएं ताकि लोगों के हृदयों में यह समान भावना पैदा की जा सके कि स्वतन्त्रता संग्राम के समय यह देश एक था, अब भी एक है और भविष्य में भी एक ही रहेगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : परन्तु इस संबंध में उनकी गति अत्यन्त धीमी है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मैं सहमत हूं कि उन्हें अपनी गति तीव्र करनी चाहिए। हमारे अधिकांश लोग, युवा पीढ़ी के लोग यह भूल गये हैं कि देश के लिए वास्तव में क्या कुर्बानियां दी गईं। उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि देश में गांधीजी, जवाहरलाल और सुभाष जैसे स्वतंत्रता सेनानी हुए थे और सम्पूर्ण राष्ट्र ने आगे बढ़कर उनके आह्वान को सुना, जेलों को भर दिया तथा स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और इस प्रकार हमें विदेशी गुलामी के जुए से इतनी तीव्र गति से मुक्ति मिली कि विदेशी भी चकित रह गए। इस पर प्रकाश डाला जाए और समुचित प्रचार किया जाए।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, गीत और नाटक प्रभाग और फिल्म प्रभाग इस क्षेत्र में एक विशिष्ट भूमिका अदा कर सकते हैं और उन्हें अवश्य ही अदा करनी चाहिए ।

हमने देखा है कि सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए बनाया गया कार्यक्रम कितना प्रभावी और कल्याण प्रवण है । आज गांव का बालक उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है जिस दिन वह अपने गांव के विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में इनसेट का कोई कार्यक्रम देखेगा ।

इस मंत्रालय को शिक्षा की ओर भी ध्यान देना है । शिक्षा मंत्रालय न केवल विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों अपितु गांव के विद्यालयों के लिए भी कार्यक्रमों के सुदृढ़ करना चाहता है । उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि पांच लाख विद्यालयों को रिसीवर दिए जाने हैं जिसके लिए 28 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । यह राशि वाणिज्यिक सेवा से अन्तरित करके दूर-दर्शन के विस्तार के लिए इस कार्यक्रम को दे दी गई है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि देश भर में 13 उच्च शक्ति के ट्रान्समीटर और 113 कम कम शक्ति के ट्रान्समीटर होना एक अच्छी बात है । हमारा राज्य हिमाचल प्रदेश एक बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल में यह पंजाब और हरियाणा से बड़ा है, यह सुविस्तृत है, यह अत्यन्त असमतल, ऊंचा-नीचा है इसे जो कुछ दिया गया है, वह उससे अधिक का अधिकारी है । इसे केवल दो नये ट्रान्समीटर, एक कसौली में और दूसरा कुल्लु में, दिए गए हैं । मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जब तक राज्यों को और अधिक ट्रांसमिशन समय नहीं दिया जाता और जब तक जिला रेडियो स्टेशन स्थापित नहीं किए जाते तब तक इससे आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती । यह पहाड़ी और पिछड़ा हुआ इलाका है और इससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी । अतः मैं यह आग्रह करता हूं कि प्रत्येक जिले में एक रेडियो स्टेशन स्थापित किया जाए और वह अवश्य ही क्षेत्रीय भावनाओं की पूर्ति करे । इससे ही संस्कृति समृद्ध होगी । यह मांग न केवल दिल्ली और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों की है, बल्कि प्रत्येक गांव की है । इसके लिए अवसर प्रदान करना होगा । आपने जो यह कहा है कि आप 60 भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं वह एक अच्छी बात है, और उनका मंत्रालय भारत की व्यापक सांस्कृतिक भिन्नता के साथ न्याय कर रहा है और उसे और अधिक भाषाओं को प्रोत्साहन देने का प्रयास करना चाहिए । मेरे राज्य की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है तथा इसको मंत्री महोदय का संरक्षण चाहिए । क्योंकि इस समय केवल जालन्धर स्टेशन ही डोगरी भाषा में कार्यक्रम देता है । हिमाचल प्रदेश पड़ौसी राज्य है परन्तु जालंधर स्थित दूरदर्शन केन्द्र इसके लिए कुछ नहीं करता । अतः दूरदर्शन के बारे में मैं यह मांग करता हूं कि हमें पर्याप्त हिस्सा मिलना चाहिए ।

मुझे प्रसन्नता है कि ढांचे के बारे में 28 नवम्बर, 1980 को श्री जी० पार्थसारथी की अध्यक्षता में गठित 14 सदस्यों वाली सलाहकार समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं और उनमें से अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और अन्यों पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है । स्टाफ आर्टिस्टों को पेंशन देने संबंधी सिफारिश एक स्वागत-योग्य कदम है क्योंकि वे सभी प्रतिभाशाली हैं और अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं इसलिए वे बेहतर व्यवहार के हकदार हैं ।

इसी प्रकार के रंगीन टेलिविजन प्रारम्भ करने संबंधी प्रस्तावों के अन्य पहलुओं की ओर भी ध्यान दिया जाना होगा। प्रकाशन प्रभाग से संबंधित सिफारिशें भी सरकार के विचाराधीन हैं। मंत्रालय हिन्दी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य कर रहा है और क्षेत्रीय भाषाओं को उपेक्षा के आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि हम क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षण देना चाहते हैं। वास्तव में मैं यह देखने के लिए अधिक उत्सुक हूं कि इस समय जितनी भाषाओं को संरक्षण दिया जा रहा है उससे कहीं अधिक भाषाओं को दिया जाए। हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली और प्राकृत तथा अन्य सभी भाषाओं की सुन्दर परम्परा रही है और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मुझे तब अत्यन्त खुशी होगी जब मैं यह देखूंगा कि सम्पूर्ण देश में प्रत्येक राज्य के जिला प्रशासन और जिला मुख्यालयों में पर्याप्त दूरदर्शन केन्द्र होंगे ताकि देश के सम्पूर्ण क्षेत्र में कार्यक्रम दिखाए जा सकें क्योंकि हम अब एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें सूचना का अत्यन्त महत्व होगा। निष्पक्ष रूप से बिना किसी नियंत्रण के सूचना देने का अत्यधिक महत्व है। और इस उद्देश्य के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था की स्थापना की जा रही है। मुझे यह देखकर खुशी नहीं हुई है कि मेरे विपक्षी मित्रों ने गम्भीर आरोप लगाए हैं। मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था की स्थापना के मामले में पहल कर रहा है और विश्व के विकासशील देशों के लिए वह गर्व का दिन होगा जब यह व्यवस्था स्थापित कर दी जाएगी और विकासशील देश समाचार माध्यमों को संरक्षण देने के क्षेत्र में तथा धर्म जाति और रंग का उल्लेख किए बिना सूचना देने के क्षेत्र में, जिसमें सम्पूर्ण मानवता की भागीदारी होगी, पश्चिमी देशों से आगे निकल जाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री महोदय और उपमंत्री तथा दूरदराज के क्षेत्रों में विभिन्न केंद्रों में काम करने वाले लोगों को उनके बढ़िया काम के लिए बधाई देता हूं।

श्रीमती किशोरी सिन्हा (वैशाली) : मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यचालन पर अपने विचार प्रकट करने के लिए तथा उस पर अपनी कुछ अभियुक्तियां देने के लिए खड़ी हुई हूं। ऐसे समय में जब सूचना का इतना अधिक महत्व हो गया है, हमने सूचना और प्रसारण मंत्रालय का दर्जा उत्तरोत्तर कम कर दिया है। पहले मंत्रालय मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री के अधीन था। मैं श्री साठे की, जिन्होंने आधुनिक दृष्टिकोण अपनाया और जिन्होंने मंत्रालय को प्रसारण के पुराने तरीके से निकाल कर आधुनिक दूरदर्शन के युग में प्रवेश कराया, अवश्य ही सराहना करूंगी। हम नहीं जानते कि उनका स्थानान्तरण क्यों किया गया और वह भी रंगीन प्रसारण की उल्लेखनीय उपलब्धि के समय।

प्रसारित की जा रही सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि सूचना का स्थान प्रचार और शिक्षा का स्थान सिद्धांत बोधन ने ले लिया है। दुर्भाग्यवश, ऐसा तब हो रहा है जब मंत्रालय श्री भगत के अधीन है। यह मुझे कहते हुए खेद है कि कभी-कभी यह रूपान्तरण इतना अधिक हो जाता है कि पिछले दिन एक आलोचक आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन को पूर्वी दिल्ली गजट की संज्ञा दे रहा था, बिल्कुल

उसी तरह जैसे रेल मंत्रालय को आजकल मालदा एक्सप्रेस कहा जाता है। मेरे विचार में इस त्रुटि को दूर करने के लिए श्री भगत इस पहलू की ओर ध्यान देंगे।

मैं जब यह कह रही हूं कि सूचना का स्थान प्रचार ने ले लिया है तो इसका मेरे पास प्रमाण है। परन्तु मुझे पता है। यह बात दूसरी ओर बैठे सदस्यों को अच्छी नहीं लगेगी। अतः मैं यह सुझाव देती हूं कि इस मामले को विशेषज्ञों के स्वतंत्र निकाय उनकी राय जानने के लिए सौंप दिया जाना चाहिए।

कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों द्वारा एशियाई खेलों का प्रसारण उस माध्यम की क्षमता का एक शानदार प्रदर्शन था। इससे प्रोत्साहित होकर सम्पूर्ण देश में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों द्वारा कार्यक्रम दिखाने का विचार एक बहुत बड़ा कदम है। जिसका श्रेय सरकार को अवश्य मिलना चाहिए। परन्तु श्री साठे की भांति एक तकनीकी विशेषज्ञ को, जिसने यह विचार रखा था, मंत्रालय से निकाल दिया गया। इस सरकार की स्थिति भी प्राचीन मिस्र के उस फारोह की भांति है, जो प्रभावपूर्ण विचार रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कत्ल करा देता था।

दूरदर्शन की संभावना का पता लगाने के बाद सबसे पहले क्या किया जाता है? जल्दी में एक कार्यक्रम तैयार किया जाता है, स्वतन्त्रता संग्राम के बारे में चलचित्र दिखाने की एक सूची तैयार की जाती है। यह सब कुछ गुप्त रूप से किया जाता है जिसकी प्रत्यक्ष और अव्यक्त धारणा यह है कि इस समय हकूमत कर रही पार्टी का तादात्मक महान कांग्रेस के साथ स्थापित किया जाए जो स्वतन्त्रता के लिए लड़ी थी।अन्य व्यक्तियों को छोड़कर थोड़े से व्यक्तियों के योगदान को प्रदर्शित किया जाये। जहां इसके लिए धन और शक्ति आसानी से उपलब्ध होती है, वहां जिस मुख्य उद्देश्य से इनसेट दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार किया गया था, अर्थात् छः राज्यों के 18 जिलों के गांवों तक पहुंचाना, वह बहुत पीछे रह गया है और आंन्ध्र तथा उड़ीसा राज्य में केवल स्थानीय कार्यक्रम उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए जो स्थानीय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश और बिहार के पिछड़े जिलों से प्रसारित होने चाहिए, वहां से वे बिल्कुल प्रसारित नहीं होते। मुजफ्फरपुर और देवरिया के ट्रांसमीटर अपनी शहरी कार्यक्रमों के साथ-साथ दिल्ली दूरदर्शन पर निर्भर करते हैं। मैं जोरदार 'निवेदन' करना चाहती हूं कि मुजफ्फरपुर के ट्रांसमीटर के स्थान पर एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाया जाए और यहां पर पूर्ण रूप से एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जाए। मुझे बताया जाता है कि सरकार बेतिया में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के बारे में सोच रही है यह बात स्पष्ट नहीं है कि इस प्रस्ताव के पीछे क्या कारण है। मेरा यह दृढ़ सुझाव है कि सरकार को मुजफ्फरपुर के दूरदर्शन केन्द्र को सुदृढ़ बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं एक बार फिर इस आवश्यकता पर जोर देती हूं कि मुजफ्फपुर से बज्जिका में दस मिनट के लिए ही कुछ न कुछ प्रसारित करना चाहिए क्योंकि यह भाषा बिहार के 50 लाख व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है।

अब हम फिर से स्वतन्त्रता संग्राम के बारे में चल-चित्र की बात करें। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहता कि स्वतन्त्रता संग्राम पर चल-चित्र बनाया जाए

और उसे दिखाया न जाए। परन्तु प्रचार द्वारा समूची स्थिति बिगड़ जाती है और यदि ऐसे महान विषय पर जल्दबाजी से चल-चित्र निर्माण किया जाएगा तो उसके किस्म में गिरावट आएगी और प्रामाणिक रूप प्रदर्शित करने की बजाए उल्टे परिणाम निकल सकते हैं। मैं वर्तमान सरकार को चेतावनी देना चाहती हूं कि दूरदशन जैसे माध्यम का संचालन तो कर रहे हैं परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इसका पूरा अर्थ नहीं समझा गया है। दूरदर्शन एक निर्दयी माध्यम है। हमें याद है कि निक्सन-केनेडी वाद-विवाद के दौरान यह दूरदर्शन ही था जिसने चुनाव के बारे में निर्णय दिया और केनेडी जीत गए। थोड़े से व्यक्तियों को प्रदर्शित करने का प्रयास अपने आपको ही गिरा सकता है। सरकार द्वारा प्रचार के बावजूद भी असम के अधिकांश लोगों ने चुनावों में भाग नहीं लिया, हुआ क्या था कि उन्होंने बी० बी० सी० पर खबरें सुनना आरम्भ कर दिया, क्योंकि आकाशवाणी तथ्य की बजाए कल्पना की ओर अधिक झुक गई। यह तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे लोग विदेशी रेडियो पर विश्वास करें और अपने रेडियो पर अविश्वास करें। परन्तु यह सब तथ्यों के स्थान पर प्रचार करने का नतीजा है, क्योंकि ऐसा सोचा गया है कि लोगों को अपने विचार बनाने के लिए गुमराह किया जा सकता है। यहां मुझे गोब्बेल के प्रचार यन्त्र की स्थितिकी याद आ रही है। जर्मन के लोगों ने उस घोषणा का विश्वास ही नहीं किया कि ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध घोषित कर दिया है। उन्होंने सोचा यह लोगों को बेवकूफ बनाने की एक और चाल है। अतः 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में आपके सभी तथ्य लोगों द्वारा संभवतः काल्पनिक समझे जाएंगे क्योंकि आकाशवाणी से लोगों का धीरे-धीरे विश्वास उठता चला जा रहा है। ऐसा कहने के लिए मुझे खेद है।

मैं जानती हूं कि मंत्री जी ने जनता के बीच तीन लम्बी दशाब्दियों से भी अधिक समय तक कार्य किया है। उन्हें आम जनता के विचारों का काफी अनुभव है। मैं आशा करती हूं कि वह यह मानेंगे कि प्रचार की इस भावना से और भी बड़े खतरे हो सकते हैं।

आज सरकार को विश्वास है कि वह संचार माध्यम पर नियंत्रण रख सकती है क्योंकि उसके पास आकाशवाणी एवं दूरदर्शन है और उसके नियन्त्रणाधीन फिल्म डिवीजन है। राष्ट्र के नाम दिखाया जाने वाला कोई भी कार्यक्रम केवल उपग्रह के माध्यम से ही दिखाया जा सकता है और उपग्रह पर तो सरकार का नियंत्रण है। सरकार का संचार माध्यम पर तो नियंत्रण है ही, इसके अलावा माध्यम के सभी जरियों पर भी इसका नियंत्रण है। फिर भी मैं आपको याद करा दूं कि स्थिति में परिवर्तन हो रहा है।

आजकल दूरदर्शन एक निष्क्रिय माध्यम है। उपभोक्ता के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाए इसके कि वह वही देखे जो आप उसे दिखाना चाहते हैं। किन्तु यह स्थिति केवल पांच वर्षों में बदल जाएगी। पहला परिवर्तन तो विदेशी प्रसारण माध्यम का आक्रमण है। पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करने के लिए अमेरिका श्रीलंका में शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगा रहा है। आगामी चार वर्षों में इन्टेलिसेट-5 और इन्टेलिसेट-6 के क्रम में उपग्रहों को भी उधार ले सकता है जिसके

कारण यह भारत में दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण कर सकेगा जिनको भारतीय दूरदर्शन देखने वाले सीधी अभिग्रहण एन्टीना द्वारा देख सकते हैं। यह सच है कि दर्शकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से एन्टीना को खरीदना बहुत महंगा पड़ेगा। किन्तु अगले पांच वर्षों में यह इतना महंगा नहीं पड़ेगा। इस प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण चालू दशाब्दी समाप्त होने से पहले ही दूररर्शन माध्यम का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा।

वीडियो तेजी पकड़ रहा है, यह एक दूसरा परिवर्तन है। यह सच है कि सरकार वीडियो की चोरी पर छापा मार रही है और यह ठीक भी है, परन्तु यह समस्या का एक पहलू है। पहले से ही कई शहरों में वीडियो संग्रहालय हैं। वीडियो टेपों की बहुत अधिक मांग के कारण निजी कार्यक्रमों को बाजार में आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और मनोरंजन के अलावा शैक्षिक, सूचनात्मक तथा अन्य उद्देश्यों के लिए वीडियो टेप मिलने लगेंगे।

वीडियो प्लेयर की क्या दशा है? आजकल वी० सी० आर० की कीमत लगभग 10,000 रु० है जो चार वर्ष पहले लगभग 40,000 रुपए होती थी। चाहे आप स्थानीय कीमत को न गिरने दें किन्तु जिस दर से विश्व-भर में वी० सी० आर० की कीमतें गिर रही हैं, उससे लगता है कि अगले दो वर्षों में यह 5,000 रुपए से भी कम की कीमत पर उपलब्ध हो जाएगा। मुझे आशा है कि मन्त्री जी समझते हैं कि उन्हें इस तथ्य को मानना होगा कि शहरों में मध्यम वर्ग के बहुत-से परिवारों के पास वी० सी० आर० होंगे और वे चलते-फिरते संग्रहालयों से टेप प्राप्त करेंगे तथा अपने ही कार्यक्रम देखेंगे। दूरदर्शन पर वे केवल गिने-चुने कार्यक्रम ही सुनेंगे। यदि एक बार ऐसा हो जाता है तो वीडियो क्रांति को बड़े गांवों में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। वास्तव में चौड़े चित्र-पट पर जब से प्रदर्शन सम्भव हो गया है, गांव की बड़ी पंचायतें अपने मनोरंजन एवं सूचना एवं शैक्षिक कार्यक्रम देखने लगेंगी और वे आपके कार्यक्रमों को देखने की परवाह नहीं करेंगी। आप इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। 70 प्रतिशत जनता के लिए दूरदर्शन का विस्तार करने का सरकार ने सही निर्णय लिया है। विभिन्न प्रकार की जनता को संतुष्ट करने के लिए एक-तरफा दृष्टिकोण से काम नहीं चलेगा। नौकरशाहों के नियंत्रण के कारण जो तनावपूर्ण वातावरण चल रहा है, वह सृजनात्मक प्रवृत्ति का विरोध करता है और इसी सृजनात्मकता की दूरदर्शन क्रांति मांग करती है।

वर्तमान सरकार की समस्या यह है कि इसके पास कोई भी माध्यम नीति अथवा संचार नीति नहीं है। मैंने यह दो वर्ष पहले भी कहा था। परन्तु तब से मैंने केवल तदर्थ प्रतिक्रियाएं ही देखी हैं। नई संचार क्रान्ति का आकलन किया जाना चाहिए था और अब तक इसकी साधन क्षमता तैयार हो जानी चाहिए थी।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों के बारे में भी एक शब्द कहना चाहती हूं। इतने दबाव में काम करते हुए भी इन कर्मचारियों ने ऐसी परिस्थितियों में अपनी क्षमता के

अनुसार कार्य किया है । अभी भी उनको वे सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जो सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त हैं, चाहे उनके उत्तरदायित्व वही हैं जो सरकारी कर्मचारियों के होते हैं । नैमित्तिक कलाकारों की हालत बहुत ही खराब है । वास्तव में आकाशवाणी और दूरदर्शन को उन कलाकारों के लिए एक विशेष सुविधा निधि की व्यवस्था करनी चाहिए, जो अपंग हो जाते हैं अथवा तंग हालत में हैं । अतः, मैं सरकार आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर मन्त्री जी द्वारा विचार किए जाने का सुझाव देती हूं ।

अन्त में मैं मन्त्री जी से नीति का पुनर्निर्धारण करने के लिए अपील करना चाहती हूं । माध्यम इस देश को साक्षरता बढ़ाने का सुअवसर प्रदान कर रहा है ताकि सही और समुचित जानकारी मिलती रहे और बिना पक्षपात के लोक कार्यों के बारे में विचार-विमर्श किया जा सके और उन्हें समझा सकें । क्यों न इस अवसर का प्रजातन्त्र को आगे ले जाने के लिए प्रयोग किया जाए ।

6.00 म० प०

सभापति महोदय : अब श्री विष्णु प्रसाद बोलेंगे ।

श्री विष्णु प्रसाद (कलियाबोर) : सभापति महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय : श्री प्रसाद, आप कल बोलना जारी रख सकते हैं ।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 17 अप्रैल, 1984/28 चैत्र, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

चौधरी मुद्रण केंद्र, दिल्ली-53